



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082026-275263
CG-DL-E-07082026-275263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]
No. 219]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026
मामला सं. एडी(ओआई)-03/2024

विषय: रिमांड कार्यवाही में इंडियन पेंट एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 22 सितंबर 2025 की (2025 की डब्ल्यूपीओ संख्या 148) माननीय उच्च न्यायालय के अनुसरण में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टाइटेनियम डाइऑक्साइड" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 6/03/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और वीवी टाइटेनियम पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" या "डीआई" कहा गया है) द्वारा दायर आवेदन-पत्र के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) ने अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/3/2024-डीजीटीआर दिनांक 12 फरवरी 2025 के माध्यम से चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टाइटेनियम डाइऑक्साइड" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
2. उपर्युक्त उल्लिखित अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी की सिफारिशों से व्यथित होकर, इंडियन पेंट एसोसिएशन (आईपीए) ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अधिसूचना संख्या 6/3/2024-डीजीटीआर दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा जारी अंतिम जांच परिणामों और 29 जनवरी 2025 के प्रकटन को चुनौती दी गई थी। रिट याचिका के लंबित होने के दौरान, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 12/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 मई 2025 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया था।
3. कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने इंडियन पेंट एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य (2025 की डब्ल्यूपीओ संख्या 148) में दिनांक 22 सितंबर 2025 के अपने निर्णय द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी 12 फरवरी 2025 के अंतिम जांच परिणामों के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 मई 2025 को रद्द कर दिया, और उसमें की गई टिप्पणियों के अनुसार ऐसे मुद्दों पर विचार करने के उद्देश्य से उसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर के स्तर से और उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(2) के क्षेत्र और उद्देश्य से गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामले में रिमांड किया।

ख. 12 फरवरी 2025 के अंतिम जांच परिणामों जारी करते समय पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में यहाँ नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

4.1 जांच की शुरुआत

- i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत से पूर्व संबद्ध देश की सरकार को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में उनके दूतावास के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशित 28 मार्च, 2024 की अधिसूचना जारी की।
- iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास और संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित रूप और तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अनुरोध लिखित में दें।

4.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।

- ii. हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आवेदन-पत्र के परिचालन की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने और यदि आवश्यक हो तो उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित करने के लिए अवसर प्रदान किया गया था।
- iii. प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेज़ के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर दिया गया था।
- iv. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर इनपुट मांगने वाले हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक रुचि प्रश्नावली (जिसे इसके बाद 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।

4.3 संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए, संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी।
 - क. अनहुई अन्नदा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ख. अनहुई अन्नदा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ग. कांगवू शुनफेंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - घ. केमोर्स चेंगुआंग (चीन)
 - ङ. चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी (चीन)
 - च. सीएनएनसी हुआ युआन टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - छ. गुआंग डोंग हुई यूं टाइटेनियम उद्योग (चीन)
 - ज. गुआंगशी जिनमाओ (चीन)
 - झ. गुआंगशी जिनमाओ टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ञ. जियांगसू जीपीआरओ ग्रुप (चीन)
 - ट. जियांगसू ताइबाई ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ठ. जियांगशी तिकोन टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ड. जियांगशी तिकोन टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ढ. जिलिन जीपीआरओ टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ण. जिनान युक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - त. लोमन बिलियन ग्रुप (चीन)
 - थ. निंगबो जिनफु टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - द. पैगांग ग्रुप टाइटेनियम रिसोर्सेज कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - ध. पंजिहुआ डोंगफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - न. पंजिहुआ हाइफेंगक्सिन रसायन। कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - प. पंजिहुआ ताइहाई (चीन)
 - फ. पंजिहुआ जिंगज़ोंग (चीन)
 - ब. शेडोंग डॉन ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - भ. शेडोंग डोगाइड ग्रुप कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - म. शेडोंग जिन्हूआई (लुबेई) (चीन)
 - य. शंघाई यूजियांग टाइटेनियम केमिकल निर्माता कंपनी लिमिटेड (चीन)
 - कक. तियानयुआन ग्रुप (चीन)
 - खख. युन्नान दाहुतोंग (चीन)
- ii. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनमें देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पत्तों के साथ भी उन्हें

भेजी गई थी।

iii. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया है:

- क. हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लिमिटेड
- ख. एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ग. एलबीलुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- घ. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ङ. एलबीशियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- च. बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड
- छ. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
- ज. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- झ. यिबिन तियानयुआन हाइफेंग हेताई कंपनी लिमिटेड
- ञ. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ट. एफॉन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- ठ. शानडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
- ड. शानडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ढ. पांगेंग ग्रुप की चोंगकिंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ण. पांगेंग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- त. पांगेंग ग्रुप चेंगदू वैनैडियम एंड टाइटेनियम रिसोर्सेज डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
- थ. पांगेंग ग्रुप चोंगकिंग वैनैडियम एंड टाइटेनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- द. जियांगशी टिकॉन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एक ट्रैनोंक्स कंपनी)
- ध. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
- न. इंटर चाइना केमिकल कंपनी लिमिटेड
- प. अनहुई अन्नादा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- फ. शानडोंग डोगुइड ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ब. कियानजियांग फांगयुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- भ. जिन्नान युक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- म. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड
- य. निंगबो शिनफू केमिकल मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड
- कक. शानडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

iv. संबद्ध जांच की जांच शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

- क. हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटीरियल कंपनी लिमिटेड
- ख. एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ग. एलबीलुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- घ. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ङ. एलबीशियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- च. बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड
- छ. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
- ज. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

- झ. यिबिन तियानयुआन हाइफेंग हेताई कंपनी लिमिटेड
- ञ. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ट. एफॉन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- ठ. शानडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
- ड. शानडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ढ. पांगेंग ग्रुप की चोंगकिंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- ण. पांगेंग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- त. पांगेंग ग्रुप चेंगदू वैनैडियम एंड टाइटेनियम रिसोर्सेज डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
- थ. पांगेंग ग्रुप चोंगकिंग वैनैडियम एंड टाइटेनियम टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- द. जियांगशी टिकॉन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एक ट्रानॉक्स कंपनी)
- ध. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
- न. इंटर चाइना केमिकल कंपनी लिमिटेड
- प. अनहुई अन्नादा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- फ. शानडोंग डोगुइड ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ब. कियानजियांग फांगयुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- भ. जिनान युक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
- म. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड
- य. निंगबो शिनफू केमिकल मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड
- कक. शानडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

4.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

- i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

- क. एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड
- ख. जेसीटी लिमिटेड
- ग. बर्गर पेंट्स लिमिटेड
- घ. शुल्मन प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड
- ड. बर्गर बेकर कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
- च. हैनसन पेंट्स
- छ. कंसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड
- ज. कामधेनु पेंट्स
- झ. अक्ज़ो नोबेल
- ञ. यूफलेक्सलिमिटेड
- ट. जोटुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. अपोलो पाइपिंग सिस्टम्स
- ड. इंडिगो पेंट्स
- ढ. यानसेफू इंक एंड कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
- ण. क्लैरिएंट केमिकल्स
- त. मुंद्रा मास्टरबैचेस
- थ. एससीजे प्लास्टिक
- द. पैरामाउंट पाउडर्स
- ध. आशीर्वाद पाइप्स
- न. भाविन इंडस्ट्रीज

- प. हाई-टेक इंक प्राइवेट लिमिटेड
- ii. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ताओं ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत किया है:
- क. केमको कारपोरेशन
- ख. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ग. सोलटेक्स पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड
- घ. श्री अंबिका पॉलीफिल
- ड. मेरिट पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
- च. प्लास्टेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
- छ. पॉलीवर्ल्ड
- ज. के टी क्वालिटी कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
- झ. कंडुई इंडस्ट्रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- iii. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- क. केमको कारपोरेशन
- ख. निप्पॉन पेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन पेंट एसोसिएशन के माध्यम से
- iv. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत नहीं कराया, लेकिन जांच के दौरान लिखित अनुरोध किए हैं:
- क. क्लासिक सॉल्वेंट्स
- v. निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत किया है:
- क. इंडियन पेंट एसोसिएशन (आईपीए)
- ख. ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए)
- ग. दि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
- घ. पीएचडीचैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
- vi. चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक एसोसिएशन ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत किया है और लिखित अनुरोध किए हैं:
- क. चाइना नेशनल कोटिंग्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीएनसीआईए)
- vii. निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने जांच के दौरान लिखित अनुरोध किए हैं:
- क. इंडियन पेंट एसोसिएशन (आईपीए)
- ख. ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए)
- ग. दि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
- घ. पीएचडीचैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
- viii. निम्नलिखित प्रयोक्ता एसोसिएशन ने खुद को हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत नहीं कराया है, लेकिन जांच के दौरान लिखित अनुरोध किए:
- क. इंडियन पेंट एंड कोटिंग एसोसिएशन (आईपीसीए)

4.5 जांच की अवधि और क्षति की अवधि

- i. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

4.6 विचाराधीन उत्पाद /पीसीएन पर चर्चा

- i. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र पर टिप्पणियां दर्ज करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था, जो 6 मई, 2024 को एक हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा दी गई विस्तार के बाद समाप्त हो गया था। प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियां और अनुरोध कुछ हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए, जिनकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जांच की गई।
- ii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पर चर्चा करने के लिए 3 जून 2024 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ चर्चा की। हितबद्ध पक्षकारों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2024 के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र को अंतिम रूप दिया। प्राधिकारी ने प्रभावली के उत्तर दायर करने के लिए 16 जुलाई, 2024 से हितबद्ध पक्षकारों को 30 दिनों का समय दिया।

4.7 आयात आंकड़े

- i. डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था कि वह क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करे। प्राधिकारी द्वारा भी इसे प्राप्त किया गया और जांच की शुरुआत के साथ-साथ वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए भी विचार किया गया।

4.8. नमूनाकरण

- i. जांच में बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों/व्यापारियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों की जांच के बाद, जांच अवधि के दौरान चीन जन.गण.से भारत में निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर, निम्नलिखित तीन (3) उत्पादकों को उनके संबंधित निर्यातकों के साथ पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए चुना गया, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
- क. एलबी ग्रुप में निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं - हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड, एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड और बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके
- ख. गोल्ड स्टार ग्रुप जिसमें निर्माता/निर्यातक शामिल हैं- अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड और अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड।

- ग. शेडोंग ग्रुप जिसमें निर्माता/निर्यातक- शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी, लिमिटेड और शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड शामिल हैं।
- ii. प्राधिकारी ने नियमावली के प्रावधानों के अनुसार चीन जन.गण. के नमूनाकृत उत्पादकों के पाटन मार्जिन के आधार पर चीन जन.गण. के गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया।

4.9. मौखिक सुनवाई

- i. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 29 अक्टूबर, 2024 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध, यदि कोई हो, के साथ-साथ प्रत्युत्तर अनुरोध भी दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर साझा करने के लिए निर्देश भी दिया गया था।

4.10 आगे की प्रक्रिया

- i. क्षतिरहित कीमत (जिसे इसके बाद 'एनआईपी' कहा गया है) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के लिए नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय और उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल-सत्यापन पर की गई है।
- iii. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक समझी जाने की सीमा तक किया गया था और पहले जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य के लिए उन पर भरोसा किया गया है।
- iv. प्राधिकारी ने 10 अप्रैल 2020 की व्यापार सूचना संख्या 01/2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके से पारस्परिक आधार पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई।
- v. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई सूचना पर विचार किया है, जहां तक कि वे साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत हैं।
- vi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इनकार कर दिया है, या अन्यथा वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को गैर-असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- vii. मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम 12 फरवरी 2025 को जारी किए गए थे। अधिदेश संख्या 12/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 मई 2025 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

- viii. कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने इंडियन पेंट एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य (2025 की डब्ल्यूपीओ संख्या 148) में दिनांक 22 सितंबर 2025 के अपने निर्णय द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी 12 फरवरी 2025 के अंतिम जांच परिणामों के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 मई 2025 को रद्द कर दिया, और उसमें की गई टिप्पणियों के अनुसार ऐसे मुद्दों पर विचार करने के उद्देश्य से उसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर के स्तर से और उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(2) के क्षेत्र और उद्देश्य से गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामले में रिमांड किया।
- ix. चूंकि मामला गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा गया है, माननीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और उक्त नियमावली के नियम 7 (2) के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार इस पर विचार करने के उद्देश्य से रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 17 अक्टूबर 2025 को रिमांड बैंक कार्यवाही शुरू की।
- x. प्राधिकारी द्वारा 12 मई 2026 की तत्काल रिमांड बैंक कार्यवाही में एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था, जो वर्तमान कार्यवाही से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करने वाले नियमावली के नियम 16 के अनुसार था। हितबद्ध पक्षकारों को इस पर टिप्पणियां दर्ज करने के लिए 19 मई 2026 तक का समय दिया गया था।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के आधार पर 20 मई 2026 की कलकत्ता उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या डब्ल्यूपीए 2026 की 11284 के बाद के आदेश के अनुसार अंतिम तिथि 26 मई 2026 तक बढ़ा दी गई थी, समय सीमा को 16 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया था।
- xii. अपनाई गई विनिमय दर: 1 अमेरिकी डॉलर = 83.21 रु. है।

ग. रिमांड बैंक कार्यवाही

ग.1 इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई

- 5. अन्तिम जांच परिणामों में प्राधिकारी की सिफारिशों से व्यथित होकर, इंडियन पेंट एसोसिएशन (इसके बाद "आईपीए") ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 148/2025 दायर की, जिसमें 12 फरवरी 2025 के अंतिम जांच परिणाम और 29 जनवरी 2025 के प्रकटन विवरण को चुनौती दी गई थी। आईपीए की चुनौती का सार दो गुना है:

- क.) पहला, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग (डीआई) को रूटाइल-सल्फेट ग्रेड टीआईओ2 ("आर-एस टीआईओ2") को जिन पेंट कंपनियों को कथित तौर पर बेचा था, उनके नामों के साथ-साथ ऐसी बिक्री की मात्रा और लेनदेन विवरण पर पूरी गोपनीयता बनाए रखने की अनुमति दी थी, साथ ही जांच की शुरुआत अधिसूचना के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 (2) के तहत अपेक्षानुसार इसके अगोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश नहीं दिया था। खरीददार का नाम गोपनीय रखा गया है। परिणामस्वरूप, आईपीए यह सत्यापित करने में असमर्थ था कि क्या

घरेलू उद्योग ने वास्तव में जांच अवधि ("पीओआई") के दौरान पेंट कंपनियों को आर-एस टीआईओ2 की वाणिज्यिक बिक्री की थी।

- ख) दूसरा, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करने में विफल रहे, जिससे आईपीए को इस आधारभूत दावे का परीक्षण करने से रोका गया कि जांच की अवधि के दौरान आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री घरेलू आधार पर की गई थी।
6. रिट याचिका के लंबित होने के दौरान, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 12/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 मई 2025 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाया।

घ. रिमांड का क्षेत्र और पुनर्विचार के लिए न्यायालय के निर्देश

7. माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम जांच परिणामों को गोपनीयता के मुद्दे पर और अंतिम जांच परिणामों के आधार के रूप में आवश्यक तथ्यों के गैर-प्रकटन के मुद्दे पर नए निर्धारण के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया है। माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि प्राधिकारी द्वारा पहले जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम और प्रकटन विवरण ने आईपीए को गोपनीयता के मुद्दे पर टिप्पणी करने का अवसर नहीं दिया और जिस आधार पर रूटाइल - सल्फेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड (जिसे इसके बाद "रूटाइल सल्फेट", "आर-एस", या "आर-एस टीआईओ2" भी कहा गया है) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर पुनर्विचार के लिए मामले को प्राधिकारी को वापस भेज दिया। तदनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद इन दो मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड और सबूतों पर दी गई सूचना की पुनः जांच की है।
8. माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त नियमावली के नियम 7(2) के क्षेत्र और उद्देश्य तथा निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुसार गोपनीयता के मुद्दे पर विचार करने के उद्देश्य से आईपीए द्वारा दायर उत्तर के चरण से, गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए यह मामला प्राधिकारी को वापस भेज दिया। 22 सितंबर, 2025 के निर्णय का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है।

"55. उपरोक्त के आलोक में, यह जांच परिणाम निकाला जा सकता है कि गोपनीयता का दावा जो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमत था, केवल कीमत के प्रकटन तक सीमित था, जांच की अवधि के दौरान कथित तौर पर उत्पाद खरीदने वाले घरेलू उद्योगों के नाम या उसकी मात्रा स्वीकार नहीं की गई थी। यद्यपि, श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया है कि गोपनीयता के दावे की अनुमति के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीयता के दावे पर ऐसी सूचना को रोकने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, तथापि, मुझे लगता है कि घरेलू उद्योग ने सभी सूचनाओं पर पूर्ण गोपनीयता का दावा किया था, इस प्रकार मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और अन्य के मामले में दिए गए फैसले के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी गोपनीय सूचना का प्रकटन करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता था, तथापि, उसी समय, यदि घरेलू उद्योग गोपनीयता अधिसूचना की शर्तों के अनुसार आवश्यक गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रकट करने में विफल रहा, तो यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग से ऐसी सूचना मांगने

के लिए था, और ऐसे प्रकटन के अभाव में, ऐसी सूचना को अस्वीकार करने के लिए था। इस मामले में, स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से रूटाइल सल्फेट की बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योगों के साथ लेनदेन करने वाली पेंट कंपनियों के नामों के बारे में आवश्यक सूचना प्रकट करने का आग्रह किया था, ताकि याचिकाकर्ता ऐसी सूचना की सटीकता को सत्यापित कर सके। मेरे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई उपरोक्त प्रकटन की संपूर्णता न केवल उक्त नियमावली के नियम 7 (2) के अनुरूप थी, हालांकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल किमत मापदंडों पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया था और इस प्रकार, घरेलू उद्योग को अगोपनीय रूप में ऐसी गोपनीय सूचना का सार प्रदान करने का निर्देश दिया था, और इस घटना में, यदि ऐसा प्रकटन नहीं किया गया था, तो उसे जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 35 से 38 के संदर्भ में दावे को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग से जांच शुरुआत अधिसूचना के संदर्भ में सूचना मांगने और घरेलू उद्योग द्वारा की गई गोपनीयता के दावे को प्रकट करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के इनकार के कारणों से, याचिकाकर्ता को गोपनीयता के दावे पर आपत्ति करने और उसका विरोध करने से रोका गया है, विशेष रूप से जब घरेलू उद्योग ने व्यवसाय से संबंधित सभी सूचना को गोपनीय माना है। निर्दिष्ट प्राधिकारी रूटाइल सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बिक्री के लिए सभी व्यावसायिक आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता की अनुमति नहीं दे सकते थे, खासकर जब याचिकाकर्ता का दावा है कि रूटाइल सल्फेट की कोई व्यावसायिक बिक्री नहीं है और विशेष रूप से जब इस तर्क को यह तर्क देकर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 के पास सल्फेट मार्ग के माध्यम से रूटाइल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक तकनीक और स्थापना है और सल्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड उत्पादों का निर्माण और बिक्री की है। चूंकि, इसके विपरीत जांच परिणाम को कारणों और दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाना है, इसलिए आम तौर पर, उसी या उसके अगोपनीय सार को प्रकट किया जाना चाहिए था और इस घटना में घरेलू उद्योग ने पूर्ण गोपनीयता के लिए जोर दिया था, नियम 7(3) के संदर्भ में उक्त नियमों को भी अनदेखा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त नियमावली के नियम 16 के संदर्भ में अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करने से पहले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करने के लिए भी बाध्य किया गया था। इस तरह के प्रकटन के अभाव में, याचिकाकर्ता उस आधार को सत्यापित करने में असमर्थ रहा था जिसके आधार पर उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है और यह परीक्षण करने में असमर्थ रहा है कि क्या विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री हुई है जो शुल्क लगाने के दावे का आधार बनती है। उप मुद्दों का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

56. मेरे विचार में, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 के संदर्भ में प्रक्रियात्मक सुरक्षा जिसे उक्त अधिनियम में शामिल किया गया है, और उसके तहत बनाए गए नियमों, विशेष रूप से उक्त नियमावली के नियम 7 (2) में पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया था जो निश्चित उपायों को लागू करने के निर्णय का आधार बनता है। विचित्र तथ्यों में, ऊपर अधिक विस्तार से उल्लेख किया गया है, मेरा मानना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम कमीपूर्ण हैं। तथापि, इस बीच एक विकास हुआ है। रिट याचिका की लंबित रहने के दौरान, सरकार ने पहले ही 10 मई, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क निर्धारित किया है और लगाया है। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना संगत होगा कि दिनांक 6 मार्च, 2025 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने लंबी दलीलों पर विचार करते हुए और सुविधा के संतुलन और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ

यह टिप्पणी की गई थी कि प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए कदम, यदि कोई हों, रिट याचिका के परिणाम के अधीन होंगे। चूंकि, प्रतिवादियों को इस बात की सूचना थी और वे इस बात से अवगत थे कि प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए किसी भी कदम पर इस न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाएगा, मेरा यह मत है कि चूंकि, शुल्क का निर्धारण अंतिम जांच परिणामों पर आधारित है, जिसमें ऊपर उल्लिखित कारणों से कमी आ गई है, अधिसूचना दिनांक 10 मई, 2025 द्वारा प्रभावी शुल्क का निर्धारण भी कायम नहीं रखा जा सकता है और अंतिम जांच परिणामों के साथ इसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि उक्त मुद्दे पर पुनर्विचार किया जा सके, याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से, ताकि उक्त नियमावली के नियम 7(2) के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार इस पर विचार किया जा सके। लेवी यदि कोई हो, जो इस बीच एकत्रित किया गया है, कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

9. माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में विशेष रूप से उल्लेख किया कि, यदि घरेलू उद्योग गोपनीयता सूचना का अगोपनीय सार दायर करने में विफल रहता है जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना के संदर्भ में आवश्यक है, तो यह प्राधिकारी के लिए था कि वे घरेलू उद्योग से ऐसी सूचना मंगाएं, और ऐसी सूचना के अभाव में या घरेलू उद्योग से ऐसी सूचना को गोपनीय होने का दावा करने के लिए अपर्याप्त स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, ऐसी सूचना को अस्वीकार कर दिया जाए। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को इस तरह की गोपनीय सूचना का सार अगोपनीय रूप में प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए था, और यदि ऐसा प्रकटन नहीं किया गया था, तो उसे जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 35 से 38 के संदर्भ में दावे को अस्वीकार कर देना चाहिए था।
10. माननीय उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्राधिकारी उक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करने से पहले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करने के लिए भी बाध्य थे। यह माना गया कि इस तरह के प्रकटन के अभाव में, आईपीए उस आधार को सत्यापित करने में असमर्थ था जिसके आधार पर आर-एस टीआईओ2 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है और क्या विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री हुई है जो शुल्क लगाने के दावे का आधार बनाती है।
11. माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी के 12 फरवरी 2025 के अंतिम जांच परिणामों को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्राधिकारी ने उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले को प्राधिकारी को वापस भेजने की आवश्यकता है ताकि निर्णय में की गई टिप्पणियों और नियमावली के नियम 7(2) के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार विचार करने के उद्देश्य से आईपीए द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से उपरोक्त मुद्दे पर पुनर्विचार किया जा सके। यद्यपि, हितवद्ध पक्षकारों और नए पक्षकारों ने रिमांड कार्यवाही के दौरान गोपनीयता और आवश्यक तथ्यों के पर्याप्त प्रकटन से परे मुद्दों पर अनुरोध किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने केवल इन सीमित मुद्दों की जांच के लिए मामले को वापस ले लिया है। तदनुसार, गोपनीयता और आवश्यक तथ्यों के पर्याप्त प्रकटन के मुद्दों, और परिणामस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में रूथाइल-सल्फेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड को शामिल करने की जांच नीचे की गई है।

ड. वर्तमान रिमांड कार्यवाही में अपनाई गई प्रक्रिया

12. नीचे वर्णित प्रक्रिया को वर्तमान रिमांड कार्यवाही में अपनाया गया है:

क. माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 22 सितंबर 2025 के निर्णय के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया जो इस प्रकार है:

“2. चूंकि मामला गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा गया है, माननीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और उक्त नियमावली के नियम 7 (2) के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार इस पर विचार करने के उद्देश्य से रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में कार्यवाही को तदनुसार लिया है। घरेलू उद्योग को रूटाइल सल्फेट ग्रेड की बिक्री के लिए जिन पेंट कंपनियों के साथ घरेलू उद्योग ने लेनदेन किया था, उनके नामों के संबंध में नियम 7 के अनुसार सूचना प्रकट करने या पर्याप्त औचित्य प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। घरेलू उद्योग को सूचित किया गया है कि यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या आवेदक या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है या सामान्यीकृत या सार रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।”

- ख. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता और अन्य पहलुओं के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी 17 अक्टूबर 2025 की सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में उसके अगोपनीय सार सहित अपने अनुरोध दायर किए।
- ग. इंडियन पेंट एसोसिएशन और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी प्राधिकारी द्वारा जारी 17 अक्टूबर 2025 की सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुरोध दायर किए।
- घ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों को 23 दिसंबर 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।
- ड. मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध, दायर करें, इसके बाद यदि कोई हो तो, प्रत्युत्तर अनुरोध भी दायर करें।
- च. मौखिक सुनवाई में उन नए पक्षकारों ने भी भाग लिया, जिन्होंने मूल कार्यवाही के दौरान भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित नए पक्षकारों ने भी अपने लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध दायर किए।
 - i. इंडियन केमिकल कारपोरेशन
 - ii. नेमी केम
 - iii. सरल केमिकल्स
- छ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नए पक्षकार जो मूल कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए हैं, उन्हें वर्तमान कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से उपरोक्त मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए मामले को वापस भेज दिया है। तथापि, 2018 के व्यापार नोटिस 11 के अनुसार, इन पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच वर्तमान कार्यवाही के लिए संगत सीमा तक की जाती है।
- ज. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है और माननीय उच्च न्यायालय के 22 सितंबर 2025 के निर्णय के आलोक में उनकी विस्तार से जांच की थी।

च. तत्काल रिमांड कार्यवाही में विचारणीय मुद्दे

च.1 मुद्दा 1: गोपनीयता

च.1.1 वर्तमान रिमांड कार्यवाही में घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- क) टीटीपीएल ने रूथाइल-सल्फेट टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है और यह रिकॉर्ड पर व्यापक साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें शामिल हैं: (क) आवेदन-पत्र (क्षति परिशिष्ट, लागत सूचना, एनआईपी सूचना, आर-एस के लिए उत्पादन और बिक्री की सूचना); (ख) सल्फेट मार्ग दिखाने वाला उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह-चार्ट; (ग) सल्फ्यूरिक एसिड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए अनुमोदन दिखाने वाला प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र; (घ) आर-एस टीआईओ2 के लिए राजस्व दिखाने वाले वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट; (ङ.) सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर की खपत दिखाने वाली लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट; (च) कई शीर्षों के तहत रूथाइलग्रेड टीआईओ2 की बिक्री दिखाने वाला परीक्षण शेष; और (छ) प्राधिकारी द्वारा उत्पादन और बिक्री की पुष्टि करने के लिए स्थल-सत्यापन।
- ख) प्राधिकारी की परिपाटी और उपलब्ध कानून ग्राहक/आपूर्तिकर्ता सूचियों और सत्यापन प्रदर्शनों के लिए गोपनीयता का समर्थन करते हैं, व्यापार सूचना 1/2013 के माध्यम से देखा जाता है, ग्राहक सूचियों को ऐसी सूचना के रूप में पहचाना जाता है जिसके प्रकटन से काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, व्यापार सूचना 10/2018, और मैनुअल (च. 8) सत्यापन प्रदर्शनों को गोपनीय के रूप में पहचानते हैं।
- ग) आईपीए के सदस्यों सहित अन्य हितबद्ध पक्षकार, नियमित रूप से ग्राहक पहचान, आपूर्तिकर्ता नाम, लेनदेन विवरण और यहां तक कि दस्तावेज सूचियों पर गोपनीयता का दावा करते थे। प्राधिकारी ने एक सुसंगत सतत परिपाटी सिद्ध करने वाले ऐसे कई दावों को स्वीकार किया।
- घ) जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन-पत्र, लागत प्रारूप (आर एस और ए एस के लिए अलग-अलग), लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की खपत (सल्फेट मार्ग के लिए विशिष्ट), बाद में लिखित अनुरोध, प्रत्युत्तर अनुरोध, सत्यापन दस्तावेज, नमूना बीजक और सुनवाई के बाद की प्रतिक्रियाओं सहित विभिन्न चरणों में दायर साक्ष्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि टीटीपीएल सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूथाइलग्रेड टीआईओ 2 का निर्माण करता है
- ङ.) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आर-एस टीआईओ2 खरीदने वाले एक खरीदार का नाम मूल कार्यवाही के दौरान अनजाने में प्रकट हो गया था और इस तरह के प्रकटन का उपयोग पूरी खरीदार सूची के लिए गोपनीयता के दावे को विफल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- च) टीटीपीएल ने पेंट और गैर-पेंट दोनों प्रयोक्ताओं को आर-एस टीआईओ2 की आपूर्ति की है, जिसमें 14 वर्षों की अवधि में खरीदी गई कुल *** लेनदेन *** एमटी है।

च.1.2 इंडियन पेंट एसोसिएशन और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- क) आईपीए ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने कभी भी पेंट कंपनियों के नामों का प्रकटन नहीं किया या आर-एस टीआईओ2 की कथित बिक्री का कोई सार्थक अगोपनीय सार प्रदान नहीं किया। इस तरह के प्रकटन के बिना, आईपीए यह सत्यापित करने में असमर्थ था कि क्या पेंट उद्योग को आर-एस टीआईओ2 की कोई घरेलू वाणिज्यिक बिक्री हुई थी, जो शुल्क लगाने का आधार है।

- ख) आईपीए ने तर्क दिया कि पेंट उद्योग को घरेलू उद्योग द्वारा आर-एस टीआईओ2 की कोई वाणिज्यिक बिक्री नहीं है। भारतीय बाजार में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध आर-एस टीआईओ2 पूरी तरह से आयात के माध्यम से है।
- ग) वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री की अनिवार्य आवश्यकता आर-एस टीआईओ2 के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा पूरी तरह से अधूरी है। यहां तक कि यदि प्रदान की गई बिक्री प्रविष्टियों में गैर-शून्य मात्राओं को एकत्रित किया जाता है, तो कुल बिक्री मात्रा लगभग (1,900–2,000 एमटी) है; जांच अवधि में बिक्री तेजी से घटकर 430–440 एमटी रह जाती है, जो (3,38,000 एमटी) की भारतीय मांग के मुकाबले नगण्य एवं न्यूनतम अंश है; बिक्री तेजी से घटकर हो जाती है, जो भारतीय मांग के मुकाबले देखी जाती है, जो एक नगण्य और न्यूनतम अंश है।
- घ) टीटीपीएल मुख्य रूप से एनाटास का उत्पादन करता है और रूटाइल का उत्पादन करने की इसकी क्षमता काफी हद तक सैद्धांतिक है। टीटीपीएल द्वारा उत्पादित रूटाइलअनकोटेड है और इसमें सतह उपचार की कमी है। टीटीपीएल का बिना लेपित रूटाइलआयातित लेपित रूटाइलका विकल्प नहीं हो सकता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अनुरोध किया कि आर-सी और आर-एस टीआईओ2 के बीच विनिमेयता का घरेलू उद्योग का दावा गलत है; दोनों रासायनिक गुणों, अंतिम प्रयोगों, कीमत संवेदनशीलता और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भिन्न हैं। आर-एस कोटिंग एसएमई (15,000 + विनिर्माण इकाइयां) के लिए आवश्यक है, जिनके लिए यह एक अपरिहार्य कच्चा माल है, और इसे आर-सी के साथ प्रतिसिद्ध करने से अर्थव्यवस्था-ग्रेड पेंट व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ड.) रिमांड कार्यवाही को प्रकटन विवरण जारी करने के संगत चरण में मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार तक ही सीमित रहना चाहिए और घरेलू उद्योग को नए औचित्य, अतिरिक्त तर्क या बाद के स्पष्टीकरण पेश करने की अनुमति नहीं देता है।
- च) घरेलू उद्योग को अपने मूल गोपनीयता दावों में दोषों को दूर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इस स्तर पर यह घरेलू उद्योग को प्रभावी रूप से दूसरा अवसर प्रदान करेगा जो कानून में अनुमेय नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग बाद के औचित्य के माध्यम से एक मौलिक प्रक्रियात्मक दोष को दूर नहीं कर सकता है।
- छ) घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि गोपनीयता का दावा करने के कारणों को मूल फाइलिंग के दौरान नहीं दिया गया था क्योंकि इसे जांच के सभी पक्षकारों द्वारा अच्छी तरह से समझा गया माना जाता था, जिससे यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि गोपनीयता का दावा करते समय कोई अच्छा कारण बयान प्रस्तुत नहीं किया गया था, और गोपनीयता का दावा करने के कारण केवल इस स्तर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
- ज) ग्राहक नामों को गोपनीय मानने की कथित परिपाटी पर भरोसा पूरी तरह से गलत है क्योंकि व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 में उन सूचनाओं के मापदंडों और श्रेणियों को बताया गया है जिनके लिए गोपनीयता का दावा किया जा सकता है, साथ ही सार्थक अगोपनीय सार प्रस्तुत करने का तरीका भी बताया गया है।
- झ) ग्राहक के नाम का गलती से प्रकटन रिमांड कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ असंगत है क्योंकि ग्राहक की पहचान मौखिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से की गई थी, और इस तरह का संदर्भ ठोस तर्कों के दौरान था, जो विशिष्ट ग्राहक को बिक्री का संकेत देने वाले एक दस्तावेज़ द्वारा समर्थित था। प्रमाणित करने के लिए इस तरह की निर्भरता दर्शाती है कि प्रकटन जानबूझकर किया गया था और पहले से तैयार किया गया था।
- ञ) क्लिंग ऑफ अवधि के बाद भी लिखित अनुरोधों में ग्राहक के नाम के प्रकटन की पुनरावृत्ति से यह सिद्ध होता है कि संदर्भ जानबूझकर किया गया था और उचित विचार के बाद किया गया था।
- ट) ग्राहक के नाम के प्रकटन को गलती से बताने का प्रयास एक बाद का विचार प्रतीत होता है और प्रकटन के निहितार्थों से संबंधित है। यह आचरण दर्शाता है कि प्रकटन घरेलू उद्योग की मुकदमेबाजी रणनीति का हिस्सा है।
- ठ) भारत में पाटनरोधी जांच के लिए लागू कानूनी व्यवस्था के तहत, यदि सूचना पर गोपनीयता का दावा करने वाला पक्षकार ऐसी सूचना का प्रकटन करता है, तो वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी पर निर्भर रहने से नहीं रोक सकता है या दावा नहीं कर सकता है कि सूचना को गोपनीय माना जाए।

च.1.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. प्राधिकारी ने 17 अक्टूबर 2025 की तारीख के नोटिस के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की है, जिसमें पक्षकारों को वर्तमान रिमांड कार्यवाही की सूचना दी गई है, और इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और नीचे उचित रूप से निपटाया गया है।
14. सबसे पहले, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या 17 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के भीतर निहित प्राधिकारी का निर्देश वर्तमान रिमांड कार्यवाही के क्षेत्र में था। अन्य हितधारक पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को रिमांड कार्यवाही के क्षेत्र में गोपनीयता का दावा करने के लिए औचित्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आईपीए द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए मामले को प्राधिकारी को वापस भेज दिया था। यह नोट किया जाता है कि निर्णय में यह भी उल्लेख है कि इस तरह का पुनर्विचार इसके भीतर की गई टिप्पणियों और नियमावली के नियम 7 (2) के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, ताकि आईपीए और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नियम 7 (2) के संदर्भ में अपने हितों की रक्षा करने का उचित अवसर मिल सके क्योंकि ऐसा पहले नहीं किया गया था। निर्णय का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

“56. .मामले को उसमें की गई टिप्पणियों के अनुसार उस पर विचार करने और उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(2) के क्षेत्र और उद्देश्य से याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर के चरण से, उपर्युक्त मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है.....”

15. जैसा कि देखा जा सकता है, प्राधिकारी को निर्णय के भीतर की गई टिप्पणियों के साथ-साथ नियमों के क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा कि वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में जहां घरेलू उद्योग ने अगोपनीय सूचना परिचालित नहीं की थी, यह प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग से ऐसी सूचना मांगने के लिए था। निर्णय का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

“55. मेरे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई उपरोक्त प्रकटन की संपूर्णता न केवल उक्त नियमावली के नियम 7 (2) के अनुरूप थी, तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने केवल कीमत मापदंडों पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया था और इस प्रकार, अंतिम जांच परिणामों से प्रतिबिंबित मात्रा और अन्य मापदंडों पर गोपनीयता के दावे को अस्वीकार कर दिया था, उसे घरेलू उद्योग को अगोपनीय रूप में ऐसी गोपनीय सूचना का सार प्रदान करने का निर्देश देना चाहिए था, और यदि ऐसा प्रकटन नहीं किया गया था, तो उसे जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 35 से 38 के अनुसार दावे को अस्वीकार कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया है.....”

16. नियम 7(2) में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार उस सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करें। इसमें यह भी उल्लेख है कि यदि पक्षकार का मानना है कि सूचना को संक्षेप में नहीं बताया जा सकता है, तो वे इसके बजाय कारण बताते हुए एक बयान दे

सकते हैं कि सूचना का सार क्यों संभव नहीं है। नियम 7 (2) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसके अगोपनीय सार प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं और यदि, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में, ऐसी सूचना का सार संभव नहीं है, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सार क्यों संभव नहीं है”

17. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया है कि इस परिदृश्य में कि प्राधिकारी ने एक अगोपनीय सार प्रदान करने या एक अच्छे कारण का बयान देने के लिए नहीं कहा था, प्राधिकारी को नियम 7 (3) के अनुसार कार्य करना चाहिए था। नियम 7 (3) प्राधिकारी को ऐसी सूचना की अवहेलना करने की अनुमति देता है जिसमें गोपनीयता के अनुचित दावे हैं या वैकल्पिक रूप से कि ऐसे सूचना का आपूर्तिकर्ता इस सूचना या इसके सार रूप को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है। नियम 7 (3) नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है या सामान्यीकृत या सार रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं”

18. नियम 7 (3) से यह स्पष्ट है कि यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, या सूचना का आपूर्तिकर्ता किसी भी रूप में सूचना उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सूचना को नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सूचना और साक्ष्य को अस्वीकार करने का प्रश्न तभी उठता है जब कोई हितबद्ध पक्षकार, उस पक्षकार द्वारा प्रदान की गई सूचना और साक्ष्य का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने से इनकार कर देता है।
19. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने पेंट उद्योग को बिक्री के अपने दावे का समर्थन करने के लिए ग्राहक के नाम और उसके द्वारा प्रदान किए गए बीजकों की सूचना का अगोपनीय रूपांतर प्रदान नहीं करने के लिए औचित्य प्रदान किया है। यह देखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में टिप्पणी है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से सूचना मांगनी चाहिए थी क्योंकि कोई भी अगोपनीय सूचना प्रदान नहीं की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को माननीय न्यायालय के साथ-साथ नियम 7(2) की टिप्पणियों के अनुसार, आईपीए द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से इस मुद्दे (गोपनीयता) पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। नियम 7(2) में विशेष रूप से उल्लेख है कि हितबद्ध पक्षकार को गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने या प्राधिकारी को उसका वह सार प्रस्तुत न करने का कारण देने की आवश्यकता है।
20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के

उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सार नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सार रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

21. वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने पेंट उद्योग को बिक्री के अपने दावे का समर्थन करने के लिए ग्राहक के नाम और उसके द्वारा प्रदान किए गए बीजकों की सूचना का अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) प्रदान नहीं करने के लिए औचित्य प्रदान किया है। यह देखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से सूचना मांगनी चाहिए थी क्योंकि कोई भी अगोपनीय सूचना प्रदान नहीं की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को माननीय न्यायालय के साथ-साथ नियम 7(2) की टिप्पणियों के अनुसार, आईपीए द्वारा दायर प्रतिक्रिया के चरण से इस मुद्दे (गोपनीयता) पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। नियम 7(2) में विशेष रूप से उल्लेख है कि हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी को ऐसा सार प्रस्तुत नहीं करने के कारणों के विवरण या गोपनीय सूचना के अगोपनीय सार प्रदान करने की आवश्यकता है।
22. तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उन पेंट कंपनियों के नामों के संबंध में नियम 7 के अनुसार पर्याप्त औचित्य प्रदान करने या सूचना प्रकट करने के लिए घरेलू उद्योग से मंगाने हेतु फा. सं. 06/03/2024 - डीजीटीआर वाली दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 की सार्वजनिक सूचना जारी की, जिनके साथ घरेलू उद्योग ने रूटाइल सल्फेट ग्रेड की बिक्री के लिए लेन-देन किया था। यह निर्देश निर्णय के क्षेत्र तथा नियमावली के नियम 7(2) के अनुरूप है। अतः, गोपनीयता का मुद्दा और क्या घरेलू उद्योग के बीजकों और उसके ग्राहक के नामों को गोपनीय माना जा सकता है, इसका निर्णय प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।
23. प्राधिकारी ने ग्राहक नामों, बिक्री बीजकों, बिक्री सार, परीक्षण शेष राशि और लागत सूचना पर घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों की जांच की। घरेलू उद्योग ने इन दावों को इस आधार पर उचित ठहराया कि ऐसी सूचना व्यवसाय-संवेदनशील है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, और इसके प्रकटन से प्रतिद्वंद्वियों को अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा। प्राधिकारी इन दावों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि:
 - क) कीमत मापदंडों, ग्राहक नामों (पेंट कंपनियों सहित), बिक्री बीजकों और लेनदेन विवरणों पर गोपनीयता उचित है और इसकी अनुमति दी गई है।
 - ख) यह परिपाटी 2013 की व्यापार सूचना संख्या 1 के अनुरूप है, जो स्पष्ट रूप से ग्राहक और आपूर्तिकर्ता सूचियों को गोपनीय सूचना के रूप में सूचीबद्ध करती है। 2018 की व्यापार सूचना सं. 10 इसे रद्द नहीं

करती है; यह विशिष्ट आंकड़ा मापदंडों के प्रकटनको हल करती है और ग्राहक/आपूर्तिकर्ता सूचियों से संबंधित नहीं है।

- ग) ग्राहक नामों को गोपनीय बनाए रखना अन्य प्रमुख जांच प्राधिकरणों (यूएसए, यूरोपीय संघ, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको) और प्राधिकारी की अपनी सुसंगत परिपाटी के अनुरूप भी है।
- घ) विशेष रूप से, निप्पाँन पेंट्स - एक टीआईओ2 प्रयोक्ता और आईपीए सदस्य, ने अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया में अपने ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के नामों पर पूर्ण गोपनीयता का दावा किया, जिससे पुष्टि हुई कि इस तरह के दावे मानक परिपाटी हैं।

24. तथापि, घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान एशियाई पेंट्स के नाम को एक ऐतिहासिक खरीदार के रूप में स्वयं प्रकट किया और इसे अपने लिखित अनुरोधों में दोहराया, जो सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे। इसके बाद, घरेलू उद्योग ने गलती से प्रकटन का दावा करते हुए नाम वापस लेने की मांग की। प्राधिकारी इस वापसी को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकटन एक औपचारिक लिखित अनुरोध में किया गया था, और हितबद्ध पक्षकारों ने पहले ही इस प्रकटन के आधार पर टिप्पणियां दर्ज कर दी हैं, जिससे यह एक निर्विवादित तथ्य बन गया है और रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। इस प्रकार, इस स्तर पर गलती से होने का दावा स्वीकार नहीं किया जाता है।

25. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने पर प्राधिकारी का निर्धारण मुख्य रूप से एशियन पेंट्स या किसी विशिष्ट पेंट कंपनी को बिक्री पर आधारित नहीं है। यह निर्धारण इन जांच परिणामों पर आधारित है कि टीटीपीएल ने वाणिज्यिक रूप से आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है, कि आर-सी टीआईओ2 और आर-एस टीआईओ2 पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार समान वस्तुएं हैं, और यह कि पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करने से पहले घरेलू उद्योग को उपभोक्ता बाजार के प्रत्येक क्षेत्र को उत्पाद बेचने की आवश्यकता नहीं है।

च.2. मुद्दा 2: हितबद्ध पक्षकारों को किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन की जांच

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि प्राधिकारी उक्त नियमावली के नियम 16 के संदर्भ में अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत करने से पहले आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करने के लिए भी बाध्य थे और ऐसे प्रकटन के अभाव में, आईपीए उस आधार को सत्यापित करने में असमर्थ था जिसके आधार पर आर-एस टीआईओ2 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है और यह परीक्षण करने में असमर्थ है कि क्या विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री हुई है जो शुल्क लगाने के दावे का आधार बनाती है।

27. निर्णय का संगत उद्धरण नीचे पुनः दिया गया है:

“55.... इस तरह के प्रकटन के अभाव में, याचिकाकर्ता उस आधार को सत्यापित करने में असमर्थ रहा था जिसके आधार पर उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है और यह परीक्षण करने में असमर्थ रहा है कि क्या विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री हुई है जो शुल्क लगाने के दावे का आधार बनाती है....”

28. प्राधिकारी ने (क) जांच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में आर-एस टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री पर विचार किया है, भले ही यह उन ग्राहकों को बेचा गया हो, (ख) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सल्फेट-रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड को शामिल करने के लिए सल्फेट और क्लोराइड रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड की विनिमेयता पर विचार किया है। यह मूल अंतिम जांच परिणामों में नोट किया गया है और वर्तमान रिमांड कार्यवाही में आगे जांच की गई है और सामने लाया गया है। प्राधिकारी ने मूल जांच के रिकॉर्ड और निम्नलिखित अनुरोधों की जांच की।
- क. शुरू में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग सभी मार्गों के माध्यम से टाइटेनियम डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
- केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (केएमएमएल): क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल ग्रेड
 - त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीटीपीएल): सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल ग्रेड और सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से एनाटेस ग्रेड
 - वीवी टाइटेनियम पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड (वीवीटी): सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से एनाटेस ग्रेड
- ख. आवेदन-पत्र में, विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग (उत्पादन और बिक्री सहित) को क्षति के संबंध में सूचना सभी आवेदक कंपनियों द्वारा दायर की गई थी। उक्त क्षति की सूचना में, अन्य बातों के अलावा, क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, निर्यात बिक्री, स्टॉक, लागत, कीमतें, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी, नियोजित पूंजी पर आय के बारे में सूचना शामिल थी। उक्त सूचना टीटीपीएल द्वारा रूथाइल-सल्फेट और एनाटेस-सल्फेट दोनों के लिए अलग से प्रदान की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना में रूटाइल-क्लोराइड, रूटाइल-सल्फेट और एनाटेस-सल्फेट टीआईओ2 के बारे में क्षति की सूचना, लागत की सूचना, एनआईपी सूचना, उत्पादन और बिक्री की सूचना भी शामिल है।
- ग. टीटीपीएल द्वारा दायर अनुबंधों और लागत संबंधी सूचना, जिसमें गोपनीय आधार पर दायर किए गए आवेदन-पत्र के साथ सामान्य मूल्य का विवरण भी शामिल है, जिसका अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था, से पता चलता है कि टीटीपीएल ने टाइटेनियम डाइ ऑक्साइड के रूथाइल-सल्फेट ग्रेड का उत्पादन और बिक्री की है। विशेष रूप से, उक्त सूचना में टीटीपीएल का उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट शामिल है, जो दर्शाता है कि टीटीपीएल द्वारा अपनाया गया उत्पादन मार्ग सल्फेट प्रक्रिया का है, और क्षमता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र टीआईओ2 के उत्पादन की सल्फ्यूरिक एसिड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए अनुमोदन दिखाता है, जिसका उपयोग टीआईओ2 के सल्फेट प्रक्रिया में किया जाता है।
- घ. यह भी देखा गया है कि 19-20 , 21-22 , और 22-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरण आर-एस टीआईओ2 के लिए राजस्व दिखाते हैं।
- ङ. आवेदन-पत्र के साथ दायर टीटीपीएल की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फर की खपत की गई है जिसका उपयोग रूथाइल-सल्फेट टीआईओ2 बनाने में किया जाता है और इसमें रूटाइलसल्फेट टीआईओ2 के संबंध में उत्पादन, बिक्री, व्यय, उत्पादन लागत और लाभ/हानि दिखाने वाला एक विवरण है।
- च. परीक्षण शेष राशि/वार्षिक खातों की भी जांच की गई जो टीआईओ2 के रूटाइलग्रेड की बिक्री दर्शाता है।
29. घरेलू उद्योग ने प्रत्येक आवेदक कंपनी के लिए दायर किए गए क्षति के विवरणों के साथ-साथ दायर लागत की सूचना पर भी भरोसा किया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत क्षति अनुबंध में प्रत्येक आवेदक

कंपनियों के लिए अलग-अलग क्षति विवरण शामिल हैं, जिसमें टीटीपीएल द्वारा आर एस के लिए एक अलग क्षति विवरण शामिल है, जो आर एस के टीटीपीएल के उत्पादन और बिक्री के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसके अलावा, टीटीपीएल के लागत प्रारूपों में शामिल हैं: (i) प्रारूप 1, जिसमें आवेदन-पत्र में निर्धारित प्रारूप के हिस्से के रूप में दायर लागत सूचना में पूरी क्षति अवधि के लिए सल्फर की खपत का विवरण होता है और आर एस और एनाटास-सल्फेट के लिए कच्चे माल की खपत को अलग से प्रदान करता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की खपत भी शामिल है; (ii) प्रारूप 2, जिसमें पूरी क्षति अवधि के लिए एनाटास-सल्फेट और आर एस के लिए अलग-अलग लागत विवरण शामिल हैं; (iii) प्रारूप 2टी, जो एनाटास-सल्फेट और आर एस की अलग-अलग बिक्री सहित पूरी क्षति अवधि के लिए बिक्री विवरण प्रदान करता है; (iv) प्रारूप 5, जिसमें आर एस और एनाटास-सल्फेट के लिए अलग से प्रदान किए गए उत्पादन विवरण और एनआईपी गणना शामिल हैं, जिसमें तीन वर्षों के लिए आर एस का उत्पादन और विभिन्न लेखांकन अभिलेखों से खर्चों का जुड़ाव शामिल है; और (v) मात्रात्मक सूचना, जो एनाटास-सल्फेट और आर एस के लिए अलग से प्रदान किए गए उत्पादन और बिक्री विवरण निर्धारित करती है।

30. घरेलू उद्योग ने टीटीपीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध सार्वजनिक सूचना का भी संदर्भ दिया, जो रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड की श्रेणी के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों को 'अजंतॉक्स आरडी-1, अजंतॉक्स आरडी-1-पीजी, अजंतॉक्स आरडी-1-जीपी' जैसे शीर्षों के तहत दिखाता है, साथ ही इसके उपयोग को "विलायक और पानी आधारित पेंट, कागज, कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक आदि के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।"
31. घरेलू उद्योग ने अपनी ईमेल दिनांक 10 अगस्त 2024 के माध्यम से सत्यापन दस्तावेज दायर किए थे जिसमें उसने बिक्री बीजक, उत्पादन और बिक्री सार, जांच की अवधि के लिए हस्ताक्षरित परीक्षण शेष, जांच की अवधि परीक्षण शेष निकाला गया, और टीटीपीएल के हस्ताक्षरित लागत प्रारूप सहित निम्नलिखित सूचना और साक्ष्य प्रदान किए थे। प्राधिकारी ने इन सूचनाओं और दस्तावेजों की जांच की है और नोट करते हैं कि ये रूटाइल-सल्फेट टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री को भी सिद्ध करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित रूप में साररूप किया गया है:
 - i. बीजक 'विवरण और एचएसएन' दिखाते हैं कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड की रूटाइलग्रेड बेची गई थी;
 - ii. प्रारंभिक और समापन स्टॉक, उत्पादन और बिक्री का मात्रात्मक विवरण;
 - iii. क्षति की अवधि के लिए आर-एस और ए-एस पीसीएन की उत्पादन और बिक्री मात्रा;
 - iv. उत्पादन और बिक्री सार;
32. जांच के दौरान प्राधिकारी ने सत्यापित किया कि टीटीपीएल आर-एस टीआईओ2 का निर्माण करता है और इसने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान आर एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की। सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी ने उत्पादन प्रक्रिया की जांच की और देखा कि आर एस टीआईओ2 के निर्माण में सल्फ्यूरिक एसिड की खपत की गई थी। प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन और समीक्षा के दौरान, जिसमें उत्पादन और बिक्री बीजक भी शामिल हैं, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट थे कि टीटीपीएल सल्फेट मार्ग के माध्यम से रूटाइलग्रेड टीआईओ2 का निर्माण और बिक्री करता है। तदनुसार, कंपनी के वित्तीय और लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद प्राधिकारी द्वारा आरएस टीआईओ2 के लिए अलग एनआईपी निर्धारित किया गया था।

33. गोपनीयता संबंधी चिंताओं और इस सवाल के संबंध में कि क्या घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान आर-एस ग्रेड टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की थी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ऐसी बिक्री आईपीए पेंट उद्योग के सदस्यों को की गई थी और क्या उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य, जांच की शुरुआत के चरण से ही, स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि टीटीपीएल ने आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की थी। इसके अलावा, ऐसी बिक्री पेंट और गैर-पेंट दोनों प्रयोक्ताओं को की गई है। भारतीय पेंट एसोसिएशन के 17 फरवरी, 2026 के पत्र से यह भी देखा जाता है कि उन्होंने अब 2019 तक पेंट ग्राहक द्वारा आर-एस टीआईओ2 की खरीद को स्वीकार कर लिया है। इस तरह की स्वीकार्यता उनके पहले के दावे का खंडन करता है कि मूल जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने पेंट क्षेत्र को आर-एस टीआईओ 2 की आपूर्ति नहीं की थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस स्तर पर भी, आईपीए ने उल्लेख किया है कि औद्योगिक पेंट की खरीद की मात्रा कम रही है, जबकि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि 14 वर्षों की अवधि में *** मात्रा की *** खरीद की गई थी। इसके बावजूद, प्राधिकारी का यह भी मानना है कि किसी उत्पाद प्रकार का उत्पादन और बिक्री संगत है, भले ही सामान ग्राहकों के किस क्षेत्र को बेचा गया हो। प्राधिकारी यह आवश्यक नहीं मानते कि घरेलू उद्योग को उत्पाद को ग्राहक के प्रत्येक क्षेत्र या क्षेत्र के प्रत्येक भाग को बेचना चाहिए था।
34. उपरोक्त के बावजूद, प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य हैं कि आर-एस टीआईओ2 और आर-सी टीआईओ2 समान उत्पाद हैं। सल्फेट और क्लोराइड रूटाइलटाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों की परस्पर परिवर्तनीयता और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति और आर-एस के उत्पादन और बिक्री का तथ्य विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सल्फेट-रूटाइलटाइटेनियम डाइऑक्साइड को शामिल करने के लिए पर्याप्त आधार है।
35. प्राधिकारी इस संबंध में यह भी नोट करते हैं कि ब्राजील, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के वैश्विक जांच अधिकारियों द्वारा विचाराधीन समान उत्पाद के संबंध में किया गया निर्धारण। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन प्राधिकारियों द्वारा की गई पाटनरोधी जांच में, यह माना गया था कि आर-सी और आर-एस टीआईओ2 परस्पर परिवर्तनीय हैं। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि यह स्थिति (क) यूरोपीय उत्पादकों के बहुत से आर-सी टीआईओ2 उत्पादन करने वाले होने, (ख) केवल आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन करने वाले ब्राजील, और (ग) केवल आर-सी टीआईओ2 उत्पादन करने वाले सऊदी अरब होने के बावजूद पाई गई थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यहां तक कि जब आर-एस और आर-सी दोनों को ब्राजील में आयात किया गया था और ब्राजील का घरेलू उद्योग केवल आर-एस का उत्पादन कर रहा था, तो सामान्य मूल्य केवल आर-सी उत्पाद के आधार पर निर्धारित किया गया था। इसलिए, यह देखा जाता है कि वैश्विक जांच अधिकारियों द्वारा आर-सी और आर-एस टीआईओ2 की परस्पर परिवर्तनीयता पाई जाती है और आर-सी और आर-एस टीआईओ2 में अतिव्यापी अनुप्रयोग हैं।
36. इन तथ्यों के आधार पर, प्राधिकारी का यह मत है कि आर-एस टीआईओ2 और आर-सी टीआईओ2 समान वस्तुएं हैं और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान आर-एस ग्रेड का निर्माण और बिक्री की है और यह कि इसे विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र से बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है:
- क) वर्तमान रिमांड कार्यवाही में, घरेलू उद्योग ने (मौखिक सुनवाई और लिखित अनुरोधों दोनों में) प्रकटन किया है कि टीटीपीएल ने ऐतिहासिक रूप से एशियन पेंट्स सहित प्रमुख पेंट प्रयोक्ताओं को आर-एस

टीआईओ2 बेचा है, जिसमें 14 वर्षों से की अवधि में *** से युक्त *** लेन-देन हैं। यह प्रकटन, रिकॉर्ड पर व्यापक दस्तावेजी साक्ष्य (बीजक, परीक्षण शेष, लागत प्रारूप, वार्षिक रिपोर्ट, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) के साथ मिलकर, पूरी तरह से सिद्ध करता है कि टीटीपीएल ने जांच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है।

- ख) घरेलू उद्योग बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि खरीदार का नाम गलती से प्रकट किया गया था और व्यापक गोपनीयता को फिर से सिद्ध करने की मांग कर सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक बार औपचारिक कार्यवाही में प्रकटन हो जाने के बाद ऐसा दावा कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।
- ग) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आईपीए ने अपने 17 फरवरी, 2026 के पत्र में स्वीकार किया है कि एक पेंट ग्राहक ने 2019 तक घरेलू उद्योग से आर-एस टीआईओ2 खरीदा था। जबकि आईपीए कम मात्रा में दर्शाता है, यह स्वीकार्यता जांच के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक बिक्री सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

37. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि अब उसने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पहचाने गए प्रक्रियात्मक दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने के अंतर्निहित आवश्यक तथ्य, अर्थात्, कि टीटीपीएल के पास प्रौद्योगिकी है, उत्पादन किया है, और वाणिज्यिक रूप से आर-एस टीआईओ2 को क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान बेचा है, प्रकट किया गया है।

छ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

छ.1.क मूल कार्यवाही में अनुरोध

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विभिन्न ग्रेड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड (टीआईओ2) के प्रकारों की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उपयोग, कीमत निर्धारण और उत्पादन लागत में अंतर के कारण निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए जांच में पीसीएन-वार मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं। उत्पादन प्रक्रिया और क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर पीसीएन वर्गीकरण: एनाटस-सल्फेट (ए-एस), रूटाइल-सल्फेट (आर-एस), और रूटाइल-क्लोराइड (आर-सी) कई हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं।
- ii. टीआईओ2 दो क्रिस्टलीय रूपों में मौजूद है: रूटाइल और एनाटस। रूटाइल में उच्च अपवर्तक सूचकांक, अधिक रासायनिक स्थिरता और बेहतर स्थायित्व होता है क्योंकि इसकी अधिक संहत और सममित क्रिस्टल जाली होती है। एनाटस का अपवर्तक सूचकांक कम होता है, स्थिरता कम होती है, और कम घना, अनियमित क्रिस्टल संरचना होती है। ये अंतर उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों और गुणों को प्रभावित करते हैं।
- iii. क्लोराइड या सल्फेट मार्ग के माध्यम से टीआईओ2 का उत्पादन किया जाता है, जो इसके गुणों और ग्रेड को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। क्लोराइड प्रक्रिया उच्च-गुणवत्ता वाले अनुप्रयोगों जैसे ऑटोमोबाइल और वास्तुकला के लिए पेंट और कोटिंग्स के लिए उपयुक्त उच्च-शुद्धता टीआईओ2 का उत्पादन करती है, लेकिन यह अधिक महंगी है। सल्फेट प्रक्रिया कम-शुद्धता वाले टीआईओ2 का उत्पादन करती है,

- जो कागज, प्लास्टिक और रबर में अनुप्रयोगों के लिए लागत प्रभावी है। एनाटेस वर्णक आमतौर पर सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जबकि रूटाइल वर्णक को क्लोराइड और सल्फेट दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है।
- iv. सल्फेट-एनाटेस और सल्फेट-रूटाइल के बीच 20% से अधिक कीमत अंतर है और सल्फेट-एनाटेस और क्लोराइड-रूटाइल के बीच 40% से अधिक कीमत अंतर है।
 - v. विचाराधीन उत्पाद से "सल्फेट मार्ग के माध्यम से निर्मित रूथाइल-ग्रेड टीआईओ₂" को बाहर करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कोई भी आवेदक इस विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी मापदंडों, उत्पादन लागत, अंतिम उपयोग और कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण अंतर के कारण "क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित रूथाइल-ग्रेड टीआईओ₂" को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है।
 - vi. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में टीआईओ₂ के एनाटेस और रूटाइल ग्रेड को जोड़ना त्रुटिपूर्ण होगा। वे अपनी उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक, तकनीकी और रासायनिक गुणों के साथ-साथ अंतिम उपयोगों में भी भिन्न हैं। इन ग्रेडों को अलग-अलग प्रशुल्क शीर्षों के तहत भी वर्गीकृत किया गया है।
 - vii. यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि एनाटेस और रूटाइल ग्रेड शुद्धता, अपवर्तक सूचकांक, विशिष्ट गुरुत्व, कठोरता और क्रिस्टल संरचना जैसे गुणों में काफी भिन्न होते हैं। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग में अंतर के कारण उनका परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
 - viii. अधिकांश चीनी उत्पादक सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूथाइल-ग्रेड टीआईओ₂ का निर्माण करते हैं, जबकि केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड क्लोराइड प्रक्रिया का उपयोग करके रूथाइल-ग्रेड टीआईओ₂ का उत्पादन करता है। त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और वीवी टाइटेनियम पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से एनाटेस-ग्रेड टीआईओ₂ का उत्पादन करते हैं। कोई भी घरेलू उत्पादक सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूथाइल-ग्रेड टीआईओ₂ का निर्माण नहीं करता है। इसलिए, सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित रूटाइल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए।
 - ix. घरेलू उद्योग ने पिगमेंटरी टीआईओ₂ को 200-350 एनएम के कण आकार सीमा के रूप में परिभाषित किया है। 200 एनएम से नीचे और 350 एनएम से ऊपर के कण आकार वाले उत्पादों को जांच से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे पिगमेंटरी टीआईओ₂ के परिभाषित क्षेत्र से बाहर आते हैं।
 - x. भारतीय पेंट एसोसिएशन (आईपीए) का तर्क है कि जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जिसमें ऐसे ग्रेड शामिल हैं जो न तो घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित या आपूर्ति किए जाते हैं। इन ग्रेडों को अलग-अलग तकनीकी और वाणिज्यिक गुणों के साथ बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे संगत पाटनरोधी नियमों के तहत "समान उत्पाद" या "समान वस्तु" की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं। आईपीए का तर्क है कि उपभोक्ता धारणा, भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोग और अनुप्रयोग अंतर जैसे मापदंड गैर-प्रतिस्थापन सिद्ध करते हैं।
 - xi. उज्ज्वल और नीले रंग की रूटाइलग्रेड अपनी बेहतर भौतिक विशेषताओं से अलग है, जिसमें उच्च चमक, बेहतर यूवी प्रतिरोध और घरेलू उद्योग के उत्पाद की तुलना में बेहतर समग्र प्रदर्शन शामिल है। ये गुण इसे अंतिम उपभोक्ताओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाते हैं, विशेष रूप से उन अनुप्रयोगों में जो उच्च गुणवत्ता वाली फिनिश और टिकाऊपन की मांग करते हैं।

- xii. निष्पादन ग्रेड बीएलआर 895 या एलआर 961 का उपयोग व्यापक रूप से औद्योगिक और सजावटी पेंट में किया जाता है क्योंकि वे असाधारण फिनिश, उच्च चमक, बेहतर टिकाऊपन और छवि की उच्च विशिष्टता (डीओआई) प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग के ग्रेड इन महत्वपूर्ण पहलुओं में कम पड़ते हैं। औद्योगिक और सजावटी पेंट निर्माताओं ने लगातार घरेलू उद्योग के ग्रेड को खारिज कर दिया है, जिसमें उच्च-स्तरीय अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक निष्पादन मानकों को पूरा करने में उनकी असमर्थता का हवाला दिया गया है।
- xiii. सल्फेट ग्रेड बीएलआर 698 या बीएलआर 601 उच्च कवरेज, बेहतर फिनिश गुणवत्ता और देखने में आकर्षक चमकदार सफेद उपस्थिति प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग के ग्रेड, जो क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं, अक्सर कम कवरेज, घटिया फिनिश और पीला रंग प्रदर्शित करते हैं। ये कमियां घरेलू उद्योग के उत्पादों को उच्च-अंत अनुप्रयोगों में सटीक और सुसंगत परिणाम चाहने वाले प्रयोक्ताओं के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं।
- xiv. इसके अतिरिक्त, औद्योगिक पेंट के लिए, घरेलू उद्योग के उत्पादों को अक्सर अतिरिक्त रेत मिलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे क्षमता और श्रृंखला कम हो जाता है। सजावटी उपयोग के लिए, इसी तरह के मुद्दे देखे जाते हैं। आयातित ग्रेडों को रेत मिलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वे घरेलू उद्योग के उत्पाद की तुलना में काफी अधिक लागत प्रभावी और आर्थिक रूप से लाभप्रद हो जाते हैं।
- xv. आईपीए का यह भी तर्क है कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए क्लोराइड प्रक्रिया का उपयोग करता है, जबकि आयातित ग्रेड का निर्माण सल्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच रासायनिक अंतर होता है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं की गई ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान ऐसे ग्रेडों के लिए वास्तविक क्षति नहीं हो सकती है, और वे आयातित ग्रेडों की समान वस्तुएं नहीं हैं।
- xvi. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने फाइबर और टेक्सटाइल में उपयोग किए जाने वाले टीआईओ₂ को बाहर रखने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे।
- xvii. पीएचडीसीआई ने तर्क दिया है कि कागज और कागज बोर्ड उद्योग सजावटी कागज के उत्पादन के लिए सालाना लगभग 6,000एमटी रूटाइलटीआईओ₂ की खपत करते हैं, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से फर्नीचर और आवास के लिए लैमिनेट में किया जाता है। इसके उच्च अपवर्तक सूचकांक, प्रभावी प्रकाश प्रकीर्णन और यूवी अवशोषण गुणों के कारण सजावटी कागज में वांछित अपारदर्शिता, सफेदी और चमक प्राप्त करने के लिए टीआईओ₂ आवश्यक है। सल्फेट प्रक्रिया रूटाइल टीआईओ₂, अधिक किफायती होने के कारण, मुख्य रूप से सजावटी कागज उद्योग द्वारा उपयोग किया जाने वाला संस्करण है।
- xviii. कागज निर्माण के लुगदी या फाइबर चरण में टीआईओ₂ का उपयोग सजावटी कागज के लिए किया जाता है, न कि विनिर्माण के बाद। घरेलू उद्योग का टीआईओ₂ डेकोर पेपर उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा डेकोर पेपर उद्योग को टीआईओ₂ की कोई बिक्री नहीं हुई है, जिससे इस अनुप्रयोग के लिए उनके उत्पाद की अनुपयुक्तता की पुष्टि होती है। इसलिए, डेकोर कागज के निर्माण के लिए लुगदी या फाइबर चरण में उपयोग किए जाने वाले टीआईओ₂ को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

- xix. एसोचैम ने अनुरोध किया है कि फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किए जाने वाले डेकोर पेपर के अलावा कागज बनाने के लिए टीआईओ2 एनाटेज ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xx. प्लास्टिक और पीवीसी अनुप्रयोग में उपयोग किए जाने वाले टीआईओ2 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है।
- xxi. रूटाइल क्लोराइड प्रक्रिया द्वारा टीआईओ2 के लिए उच्च-श्रेणी के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जैसे कि बेहतर टीआईओ2 अयस्क, जो रूटाइल सल्फेट प्रक्रिया द्वारा टीआईओ2 की तुलना में अधिक महंगा और दुर्लभ है, जिसके लिए इल्मेनाइट अयस्क की आवश्यकता होती है जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण कच्चे माल की लागत को कम करता है और कम खर्चीला होता है। इसके अलावा, क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित रूटाइल को क्लोरीन और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को संभालने के लिए विशेष संक्षारक-प्रतिरोधी उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत और जटिलता बढ़ जाती है, जबकि रूटाइल सल्फेट प्रक्रिया में, सरल उपकरण का उपयोग किया जाता है और कम सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं।
- xxii. विभिन्न कण आकारों के साथ टीआईओ2 में अलग-अलग लागत पैटर्न होते हैं, जिसमें महीन कण आकारों के लिए अधिक जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप उच्च लागत होती है।
- xxiii. केएमएमएल का रूटाइलक्लोराइड- आरसी 822, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड की मात्रा 91.5% है, उच्च टाइटेनियम डाइऑक्साइड सामग्री वाले आयातित ग्रेड की तुलना में गुणवत्ता में कम है।

छ.1.ख वर्तमान रिमांड बैंक कार्यवाही में अनुरोध

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान कार्यवाहियों में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं। चूंकि, विभिन्न अनुरोध जो पहले किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं, उन्हें फिर से पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है:
- i. वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री की अनिवार्य आवश्यकता आर-एस के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा पूरी तरह से अधूरी है।
 - ii. यह दावा कि टीटीपीएल के पास कई बिक्री लेनदेन हैं भ्रामक है और घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई बिक्री सूची अप्रैल 20 से सितंबर 23 की अवधि की है और इसमें लगभग 395 बीजक प्रविष्टियां हैं। उक्त सूची में शून्य या शून्य मात्रा, व्यापार नमूने, ऑफ-ग्रेड आपूर्ति या अत्यधिक खंडित खेपों वाली प्रविष्टियां हैं और इन्हें सार्थक या स्थिर बाजार उपस्थिति प्रदर्शित करने वाली वाणिज्यिक बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।
 - iii. जांच की अवधि की कथित बिक्री मांग का एक नगण्य और न्यूनतम अंश है और इसे वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है।
 - iv. टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य में, 2022 की पाटनरोधी अपील संख्या 51425, न्यायाधिकरण ने माना कि केवल 2% आवश्यकता अपीलीय द्वारा आपूर्ति की गई थी और वाणिज्यिक उत्पादन हिंडाल्को द्वारा नहीं किया गया था। यह घरेलू उद्योग द्वारा आर-एस की छोटी बिक्री के मामले में पूरी तरह से लागू होता है। टेक्रोवा निर्णय को किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा अलग नहीं किया

- गया है, रोक नहीं लगाई गई है, या संशोधित नहीं किया गया है और इसलिए बाध्यकारी बना हुआ है।
- v. आर-सी और आर-एस के बीच परस्पर परिवर्तनीयता का घरेलू उद्योग का दावा गलत है, अंतर रासायनिक गुणों, अंतिम उपयोगों, कीमत संवेदनशीलता और विशिष्ट बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में देखा जाता है। आर-सी और आर-एस समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि वे क्रिस्टलोग्राफिक स्थिरता, ऑप्टिकल अंडरटोन और प्रसंस्करण में भिन्न हैं, भले ही वे कार्यात्मक रूप से अलग होने के कारण एक रासायनिक सूत्र साझा करते हैं।
 - vi. लेपित आर-एस एसएमई के लिए आवश्यक है, जिसमें पेंट क्षेत्र के लिए 15,000 से अधिक विनिर्माण इकाइयां हैं, जिसके लिए यह एक अपरिहार्य कच्चा माल है और इसे आर-सी के साथ प्रतिसिद्ध करने से अर्थव्यवस्था-ग्रेड पेंट के निर्माण की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
 - vii. घरेलू उद्योग की विनिमेयता का दावा क्रिस्टलोग्राफी, प्रकाशित की और सतह रसायन विज्ञान को नजरअंदाज करता है, और हीरे और ग्रेफाइट को केवल "कार्बन" के रूप में समूहित करने के समान है, जो रासायनिक रूप से सटीक है लेकिन अंतिम प्रयोक्ता की असमानताओं को नजरअंदाज करता है। टीटीपीएल ऐतिहासिक रूप से ए-एस का उत्पादक है, इसलिए आयातित लेपित आर-एस के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
 - viii. आर-एस का नीला अंडरटोन अंतर्निहित पीलापन को बेअसर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि आर-सी इसके लिए प्रदान नहीं करता है और एक तटस्थ या पीला अंडरटोन के परिणामस्वरूप एक उत्पाद देता है। नीले रंग के साथ आर-एस प्लास्टिक (मास्टरबैच) और स्याही उद्योगों में उपस्थिति को बढ़ाता है, और घरेलू आर-सी यह प्रदान नहीं कर सकता है।
 - ix. लेपित आर-एस बेहतर फैलाव, स्थायित्व और यूवी स्थिरता प्रदान करता है, जबकि अनकोटेड आर-एस में ऐसी कोटिंग नहीं होती है और यह फोटो-सक्रिय और फैलाव में मुश्किल होता है। घरेलू स्तर पर लेपित आर-एस की अनुपस्थिति एसएमई के लिए एक "तकनीकी उपलब्धता अंतर" पैदा करती है, भले ही लेपित आर-एस एसएमई क्षेत्र के लिए अधिक फायदेमंद हो।
 - x. परस्पर परिवर्तनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि एसएमई एक मुख्य घटक, आर-एस का उपयोग करके अर्थव्यवस्था, मानक और प्रीमियम बाजारों की सेवा के लिए पिगमेंट लोडिंग को समायोजित करते हैं।
 - xi. टीटीपीएल मुख्य रूप से एनाटास का उत्पादन करता है और रूटाइल का उत्पादन करने की इसकी क्षमता काफी हद तक सैद्धांतिक है। टीटीपीएल द्वारा उत्पादित रूटाइल अनकोटेड है और इसमें सतह उपचार की कमी है। टीटीपीएल का बिना लेपित रूटाइल आयातित लेपित रूटाइल का विकल्प नहीं हो सकता है।
 - xii. सीमा शुल्क प्राधिकारी से अग्रिम निर्णय के लिए अग्रिम निर्णय मांगा गया, जिसने पुष्टि की कि टॉयलेट साबुन पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट साबुन को सौंदर्य प्रसाधनों की श्रेणियों के तहत माना जाता है।
 - xiii. चूंकि "सौंदर्य प्रसाधन" शब्द व्यापक और अस्पष्ट है, जिससे पहले पाटनरोधी शुल्क के दौरान सीमा शुल्क निकासी के दौरान समस्याएं हुईं, अतः प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि या तो त्वचा देखभाल उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के लिए पूर्ण अपवर्जन प्रदान करे या क्लीयरेंस में जटिलताओं से बचने के लिए "सौंदर्य प्रसाधन में टॉयलेट साबुन शामिल हैं" निर्दिष्ट करे।
 - xiv. नेमी केम ने या तो अनातासे को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने या पूरे विचाराधीन उत्पाद पर जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है।

- xv. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग को वास्तविक संख्यात्मक शब्दों में जांच की अवधि के दौरान आर-एस के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना का प्रकटन करने का निर्देश देना चाहिए, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि कानूनी आवश्यकता के अनुसार ऐसी बिक्री वाणिज्यिक मात्रा में की गई थी या नहीं।
- xvi. प्राधिकारी को उन पक्षकारों के नाम भी प्रकट करने चाहिए जिन्हें इस तरह की वाणिज्यिक बिक्री की गई थी, जो प्राधिकारी की मौजूदा परिपाटी के अनुरूप है।
- xvii. ट्रोनॉक्स ने अनुरोध किया है कि पेंट और प्लास्टिक उद्योगों में आर-एस और आर-सी का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जाता है।
- xviii. ट्रोनॉक्स ने अनुरोध किया है कि मई 2025 में शुल्क लगाए जाने से पहले, आर-एस को भारतीय प्लास्टिक निर्माताओं को बेचा जा रहा था, तथापि, शुल्क लगाने के बाद, ग्राहकों आर-सी में चले गए, जिससे पता चला कि इसका इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है।
- xix. आर-सी की आपूर्ति ट्रोनॉक्स के सहयोगियों द्वारा भारतीय पेंट कंपनियों को और आर-एस की आपूर्ति ब्राजील में पेंट उत्पादकों को की जाती है, जिससे पता चलता है कि रूटाइलटीआईओ2 का उपयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है।
- xx. ट्रोनॉक्स के माध्यम से प्रदान किए गए पत्रों के अनुसार भारतीय कोटिंग निर्माता और वितरक पुष्टि करते हैं कि आर-सी प्रभावी रूप से आर-एस को प्रतिस्थापित कर सकता है और परस्पर परिवर्तनीय है।
- xxi. ट्रोनॉक्स ने अनुरोध किया है कि ब्राजील डीकॉम, यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर-एस और आर-सी एक जैसे उत्पाद हैं और परस्पर परिवर्तनीय हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

छ.2.क. मूल कार्यवाही में अनुरोध

- 40. घरेलू उद्योग ने मूल कार्यवाही में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. रूटाइल ग्रेड को समग्र रूप से बाहर करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश घरेलू उत्पादन और आयात रूटाइल ग्रेड के हैं, और केएमएमएल विशेष रूप से रूटाइल-ग्रेड टीआईओ2 का उत्पादन करता है।
 - ii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि टीआईओ2 का एनाटस ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा, सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइलटीआईओ2 को बाहर के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक अलग उत्पाद नहीं बनता है। इसके अलावा, सल्फेट और क्लोराइड प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बीच कीमत या परस्पर परिवर्तनीयता क्षमता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। क्लोराइड के माध्यम से आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित रूटाइल के बीच तुलना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के क्लोराइड के माध्यम से रूटाइल का निष्पादन आयातित सामान के साथ अत्यधिक तुलनीय है।

- iii. केवल उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतर के आधार पर अपवादों को व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, जब तक कि वे विभिन्न उत्पादों का परिणाम न दें।
- iv. यह कहते यह कहते हुए भी घरेलू उद्योग 200 एनएम से नीचे और 350 एनएम से ऊपर के कण आकार वाले टीआईओ₂ को बाहर करने के प्रतिवादी के तर्क का भी विरोध करता है कि इन आकारों का उत्पादन और आपूर्ति घरेलू स्तर पर की जा रही है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इन कण आकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई वैध औचित्य प्रदान नहीं किया है।
- v. भारतीय पेंट एसोसिएशन (आईपीए) द्वारा चमकीले और नीले रंग के रूटाइल टीआईओ₂ के संबंध में विवाद को घरेलू उद्योग द्वारा इसी तरह इस आधार पर विवादित किया गया है कि कोई विशिष्ट रूप से अलग उत्पाद प्रदर्शित नहीं किया गया है, और प्रतिवादियों द्वारा संदर्भित मापदंडों को आंकड़ों के साथ प्रमाणित नहीं किया गया है। रूटाइल टीआईओ₂ के लिए बीआईएस 'चमकीला' या 'नीला' या 'चमकीला और नीला' जैसे लक्षणों को नहीं बताता है। एक टीआईओ₂ उत्पाद का अंतर्निहित स्वर स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और इसकी मापने योग्य विशेषताएं नहीं हैं। कोई भी दो टीआईओ₂ उत्पादक चमक और अंडरटोन के संदर्भ में सटीक एकरूपता की पेशकश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग चमकीले और नीले रंग के अंडरटोन वाले उत्पाद पेश करता है, जिसका आकलन कार्बन ब्लैक अंडरटोन (सीबीयू) मूल्य श्रृंखला के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के उत्पादों के अपारदर्शिता, चमक और चमक के मूल्य तुलनीय हैं, या कुछ मामलों में, आयातित उत्पादों से बेहतर हैं।
- vi. घरेलू उद्योग निष्पादन-ग्रेड टीआईओ₂ को बाहर करने का विरोध करता है, जैसे कि बीएलआर 895 या एलआर 961, क्योंकि बीएलआर 895 ग्रेड घरेलू उद्योग के आरसी 822 के अनुरूप नहीं है, लेकिन संरचनात्मक, सतह कोटिंग और निष्पादन विशेषताओं में घरेलू उद्योग के आरसी 808 के साथ अत्यधिक तुलनीय है। घरेलू उद्योग के आरसी 822 और आरसी 822+ क्रमशः आयातित बीएलआर 896 और बीएलआर 896+ के तुलनीय हैं जबकि आरसी 800 आर-सी घरेलू उद्योग ग्रेड है जो आयातित एलआर 961 के तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा आर-सी में आयातित आर-सी के समान भौतिक और निष्पादन विशेषताएँ हैं जिनमें पीएच, अपारदर्शिता, चमक, स्थायित्व आदि शामिल हैं और सजावटी और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे विशिष्ट अंतिम प्रयोगों की आवश्यकता को पूरा करता है। नीचे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित आर-सी ग्रेड निर्दिष्ट हैं जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में उल्लिखित आर-सी आयातित ग्रेडों के तुलनीय हैं:

आर-सीआयातित	घरेलू उद्योग द्वारा तुलनीय आर-सी
बीएलआर 895	आरसी 808
बीएलआर 896	आरसी 822
बीएलआर 896+	आरसी 822+
एलआर 961	आरसी 800

- vii. सल्फेट ग्रेड, जैसे बीएलआर 698 या आर 868 या बीएलआर 601/आर 216 को बाहर करने के संबंध में,

- घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि उन्हें किसी विशिष्ट उत्पादक के ग्रेड नाम के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे केवल नाम हैं लेकिन पालन किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं।
- viii. घरेलू उद्योग का यह भी अनुरोध है कि रेत मिलिंग प्रक्रिया आयातित उत्पादों और घरेलू उत्पादों दोनों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पेंट उत्पादन के लिए कच्चे माल को मिलाने में एक आवश्यक कदम है। औद्योगिक अनुप्रयोगों में उत्पाद की एकरूपता और उचित फैलाव सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त रेत मिलिंग की आवश्यकता केवल तब होती है जब टीआईओ₂ के एकत्रीकरण स्तर अधिक होते हैं, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड उच्च स्तर के फैलाव और कम एकत्रीकरण प्रदान करता है। क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू उद्योग के रूटाइल का कवरेज आयात से कमतर नहीं है, जैसा कि बिखराव क्षमता, उच्च रूटाइलप्रतिशत और बेहतर टिंट शक्ति मूल्यों से सिद्ध है।
- ix. पीएचडीसीईसीआई और एसोचैम के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआईओ₂ (फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किया जाता है), सजावट कागज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआईओ₂ रूटाइल ग्रेड (फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किया जाता है), और भोजन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआईओ₂ को विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि इन उत्पादों का उपयोग रंगद्रव्य के रूप में नहीं किया जाता है। इसके अलावा, त्वचा देखभाल, दवा अनुप्रयोगों और नैनो या 100 एनएम से कम कण आकार वाले अल्ट्राफाइन टीआईओ₂ बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआईओ₂ को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है।
- x. तथापि, घरेलू उद्योग कागज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम ऑक्साइड एनाटेज ग्रेड को डेकोर पेपर (फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किया जाता है) को छोड़कर बाहर रखने के एसोचैम के तर्क पर आपत्ति जताता है, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहा है।
- xi. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि पीवीसी के अनुप्रयोग को प्लास्टिक के अनुप्रयोग के रूप में भी माना जाना चाहिए, क्योंकि पीवीसी इस अर्थ में प्लास्टिक का एक प्रकार है। प्लास्टिक उद्योग में प्लास्टिक में रंग जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले मास्टरबैच बनाने में टीआईओ₂ का उपयोग किया जाता है।
- xii. प्लास्टिक उद्योग भारत में टीआईओ₂ की मांग का लगभग 25% है और घरेलू उद्योग प्लास्टिक उद्योग द्वारा खपत की जाने वाली ग्रेड का निर्माण करता है। यह अनुप्रयोग, टीआईओ₂ के लिए एक प्रमुख खपत है, घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जाता है। अतः, पीवीसी अनुप्रयोग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
- xiii. सल्फेट आधारित के माध्यम से रूटाइल को बाहर करना केवल उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतर के आधार पर अनुचित है, क्योंकि विधियों में भिन्नताएँ स्वाभाविक रूप से मौलिक रूप से एक अलग उत्पाद नहीं बनाती हैं। सल्फेट के माध्यम से रूटाइल और क्लोराइड के माध्यम से रूटाइल दोनों ही परस्पर परिवर्तनीय उपयोग साझा करते हैं और रूटाइलक्रिस्टल की विशेषताओं को ही दर्शाते हैं। उपभोक्ता अक्सर दोनों प्रकार खरीदते हैं, जो उनकी कार्यात्मक समानता को रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल में अंतर के बावजूद, दोनों प्रक्रियाओं के लिए उत्पादन की लागत तुलनीय है। विशेष रूप से, आवेदकों में से एक, टीटीपीएल के पास सल्फेट मार्ग के माध्यम से रूटाइल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक तकनीक और सेटअप है और इस प्रक्रिया का उपयोग करके सक्रिय रूप से रूटाइल टीआईओ₂ का निर्माण करता है।

छ.2.ख वर्तमान रिमांड बैक कार्यवाही में अनुरोध

41. घरेलू उद्योग ने वर्तमान कार्यवाही में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. टीटीपीएल रूटाइल सल्फेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उत्पादन और बिक्री करता है और इसे घरेलू उद्योग द्वारा कई अवसरों पर दर्शाया गया है।
- ii. आवेदन-पत्र में पर्याप्त सूचना और साक्ष्य थे कि घरेलू उद्योग रूटाइल-सल्फेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड (आर-एस टीआईओ2) और रूटाइल-क्लोराइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड (आर-सी टीआईओ2) का उत्पादन और बिक्री कर रहा है।
- iii. सभी साक्ष्य जो यह दर्शाते हैं कि टीटीपीएल आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री कर रहा है, आवेदन-पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में रखे गए थे और जांच के दौरान सूचना का हिस्सा थे।
- iv. जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन-पत्र, बाद में लिखित अनुरोधों, प्रत्युत्तर अनुरोधों, सत्यापन दस्तावेज़ और सुनवाई के बाद की प्रतिक्रियाओं सहित विभिन्न चरणों में दायर साक्ष्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि टीटीपीएल सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइलग्रेड टीपीआईओ2 का निर्माण करता है।
- v. आवेदन-पत्र में क्षति की सूचना, लागत की सूचना, एनआईपी की सूचना, टीआईओ2 के रूथाइल-सल्फेट ग्रेड के बारे में उत्पादन और बिक्री की सूचना शामिल थी, जिसे टीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- vi. टीटीपीएल की वेबसाइट स्पष्ट रूप से उन उत्पादों को दर्शाती हैं जो 'अजंतॉक्स आरडी-1, अजंतॉक्स आरडी-1-पीजी, अजंतॉक्स आरडी-1-जीपी' जैसे शीर्षकों के तहत रूटाइलटाइटेनियम डाइऑक्साइड की श्रेणी के अंतर्गत बेचे जाते हैं, साथ ही इसके उपयोग को "विलायक और पानी आधारित पेंट, कागज, कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक आदि के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है"।
- vii. आवेदन-पत्र के साथ टीटीपीएल द्वारा दायर अनुबंध और लागत संबंधी सूचना से पता चलता है कि कंपनी ने टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रूथाइल-सल्फेट ग्रेड का उत्पादन और बिक्री की है। ऐसे साक्ष्य में उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, क्षमता का प्रमाण, प्रारूप में सूचित कच्चा माल VI-I, वित्तीय विवरण, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, परीक्षण शेष, क्षति का विवरण, लागत प्रारूप शामिल हैं।
- viii. दिनांक 2 जुलाई 2024 के पत्र में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था कि टीटीपीएल आर-एस का उत्पादन करता है और दिनांक 26 जुलाई 2024 के पत्र में स्पष्ट किया गया था कि आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में पीसीएन के लिए अलग-अलग सूचना थी और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टीटीपीएल सल्फेट मार्ग के माध्यम से रूटाइल ग्रेड टीपीआईओ2 का उत्पादन करता है।
- ix. अनुच्छेद 15 में घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों में कहा गया है कि तीन आवेदक कंपनियां पीसीएन का उत्पादन करती हैं जो विषयगत जांच में शामिल थीं।
- x. घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर अनुरोध के पैराग्राफ 2 और 3 में, यह दोहराया गया कि टीटीपीएल अन्य हितबद्ध पक्षकार के आरोप के उत्तर में रूथाइल-सल्फेट टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री करता है।
- xi. 10 अगस्त 2024 की ईमेल के माध्यम से दायर टीटीपीएल के सत्यापन दस्तावेज़ों ने बीजकों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान किया, जिसमें विवरण और एचएसएन, शुरुआती, समापन स्टॉक, उत्पादन और बिक्री, और उत्पादन और बिक्री मात्रा और सार का मात्रात्मक विवरण दिखाया गया है।
- xii. यह सत्यापित किया गया कि टीटीपीएल के पास रूटाइल-सल्फेट ग्रेड टीआईओ2 का उत्पादन करने के लिए

- आवश्यक तकनीक और सेटअप है और उसने जांच की अवधि के दौरान रूटाइल-सल्फेट ग्रेड टीआईओ2 का निर्माण और बिक्री की है।
- xiii. प्राधिकारी द्वारा रूटाइल-सल्फेट टीआईओ2 के उत्पादन में सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए सल्फर की खपत और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन/खपत/लागत को सत्यापित किया गया था।
- xiv. प्राधिकारी ने टीटीपीएल द्वारा उत्पादित और बेचे गए आर-एस टीआईओ2 के लिए अलग एनआईपी निर्धारित किया, और इसे प्रकट किया गया था।
- xv. 7 फरवरी 2025 की ईमेल के साथ प्रस्तुत किए गए बीजक केवल पहले किए गए तर्कों के समर्थन में साक्ष्य हैं और नए तथ्य नहीं हैं जो रिकॉर्ड में लाए गए थे।
- xvi. बिक्री बीजकों को विशेष रूप से टीटीपीएल द्वारा रूटाइल-सल्फेट टीआईओ2 की बिक्री के प्रमाण के रूप में उल्लिखित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्पादन दर्शाने वाली सूचना, उत्पादन की लागत, कच्चे माल की खपत का विवरण, कच्चे माल और यूटिलिटियों की खपत का विवरण, एनआईपी दावे, उत्पादन और ग्रेड की बिक्री में किए गए खर्च, परीक्षण शेष प्रदान की गई सूचना और साक्ष्य का हिस्सा हैं।
- xvii. ग्राहकों द्वारा आर-एस टीआईओ2 के लिए दोहराए गए ऑर्डर दिए गए हैं और रूटाइल सल्फेट टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बिक्री पूरी क्षति की अवधि में की गई थी जैसा कि क्षति के विवरण से देखा गया है।
- xviii. टीटीपीएल द्वारा रूटाइल-सल्फेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाते हुए, जांच के दौरान उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, क्षमता साक्ष्य, क्षति का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, लागत प्रारूप, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लिखित और प्रत्युत्तर अनुरोध, बीजक, बिक्री सार, स्टॉक, परीक्षण शेष सहित विभिन्न साक्ष्य प्रदान किए गए थे।
- xix. रूटाइल-सल्फेट और रूटाइल-क्लोराइड परस्पर परिवर्तनीय और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद हैं, जो समान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, अंतिम प्रयोगों और वितरण के चैनलों को साझा करते हैं।
- xx. केएमएमएल संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसने संबद्ध जांच की क्षति की अवधि के दौरान रूथाइल-क्लोराइड टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है, जबकि टीटीपीएल ने रूथाइल-सल्फेट टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है।
- xxi. आर-एस और आर-सी में एक ही रूटाइल क्रिस्टल संरचना होती है और इसलिए दोनों केवल रूटाइल क्रिस्टल की विशेषताओं को दर्शाते हैं। आर-एस सभी आवश्यक भौतिक और रासायनिक गुणों में आर-सी से मेल खाता है जिसमें अपवर्तक सूचकांक, टीआईओ2 सामग्री, अकार्बनिक सतह कोटिंग का प्रकार, पीएच, विशिष्ट गुरुत्व, थोक घनत्व आदि शामिल हैं।
- xxii. समान अनुप्रयोगों में घरेलू और आयातित दोनों आर-सी टीआईओ2 ग्रेड की सिफारिश की जाती है।
- xxiii. रूटाइल टीआईओ2 की रासायनिक संरचना स्वयं अपरिवर्तित रहती है, चाहे वह सल्फेट मार्ग या क्लोराइड मार्ग द्वारा उत्पादित हो, और प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की परवाह किए बिना।
- xxiv. केएमएमएल और टीटीपीएल के लिए ग्राहकों की सामान्य श्रेणी, और यहां तक कि सामान्य ग्राहक, एक कंपनी रूथाइल-क्लोराइड बेचती है और दूसरी रूथाइल-सल्फेट बेचती है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपभोक्ता रूथाइल-सल्फेट के प्रतिस्थापन में रूथाइल-क्लोराइड का उपयोग करते हैं और इसके विपरीत है।

- xxv. उपभोक्ता समान अनुप्रयोगों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर-सी ग्रेड से चीनी निर्मित आर-एस ग्रेड में अपनी खपत को स्थानांतरित करते हैं, जो अब प्रमुख निर्माताओं द्वारा 60% या उससे अधिक चीनी आर-एस ग्रेड या केएमएमएल आर-सी ग्रेड (कुछ 90% से अधिक) का उपयोग करके सिद्ध हो चुका है, जबकि 3 से 4 साल पहले चीनी आर-एस ग्रेड का प्रयोग लगभग 30% था।
- xxvi. ***, एक पेंट कंपनी ने चीन से आर-एस टीआईओ2 की काफी मात्रा का आयात किया है, जबकि केएमएमएल से आर-सी टीआईओ2 को काफी मात्रा भी खरीद की है, जिससे पता चलता है कि दोनों परस्पर परिवर्तनीय हैं।
- xxvii. चीन से टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात पर अपनी पाटनरोधी जांच में ब्राजील प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना कि आर-एस और आर-सी दोनों रासायनिक और कार्यात्मक रूप से समान अंतिम उत्पादों में परिणत होते हैं जिनका उपयोग अतिव्यापी औद्योगिक अनुप्रयोगों में परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जाता है।
- xxviii. यूरोपीय आयोग ने अपने जांच परिणामों में पाया कि आर-एस और आर-सी परस्पर परिवर्तनीय हैं।
- xxix. चीन से टीआईओ2 के आयात की पाटनरोधी जांच में अपने अंतिम जांच परिणामों में, सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ फॉरिन ट्रेड ने माना कि क्लोराइड और सल्फेट मार्गों के माध्यम से उत्पादित रूटाइलग्रेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड परस्पर परिवर्तनीय हैं।
- xxx. टीटीपीएल ने ऐतिहासिक रूप से प्रमुख पेंट प्रयोक्ताओं को आपूर्ति की है, और लेनदेन शीर्ष उद्योग प्रतिभागियों द्वारा टीटीपीएल के ग्रेड की स्वीकृति का प्रमाण है।
- xxxi. सीएस संख्या 1317 -80 -2 संपूर्ण रूप से रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड से मेल खाता है, और आरोप कि यह नैनोपार्टिकल्स को दर्शाता है, गलत है।
- xxxii. बाजार परिपाटी और सत्यापन से पता चलता है कि अतिव्यापी ग्राहक आर एस और आर सी दोनों का प्रयोग करते हैं, और प्रयोक्ता पेंट, कोटिंग, प्लास्टिक, कागज में उनके बीच प्रतिस्थापन करते हैं।
- xxxiii. केवल लेपित आर एस संगत होने के दावे गलत हैं। अनकोटेड आर एस का प्रयोग पेंट कंपनियों द्वारा किया जाता है और केएमएमएल का आर सी समान अनुप्रयोगों को कवर करता है और प्रयोक्ता विनिर्देशों को पूरा करने वाले नीले रंग के रूटाइल ग्रेड प्रदान करता है।
- xxxiv. "वाणिज्यिक मात्रा" को बाहर करने की मांग के लिए आईपीए की टेक्नोवा मामले पर निर्भरता चयनात्मक है। इसी मुद्दे पर समानांतर सेस्टेट आदेशों पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं दिया गया है।
- xxxv. 2002 से टीटीपीएल की ऐतिहासिक आर एस आपूर्ति और क्षति की अवधि में वर्षवार घरेलू बिक्री की रिपोर्ट से पता चलता है कि टीटीपीएल द्वारा की गई बिक्री किसी भी मायने में बहुत कम नहीं है और इसने वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री की है।
- xxxvi. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एनाटास-सल्फेट टीआईओ2 को बाहर करने के अनुरोध अस्वीकार्य हैं क्योंकि निरंतर पाटन से क्षति हुई है और प्रयोग कम हुआ है। शुल्क लगाने से केवल उचित प्रतिस्पर्धा बहाल होगी और उचित कीमतों पर आयात अंतर को पूरा करना जारी रखा जा सकता है।
- xxxvii. कॉस्मेटिक ग्रेड छूट सख्त बीआईएस ग्रेड उपयोग (सौंदर्य प्रसाधनों से बाहर) से जुड़ी है और टॉयलेट साबुन जैसे सामान्य धोने वाले उत्पादों से नहीं। औद्योगिक प्रयोगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए "कॉस्मेटिक ग्रेड" घोषणाओं के दुरुपयोग से एक व्यापक अपवर्जन नहीं होना चाहिए।

छ.3.क. प्राधिकारी द्वारा जांच

42. विचाराधीन उत्पाद (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) जैसा कि जांच की शुरुआत के स्तर (मूल कार्यवाहियों में) पर परिभाषित किया गया है, निम्नानुसार था:
43. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "खाद्य, फार्मा, त्वचा देखभाल, वस्त्र और फाइबर अनुप्रयोग और नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड को छोड़कर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिसमें 100 एनएम से कम कण आकार है"

उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से बाहर करना

44. विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखा गया है जिसका निम्नलिखित अनुप्रयोग या विनिर्देश है:
- फूड
 - फार्मा
 - स्किन-केयर
 - टेक्सटाइल
 - फाइबर एप्लीकेशन
 - 100 एनएम से कम कण आकार वाला नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड

उत्पाद के सामान्य गुण-धर्म

45. टाइटेनियम डाइऑक्साइड (टीआईओ₂) मुख्य रूप से निकाला गया एक सफेद अकार्बनिक यौगिक है और विभिन्न उत्पादों की एक विशाल संख्या में उपयोग किया जाता है। टीआईओ₂ का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत खनन किया गया इल्मेनाइट अयस्क है जिसमें 30-60% टीआईओ₂ होता है। शुद्ध टीआईओ₂ का उत्पादन इल्मेनाइट अयस्क से क्लोराइड या सल्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है।
46. वर्तमान जांच में संबद्ध सामान यानी टीआईओ₂ रंगद्रव्य है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड को इसके कण आकार के आधार पर मोटे तौर पर पिगमेंटरी टीआईओ₂ और नैनो/अल्ट्राफाइन टीआईओ₂ में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णक टाइटेनियम डाइऑक्साइड आयाम में लगभग 200 - 350 एनएम है जो कुल उत्पादन का 98% बनाता है और मुख्य रूप से इसके उच्च अपवर्तक सूचकांक और परिणामस्वरूप दृश्य प्रकाश के फैलाव और उच्च अपारदर्शिता के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्पादन का 98% रंगद्रव्य के रूप में उपयोग किया जाता है।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड-रूटाइल और एनाटेस ग्रेड

47. याचिकाकर्ता/आवेदक टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रूटाइल और एनाटेस ग्रेड का निर्माण कर रहे हैं जो उनकी क्रिस्टल संरचना के आधार पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के दो रूप हैं।
48. रूटाइल मुख्य रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बना एक खनिज है। रूटाइल का उत्पादन इल्मेनाइट से किया जाता है, जो टाइटेनियम, फेरस आयरन और फेरिक आयरन का मिश्रण है। रूटाइल टीआईओ₂ का सबसे सामान्य प्राकृतिक रूप है। रूटाइल में किसी भी ज्ञात खनिज के उच्चतम अपवर्तक सूचकांकों में से एक है और यह उच्च फैलाव दर्शाता है। प्राकृतिक रूटाइल में 10% तक लोहा और पर्याप्त मात्रा में नाइओबियम और टैंटलम हो सकता है।
49. टीआईओ₂ का एनाटेस ग्रेड इल्मेनाई से उत्पादित किया जाता है, जो टाइटेनियम, फेरस आयरन और फेरिक आयरन का मिश्रण है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में सफेदी होती है। इल्मेनाइट में टाइटेनियम को इस कच्चे माल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके निकाला जाता है। टाइटेनियम, टाइटेनियम ऑक्सी सल्फेट के रूप में घोल में जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एनाटेज़ को टाइटेनियम ऑक्सी सल्फेट से लाइव स्टीम इंजेक्ट करके और उपचारित लुगदी को पानी से निकालकर प्राप्त किया जाता है।

उपयोग

50. टाइटेनियम डाइऑक्साइड ज्ञात वर्णक में सबसे उज्ज्वल और सबसे सफ़ेद है और इसके उच्च अपवर्तक सूचकांक और यूवी प्रतिरोध के कारण पेंट और कोटिंग्स, प्लास्टिक, कागज़, रबड़ और स्याही जैसे अनुप्रयोगों में सबसे अधिक मांग वाला सफ़ेद वर्णक है। उच्च अपवर्तक सूचकांक अंतिम उत्पादों को उच्च सफेदी और छिपाने की शक्ति (अपारदर्शिता) प्रदान करता है। टीआईओ₂ वर्णक ऊर्जा बचत के रूप में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले गुणों के कारण एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता को कम करता है जब गर्म जलवायु में इमारतों के बाहर पेंट कोटिंग में उपयोग किया जाता है।

प्रशुल्क वर्गीकरण

51. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 और 32 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। अध्याय 28 के तहत उत्पाद के लिए समर्पित कोड 28230010 है। तथापि, चूंकि यह एक वर्णक है, इसलिए 32061110 और 32061190 के तहत आयात भी सूचित किए जा रहे हैं। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध सामान का आयात अन्य शीर्ष के तहत किया गया हो और इसलिए, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
52. घरेलू उद्योग ने शुरू में क्रिस्टलीय संरचना यानी एनाटेस और रूटाइल पर आधारित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव रखा।
53. विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र पर हितबद्ध पक्षकारों से विभिन्न टिप्पणियां प्राप्त हुईं। इस पर

चर्चा करने के लिए 3 जून 2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियां निम्नलिखित हैं।

54. डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन वार आयात आंकड़ों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच के बाद, प्राधिकारी ने रूटाइलक्लोराइड (आर-सी) और रूटाइलसल्फेट (आर-एस) की आयात कीमतों में काफी अंतर देखा। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस जांच के उद्देश्य से दोनों उत्पादों की उचित तुलना के लिए अलग-अलग पीसीएन सिद्ध करना आवश्यक समझा।
55. प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करते हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उसे बाहर करने के अनुरोधों और व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में वे निम्नलिखित टिप्पणियां करते हैं:

क. सल्फेट टीआईओ₂ के माध्यम से रूटाइल को बाहर रखा जाना चाहिए- इस आरोप के संबंध में कि घरेलू उद्योग सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल का उत्पादन नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग सल्फेट प्रक्रिया के साथ-साथ क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से रूटाइल ग्रेड का उत्पादन करता है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि टीटीपीएल के पास सल्फेट मार्ग के माध्यम से रूटाइल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक तकनीक और सेटअप है और जांच की अवधि के दौरान सल्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके रूटाइल टीआईओ₂ का निर्माण और बिक्री की है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह तर्क कि आर-एस को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी का मानना है कि जांच के क्षेत्र से आर-एस को बाहर रखना उचित नहीं होगा, यहां तक कि ऐसी संभावित स्थिति में भी जहां घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान या उसी आवेदन-पत्र के लिए आईपीए सदस्यों को आर एस नहीं बेचा है, लेकिन वही अन्य ग्राहकों को बेचा गया है। नियमों के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है। इसके अलावा, केएमएमएल द्वारा बेचा गया आर-सी आर-एस की समान वस्तु है। सल्फेट मार्ग रूटाइल और क्लोराइड मार्ग रूटाइल दोनों परस्पर परिवर्तनीय अनुप्रयोग साझा करते हैं। उपभोक्ता नियमित रूप से दोनों प्रकारों का उपयोग और खरीद करते हैं, जो दोनों के बीच समानता और परस्पर परिवर्तनीयता को दर्शाता है। इसलिए, प्राधिकारी इस उत्पाद प्रकार के लिए मांगी गई अपवर्जन से असहमत है।

ख. 200 एनएम से नीचे और 350 एनएम से ऊपर के कण आकार वाले टीआईओ₂- हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि 200 एनएम से नीचे और 350 एनएम से ऊपर के कण आकार के टीआईओ₂ को बाहर रखा जाना चाहिए। यह नोट किया जाता है कि 100 एनएम के कण आकार से नीचे के संबद्ध सामानों को पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड में मौजूद सूचना से पता चलता है कि 100 एनएम से ऊपर के कण आकार वाले टीआईओ₂ के सभी ग्रेड आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार, उत्पाद का दायरा क्षेत्र 100 एनएम से नीचे के कण आकार को बाहर करता है।

ग. चमकदार और नीले रंग के अंडरटोन के साथ टीआईओ₂ रूटाइल, परफॉर्मेंस ग्रेड टीआईओ₂ (बीएलआर 895 या एलआर 961) और सल्फेट ग्रेड (बीएलआर 698/आर 868 या बीएलआर 601/आर 216) -

हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कुछ ग्रेड, जिनमें टीआईओ2 रूटाइल ग्रेड एक चमकीले और नीले रंग के अंडरटोन के साथ, निष्पादन ग्रेड और विशिष्ट सल्फेट ग्रेड शामिल हैं, को बाहर रखा जाए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अनुरोध घरेलू उत्पादों की तुलना में भौतिक या रासायनिक विशेषताओं या अंतिम उपयोगों में अंतर दिखाने वाले विश्वसनीय वैज्ञानिक आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने जोर देकर कहा है कि यह तुलनीय उत्पाद प्रदान करता है और दावा करता है कि अपवर्जन केवल व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा बनाए गए ग्रेड नामों पर आधारित नहीं होने चाहिए। ये ग्रेड नाम उत्पादकों के लिए विशिष्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। चूंकि उपभोक्ता इन उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से उपयोग करते हैं, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि इन उत्पाद प्रकारों को बाहर करने को उचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

- घ. सजावट को छोड़कर कागज बनाने के लिए टीआईओ2 एनाटस ग्रेड (फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किया जाता है)—हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि कागज बनाने के लिए एनाटस ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग कागजों (सजावटी कागजों को छोड़कर) के उत्पादन के लिए सामग्री का उत्पादन करता है और उपभोक्ताओं को बेचता है। चूंकि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का उत्पादन करता है, अतः प्राधिकारी इसको बाहर करने अनुरोध से असहमत हैं।
- ङ. कुछ अनुप्रयोगों के लिए टीआईओ2- सजावटी कागज बनाने के लिए रूटाइल ग्रेड और टेक्सटाइल, फूड के उत्पादन में प्रयुक्त टीआईओ2- हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वस्त्रों और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले टीआईओ2 और सजावटी कागज के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले रूटाइल ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर जाए। घरेलू उद्योग ने उसे बाहर करने के अनुरोध से सहमति व्यक्त की है क्योंकि इन अनुप्रयोगों में टीआईओ2 का उपयोग वर्णक के रूप में नहीं किया जाता है। प्राधिकारी इन अनुप्रयोगों के लिए टीआईओ2 को बाहर करते हैं।
- च. नैनो या अल्ट्राफाइन- घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकार नैनो या अल्ट्राफाइन को बाहर रखने पर सहमत हुए हैं क्योंकि घरेलू उद्योग इस वस्तु का उत्पादन नहीं करता है और इस उत्पाद की मांग कम है। प्राधिकारी तदनुसार इस उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करते हैं।
- छ. त्वचा की देखभाल और दवा अनुप्रयोगों के लिए टीआईओ2- हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि त्वचा की देखभाल और दवा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले टीआईओ2 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। घरेलू उद्योग ने इस तरह के बाहर करने के अनुरोध से सहमति व्यक्त की है क्योंकि इन अनुप्रयोगों के लिए टीआईओ2 का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में त्वचा देखभाल और दवा अनुप्रयोगों के लिए टीआईओ2 शामिल नहीं होगा।

56. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को निम्नानुसार मानते हैं:

57. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद "खाद्य, फार्मा, त्वचा देखभाल, कपड़ा और फाइबर अनुप्रयोग और नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड को छोड़कर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिसमें 100 एनएम से कम कण आकार है"
उत्पाद के क्षेत्र से विशिष्ट रूप से अलग करना
58. विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखा गया है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित अनुप्रयोग या विनिर्देशों के लिए है:

क्र.सं.	बाहर रखे गए उत्पाद	बाहर रखे गए उत्पाद विवरण और ब्यौरे
1	फूड	खाद्य रंगकरण जैसे खाद्य योजकों में प्रयुक्त टीआईओ ₂
2	फार्मा	टैबलेट फिल्म कोटिंग्स में घटक के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला टीआईओ ₂
3	त्वचा- खभालेद	कोस्मेटिक्स और सनस्क्रीन लोशन में यूवी-अवशोषित और फोटोकैटलिस्ट अनुप्रयोगों के लिए टीआईओ ₂ का प्रयोग किया जाता है
4	टेक्सटाइल	टेक्सटाइल/फाइबर के उत्पादन में प्रयुक्त टीआईओ ₂ । टीआईओ ₂ जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल और फाइबर में उसकी फोटो-कैटेलिक सैल्फ क्लीनिंग, यूवी प्रोटेक्शन और डीलस्टरिंग क्षमताओं आदि के कारण किया जाता है, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। तथापि, इस तरह का बहिष्करण टीआईओ ₂ तक नहीं जाता, जिसका प्रयोग टेक्सटाइल/गारमेंट/कपड़ा/फैब्रिक में प्रिंटिंग के लिए वर्णक के रूप में किया जाता है।
5	फाइबर	कृत्रिम फाइबर को डेलस्टरिंग के लिए टीआईओ ₂ का उपयोग किया जाता है और इस फाइबर का उपयोग वस्त्रों के उत्पादन के लिए किया जाता है। फाइबर ग्रेड सामग्री का उपयोग कपड़े को बनाने के लिए फाइबर धागों के साथ मिश्रण करने के लिए किया जाता है। सजावटी कागज बनाने के लिए टीआईओ ₂ रूटाइल ग्रेड (फाइबर/लुगदी चरण में उपयोग किया जाता है)।
6	नैनो या अल्ट्राफाइन	कपड़ा/पेंट उद्योग में 100 एनएम से कम कण आकार वाले नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग धूल मुक्त कपड़ा/पेंट जैसी विशेषताएं प्रदान करने के लिए किया जाता है

पीसीएन पद्धति

पीसीएन	पीसीएन कोड
रूटाइल क्लोराइड-	आर-सी
रूटाइलसल्फेट -	आर-एस
एनाटेससल्फेट-	ए-एस

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। प्राधिकारी का मानते हैं कि आवेदकों की कंपनियों द्वारा उत्पादितसंबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ज. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

60. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और इसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

61. आवेदकों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- यह आवेदन-पत्र मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, मैसर्स त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स वीवी टाइटेनियम पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- आवेदकों में भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में शामिल सभी उत्पादक शामिल हैं। आवेदकों ने न तो आयात किया है और न ही संबद्ध सामानों के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध हैं।
- आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में 'प्रमुख अनुपात' हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

62. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ का अर्थ

शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

63. वर्तमान आवेदन-पत्र मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, मैसर्स त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स वीवी टाइटेनियम पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में जांच की अवधि में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक हैं। संबद्ध सामानों के कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं हैं।
64. आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातक या निर्यातक से संबद्ध नहीं हैं। रिकॉर्ड में मौजूद सूचना से पता चलता है कि आवेदकों का जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है। इस प्रकार आवेदन-पत्र, नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है। अतः, प्राधिकारी का मानते हैं कि आवेदक/याचिकाकर्ता पात्र घरेलू उद्योग हैं। इसके अलावा, आवेदक घरेलू उद्योग हैं।

झ. विदेशी उत्पादकों का नमूनाकरण

65. चीन से संबद्ध सामानों के बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में उत्पादकों और निर्यातकों को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियम 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान जांच में नमूनाकरण का सहारा लेने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी के समक्ष दायर प्रश्नावली के उत्तरों के आधार पर, व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए निम्नलिखित तीन समूहों को चुना गया था।
- एलबी समूह जिसमें निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं - हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड, एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड और बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके।
 - गोल्ड स्टार ग्रुप जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड और अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड।
 - शेडोंग ग्रुप जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी, लिमिटेड और शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड।
66. प्राधिकारी ने दिनांक 29.08.2024 के ईमेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को आगे की जांच के लिए नमूनाकरण पद्धति और नमूनाकृत समूहों के बारे में सूचित किया और उनसे टिप्पणियां मांगीं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भेजी गई टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और निर्यातकों/उत्पादकों के अंतिम नमूनाकृत समूहों को अधिसूचना संख्या फा. - 06/03/2024 दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सूचित किया कि इन उत्पादकों को उनके संबंधित निर्यातकों के साथ व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार करने का प्रस्ताव किया गया था।

67. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं।

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

68. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए थे।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

69. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. २१ उत्पादकों ने हितबद्ध पक्षकारों की सूची के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, जो व्यक्तिगत निर्धारण की अनुमति देने के लिए एक बड़ी संख्या है।
- ii. कुछ पक्षकारों द्वारा निर्यात की कम मात्रा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उनका उत्पाद प्रोफाइल और निर्यात पैटर्न, उत्पाद प्रोफाइल और समय अवधि दोनों के संदर्भ में, भारत में निर्यात का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
- iii. विगत में, चीनी उत्पादक, जिनका जांच की अवधि में निर्यात की मात्रा नगण्य रही है, कम शुल्क प्राप्त करने के बाद भारतीय बाजार में बाढ़ ला देते हैं।
- iv. नमूने में वैश्विक मानदंड अधिकतम तीन कंपनियों पर विचार करना है:
 - क. भारत¹ से सिरेमिक टाइल्स में, यूरोप ने मूल रूप से दो कंपनियों पर विचार किया और संख्या 3 पर कंपनी के आक्रामक अभ्यावेदन के बाद भी नमूना आकार को तीन कंपनियों तक बढ़ाने से इनकार कर दिया।
 - ख. कनाडा² से बुड पल्प में, चीन के वाणिज्य मंत्रालय (एमओएफसीओएम) ने कंपनी के लिए व्यक्तिगत रूप से नंबर 3 पर पाटन मार्जिन निर्धारित करने से इनकार कर दिया, भले ही पहले तीन स्थानों पर कंपनियां लगभग समान मात्रा में निर्यात कर रही थीं।
 - ग. अमेरिका दो से अधिक कंपनियों को 'अनुचित रूप से बोझिल' मानता है। भारत³ से क्वाटर्ज सरफेस प्रोडक्ट्स के मामले में, 50 कंपनियों में से, केवल दो कंपनियों के लिए जांच और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया था, जिसके परिणाम अन्य को भी दिए गए थे।
- v. स्वैच्छिक आधार पर प्रश्नावली का उत्तर दायर करना व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है।

1. यूरोपीय आयोग (2024)। 7 मार्च 2024 का आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2024/804 (यूरोपीय संघ की आधिकारिक पत्रिका, एल 63, 1-25)।

2. चीन में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों पर संगोष्ठी, "विश्व व्यापार समीक्षा 16, संख्या 4 (अक्टूबर 2017): 750-752।

3. "भारत से कुछ क्वाटर्ज सतह उत्पाद: पाटनरोधी शुल्क प्रशासनिक समीक्षा के हिस्से में प्रारंभिक परिणाम और रिसिसन; 2022-2023," संघीय रजिस्टर, वॉल्यूम। 89, संख्या। 131, पीपी 56292-56295, मंगलवार, 9 जुलाई, 2024।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

70. हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों की समीक्षा करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के अवरोही क्रम में निर्यात आंकड़ों को व्यवस्थित किया गया था। जांच की अवधि के दौरान चीन से भारत को निर्यात की मात्रा के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर, तीन (3) उत्पादकों को उनके संबद्ध निर्यातकों/उत्पादकों के साथ पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए चुना गया था। ये 3 नमूनाकृत उत्पादक/निर्यातक समूह जांच की अवधि के दौरान लगभग 49% निर्यात में योगदान करते हैं, जो उन्हें एक उपयुक्त और प्रतिनिधि नमूनाकृत बनाता है। इसलिए, प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए नमूना उत्पादकों पर विचार किया है और चीन जन.गण. से गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन उसी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

अ. बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

अ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

71. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। चीन के अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया था।
- ii. 11 दिसंबर 2016 के बाद, पाटनरोधी नियमावली में चीनी निर्यात उत्पादकों के लिए उनके घरेलू कीमतों और लागतों को छोड़कर किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य सिद्ध करने की अनुमति देने वाले प्रावधान नहीं हो सकते हैं।
- iii. भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करके चीन जन.गण. से उत्पादों के लिए पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए डब्ल्यूटीओ करार के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा इस तरह की कोई भी कार्रवाई गैट के अनुच्छेद के कार्यान्वयन पर करार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी।
- iv. प्रतिनिधि देश पद्धति अब सामान्य मूल्य की गणना में लागू नहीं होती है, भले ही चीन जन.गण. को पाकटा संट सर्वडा के सिद्धांत के कारण एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है, चीन के डब्ल्यूटीओ में अभिगम नयाचार की धारा 15 और चीन जन.गण. द्वारा शुरू की गई ईसी-फास्टनर पर अपीलीय निकाय रिपोर्ट।
- v. चीन जन.गण. को डब्ल्यूटीओ के चीन के अभिगम नयाचार के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, इसकी पुष्टि डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने "ईसी-फास्टनर" में भी की थी। चीन जन.गण. के साथ अपने संबंधित द्विपक्षीय करार में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन के डब्ल्यूटीओ में प्रवेश करने के 15 साल बाद गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति की समाप्ति के बारे में भी उल्लेख किया था।

अ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

72. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) और 8 (3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में पैरा 8 के संदर्भ में, यह माना जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए, चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार आकलित किया गया है।
- ii. नयाचार का अनुच्छेद 15 (घ), 15 (क) (ii) का प्रावधान दिसंबर डब्ल्यूटीओ में चीन जन.गण. के अभिगम के बाद दिसंबर, 2016 अर्थात् 15 वर्षों में समाप्त हो गया है। तथापि, अनुच्छेद 15(क)(i), जो चीन जन.गण. के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा प्रदान करता है, अभी भी लागू है। अतः, एक वैध अनुमान मौजूद है कि चीन जन.गण. पाटनरोधी जांच के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
- iii. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध 1 के पैरा 1 - 6 को अपनाएंगे, यदि उत्तरदायी चीनी कंपनियां यह सिद्ध करती हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि व्यक्तिगत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना को अपनाया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को खारिज कर देंगे।
- iv. नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 1 से 6 चीन जन.गण. से आयात के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए लागू नहीं होते हैं, जब तक कि कोई उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य न दर्शाए कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के तहत काम कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

73. धारा 9(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

74. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। प्राधिकारी को निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं:

- i. हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कं, लिमिटेड।
- ii. एलबी ग्रुप कंपनी, लिमिटेड।
- iii. एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड।
- iv. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- v. एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- vi. बिलियंस (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड
- vii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड।
- viii. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी, लिमिटेड।
- ix. यिबिन तियानयुआन हैफेंग हेताई कं, लिमिटेड
- x. यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं, लिमिटेड
- xi. एफोन (हांगकांग) कंपनी लिमिटेड
- xii. शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड
- xiii. शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
- xiv. पांगंग समूह की चोंगकिंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी, लिमिटेड
- xv. पांगंग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी, लिमिटेड
- xvi. पांगंग ग्रुप चेंगदू वैनेडियम एंड टाइटेनियम रिसोर्सेज डेवलपमेंट कं, लिमिटेड
- xvii. पांगंग ग्रुप चोंगकिंग वैनेडियम एंड टाइटेनियम टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड।
- xviii. जियांगशी टिकोन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (ए ट्रोनाक्स कंपनी)
- xix. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कं, लिमिटेड
- xx. इंटर चाइना केमिकल कंपनी, लिमिटेड।
- xxi. अनहुई अन्नादा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी, लिमिटेड
- xxii. शंडोंग डोगुइड ग्रुप कंपनी, लिमिटेड
- xxiii. कियानजियांग फंगयुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड

- xxiv. जीनान युक्सिंग केमिकल कं, लिमिटेड
- xxv. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कं, लिमिटेड।
- xxvi. निंगबो शिनफू केमिकल मार्केटिंग कं, लिमिटेड।
- xxvii. शेडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड।

75. प्राधिकारी ने निम्नलिखित तीन समूहों का नमूना लिया है जिसमें संबंधित व्यापारी और उत्पादक शामिल हैं:

- i. एलबी ग्रुप जिसमें निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं - हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड, एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड और बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके।
- ii. गोल्ड स्टार ग्रुप जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड और अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड।
- iii. शेडोंग ग्रुप जिसमें उत्पादक/निर्यातक शामिल हैं- शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी, लिमिटेड और शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड।

76. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

अ.3.1 सामान्य मूल्य

77. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

78. यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. के अधिगम नयाचार अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अधिगम नयाचार अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं।

79. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने एसजीए और लाभ को उचित रूप से जोड़कर संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत पर घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की। जांच की शुरुआत करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और

अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दें।

80. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का विरोध नहीं किया। इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन न होने के कारण, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

81. नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के संबंध में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

82. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में निहित अन्य तरीकों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" पर विधि पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

83. अतः प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसमें उचित रूप से समायोजित, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ शामिल हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य को चीनी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ज.3.2 सभी नमूनाकृत उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

क) एलबी ग्रुप (नमूनाकृत)

- i. मैसर्स एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड।
- ii. मैसर्स एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड।
- iii. मैसर्स एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड।
- iv. मैसर्स एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड।
- v. मैसर्स हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड
- vi. मैसर्स बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड
- vii. मैसर्स बिलियन्स यूरोप लिमिटेड, यूके

84. एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड की स्थापना 20 अगस्त, 1998 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में की गई थी।
85. जांच की अवधि के दौरान, एलबी ग्रुप कं, लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। इसमें से, निर्माता/निर्यातक ने अप्रत्यक्ष रूप से एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी बिलियन्स (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से *** एमटी बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि इस *** एमटी में से, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने सीधे भारत को *** एमटी बेचा है और शेष *** एमटी भारत को अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य संबद्ध निर्यातक/व्यापारी बिलियन यूरोप लिमिटेड, यूके के माध्यम से बेचा गया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
86. एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना 20 अप्रैल, 2015 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
87. जांच की अवधि के दौरान, एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं., लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। इसमें से, निर्माता/निर्यातक ने अप्रत्यक्ष रूप से एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से *** एमटी बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

88. एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना 21 फरवरी, 2001 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
89. जांच की अवधि के दौरान, एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं, लिमिटेड चीन जन.गण. ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। इसमें से, उत्पादक/निर्यातक ने अप्रत्यक्ष रूप से एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से *** एमटी बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि इस *** एमटी में से, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने *** एमटी भारत को सीधे बेचा है और शेष *** एमटी संबद्ध सामान बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन यूरोप लिमिटेड, यूके के माध्यम से बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
90. एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी, लिमिटेड, चीन जन.गण. की स्थापना 29 अप्रैल, 2011 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
91. जांच की अवधि के दौरान, चीन जन.गण. की एलबी शियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। इसमें से, उत्पादक/निर्यातक ने अप्रत्यक्ष रूप से एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से *** एमटी बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
92. हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कं, लिमिटेड की स्थापना 19 मई, 2016 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
93. जांच की अवधि के दौरान, हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कं, लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। इसमें से, उत्पादक/निर्यातक ने अप्रत्यक्ष रूप से एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से *** एमटी बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि इस *** एमटी में से, बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने *** एमटी भारत को सीधे बेचा है और शेष *** एमटी संबद्ध सामान बिलियन (हांगकांग) कारपोरेशन लिमिटेड, हांगकांग ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से एक अन्य संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात् बिलियन यूरोप लिमिटेड, यूके के माध्यम से बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ख) गोल्ड स्टार ग्रुप (नमूनाकृत)

i. मैसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं. लिमिटेड

ii. मैसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

94. अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप)कंपनी लिमिटेड की स्थापना 18 जनवरी, 1996 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
95. जांच की अवधि के दौरान, अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. ने एक संबद्ध निर्यातक/व्यापारी अर्थात्, अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. के माध्यम से कार्यगत आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। उत्पादक/निर्यातक ने कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए किसी समायोजन का दावा नहीं किया है और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमतपाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
96. मैसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 20 अक्टूबर, 2017 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
97. जांच की अवधि के दौरान, अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। इसमें से, उत्पादक/निर्यातक ने अपने संबद्धउत्पादक/निर्यातक अर्थात् मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (ग्रुप) कं, लिमिटेड, चीन जन.गण. से *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है ताकि कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके और इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ग) शेडोंग समूह (नमूनाकृत)

i. मेसर्स शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड

ii. मेसर्स शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

98. मैसर्स शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 16 अक्टूबर, 2013 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।
99. जांच की अवधि के दौरान, शेडोंग शियांगहाई टाइटेनियम कं, लिमिटेड ने भारत को *** एमटी संबद्ध सामान बेचा है। उत्पादकों/निर्यातकों को कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक शुल्क और कमीशन के निमित्त समायोजन का दावा किया है और इस प्रकार निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।
100. मेसर्स. शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेडचीन जन.गण. की स्थापना 24 अप्रैल, 2012 को चीन जनवादी गणराज्य के कंपनी कानून के अनुसार एक सीमित देयता कंपनी के रूप में की गई थी।

101. जाँच अवधि के दौरान, शैनडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन गण ने सीधे भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। उत्पादकों/निर्यातकों ने कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत प्राप्त करने के लिए समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित खर्चों, बैंक प्रभारों तथा कमीशन के मद में समायोजन का दावा किया है, और इस प्रकार निर्धारित की गई कारखाना-द्वार स्तर निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

घ) गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक/निर्यातक

102. प्राधिकारी, नमूनाकृत श्रेणी के उत्पादकों/निर्यातकों के अलग पाटन मार्जिन के आधार पर मूल्यांकित भारित औसत पाटन मार्जिन पर विचार करते हैं। यह भारित औसत पाटन मार्जिन संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों की गैर-नमूनाकृत श्रेणी को प्रदान किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ड.) असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

103. प्राधिकारी ने चीन जन गण के सहयोगी उत्पादकों के आकड़ों के आधार पर आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद, चीन जन गण के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा, हैंडलिंग प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे उल्लिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

अ.3.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

104. ऊपर बताए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, यह निर्धारित किया जाता है कि पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
105. यह नोट किया गया है कि कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया रही है कि वे संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक एकल इकाई के रूप में मानते हैं और इस प्रकार उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन स्थापित करते हैं। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग पाटन मार्जिन की गणना करने से पाटनरोधी उपायों की परिवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे वे निष्प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम अलग पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को भेजने की छूट मिल जाएगी।
106. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई माना जाता है और उन्हें एक एकल पाटन मार्जिन दिया जाता है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत (भारित औसत) के आधार पर की गई थी।

पाटन मार्जिन (डीएम) तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	सीएनबी (अमए/डा. मटी)	निवल निर्यात कीमत (अमएम/डा. टी)	पाटन मार्जिन (डीएम) (अमए/डा. मटी)	डीएम (%)	डीएम रेंज(%)
1.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (ग्रुप)	***	***	***	***	60-70
2.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड					
3.	मेसर्स शेंडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
4.	मेसर्स शेंडोंग शियानघाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड					
5.	मेसर्स एलबी शियानयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, और	***	***	***	***	35-45
6.	मेसर्स एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड					
7.	मेसर्स एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड					
8.	मेसर्स एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड					
9.	मेसर्स हेनान बिलियंस एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड					
10.	गैर नमूनाकृत सहयोगी- निर्यातकर्ता/उत्पादक	***	***	***	***	40-50
11.	अवशिष्ट	***	***	***	***	90- 100

ट. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

ट.1. क मूल कार्यवाही में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

107. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे:

- आयात मात्रा के आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए विशेष रूप से चीन जनवादी गणराज्य

- से आयातों पर काफी अधिक निर्भरता है।
- ii. जांच की अवधि में मांग में वृद्धि के साथ-साथ आयातों में भी निरंतर वृद्धि देखी गई है।
 - iii. घरेलू उद्योग की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि जांच की अवधि में अन्य देशों से होने वाले आयातों में गिरावट आई है।
 - iv. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है, और मांग-आपूर्ति का यह अंतर आयातों की आवश्यकता पर ध्यान दिलाता है।
 - v. ग्रेड-वार जांच से इस बात का स्पष्ट आकलन हो सकेगा कि विभिन्न गुणवत्ता ग्रेडों ने लागत और कीमत निर्धारण की गतिशीलता में किस प्रकार योगदान दिया है। यह दृष्टिकोण उन ग्रेडों की पहचान करने की अनुमति देगा जिनमें अधिक या कम मांग, कीमत का दबाव या लागत भिन्नता का अनुभव हो रहा हो, जिससे कीमत निर्धारण, विपणन और उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल रणनीतियां बनाई जा सकें। इस तरह का विश्लेषण उन प्रवृत्तियों को भी उजागर कर सकता है जो समग्र आंकड़ों में छिपी रह सकती हैं, जिससे अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी और लाभप्रदता में वृद्धि होगी।
 - vi. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए केवल संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अन्य योगदान देने वाले कारकों में कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं और घरेलू व विदेशी दोनों उत्पादकों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।
 - vii. क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% की आय (आरओसीई) का घरेलू उद्योग का दावा अत्यधिक है और पाटनरोधी नियमावली के असंगत है, क्योंकि यह नियोजित पूंजी के निवल मूल्य और ऋण दोनों घटकों पर एक अनुचित दर लागू करके क्षतिरहित कीमत की गणना को बढ़ा देता है। यह अनुरोध किया जाता है कि क्षतिरहित कीमत की गणना घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के आरोपों के बिना अवधियों के दौरान अर्जित वास्तविक आरओसीई के आधार पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रचलित आर्थिक स्थितियों पर विचार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्याज लागत और लाभ मार्जिन वास्तविक और उचित स्तरों को दर्शाते हों।
 - viii. रुटाइल और एनाटेस ग्रेड के लिए क्षति का विश्लेषण अलग-अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे अपने अनूठे क्रिस्टल संरचनाओं और परिणामी भौतिक व रासायनिक अंतरों के कारण पीयूसी के दो अलग-अलग रूप हैं।
 - ix. रुटाइल-क्लोराइड और रुटाइल-सल्फेट के लिए क्षति का विश्लेषण अलग-अलग किया जाना चाहिए क्योंकि उनका एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार क्षति की समग्र जांच के लिए केवल पीसीएन को अपनाना अपर्याप्त है और यह क्षति निर्धारण के लिए सही मात्रा प्रभाव, कीमत प्रभाव और आर्थिक मापदंडों को नहीं दर्शाता है।
 - x. घरेलू उद्योग ने पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए और निवल निर्यात कीमत, क्षति मार्जिन तथा कीमत कटौती के निर्धारण के लिए दो अलग-अलग आयात मात्राओं का उपयोग किया है। घरेलू उद्योग ने एक ऐसी विसंगति पैदा की है जो क्षति की जांच को विकृत कर सकती है। चीन से आयातों की मात्रा में 50% की वृद्धि हुई है जबकि गैर-संबद्ध देशों के आयातों में लगभग 25% की गिरावट आई है। भारत में कुल आयात में केवल 12.80% की वृद्धि हुई है, जो कुल भारतीय मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप है। इसलिए, चीन के आयात गैर-संबद्ध देशों के आयातों के बाजार हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं न कि भारतीय बाजार हिस्से पर, जो कमोबेश उसी स्तर पर बना हुआ है।
 - xi. चीन के आयातों के पृथक्करण से पता चलता है कि आयातों में वृद्धि रुटाइल-सल्फेट से संबंधित है क्योंकि

- घरेलू स्तर पर रुटाइल-सल्फेट उपलब्ध नहीं है। रुटाइल-सल्फेट का आयात एक पसंद के बजाय एक आवश्यकता है।
- xii. कीमत कटौती अपने आप में क्षति का ऐसा संकेतक नहीं हो सकती जो वास्तविक क्षति की ओर ले जाए। निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) का निर्धारण एक व्यावसायिक निर्णय है, इसलिए घरेलू उद्योग की आंतरिक अक्षमता, जिसके कारण उत्पादन की उच्च लागत और उच्च एनएसआर हो सकता है, क्षति या काफी अधिक क्षति का दावा करने का कारण नहीं हो सकती है।
- xiii. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के अनुसार, केएमएमएल ने ऐसी कीमत निर्धारण प्रथाओं को बनाए रखा है जो परिवर्तनीय लागतों की वसूली सुनिश्चित करती हैं, जो कीमत ह्रास या कीमत न्यूनीकरण के दावों का खंडन करती हैं।
- xiv. केएमएमएल ने वित्तीय वर्ष 2006-07 से अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार नहीं किया है, जबकि वह भारत में रुटाइल टीआईओ2 का एकमात्र घरेलू उत्पादक है। उपभोक्ता उद्योग की ओर से निरंतर और बढ़ती मांग के बावजूद, केएमएमएल की क्षमता समान बनी हुई है। क्षमता उपयोग के आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ केएमएमएल का निष्पादन सुसंगत रहा है, जिससे उत्पादन या क्षमता उपयोग में कोई बदलाव नहीं दिखता है।
- xv. क्षति की अवधि के दौरान केएमएमएल की बिक्री कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन लागत में कमी आई है, जो यह दर्शाता है कि केएमएमएल वर्तमान में ऐसे प्रतिकूल वित्तीय प्रभावों का सामना नहीं कर रहा है जिसके लिए शुल्क लगाने की आवश्यकता हो।
- xvi. केएमएमएल ने 2019-20 से 2022-23 तक पीयूसी सहित सभी खंडों में क्रमशः 120% और 20% का सकल लाभ दर्ज किया है। इस प्रकार, लाभप्रदता में गिरावट के संबंध में किए गए दावे योग्यता से रहित हैं और अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।
- xvii. मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित 4,00,000 मीट्रिक टन की क्षमता प्राप्त करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग कथित तौर पर आंतरिक अक्षमताओं और ऋणों के कारण वित्तीय रूप से बाधित है, ऐसा निवेश अत्यधिक असंभावित प्रतीत होता है।
- xviii. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और बिक्री कीमत में मामूली वृद्धि हुई है, जो घरेलू उद्योग के निष्पादन में स्थिरता और सुधार का संकेत देती है, जिससे इस दावे का खंडन होता है कि घरेलू उद्योग क्षति का सामना कर रहा है।
- xix. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में वृद्धि मामूली रही है और इसे वास्तविक क्षति के खतरे के दावे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।
- xx. भारत विदेशी निर्यातकों के लिए असाधारण रूप से उच्च विकास वाला या आकर्षक बाजार नहीं है, क्योंकि हाल के वर्षों में मांग अपेक्षाकृत स्थिर रही है और यह विदेशी निर्यातकों के लिए काफी अधिक या बढ़ती आकर्षण क्षमता का संकेत नहीं देती है।
- xxi. घरेलू उद्योग ने चीन में स्थापित उस वास्तविक क्षमता पर विश्वसनीय आकड़ों को प्रदान नहीं किया है जो पीयूसी के उत्पादन के लिए समर्पित है, न कि टीआईओ2 के उन ग्रेडों के लिए जो इस जांच के दायरे में नहीं हैं; जिसकी अनुपस्थिति में, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के अतिरिक्त क्षमताओं के काल्पनिक दावों को नजरअंदाज कर देना चाहिए।

- xxii. कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगाया गया लॉकडाउन घरेलू उद्योग के निष्पादन में एक कारक है और यह पाटित वस्तुओं तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच किसी भी कारणात्मक संबंध की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। केएमएमएल की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट में कोविड से संबंधित खर्चों में वृद्धि की बात कही गई है, जिससे कंपनी की लागत बढ़ गई होगी।
- xxiii. घरेलू उद्योग के पास कथित सब्सिडियों से होने वाली किसी भी क्षति को दूर करने का विकल्प मौजूद है, जिसके लिए वह एक अलग सब्सिडीरोधी याचिका दायर कर सकता है। वर्तमान पाटनरोधी मूल्यांकन में सब्सिडीकरण जैसे कि निर्यात कर छूट, के कारण कथित रूप से हुई किसी भी क्षति को शामिल करना अनुचित होगा।
- xxiv. घरेलू उद्योग अपनी ब्याज लागतों में भारी वृद्धि के कारण अक्षम है, जिसने घरेलू उद्योग की बढ़ती बिक्री लागत में काफी अधिक योगदान दिया होगा, जिससे पिछला लाभ घाटे में बदल गया और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई।
- xxv. घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से एलबी ग्रुप से हुई क्षति पर प्रकाश डाला है। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एलबी ग्रुप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, जिससे उसकी लागत संरचना अधिक प्रतिस्पर्धी है। केएमएमएल खरीदे गए कच्चे माल पर निर्भर करता है और इसलिए वह अपने कच्चे माल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में असमर्थ है। केएमएमएल की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि कच्चे माल की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो बिक्री में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं है, जो अक्षमताओं को दर्शाती है।

ट.1.बी प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान कार्यवाहियों में क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

- i. भारत की घरेलू क्षमता 82,500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, किंतु वास्तविक उत्पादन लगभग 47,000 मीट्रिक टन है, जिससे 300,000 मीट्रिक टन से अधिक की कमी उत्पन्न होती है जिसे आयातों द्वारा पूरा किया जाता है; यह आपूर्ति की समस्याओं को दर्शाता है न कि पाटन के कारण हुई क्षति को।
- ii. घरेलू उद्योग का दावा है कि टीटीपीएल, आर-एस का उत्पादन कर सकता है और उसने इसे बेचा है, किंतु टीटीपीएल की 10,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता मुख्य रूप से ए-एस के लिए है और उत्पादित कोई भी स्टाइल बिना कोटिंग वाला होता है तथा प्रीमियम पेंट और उच्च श्रेणी के प्लास्टिक के लिए तकनीकी रूप से अनुपयुक्त होता है। आर-एस के आयातों के कारण क्षति के दावे अमान्य हैं और घरेलू उद्योग को आर-एस के आयातों के कारण हुई क्षति की पुष्टि के लिए पेंट निर्माताओं को की गई आर-एस की बिक्री दर्शाने वाले बीजक प्रदान करने चाहिए।
- iii. दावा की गई 82,500 मीट्रिक टन की घरेलू क्षमता, 4,00,000 मीट्रिक टन की कुल भारतीय मांग के मुकाबले 47,000 मीट्रिक टन के वास्तविक उत्पादन से विरोधाभास रखती है, जिसके परिणामस्वरूप आयातों पर 88% की निर्भरता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वास्तविक उत्पादन अक्षमताओं के कारण केवल 57% क्षमता उपयोग को दर्शाता है।
- iv. केएमएमएल, आर-एस का उत्पादन नहीं करता है और केवल आर-सी का उत्पादन करता है, जो कि वह ग्रेड नहीं है जिसकी आवश्यकता 15,000 एमएसएमई को होती है। इसके अलावा, प्रशासनिक बाधाओं के

- कारण क्षमता विस्तार योजनाओं में देरी हुई है, जिसका अर्थ है कि यह भौतिक रूप से 3,00,000 मीट्रिक टन की कमी की आपूर्ति नहीं कर सकता।
- v. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति ट्रोनोंक्स और केमूरस से है, न कि चीन से, क्योंकि शुल्क लगाने के बाद दोनों निर्यातकों ने अपनी कीमतों में भारी कटौती की है और कीमतें पहले की 2,900 अमरीकी डॉलर/मीट्रिक टन की तुलना में गिरकर 600-700 अमरीकी डॉलर/मीट्रिक टन तक आ गई हैं। बिक्री के बाद क्रेडिट नोट जारी करके इस कीमत कटौती को प्राधिकारी से छुपाया गया था। ये कीमतें इसलिए काफी अधिक थीं क्योंकि वे पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद चीन के टीआईओ2 की पहुंच कीमत से कम थीं और वे केएमएमएल की कीमतों से काफी कम हैं।
 - vi. ट्रोनोंक्स ने अनुरोध किया कि ब्राजील, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब में भारत के शुल्क की तुलना में अधिक शुल्क लगाए जाने के कारण व्यापार का मार्ग बदल गया है, जिससे चीन के निर्यातक भारी मात्रा (लगभग 150,000 मीट्रिक टन वार्षिक) भारतीय बाजार की ओर भेज रहे हैं, जहां शुल्क सबसे कम हैं।
 - vii. ट्रोनोंक्स ने अनुरोध किया कि चूंकि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतिम जाँच परिणाम को रद्द कर दिया है, इसलिए प्राधिकारी अब गोपनीयता के मुद्दों के साथ-साथ एनआईपी, कारणात्मक संबंध और क्षति मार्जिन के संबंध में जाँच परिणाम पर पुनर्विचार करने के लिए कानूनी रूप से हकदार हैं।
 - viii. नियम 5 और 6 के अंतर्गत, घरेलू उद्योग को सत्यापन योग्य आकड़ों के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध को साबित करना होगा, और गोपनीयता के अंतर्गत आकड़ों को नहीं बताना आयातकों के उत्तर देने के अधिकार की अनदेखी करता है।
 - ix. घरेलू उद्योग यह साबित करने में विफल रहा कि उसे जो क्षति हुई वह विशेष रूप से पाटित आयातों के कारण हुई थी, जैसा कि डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 3.5 और नियम 11(2) के अंतर्गत आवश्यक है। कच्चे माल की कीमतों में बदलाव और घरेलू अक्षमताओं जैसे अन्य कारकों को उचित रूप से अलग नहीं किया गया, जिससे कारणात्मक संबंध अपर्याप्त हो गया है।
 - x. केवल सत्यापित, अगोपनीय साक्ष्यों का उपयोग करके समान वस्तु और क्षति विश्लेषण का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

ट.2. घरेलू उद्योग के विचार

ट.2.क मूल कार्यवाही में घरेलू उद्योग के विचार

109. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे:

- i. मांग में वर्ष 2021-22 तक लगातार वृद्धि हुई किंतु वर्ष 2022-23 में और जांच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई।
- ii. आधार वर्ष से जांच की अवधि तक संबद्ध देश से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- iii. आयातों में वृद्धि समग्र और सापेक्ष दोनों रूपों में काफी अधिक है।
- iv. भारतीय उत्पादन और उपभोग के संबंध में संबद्ध देश से आयातों की हिस्सेदारी क्षति की अवधि के दौरान लगातार बढ़ी है।
- v. कुल भारतीय मांग में संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 57% है।

- vi. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से करके कीमत कटौती का निर्धारण किया गया था। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- vii. बिक्री की लागत में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई, जिसके बाद जांच की अवधि में इसमें मामूली गिरावट देखी गई। बिक्री कीमत में वर्ष 2021-22 तक वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि तक कमी आई। इसलिए, संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं।
- viii. क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।
- ix. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ा है, तथापि उसके बाद से जांच की अवधि तक इसमें भारी गिरावट आई।
- x. देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, घरेलू उद्योग बहुत कम क्षमता उपयोग स्तर पर कार्य कर रहा है।
- xi. घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2021-22 तक वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 में गिरावट आई और जांच अवधि में वृद्धि देखी गई।
- xii. क्षति की अवधि के दौरान आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों का हिस्सा बढ़ा है और वह 50% से अधिक है। संबद्ध आयातों ने मांग में अन्य देशों के हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है।
- xiii. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में, कोविड और कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को आधार वर्ष में घाटा उठाना पड़ा।
- xiv. वर्ष 2021-22 में, घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद लाभ और एक उचित आरओआई अर्जित करना शुरू किया। तथापि, वर्ष 2022-23 में इसे भारी घाटा होने लगा, जो जांच अवधि में भी जारी रहा, जहां संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में काफी गिरावट आने लगी थी। जांच अवधि में घरेलू उद्योग का आरओआई ऋणात्मक *** % था।
- xv. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उत्पादन में कमी के बावजूद जांच अवधि में मालसूची *** मीट्रिक टन के स्तर पर है।
- xvi. क्षति की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में मामूली गिरावट आई है।
- xvii. प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष से बढ़कर 2021-22 तक पहुंची, तथापि उसके बाद से उत्पादन के रुझान के अनुरूप जांच अवधि तक इसमें भारी गिरावट आई।
- xviii. संबद्ध आयातों ने कीमत और लाभप्रदता मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- xix. संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि हुई है, जो भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर से भी अधिक है; इसमें उस नए उत्पादक को भी शामिल किया गया है जिसने जांच अवधि के बाद संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है।
- xx. क्षति को समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना चाहिए क्योंकि पीयूसी को 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड' के रूप में परिभाषित किया गया है और क्षति विश्लेषण पूरे उत्पाद के लिए माना जाना चाहिए।
- xxi. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना एनाटेस और स्टाइल ग्रेड के आधार पर की गई है, क्योंकि वे पहचाने गए हैं और टीआईओ2 के किसी भी अज्ञात ग्रेड पर विचार नहीं किया गया है।
- xxii. कीमत कटौती की गणना करने के लिए, आयातों की कुल मात्रा पर विचार किया गया है।
- xxiii. चीन के आयातों की पहुंच कीमत में वर्ष 2021-22 के बाद गिरावट आई, जबकि गैर-चीन के आयातों की पहुंच कीमत में, विशेष रूप से जांच अवधि में, काफी वृद्धि हुई।
- xxiv. जैसे-जैसे अन्य देशों से आयातों में कमी आई, वैसे-वैसे चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई।
- xxv. क्षति की अवधि के दौरान स्टॉक में वृद्धि लगभग 50 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ रुपये हो गई है।
- xxvi. घरेलू उद्योग के घटकों में से एक के लिए जांच अवधि में क्षमता उपयोग केवल 32% है, जबकि एक अन्य आवेदक

का दो अलग-अलग पीसीएन के लिए क्षमता उपयोग 32% है।

- xxvii. घरेलू उद्योग लागत के उतार-चढ़ाव के बजाय पहुंच कीमत के उतार-चढ़ाव का पालन करने के लिए मजबूर था, जिसके कारण लागत में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 2022-23 में बिक्री कीमत को कम करना पड़ा। तथापि, पहुंच कीमत बहुत कम थी और लागत से कम थी तथा जांच अवधि में इसमें और गिरावट आई।
- xxviii. केएमएमएल को कर-पूर्व लाभ में लगभग *** करोड़ रुपये और ब्याज व कर-पूर्व लाभ में लगभग *** करोड़ रुपये की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जबकि इसकी ब्याज लागत में केवल *** करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- xxix. केएमएमएल की नीति का जो संदर्भ दिया गया है वह परिवर्तनीय लागतों के संबंध में है न कि पूर्ण लागतों के संबंध में, और यह पूर्ण लागतों की उपेक्षा करता है, यह जानते हुए कि बाजार की शक्तियाँ पूर्ण लागतों की वसूली की अनुमति नहीं दे सकती हैं।
- xxx. कोविड से संबंधित खर्च शुरू में वर्ष 2021 में केरल सरकार के आदेशों के अनुसार किया गया था। वर्ष 2022-23 में भुगतान की गई राशि कंपनी के सीएसआर दायित्वों के हिस्से के रूप में योगदान की जाने वाली राशि को पूरा करने के लिए केवल एक आंशिक भुगतान था। इसके अलावा, सीएसआर खर्चों को लाभ की रिपोर्टिंग के लिए भी विचार में नहीं लिया जाता है और इन्हें कर-पश्चात लाभ से पूरा किया जाता है।

ट.2.ख वर्तमान प्रतिप्रेषण पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में घरेलू उद्योग के विचार

110. घरेलू उद्योग ने वर्तमान कार्यवाहियों में क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- चीन के उत्पादकों की पाटन प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है।
 - वित्तीय दबाव के कारण मौजूदा क्षमता का कम उपयोग हुआ है और नियोजित विस्तार योजनाओं में देरी हुई है, जिसने घरेलू उद्योग के विकास को प्रभावित किया है और भारत में टीआईओ2 की बढ़ती मांग को पूरा करने की उसकी क्षमता में बाधा डाली है।
 - देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, घरेलू उद्योग केवल 56% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है।
 - कीमत कटौती की चुनौतियों के साथ-साथ बढ़ती आयात मात्रा ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है।
 - शुल्क की सीमित मात्रा संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में दीर्घकालिक क्षमता उपयोग और निवेश की अनदेखी करने का जोखिम उत्पन्न करती है।
 - भारतीय प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसित शुल्क और यूरोपीय संघ, ब्राजील व सऊदी अरब के व्यापार उपचारात्मक प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसित एवं लगाए गए शुल्क के बीच काफी अधिक अंतर है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए अनुरोधों को संज्ञान में लिया है और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा इसके बाद किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।
112. नियमावली के नियम 11 के साथ पठित अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि क्षति के निर्धारण में उन कारकों की

जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत दे सकते हैं, जिसमें सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाला परिणामी प्रभाव शामिल है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी अधिक कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी अधिक सीमा तक कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी अधिक सीमा तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

ट.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

113. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से होने वाले आयातों के कुल योग के रूप में परिभाषित किया है। पीयूसी के लिए मांग इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देश चीन से आयात -	एमटी	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
सूचीबद्ध		100	117	138	154
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
सूचीबद्ध		100	121	96	83
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	एमटी	46,855	47,913	38,998	47,223
सूचीबद्ध		100	102	83	101
भारतीय मांग	एमटी	3,40,727	397,352	383,525	396,699
सूचीबद्ध		100	117	113	116

114. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि तक इसमें मामूली गिरावट आई। आधार वर्ष 2020-21 की तुलना में संबद्ध देश से होने वाले आयातों में 54% की काफी अधिक वृद्धि हुई है।

ट.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) समग्र और सापेक्ष संदर्भों में आयात

115. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या उपभोग के संबंध में कोई अधिक वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के अंतिम रूप से निर्धारित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के आधार पर आंकड़ों पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसकी हिस्सेदारी निम्नानुसार रही है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आयात मात्रा					
संबद्ध देश – चीन	एमटी	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
सूचीबद्ध		100	117	138	154
अन्य देश	एमटी	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
सूचीबद्ध		100	121	96	83
कुल आयात मात्रा	एमटी	2,93,872	3,49,439	3,44,527	3,49,476
सूचीबद्ध		100	119	117	119
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	50	49	59	65
सूचीबद्ध		100	99	118	130
भारतीय उत्पादन	%	287	302	433	494
सूचीबद्ध		100	105	151	172
भारतीय मांग	%	43	43	53	57
सूचीबद्ध		100	100	123	133

116. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में काफी अधिक वृद्धि देखी गई है। अन्य देशों से होने वाले आयातों में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, किंतु उसके बाद जांच अवधि तक इसमें तीव्र गिरावट आई।
- ख. कुल आयातों में चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयातों की हिस्सेदारी पहले से ही काफी अधिक थी। इसके अलावा, क्षति की अवधि के दौरान इसमें और वृद्धि हुई, तथा अन्य देशों से होने वाले आयातों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- ग. भारतीय उत्पादन और उपभोग के संबंध में संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ. यह देखा जा सकता है कि मांग में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

ट.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

117. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित तौर पर पाटित आयातों द्वारा काफी अधिक कीमत कटौती की गई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती।
118. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़े प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

119. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों के पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों की कीमतों में काफी अधिक अंतर है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित पीसीएन पर विचार करते हुए, तुलनीय प्रकारों के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ आयातों के पहुंच कीमत की तुलना की है। इस प्रकार, संबंधित आयात मात्राओं पर विचार करने के बाद भारत औसत निर्धारित किया गया है और इसे नीचे दिया गया है-

विवरण	यूनिट	एएस-	आर-एस	आर-सी	भारत औसत
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,78,574	2,01,911	2,26,934	2,05,197
निवल बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	₹/एमटी	***	(***)	***	(***)
कीमत कटौती	%	***	(***)	***	(***)
कीमत कटौती	रेंज	0-10	ऋणात्मक	5-15	ऋणात्मक

120. यह देखा गया है कि आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे हैं।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

121. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, आवेदकों ने (क) बिक्री लागत, (ख) घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में जानकारी प्रदान की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,74,761	2,61,253	2,33,166	2,05,197
सूचीबद्ध		100	149	133	117
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	110	147	135
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	133	124	113

122. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा, जहां बिक्री कीमत वर्ष 2021-22 तक बिक्री लागत से अधिक थी, वहीं वर्ष 2022-23 और जांच अवधि में यह घटकर बिक्री लागत के स्तर से नीचे आ गई। आयातों की पहुंच कीमत में उतार-चढ़ाव का रुख दिखाई देता है, जिसमें वर्ष 2021-22 में काफी अधिक वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि के दौरान गिरावट आई। जांच अवधि में आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत से काफी कम थी। बिक्री कीमत का रुझान कीमत न्यूनीकरण को भी दर्शाता है, क्योंकि बिक्री लागत के ऊंचे स्तर पर बने रहने के बावजूद, यह वर्ष 2021-22 में अपने उच्चतम स्तर (***) प्रति मीट्रिक टन)

से गिरकर जांच अवधि के दौरान (***) प्रति मीट्रिक टन) पर आ गई। इस प्रकार, संबद्ध आयात घरेलू बाजार में काफी अधिक कीमत ह्रास का कारण बन रहे हैं।

ट.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

123. नियमावली का अनुबंध-II यह प्रावधान करता है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास और पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

124. जांच अवधि में आवेदकों के निष्पादन की तुलना आधार वर्ष में उनके निष्पादन से की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

125. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	82,500	82,500	82,500	82,500
सूचीबद्ध		100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	51,221	56,956	46,811	45,944
सूचीबद्ध		100	111	91	90
क्षमता उपयोग	%	62	69	57	56
सूचीबद्ध		100	111	92	90
घरेलू उद्योग	एमटी	46,855	47,912	38,999	47,223
सूचीबद्ध		100	102	83	101

126. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी तरह से स्थिर रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष से 2021-22 तक वृद्धि हुई, किंतु उसके बाद से जांच अवधि तक इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई।
- ग. देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, आवेदक कम क्षमता उपयोग स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
- घ. देशव्यापी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग कम था।
- ङ. घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2021-22 तक वृद्धि हुई, वर्ष 2022-23 में गिरावट आई और जांच अवधि में फिर से वृद्धि हुई।

ख) मांग में बाजार हिस्सेदारी

127. संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देश	%	43.1	43.3	52.9	57.2
सूचीबद्ध		100	100	123	133
अन्य देश	%	43.1	44.6	36.9	30.9
सूचीबद्ध		100	103	86	72
घरेलू उद्योग	%	13.8	12.1	10.2	11.9
सूचीबद्ध		100	102	74	87

128. क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में काफी अधिक वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि संबद्ध देश से होने वाले आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, तथा गैर-संबद्ध देशों से होने वाले आयातों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

129. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, व्याज और कर पूर्व लाभ, तथा निवेश पर आय का विश्लेषण किया गया है और वे निम्नानुसार थे:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	110	147	135
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	133	124	113
लाभहानि प्रति/ यूनिट	₹/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	476	(327)	(307)
लाभ हानि/(पीबीटी)	₹ लाख	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध		100	1,220	(872)	(1007)
पीबीआईटी – घरेलू बिक्री	₹ लाख	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध		100	923	(620)	(707)
पीबीआईटी – प्रति यूनिट	₹/एमटी	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध		100	434	(278)	(259)
नकद लाभ – घरेलू बिक्री	₹ लाख	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध		100	691	(454)	(513)
नकद लाभ – प्रति यूनिट	₹/एमटी	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध		100	387	(242)	(226)

निवेश पर आय	%	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध		100	829	(512)	(552)

130. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति की अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई, जबकि बिक्री कीमत में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच अवधि तक इसमें लगातार गिरावट आई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभ में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें भारी गिरावट आई, जिससे काफी अधिक वित्तीय घाटा हुआ। जांच अवधि में इस वित्तीय घाटे में और वृद्धि हुई है।
- ख. लाभ में गिरावट के परिणामस्वरूप, क्षति की अवधि के दौरान नकद लाभ में काफी अधिक गिरावट आई। घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 और जांच अवधि में नकद घाटा उठाना पड़ा है।
- ग. निवेश पर आय का रुझान भी ब्याज और कर पूर्व लाभ के समान ही रहा है। क्षति की अवधि के दौरान निवेश पर आय में काफी अधिक गिरावट आई। जांच अवधि में आरओआई नकारात्मक *** % पर था।
- घ. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से वर्ष 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम रही थी। किसी भी स्थिति में, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में जांच अवधि तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक गिरावट आई।

घ) मालसूची

131. क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	54	139	363
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	259	418	451
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	126	237	394

132. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में अत्यधिक काफी अधिक वृद्धि हुई है।

ड) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

133. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	99	96	99
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	84	82	83
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	113	95	91
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/ दिन	***	***	***	***

सूचीबद्ध		100	111	91	90
----------	--	-----	-----	----	----

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान की गई मजदूरी में कमी आई है। प्रति कर्मचारी उत्पादकता में आधार वर्ष से 2021-22 तक वृद्धि हुई और वर्ष 2022-23 तथा जांच अवधि में इसमें गिरावट आई।

च) वृद्धि

135. यह देखा गया है कि आयातों के कारण मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	पीओआई
क्षमता	वर्षवर्ष/	0%	0%	0%
उत्पादन	वर्षवर्ष/	11%	-18%	-2%
विक्री	वर्षवर्ष/	2%	-19%	21%
पीबीटी	वर्षवर्ष/	1119%	-163%	17%
पीबीआईटी	वर्षवर्ष/	823%	-156%	-17%
नकद लाभ	वर्षवर्ष/	591%	-151%	-17%
आरओआई	वर्षवर्ष/	729%	-150%	-10%

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

136. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, और घरेलू बाजार में पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों की जांच की है जो घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात ही है।

ज) पूंजी जुटाने की क्षमता

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही घरेलू उद्योग में भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु नए निवेश जुटाने की क्षमता है, किंतु घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ रहा है और घाटे का सामना कर रहा है। संबद्ध वस्तुओं के पाटन ने घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि नई कंपनियाँ विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उद्योग में निवेश करने की योजना बना रहे हैं और निवेश कर रहे हैं, किंतु वे पाटित आयातों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ हैं।

झ) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

138. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

ड. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

139. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे। प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि क्या वे उसी समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि दूसरों द्वारा पहुंचाई गई क्षति, यदि कोई हो, का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जाए। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई संबद्ध वस्तुओं की मात्रा, मांग में संकुचन या उपभोग की प्रवृत्ति में बदलाव, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में बदलाव, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

i) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

140. यह देखा गया है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात काफी अधिक है। तथापि, वे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर हैं। इसलिए, अन्य देशों से होने वाले आयात घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण नहीं हैं।

ii) मांग में संकुचन

141. क्षति की अवधि के दौरान मांग में लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, मांग में गिरावट क्षति का कारण नहीं है।

iii) उपभोग की प्रवृत्ति में बदलाव

142. क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

iv) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

143. जांच में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई बदलाव या कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं सामने नहीं आई हैं।

v) प्रौद्योगिकी में विकास

144. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

vi) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

145. प्रदान की गई जानकारी पर घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालन के लिए विचार किया गया है।

vii) अन्य उत्पादों का निष्पादन

146. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उसी को अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।

ड.1. क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित निष्कर्ष

147. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का पता चलता है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित होता है:

- i. आयातों में समग्र और सापेक्ष दोनों प्रकार से वृद्धि हुई है।
- ii. क्षति की अवधि के दौरान बिक्री लागत में हुई वृद्धि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से अधिक है, और वर्ष 2022-23 तथा जांच अवधि में बिक्री कीमत बिक्री लागत के स्तर से नीचे चली गई है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत वर्ष 2021-22 तक बढ़ी और वर्ष 2022-23 तथा जांच अवधि में गिरावट आई, जिससे घरेलू बाजार में कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण हुआ।
- iii. पाटन के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग की क्षमता अप्रयुक्त रहने के बावजूद संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी 57 % रही है।
- v. क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन कम होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ रही है और जांच अवधि में इसमें काफी अधिक वृद्धि हुई है।
- vi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 और जांच अवधि में घाटा हुआ है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग का आरओआई काफी कम है।

148. उपरोक्त विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति का सामना कर रहा है। संबद्ध देश में मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।
149. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या किसी अन्य कारक ने क्षति पहुंचाई है। आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि वर्ष 2022-23 से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगातार लागत से नीचे रही है, जबकि आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत से काफी कम रही है, जिससे काफी अधिक कीमत ह्रास हुआ है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ठोस साक्ष्यों के साथ अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि नहीं की।

ढ. क्षति मार्जिन की मात्रा

ढ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

150. वर्तमान जाँच में क्षति मार्जिन के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ढ.2. घरेलू उद्योग के विचार

151. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जाँच में क्षति मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:
- अंतिम जाँच परिणाम में अनुशंसित क्षतिरहित कीमत और परिणामस्वरूप अनुशंसित शुल्क काफी कम था तथा घरेलू उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के संबंध में चिंताजनक है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सभी खर्चों की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई थी कि खर्चों को पूरी तरह से सत्यापित नहीं किया जा सका।
 - क्षमता उपयोग 55 % होने और संबद्ध आयातों द्वारा कीमतों पर दबाव के कारण, व्यवहार्य क्षमता उपयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल करने के लिए अधिक शुल्क आवश्यक हैं।
 - प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर खर्चों के साक्ष्य प्रदान किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि ऐसे खर्चों को अस्वीकार/नामंजूर किया जाए।

ढ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

152. प्राधिकारी यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करते हैं। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर किया जाना है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति की अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण या गैर-आवर्ती खर्चों को बाहर रखा गया है। नियमावली के अनुबंध-III में यथा निर्धारित क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल स्थिर संपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर कर-पूर्व लाभ के रूप में एक उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग से क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है।
153. यह नोट किया गया है कि कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में मानने और इस प्रकार उनके लिए एक एकल क्षति मार्जिन स्थापित करने की प्राधिकारी की एक निरंतर प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग क्षति मार्जिन की गणना करने से पाटनरोधी उपायों की परिवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे वे अप्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि संबंधित निर्यातक उत्पादक सबसे कम अलग क्षति मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को भेजने में सक्षम हो जाएंगे।

154. उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई माना जाता है और उन्हें एक एकल क्षति मार्जिन प्रदान किया जाता है जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।
155. उपरोक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	एनआईपी (अमडा./एमटी)	पहुंच मूल्य (अमडा./एमटी)	क्षति मार्जिन (आईएम) (अमडा./एमटी)	आई एम (%)	आई एम रेंज
1.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड (ग्रुप)	***	***	***	***	20-30
2.	मेसर्स अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड					
3.	मेसर्स शेंडोंग जिन्हाई टाइटेनियम रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
4.	मेसर्स शेंडोंग शियानघाई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड					
5.	मेसर्स एलबी शियानयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
6.	मेसर्स एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड					
7.	मेसर्स एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड					
8.	मेसर्स एलबी ग्रुप कंपनी लिमिटेड					
9.	मेसर्स हेनान बिलियंस एडवांस्ड मटेरियल कंपनी लिमिटेड					
10.	गैर नमूनाकृत सहयोगी- उत्पादकनिर्यातकर्ता/	***	***	***	***	15-25
11.	अवशिष्ट	***	***	***	***	25-35

ण. वास्तविक क्षति का खतरा

156. घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति के खतरे का दावा किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की जांच की, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:

"वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए न कि केवल अभिकथन, अनुमान या दूरस्थ संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पाटन के कारण क्षति होगी, स्पष्ट रूप से पूर्वपेक्षित और आसन्न होना चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी का निर्धारण करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर जो काफी अधिक मात्रा में आयात होने की संभावना को दर्शाती है;

ख. निर्यात की पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता अथवा क्षमता में आसन्न एवं भारी वृद्धि जो भारतीय बाजार में काफी अधिक मात्रा में पाटित आयातों की संभावना को दर्शाती है, जिसमें किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा;

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी अधिक ह्रासकारी या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और जिससे आगे और अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना होगी; और

घ. जांच के अधीन वस्तु की मालसूची।"

ण.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

157. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर केवल 4% रही है और इसे खतरे की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त काफी अधिक नहीं माना जा सकता है।
- ii. सापेक्ष और समग्र दोनों रूपों में आयातों में सीमांत वृद्धि वास्तविक क्षति के खतरे के दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- iii. स्थिर मांग के कारण संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत कोई असाधारण रूप से उच्च-विकास वाला या आकर्षक बाजार नहीं है।
- iv. स्थिर मांग चीन के निर्यातकों सहित विदेशी निर्यातकों के लिए किसी काफी अधिक या बढ़ते आकर्षण को नहीं दर्शाती है।
- v. खतरा आसन्न और स्पष्ट रूप से पूर्वपेक्षित दोनों होना चाहिए और केवल अधिशेष उत्पादन क्षमता का अस्तित्व इस मानदंड को पूरा नहीं करता है।
- vi. घरेलू उद्योग ने खाद्य या फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग किए जाने वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड के ग्रेड की तुलना में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए समर्पित चीन में वास्तविक स्थापित क्षमता पर विश्वसनीय आकड़े प्रदान नहीं किये हैं।

vii. विचाराधीन उत्पाद और अन्य टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रकारों के लिए चीन की क्षमताओं के संबंध में वर्गीकृत आकड़ों की कमी के कारण, चीन में संबद्ध वस्तुओं के लिए समर्पित उत्पादन की सीमा को समझने में एक कमी रह जाती है।

viii. घरेलू उद्योग के घटकों में से एक की यह स्थापित नीति है कि वह विचाराधीन उत्पाद की कीमत को उसकी उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से ऊपर रखे, जो वास्तविक क्षति के खतरे के अस्तित्व के दावों का खंडन करता है।

ण.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

158. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. मांग में वृद्धि की तुलना में क्षति अवधि के दौरान आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। जांच अवधि में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जबकि मांग में गिरावट आई।
- ii. रूटाइल ग्रेड के आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई।
- iii. जांच अवधि के बाद संबद्ध देश के आयात की मात्रा और कीमतें सुसंगत रही हैं।
- iv. संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन की क्षमता लगभग 55 लाख मीट्रिक टन है, जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की वैश्विक क्षमता का 56% है। अकेले एक चीन के निर्यातक की क्षमता 15 लाख मीट्रिक टन है।
- v. चीन जनवादी गणराज्य की घरेलू मांग कमजोर है, जिससे निर्यात के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता प्रदर्शित होती है।
- vi. सार्वजनिक डोमेन की जानकारी से पता चलता है कि कमजोर मांग के बावजूद चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के स्तर में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि देखी गई है।
- vii. चीन की सरकार चीन में उत्पादकों और निर्माताओं को भारी सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में विकृतियां पैदा होती हैं, जो इनपुट लागतों को काफी अधिक रूप से प्रभावित करती हैं।
- viii. दुनिया भर के विभिन्न न्यायालयों ने चीन जनवादी गणराज्य से टाइटेनियम डाइऑक्साइड के आयात के विरुद्ध उपाय लागू किए हैं, जो पाटित वस्तुओं के प्रति चीन के व्यवहार को दर्शाता है।
- ix. वैश्विक कार्रवाइयों के लागू होने के परिणामस्वरूप चीन के लिए एक सीमित निर्यात बाजार बचा है, जिसकी मांग पहले से ही कमजोर है, इसलिए यह संभावना पैदा होती है कि चीन अपनी अतिरिक्त क्षमता को भारतीय बाजार की ओर भेज देगा।
- x. संबद्ध वस्तुओं के चीन के उत्पादकों को वैश्विक कार्रवाइयों के कारण बाजार का नुकसान हुआ है, और ऐसी मात्रा के भारत में स्थानांतरित होने की संभावना है।

- xi. भारतीय बाजार कीमत के प्रति संवेदनशील है, और कम कीमत वाले आयातों की उपलब्धता का बाजार में उत्पाद की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इसलिए घरेलू उद्योग गंभीर क्षति के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- xii. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर हो रहे हैं, जिससे उसे अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और घरेलू उद्योग असुरक्षित हो रहा है।

ण.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

159. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के खतरे की जांच की है:

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर

160. आयात आकड़ों के विश्लेषण से यह देखा गया है कि भारत में आयातों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में आयातों में वृद्धि की दर काफी अधिक है। आयातों में 54% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 से जांच की अवधि तक आयात कीमतों में भी काफी अधिक गिरावट देखी गई है। गिरती कीमतों के साथ आयातों में काफी अधिक वृद्धि भविष्य में काफी अधिक मात्रा में आयात बढ़ने के खतरे को दर्शाती है।

ख. उत्पादकों के पास स्वतंत्र रूप से उपलब्ध क्षमता

161. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चीन जनवादी गणराज्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के लिए काफी अधिक मुक्त रूप से उपलब्ध क्षमता है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई उपलब्ध क्षमताएं अविश्वसनीय हैं और इन्हें पीयूसी और गैर-पीयूसी की क्षमता में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य के रूप में चीन के उत्पादकों की वेबसाइट⁴ पर भरोसा किया है, जिसके अलावा उन्होंने एक बाजार अनुसंधान रिपोर्ट पर भरोसा किया है। ऐसी जानकारी के अनुसार, केवल एक नमूना समूह के पास उपलब्ध क्षमता 15 लाख मीट्रिक टन है, जो इसे भारतीय मांग से लगभग तीन गुना बनाती है।
162. प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता और उत्पादन संबंधी जानकारी की तुलना की है। यह देखा गया है कि अकेले नमूना में शामिल उत्पादकों के पास *** मीट्रिक टन की अधिशेष क्षमता है, जो कुल भारतीय मांग के 85-95% के दायरे में है।

क्र.सं.	विवरण	गोल्ड स्टार ग्रुप	शैंडोंग ग्रुप	एलबी ग्रुप	कुल
1.	क्षमता	***	***	***	***
2.	उत्पादन	***	***	***	***
3.	अधिशेष	***	***	***	***

ग. ऐसी कीमतों पर आयात जो घरेलू कीमतों पर काफी अधिक ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव डालेंगे

163. जैसा कि लागत, बिक्री कीमत और आयातों के पहुंच कीमत के उतार-चढ़ाव से ऊपर नोट किया गया है, संबद्ध आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं। बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है, और वर्ष 2022-23 से बिक्री कीमत, बिक्री लागत के स्तर से नीचे बनी हुई है। आयातों के पहुंच मूल्य में वर्ष 2021-22 तक वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें काफी अधिक गिरावट आई, जबकि बिक्री लागत में वृद्धि जारी रही है।

4. <https://www.lomonbillions.global/key-facts/>

घ. मालसूची का स्तर

164. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास उपलब्ध मालसूची के स्तर का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा क्षति के खतरे का पता लगाने के लिए इस मानदंड की जांच नहीं की जा सकी।

ङ. अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचारात्मक कार्रवाइयां

165. यह देखा गया है कि ब्राजील, सऊदी अरब, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और यूरोपीय संघ सहित विभिन्न देशों ने चीन जनवादी गणराज्य से अपने देश में संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2018 से एक अतिरिक्त आयात शुल्क लागू किया है। यह विभिन्न बाजारों में वस्तुओं के पाटन की संबद्ध देश के उत्पादकों की प्रवृत्ति को उजागर करता है। विभिन्न देशों द्वारा की गई कार्रवाइयों को नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

क्र. सं.	दिनांक	देश	कार्रवाई	निर्यातक	शुल्क
1.	21 अक्टूबर	ब्राजील	अंतिम शुल्क	एलबी ग्रुप	578 अम डा/एमटी
				गोल्डस्टार ग्रुप	654 अम डा/एमटी
2.	9 अक्टूबर	सऊदी अरब	जाँच शुरूआत	--	--
3.	3 सितम्बर	यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन	अंतिम शुल्क	एलबी ग्रुप	14.27%
				शेंडोंग ग्रुप	16.25%
4.	10 जुलाई	यूरोपीय संघ	प्रारंभिक शुल्क	एल बी ग्रुप	39.7%
				गोल्डस्टार ग्रुप	14.4%

च. व्यापार उपचारात्मक कार्रवाइयों के कारण बाजार का नुकसान

166. प्राधिकारी के ध्यान में यह लाया गया है कि वैश्विक स्तर पर लागू की गई कार्रवाइयों के बदले में, चीन जनवादी गणराज्य को बाजार का नुकसान हुआ है। भारतीय बाजार की स्थिर मांग को देखते हुए, चीन के निर्यात के भारतीय बाजार में भेजे जाने की अत्यधिक संभावना है। यह इन उपायों को लागू किए जाने के कारण उन देशों को निर्यात की जाने वाली मात्रा के भारत में स्थानांतरित होने का एक विश्वसनीय खतरा पैदा करता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूओएम	2020	2021	2022	2023	2024
चीन का वैश्विक निर्यात	एमटी	12,91,858	13,88,669	14,68,805	16,93,380	10,04,541
चीन का भारत को निर्यात	एमटी	1,51,242	1,76,914	1,93,768	2,54,655	1,48,566

%हिस्सा	%	12%	13%	13%	15%	15%
विवरण	यूओएम	2020	2021	2022	2023	2024
चीन का यूरोपीय संघ को निर्यात	एमटी	2,03,459	2,26,531	2,22,034	2,61,734	1,71,596
चीन का अमेरिका को निर्यात	एमटी	18,227	13,118	20,418	15,619	8,986
चीन का ब्राज़ील को निर्यात	एमटी	1,08,344	1,02,322	96,014	1,20,989	76,978
चीन का सऊदी अरब को निर्यात	एमटी	13,606	10,721	17,152	23,678	15,209
भारत में स्थानांतरित होने वाली संभावित मात्रा	एमटी	3,43,635	3,52,692	3,55,619	4,22,020	2,72,769

(स्रोत: ट्रेडमैप)

छ. भारतीय उद्योग की सुभेद्यता

167. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय बाजार कीमत के प्रति संवेदनशील है और कम कीमत वाले आयातों के प्रति सुभेद्य है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबद्ध आयातों के पहुंच-कीमत में लगातार गिरावट आई है। इस स्थिति में, संबद्ध आयातों की पाटन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का यह मानना है कि उद्योग को गंभीर क्षति का एक वास्तविक खतरा मौजूद -है।

त. प्रकटन-पश्चात अनुरोध

त.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

168. जारी किए गए प्रकटन विवरण के उत्तर में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- प्रकटन विवरण न तो विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट करता है और न ही यह अनंतिम है, बल्कि प्रकटन के कई हिस्सों में अंतिम है। प्रकटन में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है जो यह दर्शाती है कि प्राधिकारी पहले ही अपने जाँच परिणाम तय कर चुके हैं, जो कि निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ (2017) में प्रतिपादित स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत है।
- माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश केवल गोपनीयता के सीमित मुद्दे और भरोसा की गई सामग्री का एक सार्थक अगोपनीय संस्करण प्रस्तुत करने की बाध्यता तक ही सीमित थे, तथा उन्होंने जांच को फिर से शुरू करने, नए साक्ष्य स्वीकार करने, या नए कानूनी तर्क पेश करने का अधिकार नहीं दिया था।
- प्राधिकारी ने मूल रिकॉर्ड से बाहर के मामलों पर भरोसा करके जांच के दायरे का अनुचित रूप से विस्तार किया है, जिसमें व्यापार नोटिस, गोपनीयता के लिए नए प्रस्तुत कारण, स्पष्टीकरण पत्र, विदेशी प्राधिकारियों के निर्धारण और ऐतिहासिक एवं पीओआई से पूर्व के लेनदेन शामिल हैं। यह घरेलू उद्योग के मामले को फिर से तैयार करने और

साक्ष्य संबंधी कमियों को अनुचित रूप से ठीक करने के समान है, जो प्रतिप्रेषण जाँच के स्थापित सिद्धांत के विपरीत है।

- iv. प्रकटन विवरण वैधानिक गोपनीयता ढांचे की अवहेलना से दूषित है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि गोपनीयता के दावे करते समय कोई समकालीन "उचित कारण" विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, और इसके समर्थन में विशिष्ट कारण केवल रिमांड के चरण में प्रदान किए गए हैं, जो वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन है।
- v. नियम 7(2), जाँच शुरुआत अधिसूचना, और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 6.5 के अंतर्गत "उचित कारण" विवरण की आवश्यकता एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं बल्कि एक न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधी पूर्व-शर्त है, जैसा कि ईसी - फास्टनर्स (और ग्वाटेमाला - सीमेंट II) में स्पष्ट किया गया है। इसकी अनुपस्थिति में, प्राधिकारी कानूनी रूप से गोपनीय सामग्री को पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए बाध्य थे और रिमांड कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत की गई कार्योंत्तर व्याख्याओं को स्वीकार करके बाद में इस दोष को मान्य नहीं कर सकते थे।
- vi. प्राधिकारी ने न केवल ऐसी सामग्री को स्वीकार किया है बल्कि ग्राहकों के नाम, बीजक और बिक्री के आंकड़ों पर पूर्ण गोपनीयता का समर्थन किया है, और इसके साथ ही वे गैर-अनुपालन के घातक परिणामों पर प्रतिवादियों के अनुरोधों पर विचार करने में विफल रहे हैं, जो एचआईआईआर और इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स में प्राधिकारी के दृष्टिकोण के विरोधाभासी है।
- vii. गोपनीयता के दावे की अमान्यता घरेलू उद्योग द्वारा रिमांड कार्यवाही के दौरान एक ग्राहक के रूप में 'एशियन पेंट्स' के स्वैच्छिक प्रकटन से और अधिक उजागर होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसी जानकारी का प्रकटन किया जा सकता है और इस तरह के प्रकटन से किसी अपूरणीय प्रतिस्पर्धी नुकसान का दावा अस्वीकार होता है।
- viii. प्राधिकारी की ओर से 19 मई के उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, जैसे कि आर-एस टाइटेनियम डाइऑक्साइड की व्यावसायिक बिक्री को प्रमाणित करने वाले अंतर्निहित मात्रात्मक और लेन-देन संबंधी आंकड़े, जिसमें ग्राहकों की पहचान, बेची गई मात्रा और ऐसी बिक्री की समय अवधि शामिल थी, तथा क्षतिरहित कीमत की गणना में नियोजित पूंजी पर 22% आय को अपनाने का तथ्यात्मक आधार भी शामिल था। आवश्यक जानकारी का प्रकटन किए बिना जारी किए गए निष्कर्ष और इस प्रकार आईपीए को ऐसी जानकारी की समीक्षा करने और उस पर टिप्पणी करने के उचित अवसर से वंचित करना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष जांच के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- ix. संपूर्ण प्रकटन विवरण इस दावे पर आधारित है कि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा व्यावसायिक मात्रा में आर-एस टीआईओ2 का निर्माण और बिक्री की गई थी, जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। घरेलू उद्योग के अपने आंकड़ों के सबसे अनुकूल पाठ के आधार पर भी, पीओआई के दौरान कथित रूप से बेची गई आर-एस टीआईओ2 की कुल मात्रा लगभग 430-440 मीट्रिक टन के दायरे में है, और संपूर्ण क्षति अवधि में लगभग 650 मीट्रिक टन है, जो कुल घरेलू मांग का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जो सालाना 0.15% से कम और क्षति अवधि के दौरान 0.05% से कम बैठता है।
- x. रिकॉर्ड पर पहचाने गए एकमात्र पेंट-क्षेत्र के खरीदार, एशियन पेंट्स ने विशेष रूप से परीक्षण और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए उत्पाद की खरीद की थी, और परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्पाद की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने पर क्षति अवधि और पीओआई से पहले, 2019 तक ऐसी खरीद बंद कर दी थी। इसलिए इन परीक्षण लेन-देन को माननीय सेस्टेट के टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2022) के निर्णय के अनुसार "व्यावसायिक बिक्री" नहीं माना जा सकता है।

- xi. प्राधिकारी ने ऐसी सामग्री पर भरोसा किया है जो कानून में अस्वीकार्य है और मूल रिकॉर्ड से बाहर की है, जिसमें घरेलू उद्योग का 7 फरवरी 2025 का पत्र शामिल है, जो निर्धारित समय सीमा के बाद दायर किया गया था, केवल गोपनीय रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसका कोई अगोपनीय संस्करण नहीं था, और मूल अंतिम जाँच परिणाम में इसका संदर्भ तक नहीं दिया गया था।
- xii. प्राधिकारी के निष्कर्ष मूल रिकॉर्ड पर नहीं, बल्कि ऐसी सामग्री पर आधारित हैं जिसका विरोध करने का प्रतिवादियों को कोई अवसर नहीं मिला, जिससे यह पूरी कवायद प्रक्रियात्मक रूप से अस्थिर हो जाती है।
- xiii. प्राधिकारी ने विनिमेयता को समरूपता के समतुल्य मानने में, और केवल उसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालने में कानून की भूल की है कि आर-एस और आर-सी टीआईओ2 नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं। ऐसा दृष्टिकोण डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 2.6 के अंतर्गत स्थापित बहु-कारक परीक्षण की उपेक्षा करता है, जिसके लिए भौतिक विशेषताओं, अंतिम-उपयोग, उपभोक्ता धारणा और प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापनीयता की जांच की आवश्यकता होती है।
- xiv. यह अनुरोध किया गया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, जिसमें परीक्षण मूल्यांकनों की विफलता और पेंट उद्योग में स्वीकृति की कमी शामिल है, यह दर्शाते हैं कि आर-एस टीआईओ2 एक विशिष्ट तकनीकी और कार्यात्मक भूमिका निभाता है और इसे घरेलू रूप से उत्पादित ग्रेड के साथ परस्पर प्रयोज्य नहीं माना जा सकता है।
- xv. विदेशी प्राधिकारियों के निर्धारणों पर प्राधिकारी का भरोसा उनके अपने स्थापित मत के असंगत है, जैसा कि सोलर सेल्स (2014) और डीओटीपी/डीईसीएच (2026) से संबंधित द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच जैसे अन्वेषणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विदेशी प्राधिकारियों के निष्कर्ष भारतीय प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- xvi. यह अनुरोध किया गया है कि रिकॉर्ड आर-एस टीआईओ2 के लिए घरेलू बाजार में एक स्पष्ट और संरचनात्मक मांग-आपूर्ति असंतुलन स्थापित करता है। घरेलू उद्योग की अधिकतम उत्पादन क्षमता 3,500-4,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के दायरे में है, जबकि कुल घरेलू मांग लगभग 3,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें अकेले पेंट उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 1,80,000 मीट्रिक टन है। प्राधिकारी ने पूर्व में अपर्याप्त घरेलू उत्पादन और डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर पड़ने वाले असंगत बोझ को देखते हुए एक ग्रेड को शुल्कों के दायरे से बाहर कर दिया था।
- xvii. पाटनरोधी व्यवस्था घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तु पर आधारित है जिसे पीओआई के दौरान व्यावसायिक रूप से निर्मित और आपूर्ति किया जाता है। यह उन उत्पाद ग्रेडों को संरक्षण प्रदान नहीं करती है जिन्हें घरेलू उद्योग न तो व्यावसायिक रूप से सार्थक मात्रा में उत्पादित करता है और न ही संगत बाजार खंड को आपूर्ति करता है।
- xviii. प्रकटन विवरण में अपनाया गया दृष्टिकोण समकालीन व्यावसायिक साक्ष्यों के बजाय ऐतिहासिक परीक्षण उत्पादन और क्षमता के कार्यान्वयन दावों पर भरोसा करना चाहता है, जो वैधानिक ढांचे और स्थापित न्यायशास्त्र दोनों के विपरीत है।
- xix. टीटीपीएल अनकोटेड रूटाइल ग्रेड का उत्पादन करता है, जो चीन से आयातित कोटेड रूटाइल ग्रेड की तुलना में गुणवत्ता में काफी घटिया है। इस प्रकार, टीटीपीएल का उत्पाद जांच के अधीन कोटेड रूटाइल (सल्फेट या क्लोराइड) ग्रेड के साथ तुलनीय या परस्पर प्रयोज्य नहीं है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे गुणवत्ता तुलना के संबंध में टीटीपीएल के पिछले ग्राहकों से सत्यापन करें।

- xx. प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि टीटीपीएल के पास सल्फेट पद्धति के माध्यम से रूटाइल टीआईओ₂ का उत्पादन करने की तकनीक और क्षमता है, पीओआई के दौरान वास्तविक उत्पादन और व्यावसायिक बिक्री स्थापित करने के लिए अपने आप में अपर्याप्त है, और घरेलू उद्योग को साक्ष्यों के साथ इसकी पुष्टि करने के लिए कहा जाना चाहिए।
- xxi. 200 से 350 एनएम की सीमा के भीतर के कण आकार से बाहर के टीआईओ₂ ग्रेडों को जांच के दायरे में नहीं माना जाना चाहिए।
- xxii. यह जांचने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण से एक अग्रिम व्यवस्था मांगी गई थी कि टॉयलेट सोप पर एडीडी लगाया जाएगा या नहीं, क्योंकि टॉयलेट सोप को "कॉस्मेटिक्स" की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकरण ने यह माना कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है।
- xxiii. "कॉस्मेटिक्स" शब्द बहुत व्यापक है और इसे अंतिम जाँच परिणाम में ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है। अपवर्जन की वर्तमान शब्दावली से सीमा शुल्क निकासी के दौरान अस्पष्टता और संभावित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना को रद्द किए जाने से पहले एडीडी की वर्तमान लेवी के दौरान सीमा शुल्क निकासी में समस्याएं पैदा हुई थीं। इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे स्किनकेयर के एक हिस्से के रूप में टॉयलेट सोप के अपवर्जन पर स्पष्टीकरण प्रदान करें।
- xxiv. यह अनुरोध किया गया है कि एनाटेस ग्रेड का वैश्विक उत्पादन सीमित है और चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया और भारत में केंद्रित है, जिसमें कोरियाई क्षमता मुख्य रूप से अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए है, जिससे भारत को निर्यात के लिए नगण्य गुंजाइश बचती है।
- xxv. आर-एस टीआईओ₂ की घरेलू क्षमता स्वीकृत 3,38,840 मीट्रिक टन की मांग का केवल 20-25% पूरा करती है, जिसमें सीएजी/एनजीटी रिकॉर्ड और टीटीपीएल की नकारात्मक निवल संपत्ति द्वारा वास्तविक क्षमता विवादित है, जिससे 80% आयात निर्भरता बनी हुई है। मास्टरबैच उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोटेड आर-एस टीआईओ₂ के लिए व्यवहार्य घरेलू विकल्पों की अनुपस्थिति को देखते हुए, इसका अपवर्जन आवश्यक है।
- xxvi. आर-एस कोटेड टीआईओ₂ और आर-एस अनकोटेड टीआईओ₂ समान वस्तुएं नहीं हैं क्योंकि अनकोटेड रूटाइल ग्रेड आमतौर पर प्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त होते हैं और इनमें भौतिक अंतर होते हैं जो इन्हें अलग-अलग अंतिम-उपयोग बाजारों में कार्य आने वाले कार्यात्मक रूप से भिन्न उत्पाद बनाते हैं। "समान वस्तु" की अवधारणा के लिए भौतिक विशेषताओं, अंतिम उपयोगों, उपभोक्ता प्राथमिकताओं, वितरण के चैनलों, टैरिफ वर्गीकरण और प्रतिस्पर्धी ओवरलैप की समग्र जांच की आवश्यकता होती है।
- xxvii. प्राधिकारी प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 42-43 पर पीयूसी के दायरे का निर्धारण करते समय पहले ही अंतिम उपयोग-आधारित उत्पाद अपवर्जन कर चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने कार्यात्मक विशेषताओं, अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों और व्यावसायिक वास्तविकताओं के आधार पर उत्पादों में अंतर किया है। डीजीटीआर मैनुअल, पैराग्राफ 3.49 के अनुसार, "यदि यह दावा किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न भौतिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, तो यह निर्धारित करते समय इन अंतरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वस्तुएं समान वस्तुएं हैं या नहीं।" इसके अलावा आर-एस टीआईओ₂ की घरेलू क्षमता अत्यधिक अपर्याप्त है, जो मांग के केवल 2-3% की आपूर्ति करने में सक्षम है।

- xxviii. व्हाइट मास्टरबैच 80% तक टीआईओ2 सामग्री का उपयोग करते हैं, और भारत को वर्तमान में आसियान देशों के लिए अमरीकी डालर 2.220 प्रति किलोग्राम की तुलना में लगभग अमरीकी डालर 2.458 प्रति किलोग्राम की कच्चे माल की लागत का सामना करना पड़ता है (जिन्हें आरसीईपी के अंतर्गत शून्य-शुल्क चीन के आयात का लाभ मिलता है), जिससे एक संरचनात्मक लागत नुकसान पहले से मौजूद है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह अंतर काफी बढ़ जाएगा, जबकि आसियान की लागत अमरीकी डालर 2.22 प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रहेगी। यह बढ़ती लागत असमानता भारत के डाउनस्ट्रीम मास्टरबैच उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से कमजोर करेगी।
- xxix. क्लोराइड-पद्धति और सल्फेट-पद्धति टीआईओ2 के बीच गुणवत्ता, निष्पादन, अंतिम-उपयोग अनुप्रयोगों, बाजार खंडों और कीमत निर्धारण में काफी अधिक अंतर को देखते हुए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने विश्लेषण में उचित समायोजन करें ताकि बाजार की वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित किया जा सके और उन भारतीय ग्राहकों को आर-एस टीआईओ2 की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके जो ऐसे उत्पादों पर निर्भर हैं।
- xxx. गोल्ड स्टार ट्रेडिंग की बिक्री/निर्यात कीमतों के आधार पर समायोजन किया जाना चाहिए, जिसकी निर्यात कीमत को गोल्ड स्टार ग्रुप की कीमतों के बजाय एक संबंधित ट्रेडर के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।
- xxxi. गोल्ड स्टार ट्रेडिंग की लाभप्रदता का गलत निर्धारण किया गया है और खरीद लागत संगत लेनदेन आकड़ों में रिपोर्ट किए गए निवल बीजक मूल्य पर आधारित होनी चाहिए। संशोधित लाभप्रदता गणना और परिकलित निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन गणना में तदनुसार अनुरोध किए गए संशोधन किए जाएं।
- xxxii. लाभ की राशि डब्ल्यूटीओ एडी समझौते के सिद्धांतों के अनुसार, लागू सीमा के अधीन, असंबंधित ट्रेडर के लाभ पर आधारित होनी चाहिए और निर्यात कीमत तथा परिणामी पाटन मार्जिन में उचित संशोधन का अनुरोध किया जाता है।
- xxxiii. यद्यपि पाटनरोधी शुल्क के बाद आयात कीमतें ₹175/किग्रा से बढ़कर ₹225/किग्रा हो गईं, घरेलू उद्योग की कीमतें ₹170/किग्रा से केवल ₹185/किग्रा तक बढ़ीं, जो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क संरक्षण के कम उपयोग को दर्शाता है।
- xxxiv. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे 22% आरओसीई को अपनाने के आधार का खुलासा करें। इस प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल के लिए 22% आरओसीई असामान्य रूप से अधिक है। दो घरेलू उद्योग घटक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनकी पूंजीगत संपत्तियां काफी हद तक घिसी हुई और पुरानी हो चुकी हैं, जिससे 22% आरओसीई विशेष रूप से संदिग्ध हो जाता है।
- xxxv. 10% के मौजूदा सीमा शुल्क के अतिरिक्त, एडीडी को और लागू करने से तैयार उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी, और अंततः उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
- xxxvi. भारत में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का घरेलू उत्पादन घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- xxxvii. एमएसएमई डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग का एक बड़ा हिस्सा हैं, और पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात की कीमतें बढ़ेंगी जिससे प्रयोक्ता उद्योग के लिए खरीद व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएगी, जिससे एमएसएमई गंभीर रूप से प्रभावित होंगे और संभावित रूप से वे बंद हो सकते हैं।

- xxxviii. घरेलू उद्योग ने क्षमताओं के विस्तार की योजना दिखाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा वैश्विक निर्माता भारत में नए ग्रीनफील्ड पीयूसी निवेशों का मूल्यांकन कर रहे हैं, किंतु ऐसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए एक स्थिर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल की आवश्यकता होती है। प्रभावी पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर बनाने में मदद मिलेगी।
- xxxix. अमेरिका में, धारा 301 टैरिफ ने पेंट्स/कोटिंग्स पर बिना किसी खास मुद्रास्फीति प्रभाव के चीन के आयातों को कम कर दिया और यूरोपीय संघ में, शुल्कों के बाद चीन के आयात की मात्रा में गिरावट आई जबकि डाउनस्ट्रीम मांग बिना किसी व्यवधान के विकास के पथ पर रही।
- xl. यह अनुरोध किया गया है कि सल्फेट और क्लोराइड मार्ग रूटाइल समान रासायनिक संरचना, ओवरलैपिंग भौतिक विशेषताओं और समान अंतिम उपयोग साझा करते हैं। एक बार जब रूटाइल रूप में पीयूसी का उत्पादन हो जाता है, तो यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है कि उक्त उत्पाद का निर्माण सल्फेट प्रक्रिया से हुआ है या क्लोराइड प्रक्रिया से। उत्पादन मार्ग के आधार पर उत्पाद को अलग करने की यह अंतर्निहित अक्षमता इस बात को पुष्ट करती है कि दोनों उत्पाद एक समान वस्तु हैं और भारतीय बाजार में पूरी तरह से परस्पर प्रयोज्य हैं। थैलिक एनहाइड्राइड से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जाँच परिणाम पर भरोसा किया जाता है, जिसमें यह माना गया है कि दोनों मार्गों से उत्पादित उत्पाद एक ही खंड में उपयोग पाता है और यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि आयातित वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के तुलनीय नहीं हैं।
- xli. प्रतिप्रेषण कार्यवाही ने, जिसमें 17 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना, अतिरिक्त अनुरोध दायर करना और मौखिक सुनवाई का संचालन शामिल है, यह सुनिश्चित किया कि हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीयता के दावों और पीयूसी के दायरे में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने के आधार पर टिप्पणी करने का उचित अवसर मिले। तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई प्रक्रियात्मक चिंताएं वर्तमान कार्यवाही में संबोधित हो जाती हैं।
- xlii. घरेलू उद्योग से प्रत्येक अलग ग्राहक खंड, प्रयोक्ता समूह, या किसी प्रयोक्ता संघ के सदस्य को उत्पाद प्रकार की आपूर्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता पाटनरोधी समझौते, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क, या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत कोई आधार नहीं रखती है।
- xliii. प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 128 पर शुल्क के स्तर अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए शुल्कों के वर्तमान और उच्च स्तरों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। प्राधिकारी से शुल्क को सत्यापित करने और सही करने का अनुरोध किया जाता है। चूंकि अन्य न्यायालयों में उच्च शुल्क स्तर प्रभावी शुल्कों की अनुपस्थिति में पाटित चीन के आयात की मात्रा के भारतीय बाजार में स्थानांतरित होने की संभावना को पुष्ट करते हैं।
- xliv. ऑस्ट्रेलिया और यूके में चल रही जांच से अनंतिम व्यापार उपचारात्मक उपाय शुरू होने की संभावना है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि चीन की पाटित मात्रा भारत में स्थानांतरित हो जाएगी। ब्राजील, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब द्वारा लगाए गए उच्च एडीडी वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए एनआईपी के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं। एनआईपी पर दोबारा विचार कर इसे ब्राजील और यूरोपीय एडीडी के तुलनीय स्तर तक लाया जा सकता है।

त.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध:

169. प्रकटन विवरण जारी किए जाने के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी ने ग्राहकों के नामों, ग्राहक-विशिष्ट बिक्री संबंधी सूचनाओं, बीजकों, लागत रिकॉर्डों, ट्रायल बैलेंस और संबंधित व्यावसायिक सूचनाओं से संबंधित गोपनीयता के दावों को सही ढंग से स्वीकार किया

- है, जो संवेदनशील व्यावसायिक सूचनाएं हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत संरक्षण की पात्र हैं।
- ii. प्राधिकारी ने सत्यापित साक्ष्यों, जिनमें उत्पादन रिकॉर्ड, बिक्री आकड़ों, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सत्यापन दस्तावेज और बिक्री इनवॉइस शामिल हैं, के आधार पर सही ढंग से पुष्टि की है कि टीटीपीएल ने क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान रुटाइल-सल्फेट टीआईओ₂ का उत्पादन और बिक्री की है।
 - iii. प्राधिकारी ने सही ढंग से यह निष्कर्ष निकाला है कि रुटाइल-सल्फेट टीआईओ₂ पीयूसी का हिस्सा है और रुटाइल-सल्फेट तथा रुटाइल-क्लोराइड टीआईओ₂ समान वस्तुएं हैं और व्यावसायिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं।
 - iv. 12 फरवरी 2025 के अंतिम जाँच परिणाम को रद्द करने और मामले को प्रतिप्रेषण किए जाने से प्राधिकारी को क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण सहित परिणामी मुद्दों की नए सिरे से जांच करने की अनुमति मिलती है, और यह केवल गोपनीयता तथा पीयूसी से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित नहीं है।
 - v. क्षतिरहित कीमत पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए कुछ खर्चों और लागत तत्वों को या तो पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई थी या केवल आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप क्षतिरहित कीमत कृत्रिम रूप से कम हो गई और परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन तथा शुल्कों में कमी आई।
 - vi. घरेलू उद्योग के उत्पादन की मात्रा चीन से होने वाले पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप अक्षम प्रचालनों के बजाय वित्तीय तनाव के कारण उत्पादन में कमी और क्षमता का कम उपयोग हुआ।
 - vii. प्राधिकारी द्वारा विचार की गई कोटिंग लागत, घरेलू उद्योग द्वारा अपने रिकॉर्ड और वित्तीय विवरणों में दर्ज की गई वास्तविक कोटिंग लागत की तुलना में काफी कम प्रतीत होती है, जिसके परिणामस्वरूप क्षतिरहित कीमत का कम निर्धारण हुआ है।
 - viii. सुविधाओं के लिए अपनाया गया मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए और समर्थित रिकॉर्डों में दर्ज वास्तविक उपयोगिता लागतों से कम प्रतीत होता है, इसलिए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
 - ix. कम आकलित क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के आधार पर अनुशंसित शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को पूरी तरह से दूर करने में असमर्थ है और इसलिए यह पाटनरोधी उपायों के उपचारात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहता है।
 - x. असहयोग करने वाले निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापक असहयोग के बावजूद असहयोग करने वाले निर्यातकों के मार्जिन सहयोग करने वाले निर्यातकों के मार्जिन से वास्तविक रूप से भिन्न नहीं हैं।
 - xi. असहयोग करने वाले निर्यातकों के लिए अपनाई गई निर्यात कीमत प्राधिकारी द्वारा ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः विचार किए जाने वाले स्तरों से अधिक प्रतीत होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मार्जिन कम आकलित हुआ है।
 - xii. रुटाइल-सल्फेट टीआईओ₂ के उत्पादन और बिक्री को स्थापित करने के लिए ग्राहकों की पहचान का प्रकटन आवश्यक नहीं था क्योंकि रिकॉर्ड पर पहले से ही उत्पादन और बिक्री की पुष्टि करने वाले व्यापक सत्यापित साक्ष्य मौजूद थे।
 - xiii. एक पेंट ग्राहक के नाम का प्रकटन अनजाने में और अनधिकृत रूप से हुआ था, और उस ग्राहक की पहचान

- पर गोपनीयता अंतिम जाँच परिणाम में जारी रखी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना के प्रकटन से घरेलू उद्योग से व्यावसायिक पक्षपात हो सकता है।
- xiv. प्राधिकारी के समक्ष संगत मुद्दा यह है कि क्या रुटाइल-सल्फेट और रुटाइल-क्लोराइड टीआईओ2 समान वस्तुएं हैं और व्यावसायिक रूप से विनिमेय हैं, न कि यह कि प्रत्येक पेंट निर्माता या ग्राहक ने टीटीपीएल द्वारा उत्पादित रुटाइल-सल्फेट टीआईओ2 खरीदा है या नहीं।
- xv. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि केएमएमएल द्वारा उत्पादित रुटाइल-क्लोराइड टीआईओ2 और भारत में आयातित तथा टीटीपीएल द्वारा उत्पादित रुटाइल-सल्फेट टीआईओ2 समान अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं, समान ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और समान बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- xvi. पाटनरोधी कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग के लिए किसी उत्पाद को समान वस्तु माने जाने के लिए प्रत्येक आयातित प्रकार की नकल करना, प्रत्येक ग्राहक को आपूर्ति करना, या प्रत्येक आयातित ग्रेड के समान उत्पाद तैयार करना आवश्यक नहीं है।
- xvii. प्राधिकारी ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि रुटाइल-सल्फेट और रुटाइल-क्लोराइड टीआईओ2 तुलनीय विशेषताएं, अतिव्यापित अनुप्रयोग और व्यावसायिक विनिमेयता रखते हैं, और इसलिए वे उचित रूप से पीयूसी के दायरे में आते हैं।
- xviii. ब्राजील, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के जांच प्राधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सल्फेट और क्लोराइड दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित रुटाइल टीआईओ2, उत्पादन प्रक्रिया में अंतर के बावजूद, एक ही समान वस्तु का गठन करता है और एक ही उत्पाद के दायरे में आता है।
- xix. ब्राजील के प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि क्लोराइड और सल्फेट प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित टीआईओ2 के बीच अंतर का कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जो उन्हें अलग-अलग उत्पादों के रूप में मानने को उचित ठहराए, और यह माना कि दोनों उत्पाद अत्यधिक प्रतिस्थापनीय थे।
- xx. ब्राजील के प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा केवल सल्फेट-प्रक्रिया सामग्री का उत्पादन करने के बावजूद रुटाइल-सल्फेट और रुटाइल-क्लोराइड टीआईओ2 दोनों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया, जिससे यह पुष्टि होती है कि समान वस्तुओं के निर्धारण के लिए सटीक उत्पाद समरूपता आवश्यक नहीं है।
- xxi. यूरोपीय आयोग ने क्लोराइड-प्रक्रिया टीआईओ2 को बाहर करने के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि क्लोराइड और सल्फेट प्रक्रिया टीआईओ2 का उपयोग समान उद्योगों में, यहाँ तक कि कभी-कभी समान अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, और इसलिए वे एक साझा उत्पाद दायरे में आते हैं।
- xxii. रुटाइल-सल्फेट और रुटाइल-क्लोराइड टीआईओ2 की विनिमेयता के संबंध में घरेलू उद्योग के रुख की पुष्टि कई विदेशी जांच प्राधिकारियों के निष्कर्षों से होती है।
- xxiii. आईपीए ने मूल जांच के दौरान बार-बार दावा किया कि पेंट उद्योग को रुटाइल-सल्फेट टीआईओ2 की कोई घरेलू व्यावसायिक बिक्री नहीं हुई थी, किंतु बाद में रिमांड कार्यवाही के दौरान स्वीकार किया कि पेंट उद्योग के एक ग्राहक द्वारा 2019 तक खरीदारी की गई थी।
- xxiv. प्राधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि आईपीए का यह स्वीकारोक्ति उसके पहले के दावे का खंडन करती है कि घरेलू उद्योग ने पेंट क्षेत्र को रुटाइल-सल्फेट टीआईओ2 की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं की थी।
- xxv. आईपीए एक साथ यह रुख नहीं अपना सकता कि कोई बिक्री मौजूद नहीं थी और बाद में यह तर्क नहीं दे

- सकता कि बिक्री मौजूद थी किंतु नगण्य थी, क्योंकि इस तरह के बदलते रुख पीयूसी के भीतर रुटाइल-सल्फेट टीओआई2 को शामिल किए जाने के खिलाफ उसकी चुनौती की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।
- xxvi. यह दावा कि पेंट उद्योग को बिक्री केवल अत्यंत कम मात्रा में थी, वर्ष 2005 और 2019 के बीच पेंट ग्राहक और उसकी समूह संस्थाओं को आपूर्ति की गई *** मीट्रिक टन से संबंधित *** व्यावसायिक लेनदेन द्वारा खंडित होता है।
- xxvii. रिकॉर्ड पर मौजूद निर्यातक और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध स्वयं यह प्रदर्शित करते हैं कि रुटाइल-सल्फेट और रुटाइल-क्लोराइड टीओआई2 विनिमेय हैं और एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- xxviii. हितबद्ध पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि रुटाइल-सल्फेट और रुटाइल-क्लोराइड टीओआई2 का उपयोग पेंट और प्लास्टिक अनुप्रयोगों में विनिमेय रूप से किया जाता है तथा शुल्कों के अधिरोपण के बाद ग्राहकों ने दोनों के बीच बदलाव किया है, जो व्यावसायिक प्रतिस्थापनीयता का प्रमाण है।
- xxix. पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश और अधिरोपण जनहित में है क्योंकि इससे समान अवसर स्थापित करने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और चीन से आयातों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।
- xxx. भारतीय टीओआई2 बाजार लगभग *** करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले डाउनस्ट्रीम उद्योगों को सहायता प्रदान करता है और इन उद्योगों के लिए घरेलू टीओआई2 उत्पादन की निरंतर व्यवहार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- xxxi. लगभग 67% आयात चीन से होता है और घरेलू उत्पादन बंद होने से भारतीय उपभोक्ता और उद्योग चीन के बाजार के प्रभुत्व के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे।
- xxxii. यूरोपीय संघ, ब्राजील, सऊदी अरब और यूरेशियन आर्थिक संघ द्वारा पाटनरोधी शुल्क पहले ही लगाए जा चुके हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने चीन से टीओआई2 के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की है, जो चीन के पाटन के संबंध में वैश्विक चिंता को दर्शाता है।
- xxxiii. यूरोपीय आयोग ने एक विस्तृत जनहित जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि चीन से टीओआई2 पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने के खिलाफ कोई बाध्यकारी कारण नहीं थे।
- xxxiv. भारत में टीओआई2 की घरेलू मांग और आपूर्ति में अंतर मौजूद है और कई विदेशी निवेशक भारत में बड़े पैमाने पर क्षमता निवेश पर विचार कर रहे हैं, जिसके लिए पाटित आयातों से मुक्त एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल की आवश्यकता है।
- xxxv. 2030 तक टीओआई2 की घरेलू मांग में अनुमानित वृद्धि के लिए काफी अधिक ग्रीनफील्ड निवेश की आवश्यकता होगी, जिसके चीन के पाटन के बेरोकटोक जारी रहने पर फलीभूत होने की संभावना नहीं है।
- xxxvi. प्रस्तावित शुल्कों का डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं पर कोई काफी अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि टीओआई2 पेंट और कोटिंग्स जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादों की समग्र लागत संरचना के केवल एक घटक का प्रतिनिधित्व करता है।
- xxxvii. ऐतिहासिक बाजार व्यवहार दर्शाता है कि प्रमुख पेंट निर्माताओं द्वारा टीओआई2 की कीमतों में कमी का लाभ आनुपातिक रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया था, जो काफी अधिक कीमत निर्धारण शक्ति और लागत परिवर्तनों को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता है।
- xxxviii. हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम घरेलू टीओआई2 उत्पादन क्षमता को बनाए रखने और बाहरी आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

- xxxix. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि क्षतिकारी पाटन को निष्प्रभावी करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करना और घरेलू उत्पादकों को समान अवसरों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है।
- xl. शुल्कों के व्यापक आर्थिक लाभ, जिनमें रोजगार का संरक्षण, विनिर्माण क्षमता, आपूर्ति सुरक्षा, निवेश और क्षेत्रीय विकास शामिल हैं, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले किसी भी सीमित प्रभाव की तुलना में काफी अधिक हैं।
- xli. केएमएमएल के टीओआई2 प्रचालन रक्षा, एयरोस्पेस और परमाणु क्षेत्रों से जुड़ी टाइटेनियम स्पंज और मोनाजाइट क्रैकिंग परियोजनाओं सहित रणनीतिक राष्ट्रीय पहलों को सहायता प्रदान करते हैं, और टीओआई2 संयंत्र के बंद होने से इन रणनीतिक क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- xl.ii. डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर शुल्कों के प्रभाव को घरेलू उद्योग द्वारा परिमाणित किया गया है और इसे न्यूनतम तथा नगण्य रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- xl.iii. अन्य न्यायालयों में जांच प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए शुल्क के स्तर चीन के पाटित आयातों के कारण उत्पन्न विकृतियों की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं और भारत में संरक्षण के उचित स्तर का निर्धारण करने के लिए उपयोगी संदर्भ प्रदान करते हैं।
- xl.iv. चूंकि पाटनरोधी शुल्क पहले लगाया गया था और बाद में रिमांड से पहले तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था, इसलिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उस तारीख से शुल्क लागू करने की सिफारिश करें जिस तारीख से वित्त मंत्रालय द्वारा उन्हें वापस लिया गया था।
- xl.v. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे गोपनीयता, पीयूसी के भीतर रुटाइल-सल्फेट टीओआई2 को शामिल करने, और रुटाइल-सल्फेट तथा रुटाइल-क्लोराइड टीओआई2 के समान वस्तु होने के निष्कर्षों की पुष्टि करें, साथ ही क्षतिकारी पाटन के विरुद्ध प्रभावी राहत सुनिश्चित करने के लिए क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन और पाटनरोधी शुल्क के स्तरों पर पुनर्विचार करें।

त.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

170. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों में उठाए गए तर्कों की, प्राधिकारी द्वारा जहां तक संगत माना गया है, नीचे जांच की है। संक्षिप्तता के लिए, प्रकटन-पश्चात के ऐसे अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों को दोहराते हैं और जिनकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त जांच की जा चुकी है, उनकी यहां दोबारा जांच नहीं की गई है।
- i. क्या प्रकटन विवरण में निश्चयात्मक और निर्णयात्मक भाषा का उपयोग किया गया है और क्या इसका तात्पर्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त किए बिना प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है
171. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने नियम 16 के अंतर्गत अधिदेश के उल्लंघन में प्रकटन विवरण में निश्चयात्मक और निर्णयात्मक भाषा का उपयोग किया है, जो प्राधिकारी को प्रकटन विवरण के चरण में विवादास्पद मुद्दों को समाप्त करने की अनुमति नहीं देता है।
172. प्राधिकारी ने इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है और उनका मानना है कि यह तर्क गलत है।
173. शुरुआत में ही, प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "इस प्रकटन विवरण में दिए गए तथ्यों (गोपनीय आधार पर दिए गए तथ्यों सहित) के बावजूद, निर्दिष्ट प्राधिकारी एक अंतिम निर्धारण पर पहुंचने के लिए योग्यता के आधार

पर दिए गए सभी उत्तरों पर विचार करेंगे।" प्राधिकारी ने यह भी कहा कि "प्राधिकारी इस प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद मामले को समाप्त करेंगे और अपना अंतिम निर्धारण तथा सिफारिश करेंगे।" यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी होने से पहले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर अपने विचार या निर्धारण को केवल इस आधार पर बंद नहीं किया है कि प्रकटन विवरण में उसकी पहले ही जांच की जा चुकी है और निर्णय लिया जा चुका है। प्रकटन विवरण में की गई जांच की संपूर्णता, प्रकटन विवरण के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी के विचारार्थ खुली रहती है।

174. हितबद्ध पक्षकार ने निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ (2017) मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निरमा मामले में तथ्य पूरी तरह से भिन्न थे क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में ही विभिन्न तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि पाटनरोधी शुल्क लगाना अब न्यायसंगत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि पाटनरोधी शुल्क लगाना अब न्यायसंगत नहीं है, उसके द्वारा दर्ज किए गए आवश्यक तथ्यों के आधार पर निश्चित उपाय लागू करने या न करने के संबंध में एक निर्णय पर पहुंचने के समान है। यह तथ्य कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा किए बिना, निश्चयात्मक उपाय लागू करने या न करने के बारे में अपने निष्कर्ष दर्ज कर लिए थे, उसने अंतिम जाँच परिणाम को विकृत कर दिया था।

175. प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया है कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 31.5 में, जिस पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा भी भरोसा किया गया है, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित माना है:

"31.5 इस प्रकार, जबकि अनुच्छेद 6.9 आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के लिए किसी विशेष प्रारूप को निर्धारित नहीं करता है, यह सभी मामलों में आवश्यक रूप से मांग करता है कि जांच प्राधिकारी उन तथ्यों को इस तरह से प्रकट करे कि एक हितबद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से समझ सके कि जांच प्राधिकारी ने किस आकड़ों का उपयोग किया है, और पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उन आकड़ों का उपयोग कैसे किया गया था। इसलिए, प्रकटन विवरण में आवश्यक तथ्यों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतरिम निष्कर्ष और निष्कर्ष शामिल होते हैं जो यह निर्णय लेने का आधार बनेंगे कि निश्चयात्मक उपाय लागू किए जाएं या नहीं, न कि इस पर अंतिम निष्कर्ष कि निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं। इस न्यायालय की राय में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से तर्क दिया गया है, प्रकटन विवरण में उन आवश्यक तथ्यों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष होने चाहिए जो यह निर्णय लेने का आधार बनेंगे कि निश्चयात्मक उपाय लागू किए जाएं या नहीं, न कि उन आवश्यक तथ्यों के आधार पर इसके निष्कर्ष। आवश्यक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अंतिम जाँच परिणाम में दर्ज किए जाने हैं, अर्थात् क्या ऐसे तथ्यों के आधार पर निश्चयात्मक उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं....."

176. माननीय न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 37 में आगे स्पष्ट किया है कि:

"जैसा कि ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, प्रकटन विवरण में केवल उन आवश्यक तथ्यों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है जो यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं कि निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन तथ्यों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है, न कि उन तथ्यों पर आधारित अपने निष्कर्ष। यह निष्कर्ष कि निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं, आवश्यक तथ्यों पर आधारित एक निष्कर्ष है और इसलिए, इसे प्रकटन विवरण में स्थान नहीं मिल सकता था। इसके अलावा निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं, यह एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद दर्ज किया जाना है। प्रकटन विवरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि पाटनरोधी शुल्क लगाना अब न्यायसंगत नहीं है, उसके द्वारा दर्ज किए गए आवश्यक तथ्यों के आधार पर निश्चित

उपाय लागू करने या न करने के संबंध में एक निर्णय पर पहुंचने के समान है।...."

177. प्राधिकारी अपनी संगत प्रक्रिया को संज्ञान में लेते हैं कि नियम 16 के अंतर्गत, प्राधिकारी को विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक होता है, जिसमें ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष भी शामिल हैं, जो संचयी रूप से अंतिम जाँच परिणाम में इसके निर्णय का आधार बनेंगे। प्राधिकारी, प्रकटन विवरण में, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करते हैं, ऐसी जांच से उत्पन्न अपने विचार और निष्कर्ष बताते हैं, और उसके लिए तर्क प्रदान करते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से यह भी बताते हैं कि ऐसा प्रकटन अंतिम निर्धारण के समान नहीं है और प्रकटन विवरण जारी होने के बाद प्राप्त अनुरोधों पर अंतिम जाँच परिणाम जारी करने से पहले विधिवत विचार किया जाएगा।
178. प्राधिकारी का मानना है कि प्रकटन विवरण में दिए गए बयान वे विचार हैं जो विचाराधीन विभिन्न मुद्दों पर रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच के बाद बनते हैं और ये "पूर्व-निर्णय" या "अंतिम न्यायनिर्णयन" के समान नहीं हैं, जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने के लिए कहा गया था। इसलिए, प्रकटन विवरण में की गई टिप्पणियां प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्धारण के समान नहीं हैं। वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर विधिवत विचार किया है और अपने अंतिम निर्धारण पर पहुंचने में उन्हें विधिवत रूप से ध्यान में रखा है।
179. उपर्युक्त कानूनी स्थिति और संगत प्रक्रिया को देखते हुए, प्राधिकारी पाते हैं कि यह तर्क कि वर्तमान प्रकटन विवरण में "निश्चयात्मक" या "अंतिम जाँच परिणाम" शामिल हैं, तथ्यहीन है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण निरमा मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार विचाराधीन आवश्यक तथ्यों को निर्धारित करता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण यह निष्कर्ष दर्ज नहीं करता है कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू करने की आवश्यकता है। तदनुसार, प्राधिकारी को इस आधार पर प्रकटन विवरण में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है।

ii. क्या प्रतिप्रेषण का दायरा सीमित मुद्दों तक ही सीमित था, किंतु जांच को नए साक्ष्यों के साथ पुनः खोल दिया गया है

180. हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के निर्देशों के अनुसार रिमांड का दायरा गोपनीयता के सीमित मुद्दों तक ही सीमित था, तथापि, प्राधिकारी ने नए साक्ष्यों को स्वीकार करके और नए कानूनी तर्कों को पेश करके जांच को फिर से खोल दिया है।
181. इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन करना आवश्यक है। आदेश का संगत और प्रभावी भाग नीचे उद्धृत किया गया है:
"56. मेरी राय में, एडीए के अनुच्छेद 6.9 के संदर्भ में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जिसे उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमावली, विशेष रूप से उक्त नियमावली के नियम 7(2) में शामिल किया गया है, का पालन नहीं किया गया है...।"
"56... मामले को निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त मुद्दे पर पुनर्विचार के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर के चरण से शुरू होगा, ताकि यहां की गई टिप्पणियों और उक्त नियमावली के नियम 7(2) के दायरे और उद्देश्य के अनुसार उस पर विचार किया जा सके...।"
182. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में रिमांड का दायरा सीमित है, और प्राधिकारी ने कथित तौर पर जांच को फिर से खोलकर इसका उल्लंघन किया है। प्राधिकारी ने उक्त तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इसे तथ्यहीन पाया है।
183. शुरुआत में ही, यह देखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि मूल जांच के अंतिम जाँच परिणाम में एडी नियमावली के नियम 7(2) में शामिल एडीए के अनुच्छेद 6.9 का पालन

नहीं किया गया था। उस आधार पर, माननीय न्यायालय ने अंतिम जाँच परिणाम और उसके परिणामस्वरूप लगाए गए शुल्क को रद्द कर दिया और मामले को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर के चरण से पुनर्विचार के लिए प्राधिकारी को रिमांड कर दिया, जो कि आदेश के भीतर की गई टिप्पणियों के साथ-साथ नियमावली के नियम 7(2) के दायरे और उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार, माननीय न्यायालय का निर्देश स्पष्ट रूप से प्राधिकारी से नियम 7(2) की आवश्यकताओं के आलोक में और उनके अनुरूप मामले पर पुनर्विचार करने की मांग करता है।

184. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि नियम 7(2) यह अधिदेश देता है कि गोपनीयता का दावा करने वाले किसी भी पक्षकार को आपूर्ति की गई जानकारी का एक अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना आवश्यक है, या, जहां ऐसा सारांशीकरण संभव न हो, वहां यह बताते हुए कारणों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसा सारांशीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह देखा है कि मूल कार्यवाही में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था और प्राधिकारी उचित समय पर संगत जानकारी मांगने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहे थे। तदनुसार, रिमांड के अंतर्गत नियम 7(2) के अनुसार गोपनीयता के दावों की जांच आवश्यक हो जाती है। ऐसी जांच संबंधित पक्षकारों, जिसमें घरेलू उद्योग भी शामिल है, को उनके गोपनीयता के दावों के लिए उचित औचित्य प्रदान करने या पर्याप्त अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहे बिना नहीं की जा सकती है।
185. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी पाते हैं कि रिमांड कार्यवाही में की गई कार्रवाइयां, जिसमें गोपनीयता के दावों के लिए औचित्य मांगना और उनकी जांच करना शामिल है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और नियम 7(2) के अधिदेश के अनुपालन में हैं। प्राधिकारी को इस तर्क में भी कोई दम नहीं दिखता कि रिमांड कार्यवाही घरेलू उद्योग को "दूसरा अवसर" देने के समान है। घरेलू उद्योग को अपने गोपनीयता के दावों को सही ठहराने के लिए प्रदान किया जा रहा अवसर सीधे नियम 7(2) की आवश्यकताओं और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से उत्पन्न होता है।
186. यह आगे नोट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में यह परिकल्पना की गई है कि प्राधिकारी को मूल कार्यवाही में अनुरोधों के अगोपनीय संस्करणों की मांग करनी चाहिए थी और तदनुसार गोपनीयता के दावों की जांच करनी चाहिए थी। इसलिए, रिमांड कार्यवाही में, प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे घरेलू उद्योग से नियम 7(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की मांग करके इस प्रक्रिया को पूरा करें, जिसमें सारांशीकरण संभव न होने पर औचित्य प्रदान करना शामिल है।
187. प्राधिकारी यह भी देखते हैं कि, यद्यपि रिमांड याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर के चरण से शुरू किया जाना है, गोपनीयता के दावों की जांच उस चरण में रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद सामग्री से संबंधित है। घरेलू उद्योग को ऐसे दावों के लिए औचित्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना नया साक्ष्य पेश नहीं करता है, बल्कि मौजूदा रिकॉर्ड को नियम 7(2) के अनुरूप बनाने के लिए एक प्रक्रियात्मक कदम है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच के रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद जानकारी पर ही भरोसा किया है।
188. यह तर्क दिया गया है कि ऐसी सामग्री पर भरोसा किया गया है जो मूल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थी, जैसे कि व्यापार सूचना संख्या 1/2013, गोपनीयता के कारण बताते हुए 31 अक्टूबर 2025 का घरेलू उद्योग का अनुरोध, उसके बाद के स्पष्टीकरण पत्र और पत्राचार, विदेशी न्यायालयों के निर्धारणों के संदर्भ, और कुछ जांच अवधि-पूर्व या ऐतिहासिक लेनदेन।
189. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, वर्तमान कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में की जा रही है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकारी से नियम 7(2) के अंतर्गत गोपनीयता के दायरे पर पुनर्विचार करने और उत्पाद के दायरे के भीतर आर-एस टीओआई2 को शामिल करने का आधार बनने वाले आवश्यक तथ्यों को

प्रकट करने की मांग की थी। तदनुसार, प्राधिकारी का यह दायित्व था कि वे यह सुनिश्चित करें कि आर-एस टीओआई2 को शामिल करने के मुद्दे पर एक निर्धारण पर पहुंचने के लिए आवश्यक सभी सामग्री पर विधिवत विचार किया जाए, जांच की जाए और आवश्यक सीमा तक, आवश्यक तथ्यों के रूप में प्रकट किया जाए। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में की जा रही है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकारी से नियम 7(2) के अंतर्गत गोपनीयता के दायरे पर पुनर्विचार करने और उत्पाद के दायरे के भीतर आर-एस टीओआई2 को शामिल करने का आधार बनने वाले आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने की मांग की थी। तदनुसार, प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आर-एस टीओआई2 को शामिल करने के मुद्दे पर निर्धारण पर पहुंचने के लिए सभी जानकारी पर विधिवत विचार किया जाए, जांच की जाए और आवश्यक सीमा तक, आवश्यक तथ्यों के रूप में प्रकट किया जाए। इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि 12 फरवरी 2025 के मूल अंतिम जांच परिणाम में, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 'सल्फेट और क्लोराइड रुटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों की विनिमेयता और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति को देखते हुए, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सल्फेट-रुटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड को शामिल करना उचित और न्यायसंगत है।' चूंकि आर-एस टीओआई2 और आर-सी टीओआई2 की विनिमेयता और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति पर यह निष्कर्ष पीयूसी के दायरे में आर-एस टीओआई2 को शामिल करने के आधार का एक आवश्यक हिस्सा है, इसलिए प्राधिकारी नियम 16 और उच्च न्यायालय के निर्देश के अंतर्गत उक्त निष्कर्ष के अंतर्निहित तर्कों और साक्ष्यों को प्रकट करने के लिए बाध्य हैं, ताकि हितबद्ध पक्षकार आर-एस को शामिल करने के आधार का सार्थक रूप से विरोध कर सकें।

190. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उद्धृत की गई सामग्री के संबंध में आगे निम्नलिखित बातें नोट करते हैं:

- i. व्यापार सूचना संख्या 1/2013 का संदर्भ दिया जाना नए तथ्यों या सूचनाओं पर निर्भरता नहीं माना जा सकता है। व्यापार सूचना संख्या 1/2013 एक सार्वजनिक सूचना है और इसलिए प्राधिकारी अपने निर्धारण के प्रयोजनार्थ इस पर भरोसा कर सकते हैं।
- ii. उचित कारण विवरण सहित 31 अक्टूबर 2025 के घरेलू उद्योग के अनुरोधों को स्वीकार किया जाना, प्राधिकारी की दिनांक 17 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के सीधे अनुपालन में था, जो कि स्वयं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में जारी की गई थी।
- iii. इस प्रतिप्रेषण कार्यवाही में जांचे जा रहे मुद्दों के संबंध में तथ्यों के पूर्ण और उचित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी प्रतिप्रेषण-पश्चात अनुरोधों, स्पष्टीकरण पत्रों और पत्राचारों पर विचार करना आवश्यक था।
- iv. विदेशी प्राधिकारियों के निर्धारणों का संदर्भ समान वस्तु और उत्पाद के दायरे के विश्लेषण में सहायता करने, तथा इन क्षेत्राधिकारों द्वारा आर-एस टीआईओ2 के उपचार तक सीमित था, जिससे आर-एस टीआईओ2 को उत्पाद के दायरे के हिस्से के रूप में शामिल करने में मदद मिली और यह एक मान्यता प्राप्त प्रथा भी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने मूल अंतिम जांच परिणाम जारी होने से पहले ही इसका संदर्भ दिया था और इस पर भरोसा किया था। इसके अलावा, कार्यवाही के इस चरण में अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्धारण पर भरोसा करने पर कोई रोक नहीं हो सकती है। यह वास्तव में संगत और आवश्यक था, क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों की प्राथमिक चुनौती यह है कि आर-सी टीआईओ2 और आर-एस टीआईओ2 पूरी तरह से अलग उत्पाद हैं, जबकि इन जांच प्राधिकारियों ने पाया है कि आर-सी टीआईओ2

और आर-एस टीआईओ2 एक ही समान वस्तु हैं।

- v. कुछ ऐतिहासिक या जांच अवधि से पूर्व की सूचनाओं की जांच केवल उस सीमित सीमा तक की गई थी जो उत्पाद की विशेषताओं, उत्पादन क्षमताओं और उद्योग की प्रथाओं को समझने के लिए आवश्यक थी, ताकि पेंट उद्योग को आर-एस टीआईओ2 की बिक्री न होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं को दूर किया जा सके। अब यह स्पष्ट है कि एशियन पेंट्स और इंडियन पेंट एसोसिएशन ने प्राधिकारी से काफी अधिक जानकारी छिपाई और बार-बार यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग द्वारा आर-एस टीआईओ2 की आपूर्ति नहीं की गई थी। यह केवल तब हुआ जब घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड पर यह बात लाई कि घरेलू उद्योग द्वारा भी आर-एस टीआईओ2 की आपूर्ति की गई थी, जिसके बाद एशियन पेंट्स और इंडियन पेंट एसोसिएशन ने इसे स्वीकार किया, किंतु कहा कि यह मात्रा वाणिज्यिक नहीं थी। घरेलू उद्योग ने ऐसी जानकारी प्रदान की जिससे यह सिद्ध हुआ कि यह मात्रा वाणिज्यिक थी। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण में घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए आर-एस टीआईओ2 के संबंध में चार वर्षों के आकड़ों के साथ अलग से क्षति विवरण स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।

191. तदनुसार, प्राधिकारी पाते हैं कि उपरोक्त सामग्री पर विचार करना गैर-अनुमति प्राप्त नहीं था, बल्कि वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों और पीयूसी में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने से संबंधित आवश्यक तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता के कारण अनिवार्य हो गया था।
192. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भले ही उपरोक्त सामग्री के साथ-साथ दिनांक 7 फरवरी 2025 के पत्र को, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि इसमें गोपनीयता और प्रसार पर पर्याप्त तर्कों का अभाव था, इस निर्धारण से बाहर कर दिया जाए कि क्या आर-एस टीआईओ2 को उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, तो भी प्राधिकारी द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड पर मौजूद कई अन्य सूचनाओं और साक्ष्यों के आधार पर इस समावेशन के संबंध में निष्कर्ष अपरिवर्तित रहता है।
193. प्राधिकारी का यह मानना है कि मूल जांच के दौरान रिकॉर्ड में पहले से ही पर्याप्त जानकारी और साक्ष्य मौजूद थे जो घरेलू उद्योग द्वारा आर-एस टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री को प्रदर्शित करते हैं। यह बात आवेदन के हिस्से के रूप में शामिल दस्तावेजों से स्पष्ट है, जैसे कि उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, लागत प्रारूप, क्षति विवरण, क्षमता के साक्ष्य, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, बीजक आदि। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये जानकारियां रिकॉर्ड पर पहले से ही उपलब्ध थीं और मूल जांच के दौरान विधिवत सत्यापित की गई थीं। वास्तव में, प्राधिकारी ने टीटीपीएल द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए अलग से क्षतिरहित कीमत तैयार की है, जिसमें कंपनी द्वारा उत्पादित आर-एस टीआईओ2 के लिए अलग से क्षतिरहित कीमत शामिल है। परिणामस्वरूप, पीयूसी के दायरे में आर-एस टीआईओ2 का समावेशन उचित और सत्यापन योग्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित है।
194. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि इस सामग्री पर भरोसा किया जाना न्यायसंगत है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। इसके अलावा, यदि ऐसी सामग्री की अनदेखी भी कर दी जाए, तो भी विचाराधीन उत्पाद में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने का निष्कर्ष रिकॉर्ड पर पहले से मौजूद साक्ष्यों द्वारा पूरी तरह से समर्थित है।

iii. क्या घरेलू इंडस्ट्री की क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन और शुल्क की मात्रा को फिर से तय करने के लिए रिमांड कार्यवाही का दायरा बढ़ाने की मांग पर मौजूदा रिमांड कार्यवाही के दायरे में विचार किया जा सकता है

195. घरेलू उद्योग ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम निष्कर्षों को रद्द कर दिया है और प्राधिकारी को सभी दलीलों पर फिर से विचार करना चाहिए और खास तौर पर क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन और शुल्क की मात्रा तय करने के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जारी करना चाहिए। उसने यह भी तर्क दिया है कि मूल जांच में तय की गई क्षतिरहित कीमत बहुत कम है और अभिलेख पर मौजूद पूरी लागत की जानकारी और सबूतों को ध्यान में रखते हुए इसकी फिर से जांच की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग ने आगे कहा कि क्षतिरहित कीमत में संशोधन के साथ, डंपिंग के खिलाफ प्रभावी राहत देने के लिए उससे जुड़े क्षति मार्जिन और शुल्क की फिर से गणना की जानी चाहिए।
196. इस संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने आईपीए द्वारा दाखिल जवाब के चरण से गोपनीयता के मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए मामले को प्राधिकारी के पास वापस भेजा था। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 16 के तहत अपने निर्णय का आधार बनने वाले ज़रूरी तथ्यों का खुलासा करना प्राधिकारी की ज़िम्मेदारी थी, ताकि उस आधार की पुष्टि की जा सके जिस पर आर-एस टीआईओ2 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि मौजूदा रिमांड कार्यवाही गोपनीयता से संबंधित मुद्दों और उत्पाद के दायरे में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने से संबंधित ज़रूरी तथ्यों के खुलासे पर फिर से विचार करने तक ही सीमित है। घरेलू उद्योग की नॉन-इंजुरियस प्राइस (क्षतिरहित कीमत) को फिर से तय करने की मांग सहित किसी भी अन्य मुद्दे की जांच करना रिमांड कार्यवाही के दायरे से बाहर है। इसलिए, प्राधिकारी मौजूदा रिमांड कार्यवाही में क्षतिरहित कीमत पर फिर से विचार करना या उसमें बदलाव करना उचित नहीं समझती है।
197. किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू इंडस्ट्री द्वारा अब उठाए गए लागत तत्वों से संबंधित मुद्दों की मूल जांच के दौरान उचित रूप से जांच की गई थी। इन मुद्दों पर प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों के आधार पर विचार किया गया था, और प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्षों में इनका समाधान किया था। चूंकि इन मुद्दों की पहले ही जांच और निर्णय किया जा चुका है, और ये मौजूदा रिमांड कार्यवाही के सीमित दायरे का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए इन पर फिर से विचार करने का कोई आधार नहीं है। मूल निष्कर्षों का संबंधित अंश, जिसे यहां अपनाया गया है, नीचे दिया गया है:

“कोटिंग की लागत का कम अनुमान लगाने के बारे में घरेलू उद्योग के तर्क पर, प्राधिकारी का कहना है कि कोटिंग की लागत का आकलन घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेरिफ़ाइड डेटा पर आधारित है और यह नियमावली के अनुलग्नक III में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार लागत के संबंधित घटकों पर विचार करने के बाद किया गया है।”

- iv. क्या घरेलू उद्योग ने गोपनीयता का दावा करने के लिए उचित कारण विवरण की वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया और क्या प्राधिकारी घरेलू उद्योग को उसके गोपनीयता के दावे के लिए कारण बताने का निर्देश देने के लिए बाध्य थे
198. हितबद्ध पक्षकार ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने उचित कारण विवरण की वैधानिक आवश्यकता को प्रदान नहीं किया है, जो नियमावली के नियम 7(2) के अंतर्गत एक अनिवार्य अधिदेश है।
199. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों को प्राधिकारी के पास वापस प्रतिप्रेषित केवल इसी कारण से किया गया था क्योंकि प्राधिकारी ने उचित कारण बताए बिना गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, प्राधिकारी ने दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें

विशेष रूप से घरेलू उद्योग से गोपनीयता के अपने दावों के समर्थन में एक विस्तृत औचित्य प्रदान करने की मांग की गई थी। उक्त अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी की गई थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकारी को नियम 7(2) और आदेश में शामिल टिप्पणियों के आलोक में गोपनीयता के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। माननीय न्यायालय की टिप्पणियों में से एक यह थी कि यह प्राधिकारी का कार्य था कि वे घरेलू उद्योग से गोपनीयता के दावों के लिए तर्क मांगते।

200. उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में, घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 31 अक्टूबर 2025 के अनुरोधों के माध्यम से एक विस्तृत उचित कारण विवरण प्रस्तुत किया। प्राधिकारी पाते हैं कि घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के अपने दावों की पुष्टि के लिए कारण प्रदान किए हैं।

v. क्या प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के नाम के संबंध में पिछले मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया है

201. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने हैलोब्यूटाइल रबर और इफेक्ट पर्लेसेंट पिगमेंट्स के मामलों में अपने स्वयं के दृष्टिकोण का सीधे विरोध किया है, जहां वाणिज्यिक बिक्री के दावों की पुष्टि के लिए ग्राहकों की पहचान का खुलासा किया गया था। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के नामों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस जानकारी के प्रकटीकरण की मांग हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई है, उसे घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय माना गया है। यह नोट किया जाता है कि ऐसी जानकारी को प्रयोक्ताओं और विदेशी निर्यातकों द्वारा भी गोपनीय माना गया है। प्रयोक्ता एक तरफ यह तर्क नहीं दे सकते कि घरेलू उद्योग ने अपनी आपूर्ति के विवरण को सुरक्षित रखकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है; जबकि दूसरी तरफ, वे अपनी स्वयं की खरीद के विवरण को गोपनीय बताते हैं। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों के संबंध में एक निष्पक्ष और समान दृष्टिकोण अपनाया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों की व्यावसायिक स्वामित्व वाली जानकारी को गोपनीय के रूप में स्वीकार किया गया है, जहां यह माना गया है कि ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से संबंधित पक्ष के प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचेगा।

vi. क्या रूटाइल-सल्फेट टीआईओ2 को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए

202. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आर-एस टीआईओ2 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इस आधार पर बाहर रखा जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग उक्त ग्रेड का उत्पादन या बिक्री नहीं करता है, कि यदि ऐसा कोई दावा किया गया है तो उसकी पुष्टि साक्ष्यों के साथ नहीं की गई है, और यदि कोई बिक्री की भी गई है, तो वह वाणिज्यिक मात्रा में नहीं है।

203. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा जाँच शुरुआत के चरण में और जांच के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी से यह स्थापित हुआ कि टीटीपीएल ने आर-एस टीआईओ2 का निर्माण और बिक्री की है। टीटीपीएल ने आर-एस टीआईओ2 के लिए अलग से क्षति विवरण और लागत संबंधी जानकारी प्रदान की है। आवेदन के हिस्से के रूप में कई अन्य जानकारियां भी थीं जो स्पष्ट रूप से आर-एस टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री को दर्शाती थीं। आवेदन का अगोपनीय संस्करण भी इसे स्थापित करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुरुआत के चरण से ही रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी में आर-एस टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री के संबंध में विस्तृत जानकारी शामिल है, जिसमें क्षति आकड़ों, लागत प्रारूप, उत्पादन रिकॉर्ड, आकड़ों का उत्पाद-वार पृथक्करण शामिल है। जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत जांच और सत्यापन किया गया है।

204. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों में सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से टीआईओ2 के निर्माण को प्रदर्शित करने वाले प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्षमता का साक्ष्य, आर-एस टीआईओ2 से बिक्री राजस्व दिखाने वाले वित्तीय विवरण, आर-एस टीआईओ2 के विशिष्ट उत्पादन और लागत तत्वों को इंगित करने वाली लागत लेखा

परीक्षा रिपोर्ट, और आर-एस टीआईओ2 की बिक्री दिखाने वाले ट्रायल बैलेंस तथा बिक्री आकड़ों शामिल हैं। प्राधिकारी नमूना बिक्री बीजक और सत्यापित उत्पादन एवं बिक्री जानकारी को भी नोट करते हैं, जो आर-एस टीआईओ2 के लेनदेन को दर्शाते हैं।

205. प्राधिकारी यह भी पाते हैं कि विशिष्ट प्रयोक्ता क्षेत्रों, जैसे कि पेंट कंपनियां जो इंडियन पेंट एसोसिएशन की सदस्य हैं, को बिक्री न होने के कथित आधार पर अपवर्जन की मांग करने वाला तर्क गलत है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग को प्रत्येक अंतिम उपयोग क्षेत्र में बिक्री प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है कि घरेलू उद्योग उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में बिक्री का न होना या सीमित होना उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करने का औचित्य नहीं होगा। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पेंट और गैर-पेंट दोनों प्रयोक्ताओं को आर-एस टीआईओ2 की बिक्री स्थापित करते हैं।

vii. क्या घरेलू उद्योग द्वारा की गई आर-एस टीआईओ2 की बिक्री वाणिज्यिक मात्रा में नहीं है

206. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम विचाराधीन उत्पाद के दायरे को निर्धारित करने की शर्त के रूप में बिक्री की मात्रा की किसी न्यूनतम सीमा को निर्धारित नहीं करते हैं। संगत विचार यह है कि क्या घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक मात्रा में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है। वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि ऐसी बिक्री उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को की गई है और यह घरेलू उद्योग के सत्यापित रिकॉर्ड में परिलक्षित होती है।

viii. क्या 200–350 एनएम के कण आकार वाले टीआईओ2 को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए

207. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उन तर्कों की जांच की है कि 200–350 एनएम की सीमा के भीतर टीआईओ2 कण आकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को शुरुआत के चरण में ही टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसमें खाद्य, फार्मा, स्किन-केयर, टेक्सटाइल और फाइबर अनुप्रयोगों, तथा 100 एनएम से नीचे के कण आकार वाले नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखा गया था। इसके अलावा, एक प्रतिप्रेषण कार्यवाही होने के कारण, वर्तमान तर्क इस प्रतिप्रेषण जांच के दायरे से बाहर है।

ix. क्या संपूर्ण स्किन केयर उत्पादों को बाहर रखा जाना चाहिए, या, प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शब्द "कॉस्मेटिक्स" में नहाने के साबुन शामिल हैं

208. हितबद्ध पक्षकारों ने या तो स्किन-केयर उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के लिए पूर्ण अपवर्जन का अनुरोध किया है या किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है कि शब्द "कॉस्मेटिक्स" में टॉयलेट सोप शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के प्रतिप्रेषण निर्देशों के अनुसरण में उत्पन्न हुई है और यह गोपनीयता, आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण और उसके परिणामी मामलों के मुद्दों तक सीमित है। मूल जांच में पहले से निर्धारित अपवर्जन के दायरे में संशोधन से संबंधित मुद्दे प्रतिप्रेषण निर्देशों से उत्पन्न नहीं होते हैं और इसलिए वर्तमान कार्यवाही के दायरे से बाहर हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि अपवर्जन को पहले ही इस निष्कर्ष में संबोधित किया गया है और यह स्किन केयर के लिए अभिप्रेत टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बाहर रखता है। तदनुसार, प्राधिकारी वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में अपवर्जन के दायरे पर पुनर्विचार करना या उसमें संशोधन करना उचित नहीं समझते हैं।

x. निर्यात कीमत और लाभप्रदता के संबंध में गोल्ड स्टार ट्रेडिंग ग्रुप के तर्क

209. गोल्ड स्टार ट्रेडिंग ने तर्क दिया है कि निर्यात कीमत का निर्धारण उत्पादक समूह के बजाय संबंधित व्यापारी के बिक्री मूल्यों का उपयोग करके किया जाना चाहिए और खरीद लागत, निर्मित निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन गणना के लिए लाभप्रदता को संशोधित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही मूल जांच में लागू किए गए सामान्य कीमत, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन या समायोजन पद्धतियों पर पुनर्विचार के लिए शुरू नहीं की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को केवल गोपनीयता और विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने से संबंधित आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण के संबंध में प्रतिप्रेषण किया था। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि निर्यात कीमत के निर्माण और पाटन मार्जिन की गणना से संबंधित मुद्दे वर्तमान कार्यवाही के दायरे से बाहर हैं और इसलिए उनकी पुनः जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

xi. क्या शुल्क लगाने की सिफारिश उस तारीख से की जानी चाहिए जिस तारीख से इसे वित्त मंत्रालय द्वारा हटा दिया गया था

210. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि, चूंकि संबंधित वस्तुओं पर पहले पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक आधार पर उसे रद्द कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही के अनुसरण में अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क को उस तारीख से लागू किया जाना चाहिए जिस तारीख से पिछला शुल्क समाप्त हुआ था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 10 मई 2025 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया शुल्क कायम नहीं रखा जा सकता है और उसे अंतिम जांच परिणामों के साथ तदनुसार रद्द कर दिया गया है। प्राधिकारी, इसलिए, घरेलू उद्योग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही के अनुसरण में अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क को उस तारीख से लागू किया जाना चाहिए जिस तारीख से पिछला शुल्क समाप्त हुआ था। प्राधिकारी का मानना है कि शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है जब इसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

xii. क्या 19 मई 2026 के पत्र के माध्यम से आईपीए द्वारा मांगे गए प्रकटन प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य प्रकटन को न्यायसंगत ठहराते हैं

क. उन महीनों के विवरण के संबंध में प्रकटन का अनुरोध जिनमें पेंट उद्योग को बिक्री की गई थी

211. यह तर्क दिया गया है कि मूल जांच परिणामों में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने आर-एस टीआईओ2 की वाणिज्यिक बिक्री की थी और पेंट उद्योग के बीजक प्रदान किए गए थे। यह आगे अनुरोध किया गया है कि प्रतिप्रेषण कार्यवाही में, घरेलू उद्योग स्वयं यह स्वीकार करता है कि जांच अवधि के दौरान पेंट उद्योग को आर-एस टीआईओ2 नहीं बेचा गया था। यह अनुरोध किया गया था कि क्षति की अवधि और जांच अवधि के उन महीनों के विवरण का खुलासा किया जाए जब पेंट उद्योग को बिक्री की गई थी, जिसमें मात्रा और पेंट कंपनी का विवरण शामिल हो।

212. घरेलू उद्योग के अनुरोधों की जांच करने पर, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने प्रतिप्रेषण कार्यवाही में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है कि जांच अवधि के दौरान पेंट उद्योग को आर-एस टीआईओ2 नहीं बेचा गया था। इसके विपरीत, अनुरोधों से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने यह मत बनाए रखा है कि उसने जांच अवधि के दौरान पेंट उद्योग सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को आर-एस टीआईओ2 बेचा है। जहाँ तक पेंट उद्योग को आर-एस टीआईओ2 की वाणिज्यिक बिक्री का संबंध है, प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 25 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्राधिकारी का पीयूसी के दायरे से आर-एस टीआईओ2 को बाहर न करने का निर्धारण केवल एशियन पेंट्स या किसी विशिष्ट पेंट कंपनी या उन पेंट कंपनियों को की गई टीआईओ2 की बिक्री पर आधारित नहीं है जो आईपीए की सदस्य हैं। संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है। इसके अलावा, यह दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग

ने अपने आवेदन में, अन्य सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ आर-एस टीआईओ2 के लिए अलग से क्षति और लागत संबंधी जानकारी प्रदान की थी:

पैराग्राफ 25: पीयूसी के दायरे में आर-एस टीआईओ2 को शामिल करने पर प्राधिकारी का निर्धारण मुख्य रूप से एशियन पेंट्स या किसी विशिष्ट पेंट कंपनी को की गई बिक्री पर आधारित नहीं है। यह निर्धारण इस निष्कर्ष पर आधारित है कि टीटीपीएल ने वाणिज्यिक रूप से आर-एस टीआईओ2 का उत्पादन और बिक्री की है, कि आर-सी टीआईओ2 और आर-एस टीआईओ2 पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के अर्थ में समान वस्तुएं हैं, और घरेलू उद्योग के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग करने से पहले उपभोक्ता बाजार के प्रत्येक खंड को उत्पाद बेचना आवश्यक नहीं है।

ख. आर-एस की वाणिज्यिक मात्रा में बिक्री से संबंधित आकड़ों के प्रकटन का अनुरोध

213. वाणिज्यिक मात्रा में आर-एस की बिक्री के आकड़ों के संबंध में आगे प्रकटन का अनुरोध किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि चूंकि कोई वास्तविक आकड़ों प्रकट नहीं किया गया है, इसलिए यह निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह आगे तर्क दिया गया है कि जो जानकारी घरेलू उद्योग ने स्वयं प्रकट की है, उसे प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा रूप से रोका नहीं जा सकता।
214. इस मामले की जांच की गई है, और यह नोट किया गया है कि प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 28 में प्राधिकारी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने टीटीपीएल द्वारा आर-एस टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री को सत्यापित करने तथा वाणिज्यिक मात्रा में आर-एस टीआईओ2 के उत्पादन और बिक्री की जांच करने के लिए मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही के सभी रिकॉर्डों की जांच की है।
215. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों में प्रकट की गई बिक्री की मात्रा को प्राधिकारी द्वारा न तो पुनः प्रस्तुत किया गया है और न ही स्पष्ट रूप से उसकी पुष्टि की गई है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी के लिए मामले के रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तावित निर्धारण का आधार बनने वाले आवश्यक तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक होता है। प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लाई गई प्रत्येक जानकारी को शब्दशः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ऐसी जानकारी को पुनः प्रस्तुत न करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उस पर विचार नहीं किया गया है। असल में, डंपिंग मार्जिन, क्षति और क्षति मार्जिन का पता लगाने से जुड़ी जांच में घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों से मिली बहुत सारी जानकारी पर प्राधिकारी विचार करती है, ताकि ज़रूरी तथ्यों और अंतिम नतीजों तक पहुँचा जा सके। हालाँकि, प्राधिकारी उस सारी जानकारी को न तो प्रकटन विवरण में और न ही अंतिम नतीजों में दोबारा बताती है। डिस्क्लोज़र के चरण में, प्राधिकारी को उन ज़रूरी तथ्यों को बताना होता है जिनके आधार पर वह फैसला लेगी। प्राधिकारी के लिए उन जानकारीयों को बताना ज़रूरी नहीं है जो ज़रूरी तथ्यों को स्थापित करने का आधार बनती हैं। किसी भी स्थिति में, आर-एस की घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री की पुष्टि की गई है और मौजूदा नतीजों में साफ़ तौर पर इसकी पुष्टि की गई है। प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत भी तय किया है, जिसका मतलब है वाणिज्यिक मात्रा में चार साल का डेटा।

ग. विचार किए गए 22% के आरओसीई के आधार का प्रकटन

216. इस उद्योग के संबंध में घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों दोनों के लिए औसत ऐतिहासिक आय दर के प्रकटन का अनुरोध किया गया है। यह आगे अनुरोध किया गया है कि यह अनुरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 22% आरओसीई स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत है कि 22% आरओसीई को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक बहुत ही उच्च दर है और यह क्षतिरहित कीमत तथा क्षति मार्जिन को कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है।

217. इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित निवेश पर आय प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 93 में दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान वर्षों में से एक वर्ष में 22% से कहीं अधिक आरओआई अर्जित की थी। तथापि, घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियोजित पूंजी पर 22% आय को अपनाना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है।

218. जहाँ तक चीन के उत्पादकों का संबंध है, उनके द्वारा अर्जित निवेश पर आय किसी भी मामले में संगत नहीं है।

xiii. क्या कोटेड आर-एस टीआईओ2 और अनकोटेड आर-एस टीआईओ2 समान वस्तु हैं

219. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि टीटीपीएल अनकोटेड रूटाइल ग्रेड का उत्पादन करता है, जो चीन से आयातित कोटेड रूटाइल ग्रेड की तुलना में गुणवत्ता में काफी कमतर है, और इस प्रकार, टीटीपीएल का उत्पाद जांच के अधीन कोटेड रूटाइल (सल्फेट या क्लोराइड) ग्रेड के साथ तुलनीय या विनिमेय नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों के बीच एकमात्र अंतर कोटिंग की प्रक्रिया का है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों से आयातित सल्फेट-रूटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बीच निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए, क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कोटिंग लागत के लिए उचित समायोजन किए गए हैं।

थ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

थ.1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

थ.1.क मूल कार्यवाही में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

220. जनहित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे पेंट और प्लास्टिक निर्माता प्रभावित होंगे।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने अनुरोध किया है कि टीआईओ2 का कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो उनके उत्पादों में समान निष्पादन प्रदान करता हो। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 10% पाटनरोधी शुल्क लगाने से तैयार उत्पादों के लिए पेंट उत्पादन लागत में ₹5/किग्रा की वृद्धि होगी, जिससे फॉर्मूलेशन में प्रयोग के स्तर के आधार पर पेंट की कीमतें ₹3.5-6/किग्रा तक बढ़ सकती हैं। पेंट फॉर्मूलेशन में टीआईओ2 की काफी अधिक हिस्सेदारी (15-20%) को देखते हुए, लागत में वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ने की संभावना है। इसके बावजूद, यह माना जाता है कि टीआईओ2 की मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील नहीं है बल्कि गुणवत्ता से प्रेरित है, क्योंकि घरेलू उद्योग सफेदी, चमक और निखार के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने आयातों पर एक काफी अधिक निर्भरता पर प्रकाश डाला है, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता का अभाव है।
- iii. किफायती उत्पादों पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता अब इन उत्पादों को खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे।
- iv. संबद्ध वस्तुओं पर देय 10% सीमा शुल्क के कारण आयात की लागत पहले ही बढ़ चुकी है। पाटनरोधी शुल्क जोड़ने से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कीमत में भारी वृद्धि होगी।
- v. शुल्क लगाना उपभोक्ता हित के विरुद्ध होगा क्योंकि संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता पेंट उद्योग है। देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को केवल आयात के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।
- vi. कुल भारतीय खपत में, कुल भारतीय उत्पादन का 10% से अधिक होने की संभावना नहीं है। इसलिए,

- यदि शुल्क लागू किए जाते हैं, तो यह बहुसंख्यक लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- vii. घरेलू रूप से उपलब्ध रूटाइल ग्रेड उपयुक्त नहीं है और इसलिए प्रयोक्ताओं को आयात करना होगा, जो शुल्क लगाए जाने की स्थिति में हतोत्साहित होगा।
 - viii. यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण यूरोपीय संघ के भीतर पेंट निर्माताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और भारत में भी इसी स्थिति के दोहराए जाने की संभावना है।
 - ix. शुल्क लगाने से भारतीय मास्टरबैच उद्योग के सामने चुनौतियाँ आएंगी क्योंकि प्रतिगामी शुल्क संरचना के कारण उद्योग पर वित्तीय दबाव है, और इसके अलावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को संभावित आघात लगेगा।
 - x. भारत विदेशी निर्यातकों के लिए असाधारण रूप से उच्च विकास वाला या आकर्षक बाजार नहीं है क्योंकि हाल के वर्षों में मांग अपेक्षाकृत स्थिर रही है और यह विदेशी निर्यातकों के लिए काफी अधिक या बढ़ते आकर्षण का संकेत नहीं देती है।
 - xi. अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उनके परिचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। टीआईओ2 के लिए पहले की कीमतों में 50% तक की वृद्धि के बावजूद, उन्होंने मांग में कोई व्यवधान महसूस नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कीमत वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योग को काफी अधिक रूप से प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि टीआईओ2 की मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील नहीं है, और बाजार में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बड़ी पेंट कंपनियाँ आमतौर पर मांग में कमी के बिना कीमत वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं। गैर-संबद्ध देशों से चीन के टीआईओ2 के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए शुल्क लगाए जाने पर वे आसानी से आपूर्तिकर्ताओं को बदल सकते हैं। तैयार उत्पादों में टीआईओ2 एक छोटा घटक है, और कीमत वृद्धि का लाभप्रदता पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

थ.1.ख वर्तमान प्रतिप्रेषण कार्यवाही में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

221. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान कार्यवाही में क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. आर-एस उत्पादकों को पिगमेंट लोडिंग में बदलाव करने में सक्षम बनाता है जिससे महंगे आर-सी के विपरीत किफायती पेंट उत्पादन संभव होता है और इन अलग-अलग उत्पादों को एक साथ मिलाना बाजार की वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है तथा सरकार के सामाजिक समता कार्यक्रमों के किसी भी लाभ को खतरे में डालता है।
 - ii. किफायती आर-एस की उपलब्धता सामाजिक समता, आवास सुरक्षा और मुद्रास्फीति नियंत्रण का मामला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य लाखों परिवारों को आवास प्रदान करना है और इस योजना के अनुसार 'पक्के' मकानों को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख घटक पेंट है।
 - iii. आर-एस को अव्यवहारिक बनाने से 15,000 एमएसएमई इकाइयाँ खतरे में पड़ जाएंगी, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियाँ जाएंगी और सामाजिक व्यवधान होगा।
 - iv. नेमी केम एनाटेस ग्रेड का व्यापार करता है जो प्रकाशीय गुणों, फैलाव और अपारदर्शिता के लिए अपरिहार्य है, जिससे यह कई फॉर्मूलेशन में एक गैर-प्रतिस्थापनीय कच्चा माल बन जाता है। आईएसआई-प्रमाणित एनाटेस के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता 28,000–30,000 मीट्रिक टन है, जबकि कुल मांग 2,00,000 मीट्रिक टन है, जिससे 1,70,000 मीट्रिक टन का अंतर पैदा होता है। आपूर्ति व्यवधान से बचने के लिए

- यह अंतर आयात को आवश्यक बनाता है।
- v. वैश्विक एनाटेस उत्पादन चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया और भारत तक सीमित है। कोरिया अपनी मांग को खुद पूरा करता है जबकि भारत की क्षमता अपर्याप्त है, जिससे चीन से आयात अपरिहार्य हो जाता है।
 - vi. एसीटोन एसएसआर (2016) में प्राधिकारी के जाँच परिणाम में यह माना गया था कि यदि शुल्कों को बढ़ाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग या घरेलू उत्पादकों के हित में नहीं होगा, क्योंकि मांग-आपूर्ति में काफी अधिक अंतर मौजूद है जो आयात को आवश्यक बनाता है। इसी तरह, यहाँ चीन के पास एनाटेस की अपनी घरेलू और साथ ही वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए प्रचुर क्षमता है।
 - vii. एनाटेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग की मांग को पूरा करने में अक्षमता और एनाटेस की आयात कीमत इतनी अधिक होने के कारण संबद्ध सुविधाएं बंद हो जाएंगी कि यह आयातकों/प्रयोक्ताओं के लिए वहन करने योग्य नहीं रह जाएगा।
 - viii. पाटनरोधी शुल्क अनुचित है क्योंकि डाउनस्ट्रीम उद्योगों को बनाए रखने के लिए आयात आवश्यक हैं और आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक आयातों को दंडित करने के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी उपाय का उपयोग सुरक्षात्मक बाधा या बाजार संतुलन को बिगाड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है।
 - ix. पेंट में एनाटेस 20-25%, मास्टरबैच में 30-40%, कागज में 15-20% और सिरेमिक में 18-20% होता है, जिससे यह प्रमुख उद्योगों में एक काफी अधिक लागत घटक बन जाता है। शुल्कों से लागत बढ़ेगी जिसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों या उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी, बाजार विकृत होंगे और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा।
 - x. पाटनरोधी शुल्क के बाद आयात कीमतें ₹175/किग्रा से बढ़कर ₹225/किग्रा हो गईं, जबकि घरेलू उद्योग की कीमतें केवल ₹170/किग्रा से बढ़कर ₹185/किग्रा हुईं, जो पाटनरोधी शुल्क संरक्षण के कम उपयोग को दर्शाता है।
 - xi. कीमतों में वृद्धि से एमएसएमई को बंद होने का सामना करना पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क प्रयोक्ताओं को उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचाएगा जितना यह घरेलू उद्योग की रक्षा करता है और यह घरेलू उद्योग के संरक्षण से कहीं अधिक प्रतिकूल होगा।
 - xii. पेंट, प्लास्टिक, स्याही और पैकेजिंग जैसे प्रमुख उद्योगों के लिए टीआईओ2 एक काफी अधिक कच्चा माल है, जिसमें बड़ी संख्या में एमएसएमई शामिल हैं। शुल्कों से इनपुट लागत बढ़ेगी, डाउनस्ट्रीम उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी और रोजगार तथा निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

थ.2. घरेलू उद्योग के विचार

थ.2.क मूल जाँच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

222. मूल जाँच में जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग में संपूर्ण भारतीय उद्योग शामिल है और हाल ही में एक और उत्पादक ने बाजार में प्रवेश किया है। निष्पक्ष बाजार कीमत सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है और यह भारत को पूरी तरह से आयात पर निर्भर होने से रोकेगा। यदि शुल्क नहीं लगाया गया, तो चीन के उत्पादक बाजार में एकाधिकार स्थापित कर लेंगे।
- ii. चीन से होने वाले संबद्ध आयातों की बढ़ती बाजार हिस्सेदारी ने न केवल घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, बल्कि अन्य देशों की हिस्सेदारी भी ले ली है।

- iii. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से रोजगार में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।
- iv. टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग पेंट और कोटिंग उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कागज, रबर और चमड़ा उद्योगों में किया जाता है। डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए संबद्ध वस्तुओं की लागत का हिस्सा नगण्य है। संबद्ध वस्तुओं की 70% मांग पेंट उद्योग द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें टीओआई2 की हिस्सेदारी संरचना में बहुत कम 5% होती है।
- v. टाइटेनियम डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पेंट उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो कुल मांग का लगभग 70% है। घरेलू उपयोग के पेंट में यह वस्तु 5%, औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले पेंट में 25% और उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले पाउडर कोटिंग में 30% संरचना का निर्माण करती है। अंतिम उपभोक्ता पर शुल्कों का अंतिम प्रभाव न्यूनतम और नगण्य होगा।
- vi. यदि उपाय लागू नहीं किए जाते हैं, तो पाटित आयातों की कीमतों का मुकाबला करने में असमर्थता, गिरती लाभप्रदता और अन्य वित्तीय संकेतकों के कारण उद्योग के बंद होने की संभावना है।
- vii. पेंट उद्योग, भले ही लागत में होने वाली किसी भी संभावित वृद्धि का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने में असमर्थ हो, फिर भी वह लगाए गए शुल्कों के प्रभाव को स्वयं अवशोषित करने में सक्षम होगा।
- viii. जहां तक प्लास्टिक उद्योग का संबंध है, यह क्षेत्र तब भी लाभदायक बना रहेगा जब शुल्कों का प्रभाव आगे न बढ़ाया जाए या इसे अवशोषित न किया जाए।
- ix. मांग-आपूर्ति में अंतर का होना संबद्ध वस्तुओं के पाटन को न्यायसंगत नहीं ठहराता है।
- x. घरेलू उद्योग की क्षमता का विस्तार करने और भारतीय उद्योग में नई इकाइयां जोड़ने की आसन्न योजनाएं मौजूद हैं, जिससे समग्र रूप से आयात की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- xi. मास्टरबैच उद्योग पर पड़ने वाले किसी भी न्यूनतम प्रभाव को डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है, और वैकल्पिक रूप से, टीओआई2 के अन्य स्रोत भी मौजूद हैं जहां से मास्टरबैच उद्योग टीओआई2 का स्रोत प्राप्त कर सकता है।
- xii. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए, मास्टरबैच के निर्यातक अग्रिम प्राधिकार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें उत्पादों का शुल्क-मुक्त आयात करने में सक्षम बनाएगा।
- xiii. भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है और भारतीय बाजार द्वारा पेश की जाने वाली मांग की मात्रा काफी अधिक है, जिसकी तुलना अलग रूप से अन्य देशों से नहीं की जा सकती।
- xiv. कई जांच प्राधिकारियों ने चीन से होने वाले टीओआई2 के आयात पर शुल्क लगाया है और जांच शुरू की है।
- xv. यदि आयातक और प्रयोक्ता वैकल्पिक स्रोतों का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो सल्फेट प्रक्रिया के माध्यम से रुटाइल और क्लोराइड प्रक्रिया के माध्यम से रुटाइल दोनों को वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।
- xvi. यह उत्पाद एक कीमत-संवेदनशील और पूंजी-प्रधान उत्पाद है, और ऐसे उत्पाद के लिए क्षमता विस्तार चुनौतियां पेश करता है और इसमें काफी समय लगता है। घरेलू उद्योग इस दिशा में प्रयास कर रहा है।
- xvii. घरेलू उद्योग को अपनी विस्तार योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करने हेतु एक निष्पक्ष बाजार की आवश्यकता है।

थ.2.ख वर्तमान प्रतिप्रेषण जॉच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध

223. घरेलू उद्योग ने वर्तमान कार्यवाही में क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आयात निर्भरता को रोकने, निष्पक्ष कीमत निर्धारण सुनिश्चित करने और भारत के विनिर्माण उद्देश्यों के लिए केंद्रीय घरेलू क्षमता को बनाए रखने के लिए जनहित में पाटनरोधी शुल्क आवश्यक है।
- ii. केएमएमएल के टीओआई2 संयंत्र की व्यवहार्यता 'आत्मनिर्भर भारत' और 'क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति' के अनुरूप रणनीतिक पहलों का आधार है। लगातार घाटे से संयंत्र बंद होने का जोखिम है, जिसके डाउनस्ट्रीम रक्षा/एयरोस्पेस क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- iii. मांग-आपूर्ति का अंतर पाटन वाले कीमत निर्धारण को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकता। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य आयातों को रोकना नहीं है, बल्कि केवल निष्पक्ष और पाटन रहित कीमत सुनिश्चित करना है ताकि घरेलू क्षमता व्यावहारिक रूप से कार्य कर सके और विस्तार योजनाएं आगे बढ़ सकें।
- iv. यह दावे कि एडीडी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंगु हो जाएंगे, निराधार हैं। डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर इसके प्रभाव की मात्रा न्यूनतम है, जबकि पाटित आयातों पर निर्भरता आपूर्ति को अस्थिर कर सकती है।

थ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

224. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य रूप से पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से होने वाले आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का उद्देश्य व्यापार-विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है। इसके साथ ही, प्राधिकारी इस बात से भी अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पीयूसी के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, शुल्कों के अधिरोपण से देश के भीतर नए उत्पादकों के उभरने को बढ़ावा मिल सकता है।
225. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितधारकों से विचार आमंत्रित करते हुए जॉच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए इस जांच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की थी, जिसमें उनके संचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी संभावित प्रभाव की जानकारी शामिल थी। अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव, और पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन को तेज या विलंबित करने वाले कारकों पर जानकारी मांगी गई थी।
226. हितबद्ध पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों से यह नोट किया गया है कि विचाराधीन वस्तु का मुख्य रूप से पेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है, जो विचाराधीन वस्तु की कुल मांग का एक बड़ा हिस्सा है, और यह वस्तु पेंट की संरचना के कुल वॉल्यूम का बहुत कम प्रतिशत बनाती है। आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण से पता चलता है कि शुल्क लगाने के प्रभाव के कारण विचाराधीन वस्तु की लागत में अंतर काफी अधिक नहीं होगा।

227. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर मौजूद है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि मौजूदा उत्पादकों और नए उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। एक नए उत्पादक, मेसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ने जांच अवधि के पश्चात पहले ही नई क्षमताएं स्थापित कर ली हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि पाटन का समाधान किया जाना आवश्यक है, ताकि भारतीय उद्योग को क्षमता विस्तार की योजना बनाने के लिए एक निष्पक्ष और समान अवसर प्रदान किया जा सके, क्योंकि यह उद्योग एक पूंजी-प्रधान उद्योग है।
228. इस संबंध में यह भी नोट किया गया है कि मांग-आपूर्ति के अंतर का होना किसी भी स्थिति में पाटन को न्यायसंगत नहीं ठहराता है। यही सिद्धांत सेस्टेट द्वारा डीएसएम इडेमिस्तु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी⁵ मामले में और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा नोसिल लिमिटेड बनाम भारत सरकार मामले में प्रतिपादित किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया था:
- "जहां मांग और आपूर्ति का अंतर मौजूद होता है, वहां आयात अपरिहार्य हो जाते हैं, किंतु यह भारत में अनुचित और पाटन वाले मूल्यों पर होने वाले आयातों के लिए कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि वर्तमान मामले में निरंतर पाटन हो रहा है और इसलिए, मांग और आपूर्ति का अंतर ऐसे आयात की अनुमति देने का आधार नहीं है।"*
229. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी कुल भारतीय मांग का 57% है। संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि ने गैर-संबद्ध देशों से होने वाले आयातों की बाजार हिस्सेदारी को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जिनकी बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 43% से घटकर जांच अवधि में 31% रह गई है। उपभोक्ताओं के पास आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं। इसलिए, भले ही पाटनरोधी शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप आयात की मात्रा में गिरावट आती है, गैर-संबद्ध देशों से होने वाले आयात ऐसे पाटन वाले आयातों को प्रतिस्थापित कर देंगे और इस प्रकार, यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे कम करेंगे।

द. निष्कर्ष

230. किए गए अनुरोधों, प्रदान की गई जानकारी, और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- विचाराधीन उत्पाद का दायरा चीन जनवादी गणराज्य से मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टाइटेनियम डाइऑक्साइड" है।
 - संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क उप-शीर्ष 28230010 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और चूंकि यह एक पिगमेंट है, इसलिए संबद्ध वस्तुओं के आयात की सूचना 32061110 और 32061190 के अंतर्गत भी की जा रही है।

- iii) यह आवेदन मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, मैसर्स त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मैसर्स बीवी टाइटेनियम पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक नियम 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और यह आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।
- iv) चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 2(घ) के अर्थ के अंतर्गत एक दूसरे के 'समान वस्तु' हैं।
- v) विचाराधीन उत्पाद का भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी अधिक है।
- vi) क्षति अवधि के दौरान, विशेष रूप से जांच अवधि में, संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान भारत में होने वाले कुल आयातों में संबद्ध देश के आयात की अधिकता रही है।
- vii) आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों में हास करने पर काफी प्रभाव पड़ा है।
- viii) आधार वर्ष और 2021-22 से उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई, जिसके बाद इसमें गिरावट आई। देश में उच्च मांग के बावजूद क्षमता उपयोग कम रहा है।
- ix) घरेलू उद्योग की बिक्री 2021-22 तक बढ़ी, 2022-23 में घटी और जांच अवधि में फिर बढ़ी है।
- x) घरेलू मांग में संबंधित देश से होने वाले आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- xi) क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ और नकद लाभ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग 2022-23 और पीओआई से लगातार घाटा उठा रहा है। निवेश पर आय में भी भारी गिरावट आई है और पीओआई में यह नकारात्मक ***% था।
- xii) क्षति अवधि के दौरान औसत मालसूची में काफी अधिक वृद्धि हुई है।
- xiii) पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में मामूली वृद्धि को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में कमी आई है।
- xiv) प्रति कर्मचारी उत्पादकता आधार वर्ष और 2021-22 में बढ़ी, जबकि 2022-23 और पीओआई में इसमें गिरावट आई।
- xv) पाटित कीमतों पर होने वाले आयातों ने घरेलू उद्योग के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- xvi) कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण प्रतीत नहीं होता है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन वाले आयातों के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है, और वह संबद्ध देश से क्षति के खतरे का सामना कर रहा है।
- xvii) उपभोक्ताओं के नामों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया गोपनीयता का दावा उचित है क्योंकि यह व्यवसाय-संवेदनशील जानकारी है।
- xviii) माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है और गोपनीयता तथा आवश्यक तथ्यों के प्रकटन के मुद्दों पर तदनुसार पुनर्विचार, जाँच और समाधान किया गया है।
- xix) रुटाइल-सल्फेट टीओआई2 विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य टीटीपीएल द्वारा आर-एस टीओआई2 के उत्पादन और बिक्री को प्रदर्शित करते हैं।

- xx) रूटाइल-सल्फेट टीओआई2 और रूटाइल-क्लोराइड टीओआई2 परस्पर विनिमेय हैं और 'समान वस्तु' का गठन करते हैं।

ध. सिफारिशें

231. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा उन्हें क्षति, कारणात्मक संबंध और उपायों के प्रभाव के पहलू पर जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अंतर्गत निर्धारित पाटनरोधी जांच के प्रावधानों के संदर्भ में जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
232. इसके अलावा, एचएस कोड - 28230010, 32061110 और 32061190 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निकाले गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस कोड के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण की सिफारिश करते हैं।
233. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबंधित देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जो नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।

शुल्क तालिका

क्रसं.	शीर्ष/उपशीर्ष/	स्तुओं का विवरण	मूलता का देश	र्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28230010, 32061110, तथा 32061190*	टाइटेनियम डाइआक्साइड**	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	अनहुइ गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइआक्साइड .लि.कं (ग्रुप) अनहुइ गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइआक्साइड ट्रेडिंग कं.लि.	609	एमटी	अम डा
2.	-वही-	-वही-	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	शेडोंग जिन्हाई टाइटैनियम रिसोर्सिज टेक्नालाजी कं.लि.	563	एमटी	अम डा

					शेडोंग जियानघई टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड			
3.	-वही-	-वही-	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	एलबी जियांगयांग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, और	460	एमटी	अम डा
					एलबी सिचुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड,			
					एलबी लुफेंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड,			
					एल बी ग्रुप कंपनी लि.			
					हेनन बिलियंस एडवांस्ड मैटेरियल कं.लि .			
4.	-वही-	-वही-	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	गैर नमूनाकृत**** सहयोगी उत्पादक	510	एमटी	अम डा
5.	-वही-	-वही-	चीन जन गण	संबद्ध देश से इतर कोई देश	क्र.सं. 1,2 , को 4 और 3 छोड़कर कोई उत्पादक	681	एमटी	अम डा
6.	-वही-	-वही-	संबद्ध देश से इतर कोई देश	चीन जन गण	कोई	681	एमटी	अम डा

टिप्पणी 1: सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणी 2: ऊपर उल्लिखित उत्पादकों के लिए निर्दिष्ट अलग शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा, जिस पर उक्त बीजक जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित एक घोषणा अंकित होगी, जिसमें उनके नाम और पद की पहचान होगी, जो निम्नानुसार तैयार की जाएगी:

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता हूँ कि इस बीजक के अंतर्गत भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (विचाराधीन उत्पाद) की (मात्रा) का निर्माण [संबद्ध देश] में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस बीजक में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण और सही है।”

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू होने वाला शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमावली के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

*****निम्नलिखित को छोड़कर**

क्र. सं.	बाहर रखे गए उत्पाद	बाहर रखे गए उत्पाद और उनकी जानकारी
1	खाद्य	खाने की चीज़ों में रंग लाने जैसे एडिटिव्स में इस्तेमाल होने वाला टीआईओ ₂
2	फार्मा	टैबलेट की ऊपरी परत में एक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल होने वाला टीआईओ ₂
3	स्किनकेयर-	कॉस्मेटिक्स और सनस्क्रीन लोशन में यूवी-अब्ज़ॉर्बिंग और फोटोकैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला टीआईओ ₂
4	टेक्सटाइल	टेक्सटाइलफाइबर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला टीआईओ ₂ । टेक्सटाइल और फाइबर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला टीआईओ ₂ - जो मुख्य रूप से फोटो-क्लीनिंग-टलिटिक सेल्फैंक, यूवी प्रोटेक्शन और डी लस्टरिंग जैसी खूबियों के कारण- उसे इस प्रोडक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। - इस्तेमाल होता है तथापि, यह छूट उस टीआईओ ₂ पर लागू नहीं होती जिसका इस्तेमाल टेक्सटाइलफैब्रिक पर प्रिंटिंग के लिए पिगमेंट के तौर पर किया जाता है/कपड़े/गारमेंट/।
5	फाइबर	टीआईओ ₂ का इस्तेमाल आर्टिफिशियल फाइबर की चमक कम करने के लिए किया जाता है और इस फाइबर का इस्तेमाल टेक्सटाइल बनाने में होता है। कपड़ा बनाने के लिए फाइबर के धागों के साथ फाइबर ग्रेड मटीरियल मिलाया जाता है। डेकोर पेपर बनाने के लिए टीआईओ ₂ रूटाइल ग्रेड (फाइबर) (पल्प स्टेज पर इस्तेमाल/
6	नैनो या अल्ट्राफाइन	फ़ाइन टाइटेनियम-एनएम से कम पार्टिकल साइज़ वाले नैनो या अल्ट्रा 100 डाइऑक्साइड का इस्तेमाल टेक्सटाइल या पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, ताकि धूल-क्त टेक्सटाइल या पेंट जैसी खासियतें मिल सकें।

******गैर-नमूनाकृत सहयोगी उत्पादक**

1. यिबिन तियानयुआन हैफेंग हेटाई कं. लिमिटेड
2. पैनगैंग ग्रुप के चोंगकिंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
3. पैनगैंग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
4. जियांगशी टिकोन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कं. लिमिटेड (एक ट्रानॉक्स कंपनी)
5. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कं. लिमिटेड
6. इंटर-चाइना केमिकल कं. लिमिटेड
7. अनहुई अन्नादा टाइटेनियम इंडस्ट्री कं. लिमिटेड

8. शैडोंग डोगुइड ग्रुप कं. लिमिटेड

9. कियानजियांग फेंगयुआन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं. लिमिटेड

10. जिनान युक्सिंग केमिकल कं. लिमिटेड

11. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कं. लिमिटेड

12. शैडोंग डॉन टाइटेनियम इंडस्ट्री कं. लिमिटेड

234. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल होंगे।

न. आगे की प्रक्रिया

235. इस अंतिम जांच परिणाम पर आधारित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 3rd August, 2026

Case No. AD (OI)-03/2024

Subject: Final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of “Titanium Dioxide” originating in or exported from China PR, pursuant to Hon’ble High Court Judgment in Indian Paint Association v. Union of India & Ors. (WPO No. 148 of 2025) dated 22 September 2025, in remand proceeding.

F. No. 6/03/2024 –DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereafter also referred to as the “Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), consequent to an application filed by Kerala Minerals and Metals Ltd., Travancore Titanium Products Ltd., and VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the “applicants” or the “domestic industry” or the “DI”), had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Titanium Dioxide” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or the “PUC”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”) vide its Final Findings Notification No.6/3/2024-DGTR dated 12th February 2025.
2. Aggrieved by the recommendations of the Authority in the above referred Final Findings, Indian Paint Association (IPA) filed a writ petition before the Hon’ble High Court of Calcutta, challenging the Final Findings issued vide Notification No. 6/3/2024-DGTR dated 12th February 2025 and Disclosure Statement dated 29th January 2025. During the pendency of the writ petition, the Central Government imposed the anti-dumping duty vide Notification No. 12/2025-Customs (ADD) dated 10th May 2025.
3. The Hon’ble High Court of Calcutta vide its judgment dated 22nd September 2025 in Indian Paint Association v. Union of India & Ors. (WPO No. 148 of 2025), quashed the Final Findings dated 12th February 2025 issued by the Authority as well as Customs Notification No. 12/2025-Customs (ADD) dated 10th May 2025, and remanded the matter to the Designated Authority for reconsideration of the confidentiality issue, “from the stage of the response filed by the petitioner therein for the purpose of considering such issue in accordance with the observations made herein, and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules”.

B. PROCEDURE EARLIER FOLLOWED WHILE ISSUING THE FINAL FINDINGS DATED 12TH FEBRUARY 2025

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:

4.1. Initiation

- i. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
- ii. The Authority issued a notification dated 28th March 2024, published in Part-I Section- I of Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India and known producers and exporters from the subject country, the known importers/users of the subject goods and other interested parties, as per the information provided by the applicants. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and to make their submissions known in writing within the time limit prescribed by the initiation notification.

4.2. Circulation of non-confidential version of the application

- i. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.
- ii. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and proposed product control numbers (PCNs), if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application.
- iii. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the document filed before the Authority.
- iv. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter referred to as 'EIQ') to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.

4.3. Participation by Exporters of Subject Country

- i. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject country calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - a. Anhui Annada Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - b. Anhui Annada Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - c. Cangwu Shunfeng Titanium Dioxide Co. Ltd (China)
 - d. Chemours Chenguang (China)
 - e. China National Blue Star Group Co. (China)

- f. CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co. Ltd (China)
 - g. Guang Dong Hui Yun Titanium Industry (China)
 - h. Guangxi Jinmao (China)
 - i. Guangxi Jinmao Titanium Co. Ltd (China)
 - j. Jiangsu GPRO Group (China)
 - k. Jiangsu Taibai Group Co. Ltd (China)
 - l. Jiangxi Tikon Titanium Co. Ltd (China)
 - m. Jiangxi Tikon Titanium Co. Ltd (China)
 - n. Jilin GPRO Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - o. Jinan Yuxing Chemical Co. Ltd (China)
 - p. Lomon Billions Group (China)
 - q. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co. Ltd (China)
 - r. Pangang Group Titanium Resources Co. Ltd (China)
 - s. Panzhihua Dongfang Titanium Industry Co. Ltd (China)
 - t. Panzhihua Haifengxin Chem. Co. Ltd (China)
 - u. Panzhihua Taihai (China)
 - v. Panzhihua Xingzhong (China)
 - w. Shandong Dawn Group Co. Ltd (China)
 - x. Shandong Doguide Group Co. Ltd (China)
 - y. Shandong Jinhai (Lubei) (China)
 - z. Shanghai Yuejiang Titanium Chemical Manufacturer Co. Ltd (China)
 - aa. Tianyuan Group (China)
 - bb. Yunnan Dahutong (China)
- ii. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers / exporters in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- iii. In response to the above notification, the following producers/exporters of the product under consideration from subject country have registered as an interested party.
- a. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
 - b. Lb Group Co., Ltd.
 - c. Lb Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
 - d. Lb Sichuan Titanium Industry Co., Ltd
 - e. Lb Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd
 - f. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
 - g. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
 - h. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - i. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
 - j. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
 - k. Efon (Hongkong) Company Limited
 - l. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.
 - m. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
 - n. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group

- o. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.
 - p. Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd.
 - q. Pangang Group Chongqing Vanadium & Titanium Technology Co., Ltd.
 - r. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)
 - s. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
 - t. Inter China Chemical Co., Ltd.
 - u. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
 - v. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
 - w. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
 - x. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
 - y. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
 - z. Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd.
 - aa. Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.
- iv. In response to the initiation notification of the subject investigation, following producers/exporters from the subject country have responded by filing questionnaire response:
- a. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
 - b. Lb Group Co., Ltd.
 - c. Lb Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
 - d. Lb Sichuan Titanium Industry Co., Ltd
 - e. Lb Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd
 - f. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
 - g. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
 - h. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - i. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
 - j. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
 - k. Efon (Hongkong) Company Limited
 - l. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.
 - m. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
 - n. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
 - o. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.
 - p. Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd.
 - q. Pangang Group Chongqing Vanadium & Titanium Technology Co., Ltd.
 - r. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)
 - s. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
 - t. Inter China Chemical Co., Ltd.
 - u. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
 - v. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
 - w. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
 - x. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
 - y. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
 - z. Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd.
 - aa. Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.

4.4. Participation by Importers/Users

- i. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - a. Asian Paints India Ltd
 - b. JCT Limited
 - c. Berger Paints Ltd
 - d. Schulman Plastics India Ltd
 - e. Berger Becker Coatings Pvt Ltd
 - f. Hanson Paints
 - g. Kansai Nerolac Paints Ltd
 - h. Kamdhenu Paints
 - i. Akzo Nobel
 - j. UFlex Limited
 - k. Jotun India Pvt Ltd
 - l. Apollo Piping Systems
 - m. Indigo Paints
 - n. Yansefu Inks and Coatings Pvt Ltd
 - o. Clariant Chemicals
 - p. Mundra Masterbatches
 - q. SCJ Plastics
 - r. Paramount Powders
 - s. Aashirvaad Pipes
 - t. Bhavin Industries
 - u. Hi-Tech Inks Pvt Ltd
- ii. The following importer/user have registered themselves as interested parties:
 - a. Kemco Corporation
 - b. Sandeep Organics Pvt. Ltd.
 - c. Soltex Petroproducts Ltd
 - d. Shri Ambica Polyfill
 - e. Merit Polymers Pvt Ltd
 - f. Plastek Innovations Pvt Ltd
 - g. Polyworld
 - h. K T Quality Control Pvt Ltd
 - i. Kandui Industries India Pvt. Ltd.
- iii. The following importers and users have submitted questionnaire responses to the Authority:
 - a. Kemco Corporation
 - b. Nippon Paint India Private Limited through Indian Paint Association
- iv. The following importer/user has not registered themselves as interested party but made written submissions during the course of the investigation:
 - a. Classic Solvents
- v. The following user associations have registered themselves as interested parties:
 - a. Indian Paint Association (IPA)

- b. All India Plastics Manufacturers, Association (AIPMA)
- c. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
- d. PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI)
- vi. The following producer/exporter association from China PR has registered themselves as an interested party and made written submissions
 - a. China National Coatings Industry Association (CNCIA)
- vii. The following user associations have made written submissions during the course of the investigation:
 - a. Indian Paint Association (IPA)
 - b. All India Plastics Manufacturers, Association (AIPMA)
 - c. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
 - d. PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI)
- viii. The following user association has not registered themselves as interested party but made written submissions during the course of the investigation:
 - a. Indian Paint and Coating Association (IPCA)

4.5. Period of Investigation and Injury Period

- i. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the period of investigation.

4.6. Discussion on PUC/PCN

- i. Interested parties were provided 15 days' time from the date of circulation of non-confidential version of application, to file their comments on the scope of PUC and PCN methodology which ended on 6th May, 2024 post an extension granted by the Authority upon the request of an interested party. Comments and submissions were received from certain interested parties, which were duly examined by the Authority.
- ii. The Authority held a discussion on 3rd June 2024 with all the interested parties to discuss the product under consideration and the proposed product control numbers (PCNs). After receiving inputs from the interested parties, the Authority vide notification dated 16th July 2024 finalized the scope of the PUC and PCN methodology. The Authority granted 30 days' time to interested parties from 16th July, 2024 to file questionnaire responses.

4.7. Import Data

- i. The DG System was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the present Disclosure Statement.

4.8. Sampling

- i. In view of large number of producers and exporters/traders who responded in the investigation, the Authority, pursuant to Rule 17(3) of the AD Rules and after examining the comments of interested parties, selected the following three (3) producers along with their associated exporters for determination of dumping margin, on the basis of the largest percentage of the volume of the exports to India from ChinaPR during the investigation period, which is listed below:
 - a. **LB Group** comprising of following producers/ exporters - Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., LB Group Co., Ltd., LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd., LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd , Billions (Hong Kong) Corporation Limited and Billions EuropeLtd, UK
 - b. **Gold Star Group** comprising of producer/exporter- Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd and Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
 - c. **Shandong Group** comprising of producer/exporter- Shandong Xianghai TitaniumCo., Ltd. and Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
- ii. The Authority determined the dumping margin for non-sampled cooperating producers/exporters from China PR on the basis of dumping margin of the sampled producers from China PR, and in accordance with the provisions of the Rules.

4.9. Oral Hearing

- i. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held on 29th October, 2024. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.

4.10. Further Procedure

- i. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- ii. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary.
- iii. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country was also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the final findings earlier issued.

- iv. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- vi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- vii. Final Findings in the original investigation were issued on 12th February 2025. Anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 12/2025-Customs (ADD) dated 10th May 2025.
- viii. The Hon'ble High Court of Calcutta vide its judgment dated 22nd September 2025 in Indian Paint Association v. Union of India & Ors. (WPO No. 148 of 2025), quashed the Final Findings dated 12th February 2025 issued by the Authority as well as Customs Notification No. 12/2025-Customs (ADD) dated 10th May 2025, and remanded the matter to the Designated Authority for reconsideration of the confidentiality issue, "from the stage of the response filed by the petitioner therein for the purpose of considering such issue in accordance with the observations made herein, and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules."
- ix. Since the matter has been remanded back to the Designated Authority for reconsideration of the confidentiality issue, from the stage of the response filed by the writ petitioner for the purpose of considering the same in accordance with the observations made by the Hon'ble Court and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules, the Designated Authority initiated the remand back proceedings on 17th October 2025.
- x. A Disclosure Statement in the instant remand back proceedings dated 12th May 2026 was issued by the Authority, in accordance with Rule 16 of the Rules disclosing the essential facts under consideration in the matter relating to the present proceedings. The interested parties were allowed time up to 19th May 2026 to file comments on the same.
- xi. Based on the request from the interested parties the deadline was extended to 26th May 2026. Pursuant to the subsequent order of the Hon'ble High Court of Calcutta dated 20th May 2026, arising out of Writ Petition No. WPA 11284 of 2026, the time limit was further extended to 16th June 2026.
- xii. The exchange rate adopted: 1 US\$ = Rs. 83.21.

C. REMAND BACK PROCEEDINGS

C.1. Writ Petition filed by Indian Paint Association before the Hon'ble Calcutta High Court

5. Aggrieved by the recommendations of the Authority in the Final Findings, Indian Paint Association (hereinafter "IPA") filed Writ Petition No. 148 of 2025 before the Hon'ble High Court of Calcutta,

challenging the Final Findings dated 12th February 2025 and Disclosure Statement dated 29th January 2025. The gist of IPA's challenge is twofold:

- a) First, the Authority had allowed the domestic industry (DI) to maintain complete confidentiality over the names of the paint companies to whom it had purportedly sold Rutile-Sulphate grade TiO₂ ("R-S TiO₂"), as well as over the volume and transaction details of such sales, without directing the DI to provide a non-confidential summary thereof as required under Rule 7(2) of the AD Rules read with the initiation notification. The name of the buyer has been maintained confidential. IPA was consequently unable to verify whether the DI had actually made commercial sales of R-S TiO₂ to paint companies during the Period of Investigation ("POI").
 - b) Second, the Authority failed to disclose essential facts prior to issuing Final Findings as required by Rule 16 of the AD Rules, thereby preventing IPA from testing the foundational claim that R-S TiO₂ had been produced and sold domestically during the POI.
6. During the pendency of the writ petition, the Central Government imposed anti-dumping duty vide Notification No. 12/2025-Customs (ADD) dated 10th May 2025.

D. SCOPE OF REMAND AND COURT'S DIRECTIONS FOR RECONSIDERATION

7. The Hon'ble High Court has remanded the final findings to the Authority for fresh determination on the issue of confidentiality, and of non-disclosure of essential facts forming the basis of the final findings. It is the observation of the Hon'ble High Court that the final findings and the Disclosure Statement earlier issued by the Authority did not grant IPA an opportunity to offer comments on the issue of confidentiality and the basis on which Rutile – Sulphate Titanium Dioxide (hereinafter referred to as "Rutile Sulphate", "R-S", or "R-S TiO₂") has been included within the scope of product under consideration. The Hon'ble High Court remanded the matter back to the Authority for reconsideration of these aspects. Accordingly, the Authority has re-examined the information on record and evidence provided by the interested parties to decide these two issues, after providing adequate opportunity to the interested parties an opportunity of oral hearing.
8. The Hon'ble High Court remanded the matter back to the Authority for reconsideration of the confidentiality issue, from the stage of the response filed by IPA, for the purpose of considering the issue of confidentiality in accordance with the observations made in the judgment and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules. Relevant extract of the judgment dated 22 September 2025 is reproduced below.

"55. In the light of the above, it can be deduced that the claim of confidentiality which was allowed by the designated authority was limited to the disclosure of price only, the names of the domestic industries which allegedly purchased the product under consideration, during the period of investigation or the volume thereof was not accepted. Though, Mr. Mookherjee, has submitted that in absence of a claim of confidentiality being allowed the designated authority was not authorized to withhold such information on the claim of confidentiality thereof, I however, find that the domestic industry had claimed complete confidentiality on all information, as such the same could not have authorised the designated authority to disclose such confidential information having regard to the judgement delivered in the case of Meghmani Organics Limited

& Ors. (*supra*). However, at the same time, if the domestic industry failed to disclose non-confidential summary of the confidential information as is required in terms of the initiation notification, it was for the designated authority to call for such information from the domestic industry, and in absence of such disclosure, to reject such information. In this case, admittedly, the petitioner had called upon the designated authority to disclose necessary information as regards the names of the paint companies with whom there have been transactions of the domestic industries in connection with sale of rutile sulphate, for the petitioner to verify the accuracy of such information.....In my view, the entirety of the aforesaid disclosure sought for by the petitioner though was not only in consonance with Rule 7(2) of the said Rules, however, the designated authority having only accepted the claim for confidentiality on price parameters and thus, having refused the claim for confidentiality on volume and other parameters as is reflected from the final findings, ought to have directed the domestic industry to provide summary of such confidential information in non-confidential form, and in the event, such disclosure was not made, ought to have refused the claim in terms of paragraphs 35 to 38 of the initiation notification. The same has not been done. By reasons of refusal of the designated authority to call for information in terms of the initiation notification from the domestic industry and disclose the claim for confidentiality made by the domestic industry to the petitioner, the petitioner has been prevented from objecting and contesting the claim for confidentiality especially when the domestic industry has held all business related information to be confidential. The designated authority could not have allowed confidentiality in respect of all the business data for selling titanium dioxide through rutile sulphate process, especially when the petitioner claims that there are no commercial sale of rutile sulphate and especially when such contention had been turned down by contending that the respondent no.4 has the necessary technology and set up to produce rutile through sulphate route and has manufactured and sold titanium dioxide products using sulphate process. Since, the finding to the contrary has to be supported by reasons and documentary evidence, ordinarily, the same or the non-confidential summary thereof, ought to have been disclosed and in the event the domestic industry insisted for total confidentiality, in terms of Rule 7(3) of the said Rules the same ought to have been ignored. Further the designated authority was also obliged to disclose essential facts prior to rendering the final findings in terms of Rule 16 of the said Rules. In absence of such disclosure, the petitioner had been unable to verify the very basis on which the aforesaid product has been included within the scope of product under consideration and to test out whether there has been domestic sale of the PUC which forms the foundation of the claim of the levy of duty. The sub issues are accordingly answered.

56. In my view, the procedural safeguard in terms of article 6.9 of the ADA which has been incorporated in the said Act, and the rules framed thereunder, especially in Rule 7(2) of the said Rules has not been followed. The petitioner was thus, not made aware of the essential facts under consideration which forms the basis of the decision for applying the definitive measures. In the peculiar facts, morefully noted hereinabove, I am of the view that the final findings of the designated authority stands vitiated. In the interregnum, however, there has been a development. During the pendency of the writ petition, the Government has already ascertained and imposed a levy of anti-dumping duty vide notification dated 10th May, 2025. In this context, it would be relevant to note that by an order dated 6th March, 2025, this Court considering the lengthy arguments advanced and considering the balance of convenience and the *prima facie* case had granted an interim protection by, *inter alia*, observing that steps, if any, taken by the respondents

shall abide by the result of the writ petition. Since, respondents were aware and were conscious that any steps taken by the respondents are subject to the final decision to be rendered by this Court, I am of the view that since, the levy of duty is based on the final findings, which stands vitiated for reasons noted hereinabove, the levy of duty effected by notification dated 10th May, 2025 also cannot be sustained and the same with the final findings are accordingly quashed. The matter is remanded back to the designated authority for reconsideration of the aforesaid issue, from the stage of the response filed by the petitioner for the purpose of considering the same in accordance with the observations made herein and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules. Levy if any, collected in the meantime shall be subject to the final outcome of the proceedings.....”.

9. The Hon’ble High Court in the judgment specifically noted that, if the domestic industry failed to file non-confidential summary of the confidential information as is required in terms of the initiation notification, it was for the Authority to call for such information from the domestic industry, and in absence of such disclosure or insufficient explanation provided for claiming such information confidential from the domestic industry, to reject such information. It was further held by the Hon’ble High Court that the Authority ought to have directed the domestic industry to provide a summary of such confidential information in non-confidential form, and in the event such disclosure was not made, ought to have refused the claim in terms of paragraphs 35 to 38 of the initiation notification.
10. The Hon’ble High Court stated that the Authority was also obliged to disclose essential facts prior to rendering the final findings in terms of Rule 16 of the said Rules. It was held that in absence of such disclosure, IPA was unable to verify the very basis on which the R-S TiO₂ has been included within the scope of product under consideration and whether there has been domestic sale of the PUC which forms the foundation of the claim of the levy of duty.
11. The Hon’ble High Court quashed the final findings dated 12th February 2025 of the Authority holding that the Authority did not follow the abovesaid procedure. The Hon’ble High Court held that the matter is required to be remanded back to the Authority for reconsideration of the aforesaid issue, from the stage of the response filed by IPA for the purpose of considering the same in accordance with the observations made in the judgment and the scope and object of Rule 7(2) of the Rules. Though the interested parties and new parties have made submissions on issues beyond confidentiality and sufficient disclosure of essential facts during the remand proceedings, the Authority notes that the Hon’ble High Court remanded the matter for examination of only these limited issues. Accordingly, the issues of confidentiality and sufficient disclosure of essential facts, and consequently, the inclusion of Rutile-Sulphate Titanium Dioxide within the scope of the product under consideration, is examined hereinbelow.

E. PROCEDURE FOLLOWED IN THE PRESENT REMAND PROCEEDING

12. The procedure described below has been followed in the present remand proceeding:
 - a. Pursuant to the Hon’ble High Court’s judgment dated 22nd September 2025, the Authority

issued public notice dated 17th October 2025 which reads as follows:

“2. Since the matter has been remanded back to the Designated Authority for reconsideration of the confidentiality issue, from the stage of the response filed by the writ petitioner for the purpose of considering the same in accordance with the observations made by the Hon’ble Court and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules, the Designated Authority has taken up the proceedings in the present matter accordingly. The domestic industry has been directed to disclose information or provide sufficient justification in terms of Rule 7 regarding the names of the paint companies with whom the domestic industry had transacted for the sales of Rutile Sulphate grade. The domestic industry has been informed that if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the applicant is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, the Authority may disregard such information.”

- b. The domestic industry filed its submission pursuant to the public notice dated 17th October 2025 issued by the Authority in respect of confidentiality and other aspects along with non-confidential version of the same.
- c. Indian Paint Association and other interested parties also filed submissions pursuant to the public notice dated 17th October 2025 issued by the Authority.
- d. The Authority provided an opportunity to the domestic industry and interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 23rd December 2025.
- e. The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed by them orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- f. The oral hearing was also attended by new parties who did not participate during the original proceedings. The following new parties also filed their written submissions and rejoinder submissions.
 - i. Indian Chemical Corporation
 - ii. Nemi Chem
 - iii. Saral Chemicals
- g. The Authority notes that new parties that have not participated in the original proceedings, cannot be considered as interested parties in the present proceeding as the Hon’ble High Court has remanded the matter back for reconsideration of the aforesaid issue, from the stage of the response filed by the petitioner. However, as per the trade notice 11 of 2018, submissions made by these parties are examined to the extent relevant for the present proceedings.
- h. The Authority has considered all the submissions made by various interested parties and the same were examined in detail in light of the judgment dated 22nd September 2025 of the Hon’ble High Court.

F. ISSUES FOR CONSIDERATION IN THE INSTANT REMAND PROCEEDINGS

F.1 ISSUE 1: CONFIDENTIALITY

F.1.1 Submissions By Domestic Industry In The Present Remand Proceedings

- a) TTPL has produced and sold Rutile-Sulphate TiO₂ and this is demonstrated by extensive evidence on record, including: (a) application (injury annexures, costing information, NIP information, production and sales information for R-S); (b) production process flow-chart showing sulphate route; (c) pollution-control board certificate showing approvals for sulphuric acid and titanium dioxides; (d) financial statements/annual reports showing revenue for R-S TiO₂; (e) Cost Audit Report showing consumption of sulphur to make sulphuric acid; (f) trial balance showing sales of Rutile Grade TiO₂ under multiple heads; and (g) on-site verification by the Authority confirming production and sales.
- b) Authority's practice and available law support confidentiality for customer/supplier lists and verification exhibits, seen through Trade Notice 1/2013 identifies customer lists as information whose disclosure causes significant adverse effect, Trade Notice 10/2018, and the Manual (Ch. 8) recognise verification exhibits as confidential.
- c) Other interested parties, including members of IPA, routinely claimed confidentiality over customer identities, supplier names, transaction details, and even document lists. The Authority accepted many such claims establishing a consistent practice applied.
- d) Evidence filed at various stages, including the application for initiation, costing formats (distinct for R-S and A-S), cost audit reports, sulphur and sulphuric acid consumption (specific to sulphate route), subsequent written submissions, rejoinder submissions, verification documents, sample invoices and post-hearing responses clearly establishes that TTPL manufactures Rutile grade TiO₂ through the Sulphate process
- e) The DI submitted that the name of one buyer that purchased R-S TiO₂ was inadvertently disclosed during the original proceedings and that such disclosure should not be used to defeat the confidentiality claim for the complete buyer list.
- f) TTPL has supplied R-S TiO₂ to both paint and non-paint users, with a total of *** transactions constituting *** MT of purchases spanning over a 14-year period.

F.1.2 Submissions by Indian Paint Association and Other Interested Parties

- a) IPA submitted that the DI never disclosed the names of the paint companies or provided any meaningful non-confidential summary of the purported sales of R-S TiO₂. Without such disclosure, IPA was unable to verify whether there had been any domestic commercial sale of R-S TiO₂ to the paint industry, which is the very foundation of the levy of duty.
- b) IPA contended that there are no commercial sales of R-S TiO₂ by the DI to the paint industry. The R-S TiO₂ commercially available in the Indian market is entirely through imports.
- c) Mandatory requirement of sales in commercial quantities remains wholly unfulfilled by the DI in terms of R-S TiO₂. Even if non-zero quantities in the sales entries provided are aggregated, total quantity sold is only about (1,900–2,000 MT); POI sales reduce sharply to 430–440 MT,

which when viewed against Indian demand of (3,38,000 MT,) constitutes a negligible and de minimis fraction.

- d) TTPL primarily produces Anatase and its capacity to produce Rutile is largely theoretical. The Rutile produced by TTPL is uncoated and lacks surface treatment. TTPL's uncoated rutile cannot be a substitute for imported coated rutile. Other interested parties also submitted that the domestic industry's claim of interchangeability between R-C and R-S TiO₂ is incorrect; the two differ in chemical properties, end-uses, price sensitivities, and supply chains. Coated R-S is essential for SMEs (15,000+ manufacturing units) for whom it is an indispensable raw material, and substituting it with R-C would adversely affect economy-grade paint viability.
- e) Remand proceedings should remain confined strictly to reconsideration of the confidentiality issue on the basis of the existing record as it stood at the relevant stage of issuance of Disclosure Statement and does not contemplate or permit the domestic industry to introduce fresh justification, additional reasoning, or post-facto explanations.
- f) The domestic industry cannot be permitted to supplement or cure defects in its original confidentiality claims as at this stage it would effectively grant a second opportunity to the domestic industry which is impermissible in law as the domestic industry cannot cure a fundamental procedural defect through post-facto justification.
- g) Domestic industry stated that the reasons for claiming confidentiality were not given during the original filing as it was considered to be well understood by all parties to the investigation, showing clear admission that no good-cause statement was submitted at the time of claiming confidentiality, and that the reasons for claiming confidentiality are being furnished only at this stage.
- h) Reliance on alleged customary practice of treating customer names as confidential is wholly misplaced as Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018 states parameters and categories of information for which confidentiality may be claimed, along with the manner of furnishing meaningful non-confidential summaries.
- i) Inadvertent disclosure of the customer's name is inconsistent with record of the remand proceedings as customer's identity was expressly made during the oral hearing, and such reference was during substantive arguments, supported by a document indicating sales to specific customer. Such reliance to substantiate indicates the disclosure was deliberate and prepared in advance.
- j) Repetition of disclosure of customer's name in the written submissions despite it being after a cooling off period establishes reference was intentional and made after due consideration.
- k) Attempt to characterise the disclosure of customer's name as inadvertent appears to be an afterthought and relating to implications of the disclosure. This conduct indicates that the disclosure forms part of litigation strategy of the domestic industry.
- l) Under applicable legal regime for anti-dumping investigations in India. If the party claiming confidentiality upon information discloses such information, it cannot stop other interested parties' reliance on the same or claim that the information be treated as confidential.

F.1.3 Examination by the Authority

13. The Authority has examined the submissions made by the interested parties pursuant to the notice dated 17th October 2025, notifying parties of the present remand proceedings, and inviting

comments on the same. The submissions have been examined by the Authority and have been dealt with appropriately below.

14. At the outset, it must be examined whether the direction of the Authority contained within the notification dated 17th October 2025 was within the purview of the present remand proceedings. It has been contended by the other interested parties that the domestic industry cannot be allowed to give justification for claiming confidentiality within the scope of the remand proceedings, as the Hon'ble High Court remanded the matter back to the Authority for reconsideration of the issue of confidentiality from the stage of the response filed by IPA. It is noted that the judgment further states that such reconsideration must be in accordance with the observations made within it and the scope and object of Rule 7(2) of the Rules, so as to provide fair opportunity to IPA and other interested parties to defend their interests in terms of Rules 7(2) as the same was not done earlier. The relevant extract of the judgment is below:

“56. ...The matter is remanded back to the designated authority for reconsideration of the aforesaid issue, from the stage of the response filed by the petitioner for the purpose of considering the same in accordance with the observations made herein and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules...”

15. As can be seen, the Authority must reconsider the issue of confidentiality, in accordance with the observations made within the judgment as well as the scope and object of the Rules. The Hon'ble High Court observed in the judgment that in the instant factual matrix wherein the domestic industry had not circulated non-confidential information, it was for the Authority to call for such information from the domestic industry. Relevant extract of the judgment is below:

“55. ...In my view, the entirety of the aforesaid disclosure sought for by the petitioner though was not only in consonance with Rule 7(2) of the said Rules, however, the designated authority having only accepted the claim for confidentiality on price parameters and thus, having refused the claim for confidentiality on volume and other parameters as is reflected from the final findings, ought to have directed the domestic industry to provide summary of such confidential information in non-confidential form, and in the event, such disclosure was not made, ought to have refused the claim in terms of paragraphs 35 to 38 of the initiation notification. The same has not been done...”

16. Rule 7(2) states that the Authority should require that parties submitting information on a confidential basis provide a non-confidential summary of that information. It further states that if the party believes that the information cannot be summarised, then they may instead provide a statement with reasons stating why a summary of the information is not feasible. Rule 7(2) is reproduced below:

“(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such

party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.”

17. The Hon’ble High Court in its judgment also states that in the scenario that the Authority did not call for a non-confidential summary to be provided, or a good cause statement to be given, the Authority should have acted in terms of Rule 7(3). Rule 7(3) allows the Authority to disregard information which has unwarranted claims of confidentiality or alternatively that the supplier of such information does not want to make this information or its summary form public. Rule 7(3) is reproduced below:

“(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

18. From Rule 7(3) it is clear that in the event that the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted, or the supplier of the information is not willing to make the information available in any form, such information may be disregarded. It is therefore evident that the question of rejection of information and evidence arises only when an interested party refuses to provide sufficient NCV of the information and evidence provided by the party.
19. In the present case, the domestic industry has provided justification for not providing NCV of the information on customer name and invoices provided by it to support its claim of sales to paint industry. It is seen that the judgment of the Hon’ble High Court observes that the Authority ought to have called for information from the domestic industry as no non-confidential information was provided. The Hon’ble High Court directed the Authority to reconsider the issue (of confidentiality) from the stage of the response filed by IPA, in accordance with the observations of the Hon’ble Court as well as Rule 7(2). Rule 7(2) specifically states that the interested parties need to provide non-confidential summaries of confidential information or statement of reasons not to submit such summaries thereof to the Authority.
20. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“7. Confidential Information:

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons*

why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

21. In the present case, the domestic industry has provided justification for not providing Non confidential version (NCV) of the information on customer name and invoices provided by it to support its claim of sales to paint industry. It is seen that the judgment of the Hon’ble High Court observes that the Authority ought to have called for information from the domestic industry as no non-confidential information was provided. The Hon’ble High Court directed the Authority to reconsider the issue (of confidentiality) from the stage of the response filed by IPA, in accordance with the observations of the Hon’ble Court as well as Rule 7(2). Rule 7(2) specifically states that the interested parties need to provide non-confidential summaries of confidential information or statement of reasons not to submit such summaries thereof to the Authority.
22. Accordingly, the Authority issued the public notice dated 17th October 2025 with Notification F. No. 06/03/2024-DGTR, calling for the domestic industry to either disclose information or provide sufficient justification in terms of Rule 7 regarding the names of the paint companies with whom the domestic industry had transacted for the sales of Rutile Sulphate grade. Such direction is squarely within the scope of the judgment, as well as Rule 7(2) of the Rules. Therefore, the issue of confidentiality and whether the invoices of the domestic industry and the names of its customer can be treated as confidential must be decided by the Authority.
23. The Authority examined the DI's confidentiality claims on customer names, sales invoices, sales summaries, trial balances, and costing information. The DI justified these claims on the ground that such information is business-sensitive, not publicly available, and its disclosure would confer undue competitive advantage to rivals. The Authority accepts these claims and holds that:
 - a) Confidentiality on price parameters, customer names (including paint companies), sales invoices, and transaction details is justified and has been allowed.
 - b) This practice is consistent with Trade Notice No. 1 of 2013, which explicitly lists customer and supplier lists as confidential information. Trade Notice No. 10 of 2018 does not supersede this; it addresses disclosure of specific data parameters and does not deal with customer/supplier lists.
 - c) Maintaining customer names as confidential is also consistent with the practice of other major investigating authorities (USA, EU, Canada, UK, Australia, and Mexico) and the Authority's own consistent practice.
 - d) Notably, Nippon Paints - a TiO₂ user and IPA member, claimed complete confidentiality on its customer and supplier names in its questionnaire response, confirming that such claims are standard practice.
24. However, the DI on its own disclosed the name of Asian Paints as a historical buyer during the oral hearing and reiterated this in its written submissions, which were circulated to all interested parties.

Subsequently, the DI sought to withdraw the name, claiming inadvertent disclosure. The Authority does not accept this withdrawal, as the disclosure was made in a formal written submission, and interested parties have already filed comments on the basis of this disclosure, rendering it a fait accompli and forming part of the record. Thus, the claim of inadvertence is therefore not accepted at this stage.

25. The Authority's determination on the inclusion of R-S TiO₂ within the scope of the PUC is not primarily based on sales to Asian Paints or any specific paint company. The determination rests on the finding that TTPL has produced and sold R-S TiO₂ commercially, that R-C TiO₂ and R-S TiO₂ are like articles in terms of Rule 2 (d) of AD Rules, and that the DI is not required to have sold the product to every segment of the consumer market before seeking imposition of anti-dumping duty.

F.2. ISSUE 2: EXAMINATION OF DISCLOSURE OF ESSENTIAL FACTS ON PUC MADE TO THE INTERESTED PARTIES

26. The Authority notes that the Hon'ble High Court further held that the Authority was also obliged to disclose essential facts prior to rendering the final findings in terms of Rule 16 of the said Rules and that in absence of such disclosure, IPA was unable to verify the very basis on which R-S TiO₂ has been included within the scope of product under consideration and to test whether there has been domestic sale of the PUC which forms the foundation of the claim of the levy of duty.

27. The relevant extract of the judgment is reproduced hereinbelow:

“55.... In absence of such disclosure, the petitioner had been unable to verify the very basis on which the aforesaid product has been included within the scope of product under consideration and to test out whether there has been domestic sale of the PUC which forms the foundation of the claim of the levy of duty....”

28. The Authority has considered (a) production and sale of R-S TiO₂ in commercial volumes by the domestic industry during the POI and injury period, irrespective of the customers to whom this has been sold, (b) interchangeability of sulphate and chloride rutile titanium dioxide for inclusion of sulphate-rutile titanium dioxide within the scope of the product under consideration. This has been noted in the original final findings and has been further examined and brought out in the present remand proceedings. The Authority examined the records of the original investigation and further notes as under.

- a. At the outset it is noted that the domestic industry manufactures Titanium Dioxide through all routes, details of which are as follows:
 - i. Kerala Minerals and Metals Ltd. (KMML): Rutile grade through Chloride process
 - ii. Travancore Titanium Products Ltd.(TTPL): Rutile grade through Sulphate process and Anatase grade through Sulphate process
 - iii. VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. (VVT): Anatase grade through Sulphate process
- b. In the application, information regarding injury to the domestic industry (including production and sale) of the product under consideration was filed by all applicant companies. The said injury information included, inter-alia, information on capacity,

production, domestic sales, export sales, stocks, cost, prices, profits, cash profits, capital employed, return on capital employed. The said information was provided by TTPL separately for both rutile-sulphate and anatase-sulphate. The information provided by the domestic industry also includes injury information, costing information, NIP information, production, and sales information about Rutile-Chloride, Rutile-Sulphate, and Anatase-Sulphate TiO₂.

- c. The annexures and costing information filed by TTPL, including statement of normal value with the application filed on confidential basis, of which the non-confidential version was circulated to all the interested parties, shows that the TTPL has produced and sold Rutile-Sulphate grade of TiO₂. In particular, the said information includes the production process flow chart of TTPL, which shows the production route adopted by TTPL is of sulphate process, and the pollution control board certificate submitted as evidence of capacity shows approval for 'sulphuric acid' and "titanium dioxides" which is used in the sulphate process of production of TiO₂.
- d. It is also seen that financial statements, including annual reports for 19-20, 21-22, and 22-23 shows revenue for R-S TiO₂.
- e. The Cost Audit Report of TTPL filed with the application shows that there has been consumption of sulphur to make sulphuric acid which is used in making Rutile-Sulphate TiO₂ and contains a statement showing production, sales, expenses, cost of production and profit/loss in respect of Rutile Sulphate TiO₂.
- f. Trial balance/ annual accounts were also examined which shows sales of rutile grade of TiO₂.

29. The domestic industry has also placed reliance on the injury statements filed for each of the applicant companies, as well as the costing information filed. It is seen that the injury annexure submitted by the domestic industry contained separate injury statements for each of the applicant companies, including a distinct injury statement for R-S by TTPL, which provides information on TTPL's production and sales of R-S. Further, the costing formats of TTPL includes: (i) Format VI-1, wherein the costing information filed as part of the prescribed format in the application contains details of sulphur consumption for the entire injury period and separately provides raw material consumption for R-S and Anatase-Sulphate, including consumption of sulphuric acid; (ii) Format VI-2, which contains separate cost statements for Anatase-Sulphate and R-S for the entire injury period; (iii) Format VI-2T, which provides sales details for the entire injury period, including separate sales of Anatase-Sulphate and R-S; (iv) Format VI-5, which contains production details and NIP calculations provided separately for R-S and Anatase-Sulphate, including production of R-S for three years and the linkage of expenses to various accounting records; and (v) Quantitative Information, which sets out production and sales details provided separately for Anatase-Sulphate and R-S.
30. Domestic industry also made reference to the public information available on the website of TTPL, which shows the products that are sold under the category of Rutile Titanium Dioxide under heads such as 'Ajantox RD-1, Ajantox RD-1-PG, Ajantox RD-1-GP' along with its usage as "widely used for production of solvent and water based paints, paper, coatings, inks & plastics, etc."

31. The domestic industry had filed verification documents vide its email dated 10th August 2024 wherein it provided the following information and evidence including sale invoices, production and sales summaries, signed trial balance for the POI, POI trial balance extracted, and signed costing formats of TTPL. The Authority has examined these information and document and notes that these also establishes production and sales of Rutile-Sulphate TiO_2 , as summarised below:
- Invoices showing 'description and HSN' demonstrating that Rutile Grade of Titanium Dioxide was sold.
 - Quantitative details of opening and closing stock, production, and sales
 - Production and Sales quantity of R-S and A-S PCN for the injury period
 - Production and Sales summary
32. The Authority during the course of investigation verified that TTPL manufactures R-S TiO_2 and it produced and sold R-S TiO_2 during the injury period, including POI. During verification, the Authority examined the production process and observed that sulphuric acid was consumed in the manufacture of R-S TiO_2 . Throughout the verification and review of documentation provided, including production and sales invoices, the Authority was satisfied with the evidence that TTPL manufactures and sells Rutile grade TiO_2 through the sulphate route. Accordingly, separate NIP for R-S TiO_2 was determined by the Authority, after detailed scrutiny of financial and cost records of the company.
33. Regarding confidentiality concerns and the question of whether the domestic industry produced and sold R-S grade TiO_2 during the POI, including whether such sales were made to members of the IPA paint industry and whether the product should fall within the scope of the PUC, the Authority notes that the evidence on record, right from the stage of initiation, clearly establishes that TTPL produced and sold R-S TiO_2 . Further, such sales have been made to both paint and non-paint users. It is also seen from the letter dated 17th February, 2026 by the Indian Paint Association that they have now accepted purchase of R-S TiO_2 by one of the paint customer until 2019. Such an admission contradicts their earlier assertion during the course of original investigation that the domestic industry had not supplied R-S TiO_2 to the paint segment at all. The Authority further notes that even at this stage, IPA stated that the purchases have been low in volume for industrial paint, whereas the domestic industry has contended that there were [*** transactions] constituting [*** MT] purchase spanning over 14 years period. Notwithstanding, the Authority also considers that production and sale of a product type is relevant, irrespective of the segment of the customers to whom the goods were sold. The, Authority does not consider it necessary that the domestic industry should have sold the product to every segment of the customer or every part of a segment.
34. Notwithstanding above, the Authority further also considers that there is enough evidence on record that R-S TiO_2 and R-C TiO_2 are like products. The interchangeability and competitive market positioning of both sulphate and chloride rutile titanium dioxide and the fact of production and sales of R-S are sufficient basis for inclusion of sulphate-rutile titanium dioxide within the scope of the product under consideration.
35. The Authority also takes note in this regard that the determination made by global investigating authorities of Brazil, European Union, and Saudi Arabia concerning the same product under consideration. The Authority notes that in the anti-dumping investigations conducted by these

Authorities, it was held that R-C and R-S TiO₂ are interchangeable. It must also be noted that this position was found despite (a) European producers being a majority R-C TiO₂ producing, (b) Brazil producing only R-S TiO₂, and (c) Saudi Arabia producing only R-C TiO₂. The Authority further notes that even when both R-S and R-C were imported into Brazil and the Brazil domestic industry was producing only R-S, the normal value was determined only on the basis of R-C product. Therefore, it is seen that the interchangeability of R-C and R-S TiO₂ are found by global investigating authorities and that R-C and R-S TiO₂ have overlapping applications.

36. Based on these facts, the Authority is of the view that that R-S TiO₂ and R-C TiO₂ are like article and the domestic industry manufactured and sold R-S grade during the POI and that its exclusion from the PUC scope is not warranted:
- a) In the present remand proceedings, the DI has disclosed (both in the oral hearing and in written submissions) that TTPL has sold R-S TiO₂ to major paint users including historically Asian Paints, with (***) transactions comprising (***) MT) spanning over 14 years. This disclosure, combined with the extensive documentary evidence on record (invoices, trial balance, costing formats, annual reports, Cost Audit Report), fully establishes that TTPL produced and sold R-S TiO₂ during the POI and the injury period.
 - b) The DI cannot subsequently claim that the buyer's name was disclosed inadvertently and seek to reassert blanket confidentiality. As held above, such a claim is legally impermissible once the disclosure has been made in formal proceedings.
 - c) The Authority further notes that IPA has accepted, in its letter dated 17th February, 2026 that one paint customer did purchase R-S TiO₂ from the DI until 2019. While IPA characterizes the volume as low, this admission is sufficient to establish commercial sale for the purposes of the investigation.
37. In view of the above, the Authority finds that it has now fully complied with the procedural obligations identified by the Hon'ble High Court. The essential facts underlying the inclusion of R-S TiO₂ within the scope of PUC — namely, that TTPL has the technology, has produced, and has commercially sold R-S TiO₂ during the injury period and POI — have been disclosed.

G. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

G.1 Views of the other interested parties:

G.1.a Submissions in the original proceedings

38. The other interested parties have made the following submissions with respect to the scope of the product under consideration and like article in the original proceedings:
- i. PCN wise assessment is crucial in the investigation to ensure a fair comparison due to differences in physical and chemical characteristics, usage, pricing, and production cost of various grades and types of titanium dioxide (TiO₂). PCN classification based on production process and crystalline structure: Anatase-Sulphate (A-S), Rutile-Sulphate (R-S), and Rutile-

Chloride (R-C) has been proposed by many interested parties.

- ii. TiO₂ exists in two crystalline forms: Rutile and Anatase. Rutile has a higher refractive index, greater chemical stability, and improved durability due to its more compact and symmetrical crystal lattice. Anatase has a lower refractive index, reduced stability, and a less dense, irregular crystal structure. These differences influence their distinct applications and properties.
- iii. TiO₂ is produced through the chloride or sulphate route, significantly impacting its properties and grades. The chloride process produces high-purity TiO₂ suitable for high-quality applications like paints and coatings for automobiles and architecture but is more expensive. The sulphate process produces lower-purity TiO₂, which is cost-effective for applications in paper, plastics, and rubber. Anatase pigment is typically produced via the sulphate process, while rutile pigment can be produced via both chloride and sulphate processes.
- iv. There is more than a 20% price difference between sulphate-anatase and sulphate-rutile and more than a 40% price difference between sulphate-anatase and chloride-rutile.
- v. Exclusion of “rutile-grade TiO₂ manufactured through the sulphate route” from the PUC is requested since none of the applicants produce this specific grade. Additionally, exclusion of “rutile-grade TiO₂ produced through the chloride process” from the scope of PUC due to significant differences in technical parameters, production costs, end-use, and pricing has been requested.
- vi. Combining anatase and rutile grades of TiO₂ in the scope of PUC would be flawed. They are distinct in their production process, physical, technical, and chemical properties, as well as end uses. These grades are also classified under different tariff headings.
- vii. It has been stated that the domestic industry itself has acknowledged that anatase and rutile grades differ significantly in properties such as purity, refractive index, specific gravity, hardness, and crystal structure, among others. Additionally, they cannot be interchangeably used due to differences in production technology and application.
- viii. Most Chinese producers manufacture rutile-grade TiO₂ through the sulphate process, while Kerala Minerals and Metals Limited produces Rutile-grade TiO₂ using the chloride process. Travancore Titanium Products Limited and VV Titanium Pigments Pvt. Ltd produce anatase-grade TiO₂ via the sulphate process. None of the domestic producers manufacture rutile-grade TiO₂ through the sulphate process. Therefore, the rutile grade manufactured through the sulphate process should be excluded from the PUC.
- ix. Domestic industry has defined pigmentary TiO₂ as having a particle size range of 200-350nm. Products with particle sizes below 200nm and above 350nm should be excluded from the investigation as they fall outside the defined scope of pigmentary TiO₂.
- x. Indian Paint Association (IPA) has contended that the scope of the PUC defined in the initiation notification is overly broad, encompassing grades that are neither produced nor supplied domestically by the domestic industry. These grades, with distinct technical and commercial properties, should be excluded as they do not meet the definition of “like product” or “like article” under relevant anti-dumping rules. IPA argues that parameters like consumer perception, physical and chemical properties, usage, and application differences establish non-substitutability.
- xi. The bright and bluish undertone rutile grade is distinguished by its superior physical properties, including higher brightness, enhanced UV resistance, and better overall performance compared to the domestic industry’s product. These properties make it a preferred choice for end consumers, particularly in applications demanding high-quality finishes and durability.

- xii. Performance grades BLR 895 or LR 961 are widely used in industrial and decorative paints due to their ability to deliver exceptional finish, high gloss, superior durability, and a high distinctness of image (DOI). The domestic industry's grades, however, fall short in these critical aspects. Industrial and decorative paint manufacturers have consistently rejected the domestic industry's grades, citing their inability to meet the performance standards required for high-end applications.
- xiii. Sulphate grades BLR 698 or BLR 601 excel in providing higher coverage, better finish quality, and a visually appealing bright white appearance. On the other hand, the domestic industry's grades, which are manufactured through the chloride process, often exhibit lower coverage, inferior finish, and a yellowish tint. These deficiencies make the domestic industry's products unsuitable for users seeking precise and consistent outcomes in high-end applications.
- xiv. Further, for industrial paints, the domestic industry's products often require additional sand milling, reducing capacity and throughput. For decorative usage, similar issues are observed. Imported grades do not require sand milling, making them significantly more cost-effective and economically advantageous compared to the domestic industry's product.
- xv. IPA further contends that the domestic industry uses the chloride process to manufacture the PUC, whereas imported grades are manufactured using the sulphate process, resulting in chemical differences between the two. Therefore, grades not manufactured by the domestic industry should be excluded from the scope of the PUC as the domestic industry cannot suffer material injury for such grades during the POI, and they are not like articles to the imported grades.
- xvi. PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI) and Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) sought some clarifications regarding the exclusion of TiO_2 used in the fibre and textile.
- xvii. PHDCCI has contended that the paper and paperboard industry consume approximately 6,000 MT of rutile TiO_2 annually for the production of décor paper, which is primarily used in laminates for furniture and housing. TiO_2 is essential for achieving desired opacity, whiteness, and brightness in décor paper due to its high refractive index, effective light scattering, and UV absorption properties. The sulphate process rutile TiO_2 , being more economical, is the variant predominantly used by the décor paper industry.
- xviii. TiO_2 is applied at the pulp or fibre stage of paper manufacturing for décor paper, and not post-manufacturing. The domestic industry's TiO_2 does not meet the specific requirements of the décor paper industry. Further, there have been no sales of TiO_2 by the domestic industry to the décor paper industry, further confirming the unsuitability of their product for this application. Therefore, TiO_2 used in the pulp or fibre stage for manufacturing décor paper must be excluded from the scope of PUC.
- xix. ASSOCHAM has submitted that TiO_2 anatase grade for making paper other than décor paper (used at fibre/pulp stage) must be excluded from the scope of PUC.
- xx. TiO_2 used in plastic and PVC application may be excluded from the scope of PUC.
- xxi. TiO_2 by rutile chloride process requires higher-grade raw materials such as superior TiO_2 ore, which is more expensive and scarcer as compared to TiO_2 by Rutile sulphate process which requires Ilmenite ore which lowers raw material costs due to being found in abundance and is less expensive. Additionally, rutile produced through chloride process requires specialized corrosive-resistant equipment for handling chemicals such as chlorine and titanium

tetrachloride, increasing production costs and complexity while in Rutile sulphate process, simpler equipment is used and there are fewer safety requirements.

- xxii. TiO₂ with varying particle sizes has different cost patterns, with finer particle sizes requiring more complex production processes and resulting in higher costs.
- xxiii. KMML's Rutile chloride- RC 822, with a TiO₂ content of 91.5%, is lower in quality compared to imported grades with a higher TiO₂ content.

G.1.b Submissions in the present remand back proceedings

39. The other interested parties have made the following submissions with regard to the product under consideration and like article in the present proceedings. Since, various submissions which are repetition of the submissions made earlier, the same have not been reproduced again:

- i. Mandatory requirement of sales in commercial quantities remains wholly unfulfilled by the DI in terms of R-S.
- ii. Assertion that TTPL has many sales transactions is misleading and the sales listing relied upon by the DI spans a period from April'20 to September'23 and contains approximately 395 invoice entries. The said listing contains entries with zero or nil quantities, trade samples, off-grade supplies, or highly fragmented consignments and these cannot be regarded as commercial sales demonstrating a meaningful or stable market presence.
- iii. Alleged sales of POI constitute a negligible and de minimis fraction of demand and cannot be characterized as sales in commercial quantities.
- iv. In Technova Imaging Systems Pvt. Ltd. v. Union of India & Ors., Anti-Dumping Appeal No. 51425 of 2022, the Tribunal held that only 2% of the requirement was supplied by the appellant and that commercial production had not been undertaken by Hindalco. This squarely applies to the case of miniscule sales have been made of R-S by the DI. The Technova judgment has not been set aside, stayed, or modified by any superior court and hence remains binding.
- v. DI's claim of interchangeability between R-C and R-S is incorrect, the difference is seen in chemical properties, end-uses, price sensitivities, and distinct markets and supply chains. R-C and R-S are not like article as they differ in crystallographic stability, optical undertones, and processing even though they share a chemical formula as they are functionally distinct.
- vi. Coated R-S is essential for SMEs, with over 15,000 manufacturing units, in the paint sector for which it is an indispensable raw material and substituting it with R-C would adversely affect the viability of manufacturing of economy-grade paints.
- vii. The DI's interchangeability claim ignores crystallography, optics, and surface chemistry, and is similar to grouping diamond and graphite as mere "Carbon", which is chemically accurate but ignores end user disparities. TTPL being historically a producer of A-S, cannot be substituted for imported coated R-S.
- viii. Blue undertone of R-S is critical for neutralizing yellowness that is inherent, while R-C does not provide for this and yields a product resulting in a neutral or yellowish undertone. R-S with blue undertone enhances appearance in plastics (masterbatch) and ink industries, and domestic R-C cannot provide this.
- ix. Coated R-S offers superior dispersibility, durability, and UV stability, while Uncoated R-S lacks such coating and is photo-active and difficult to disperse. Absence of coated R-S domestically creates a "technical availability gap" for SMEs even though coated R-S is more

beneficial to SME sector.

- x. DI's claim regarding interchangeability ignores the fact that SMEs adjust pigment loading to serve economy, standard, and premium markets using one core ingredient, which is R-S.
- xi. TTPL primarily produces Anatase and its capacity to produce Rutile is largely theoretical. The Rutile produced by TTPL is uncoated and lacks surface treatment. TTPL's uncoated rutile cannot be a substitute for imported coated rutile.
- xii. Advance ruling sought from Customs Authority for Advance Rulings, which confirmed no ADD should be levied on toilet soaps, as toilet soaps are considered under categories of cosmetics.
- xiii. As term "cosmetics" is broad and ambiguous, leading to issues at customs clearance during the prior ADD levy, Authority is requested to either provide complete exclusion for PUC used in skin-care products or specify "cosmetics includes toilet soaps" to avoid complications at clearance.
- xiv. Nemi Chem requests either to exclude Anatase from PUC scope or terminate investigation on entire PUC.
- xv. Authority should direct the domestic industry to disclose information relating to the production and sales of R-S during the POI in actual numerical terms, to verify whether such sales were made in commercial quantities as per the legal requirement.
- xvi. Authority should also disclose names of the parties to whom such commercial sales were made, which is consistent with existing practice of the Authority.
- xvii. Tronox submitted that R-S and R-C are interchangeably used in paint and plastics industries.
- xviii. Tronox submitted that before duty was imposed in May 2025, R-S was being sold to Indian plastic manufacturers, however, after imposition of duty, customers switched to R-C showing that it is interchangeably used.
- xix. R-C is supplied by affiliates of Tronox to Indian paint companies and R-S to paint producers in Brazil, showing that rutile TiO_2 is interchangeably used.
- xx. Indian coating manufacturer and distributors as per letters provided through Tronox confirm that R-C can effectively replace R-S and are interchangeable.
- xxi. Tronox submitted that Brazil DECOM, European Commission, and Saudi Arabian Authority concluded that R-S and R-C are like products and interchangeable.

G.2 Views of the domestic industry

G.2. a Submissions in the original proceedings

40. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the product under consideration and like article in the original proceedings:
 - i. Exclusion of rutile grade as a whole cannot be accepted as the majority of domestic production and imports are of rutile grade, and KMML exclusively produces rutile-grade TiO_2 .
 - ii. The domestic industry has submitted that Anatase grade of TiO_2 is produced domestically by the domestic industry. Further, with respect to exclusion of rutile TiO_2 through sulphate process, the domestic industry has submitted that the production process does not result in a

- distinct product. Furthermore, there is no significant difference in price or interchangeability between products made by the sulphate and chloride processes. Comparison between imported and domestically produced Rutile through Chloride reveals that the performance of the Rutile through Chloride of the domestic industry is highly comparable to the imported.
- iii. Exclusions based solely on differences in production processes have not been accepted by Directorate General of Trade Remedies (DGTR) unless they result in different products.
 - iv. The domestic industry also opposes the respondent's contention of exclusion of TiO₂ with particle sizes below 200nm and above 350nm, stating that these sizes are being produced and supplied domestically. The other interested parties have not provided any valid justification for restricting these particle sizes.
 - v. The contention regarding bright and bluish undertone rutile TiO₂ by Indian Paint Association (IPA) is similarly contested by the domestic industry on the grounds that no distinctively different product has been demonstrated, and the parameters referred to by respondents are not substantiated with data. The BIS for Rutile TiO₂ does not state characteristics such as 'bright' or 'blue' or 'bright and bluish' undertones. The undertone of a TiO₂ product is inherently subjective and does not have measurable characteristics. No two TiO₂ producers can offer exact uniformity in terms of brightness and undertone. Further, the domestic industry does offer products with bright and bluish undertones, which can be assessed through the Carbon Black Undertone (CBU) value range. Additionally, the opacity, brightness, and gloss values of the domestic industry's products are comparable, or in some cases, superior to those of imported products.
 - vi. The domestic industry opposes the exclusion of performance-grade TiO₂, such as BLR 895 or LR 961 as BLR895 grade is not analogous to DI's RC822, but is highly comparable to DI's RC808 in compositional, surface coating, and performance attributes. DI's RC822 and RC822+ are comparable to imported BLR 896 and BLR896+ respectively while RC800 is the R-C domestic industry grade that is comparable to imported LR961. R-C by domestic industry has comparable physical and performance attributes including pH, opacity, gloss, durability etc, to imported R-C and satisfies the requirement of specific end uses such as decorative and industrial applications. Below specified are the R-C grades offered by domestic industry that are comparable to R-C imported grades mentioned by the other interested party in their submission:

R-C Imported	Comparable R-C by DI
BLR 895	RC 808
BLR 896	RC 822
BLR 896+	RC 822+
LR 961	RC 800

- vii. With respect to exclusion of sulphate grades, such as BLR 698 or R 868 or BLR 601/ R 216, the domestic industry submits that they cannot be excluded on the basis of grade name of a specific producer as they are only names but International Standards to be adhered to.
- viii. The domestic industry also submits that the sand milling process is necessary for both imported products and domestic products because it is an essential step in mixing raw materials for paint production. This process is required to ensure uniformity and proper dispersion of the product in industrial applications. Additional sand milling is required only

when agglomeration levels of TiO₂ are higher, whereas grade produced by the domestic industry offers high levels of dispersion and low agglomeration. The coverage of the domestic industry's rutile through chloride process is not inferior to that of imports, as evidenced by the scattering ability, high rutile percentage, and superior tint strength values.

- ix. In response to PHDCCI and ASSOCHAM, the domestic industry submits that TiO₂ used for making textiles (used at fibre/pulp stage), TiO₂ rutile grade used for making décor paper (used at fibre/pulp stage), and TiO₂ used for making food can be excluded from the scope of PUC, as these products are not used as pigments. Additionally, TiO₂ used for making skin care, pharmaceutical applications, and nano or ultrafine TiO₂ with particle sizes below 100nm can be excluded from the scope of PUC as the domestic industry does not produce these articles.
- x. However, the domestic industry objects to ASSOCHAM'S contention of excluding TiO₂ anatase grade used for making paper other than décor paper (used at fibre/pulp stage) on the ground that domestic industry is producing and selling this product.
- xi. Further, the domestic industry submits that PVC application should also be considered as plastic application, as PVC is a type of plastic in this sense. TiO₂ is used in making of masterbatches which are used in the plastic industry to add colour to plastic.
- xii. Plastic industry constitutes around 25% of the demand of TiO₂ in India and domestic industry manufactures grades consumed by the plastic industry. The application, being a major consumption for TiO₂, is catered by the DI. Therefore, PVC application must be included in the scope of PUC.
- xiii. The exclusion of rutile through sulphate based solely on differences in production processes is unjustified, as variations in methods do not inherently create a fundamentally different product. Both rutile through sulphate and rutile through chloride share interchangeable uses and exhibit only the characteristics of the rutile crystal. Consumers often purchase both types, underscoring their functional equivalence. Additionally, the cost of production for both processes is comparable, despite differences in raw materials. Notably, one of the applicants, TTPL, has the necessary technology and setup to produce rutile through sulphate route and actively manufactures rutile TiO₂ using this process.

G.2.b Submissions in present remand back proceedings

41. The domestic industry has made the following submissions with regard to PUC in the present proceedings:
 - i. TTPL produces and sells Rutile Sulphate Titanium Dioxide and the same has been shown by the domestic industry on multiple occasions.
 - ii. Application contained sufficient information and evidence that the domestic industry is producing and selling Rutile-Sulphate Titanium Dioxide (R-S TiO₂) and Rutile-Chloride Titanium Dioxide (R-C TiO₂).
 - iii. All evidence demonstrating that TTPL has been producing and selling R-S TiO₂ was placed on record through the application and was part of the information during the course of the investigation.

- iv. Evidence filed at various stages, including the application for initiation, subsequent written submissions, rejoinder submissions, verification documents, and post-hearing responses clearly establishes that TTPL manufactures Rutile grade TiO_2 through the Sulphate process.
- v. Application included injury information, costing information, NIP information, production and sales information about Rutile-Sulphate grade of TiO_2 , which has been submitted by TTPL.
- vi. Website of TTPL clearly shows the products that are sold under the category of Rutile Titanium Dioxide under heads such as 'Ajantox RD-1, Ajantox RD-1-PG, Ajantox RD-1-GP' along with its usage as "widely used for production of solvent and water based paints, paper, coatings, inks & plastics, etc."
- vii. Annexures and costing information filed by TTPL with the application filed shows that the company has produced and sold Rutile-Sulphate grade of TiO_2 . Such evidence includes production process flow chart, evidence of capacity, reported raw materials in Format VI-1, financial statements, cost audit report, trial balance, injury statement, costing formats.
- viii. Letter dated 2nd July 2024 had explicitly clarified that TTPL produces R-S and letter dated 26th July 2024 clarified that the data submitted in the application had information separately for the PCNs considered and expressly stated that TTPL produces Rutile grade TiO_2 through the Sulphate route.
- ix. Written submissions of the domestic industry at paragraph 15 stated that the three applicant companies produce the PCNs that were included in the subject matter investigation.
- x. At Paragraphs 2 and 3 of the rejoinder submissions of the domestic industry, it was reiterated that TTPL does produce and sell Rutile-Sulphate TiO_2 in response to allegation of the other interested party.
- xi. Verification documents of TTPL filed vide email dated 10th August 2024 provided evidence by way of invoices showing descriptions and HSN, quantitative details of opening, closing stock, production and sales, and production and sales quantities and summaries.
- xii. It was verified that TTPL has the necessary technology and setup to produce Rutile-Sulphate grade TiO_2 and that it has manufactured and sold Rutile-Sulphate grade TiO_2 during the POI.
- xiii. Consumption of sulphur for production of sulphuric acid and production/consumption/ costs of sulphuric acid in production of Rutile-Sulphate TiO_2 was verified by the Authority.
- xiv. Authority determined separate NIP for R-S TiO_2 produced and sold by TTPL, and the same was disclosed.
- xv. Invoices submitted with the email dated 7th February 2025 are simply supporting evidence of early contentions made and not new facts that were brought on record.
- xvi. No necessity for the sales invoices to be specifically highlighted as proof of sales of Rutile-Sulphate TiO_2 by TTPL as information showing production, cost of production, raw materials consumed, details of consumption of raw materials and utilities, NIP claims, expenses incurred in production and sale of the grade, trial balance are part of the information and evidence provided.
- xvii. There have been repeat orders by customers for R-S TiO_2 and sales of Rutile Sulphate Titanium Dioxide was made throughout the injury period as is seen from the injury statement submitted.
- xviii. Various evidences including production process flow chart, capacity evidence, injury statement, annual reports, costing formats, cost audit reports, written and rejoinder

submissions, invoices, sales summaries, stock, trial balances, were provided over the course of the investigation, showing production and sales of Rutile-Sulphate by TTPL.

- xix. Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride are interchangeable and commercially substitutable products, sharing similar physical and chemical characteristics, end uses, and channels of distribution.
- xx. KMML is the largest producer of the subject goods and has produced and sold Rutile-Chloride TiO₂ during the injury period of the subject matter investigation, while TTPL produced and sold Rutile-Sulphate TiO₂.
- xxi. R-S and R-C have the same rutile crystal structure and hence both exhibit only the characteristics of the rutile crystal. R-S matches R-C in all essential physical and chemical properties including Refractive Index, TiO₂ content, kind of inorganic surface coating, pH, specific gravity, bulk density etc
- xxii. Both the domestic and imported R-C TiO₂ grades are recommended in similar applications.
- xxiii. Chemical composition of Rutile TiO₂ itself remains unchanged regardless of whether produced by the sulphate route or the chloride route, and regardless of the raw material used.
- xxiv. Common category of customers for KMML and TTPL, and even common customers, despite one company selling Rutile-Chloride and the other selling Rutile-Sulphate clearly shows that even consumers use Rutile-Chloride in substitution to Rutile-Sulphate and vice versa.
- xxv. Consumers shift their consumption from major international R-C grades to Chinese made R-S grades for same applications which is proven by major manufacturers now using 60% or above of Chinese R-S grades or KMML R-C grades (some are over 90%) compared to near 30% use of Chinese R-S grades 3 to 4 years back.
- xxvi. ***, a paint company has imported significant volumes of R-S TiO₂ from China while also buying a significant volume of R-C TiO₂ from KMML, showing that the two are interchangeable.
- xxvii. Brazilian Authority in its anti-dumping investigation on imports of Titanium Dioxide from China, clearly held that both R-S and R-C result in chemically and functionally similar final products that are used interchangeably in overlapping industrial applications
- xxviii. European Commission in its findings found that R-S and R-C are interchangeable.
- xxix. In its final findings in the anti-dumping investigation into imports of TiO₂ from China, the Saudi General Authority of Foreign Trade held that Rutile grade titanium dioxide produced through chloride and sulphate routes are interchangeable.
- xxx. TTPL has supplied to major paint users historically, and transactions evidence acceptance of TTPL's grades by top industry participants.
- xxxi. CAS No. 1317-80-2 corresponds to rutile titanium dioxide as a whole, and allegations that it denotes nanoparticles are incorrect.
- xxxii. Market practice and verification show overlapping customers using both R-S and R-C, and users substitute between them across paints, coatings, plastics, paper.
- xxxiii. Claims that only coated R-S is relevant are misplaced. Uncoated R-S is used by paint companies and KMML's R-C covers the same applications and offers bluish undertone rutile grades meeting user specifications.

- xxxiv. IPA's reliance on Technova case to demand "commercial volume" exclusion is selective. Parallel CESTAT orders on the same issue are stayed by the Delhi High Court with no finality to the proposition.
- xxxv. TTPL's historical R-S supply from 2002 and reported year-wise domestic sales across the injury period show that sales made by TTPL is not miniscule by any measure and it has sold in commercial volumes.
- xxxvi. Requests to exclude Anatase-Sulphate TiO₂ from the scope of the PUC are untenable as continuous dumping has caused injury and decreased utilisation. Imposition of duty would merely restore fair competition and imports can continue to meet the gap at fair prices.
- xxxvii. Cosmetic-grade exemption is tied to stringent BIS-grade uses (leave-on cosmetics) and not generic wash-off products like toilet soaps. Misuse of "cosmetic grade" declarations to divert to industrial uses should not create a blanket exclusion.

G.3. a. Examination by the Authority

42. The product under consideration (hereinafter also referred to as the "PUC" or the "subject good") as defined at the stage of initiation (in original proceedings) was as follows:

43. The product under consideration in the present application is **"Titanium Dioxide, excluding food, pharma, skin-care, textile and fibre application and nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm"**

Specific Exclusions from the scope of the product

44. Specifically excluded from the scope of product under consideration are titanium dioxide meant for following applications or specification:

- i. food
- ii. pharma
- iii. skin-care
- iv. textile
- v. fibre application
- vi. Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm

General Properties of the product

45. Titanium dioxide (TiO₂) is a white inorganic compound extracted mainly from mineral ores and is used in a vast number of diverse products. The principal natural source of TiO₂ is mined Ilmenite ore which contain 30 – 60% TiO₂. Pure TiO₂ is produced from Ilmenite ore either using chloride or sulphate process.
46. The subject good in the present investigation i.e. TiO₂ are pigments. Titanium dioxide can be broadly classified into Pigmentary TiO₂ and Nano/Ultrafine TiO₂, based on its particle size. Pigmentary titanium dioxide is approximately 200 – 350 nm in dimension which forms 98 % of the total production and is used mainly for its high refractive index and consequent scattering of visible light and high opacity. In other words, 98% of the global production of titanium dioxide is used as a pigment.

Grades of Titanium Dioxide-Rutile and Anatase Grades

47. The petitioners/applicants are manufacturing **rutile and anatase grades** of titanium dioxide which are two forms of titanium dioxide depending on their crystal structure.
48. Rutile is a mineral composed primarily of titanium dioxide. Rutile is produced from ilmenite, which is a mixture of titanium, ferrous iron and ferric iron. Rutile is the most common natural form of TiO₂. Rutile has among the highest refractive indices of any known mineral and exhibits high dispersion. Natural rutile may contain up to 10% iron and significant amounts of niobium and tantalum.
49. Anatase grade of TiO₂ is produced from ilmenite, which is a mixture of titanium, ferrous iron and ferric iron. It has a very high degree of whiteness. Titanium in ilmenite is extracted by reacting this raw material with sulphuric acid. Titanium goes into the solution as titanium oxy sulphate. Titanium dioxide anatase is obtained from titanium oxy sulphate by injecting live steam and dewatering the treated pulp.

Uses

50. Titanium dioxide is the brightest and whitest of the known pigments and is the most sought white pigment in applications such as paints & coatings, plastics, papers, rubbers and inks on account of its high refractive index and UV resistance. The high refractive index imparts high whiteness and hiding power (opacity) to the endproducts. TiO₂ pigment also finds application as energy saver as it reduces need of air conditioning because of light reflecting qualities when used in paint coatings on the outside of buildings in warm climates.

Tariff Classification

51. The product under consideration can be classified under **Chapter 28 and 32** of the Customs Tariff Act, 1975. The dedicated code for the product under Chapter 28 is **28230010**. However, since it is a pigment, imports are also being reported under **32061110 and 32061190**. However, it is possible that the subject goods may be imported under other heading and therefore, the customs classifications are indicative only and not binding on the scope of the present investigation.”
52. The domestic industry initially proposed the PCN methodology based on the crystalline structure i.e., Anatase and Rutile only.
53. Various comments on the scope of the PUC and the PCN methodology were received from the interested parties. A meeting to discuss the same was held on 3rd June 2024. The following are the comments received from interested parties with regards to scope of PUC, and PCN methodology.
54. After examining the transaction wise import data called from DG System and submissions of the interested parties, the Authority observed a significant difference in the import prices of Rutile Chloride (R-C) and Rutile Sulphate (R-S). Accordingly, the Authority deemed it necessary to establish separate PCNs for fair comparison of both products for the purpose of this investigation
55. The Authority confirms the scope of the product under consideration as stated above and with

regard to exclusion requests made and concerns expressed by the interested parties it observes as follows :

- a. **Rutile through sulphate TiO₂ should be excluded-** With respect to submissions alleging that the domestic industry does not produce rutile through sulphate process, the Authority notes that the Indian industry produces rutile grade through sulphate process as well as chloride process. Further, it is noted that TTPL, has the necessary technology and setup to produce rutile through sulphate route and has manufactured and sold rutile TiO₂ produced using sulphate process during POI. Further, as noted above the contention that R-S should be excluded from the scope of the product under consideration, the Authority holds that exclusion of R-S from the scope of the investigation would not be appropriate even in a possible situation where the domestic industry has not sold R-S to IPA members during the POI or for same application, but the same has been sold to other customers. Under the Rules, the Authority is required to determine whether the domestic industry has produced like article to the PUC. Further, the R-C sold by KMML is a like article to R-S. Both sulphate-route rutile and chloride-route rutile share interchangeable applications. Consumers routinely use and purchase both types, showing the similarity and interchangeability between the two. Therefore, the Authority disagrees with the exclusion sought for this product type.
- b. **TiO₂ with particle sizes below 200 nm and above 350 nm-** The interested parties have argued that TiO₂ with particles size below 200 nm and above 350 nm should be excluded. It is noted that subject goods below particle size 100 nm is already exempted from the scope of product under consideration. Further, information on record shows that all the grades of TiO₂ with particles size above 100nm is being produced and sold by the applicants. Thus, the product scope excludes only particle size below 100 nm.
- c. **TiO₂ rutile with bright and bluish undertone, Performance Grade TiO₂ (BLR 895 or LR961) and Sulphate Grades (BLR 698/R 868 or BLR 601/R 216) -** The interested parties have requested that certain grades, including TiO₂ Rutile grade with a bright and bluish undertone, performance grades, and specific sulphate grades, be excluded. However, the authority notes that these requests are not supported by credible scientific data showing differences in physical or chemical characteristics or end uses compared to the domestic products. The domestic industry has asserted that it provides comparable products and contends that exclusions should not be based solely on grade names created by individual producers. These grade names are specific to the producers and do not align with international standards. Since consumers use these products interchangeably, the authority holds that there is no evidence to justify the exclusion of these product types.
- d. **TiO₂ anatase grade for making paper other than décor (used at fibre/pulp stage)-** The interested party has requested that anatase grade for making paper be excluded from the scope of the product under consideration. The domestic industry has submitted that the domestic industry produces and has sold material to consumers for production of papers (other than décor paper). Since the domestic industry produces this product, the Authority disagrees with this exclusion request.

e. **TiO₂ for certain applications- Rutile grade for making décor paper and TiO₂ used in the production of textiles, food-** The interested parties have requested that TiO₂ used in the production of textiles and food, and rutile grade used for producing décor paper may be excluded from the scope of product under consideration. The domestic industry has agreed with such request for exclusion as TiO₂ in these applications is not used as a pigment. The Authority excludes TiO₂ for these applications.

f. **Nano or ultrafine-** The domestic industry and interested parties have agreed with exclusion of nano or ultrafine as the domestic industry does not produce this article and the demand for this product is low. The Authority accordingly excludes this product type from the scope of product under consideration.

g. **TiO₂ for skin care and pharmaceutical applications-** The interested parties have requested that TiO₂ used for skin care and pharmaceutical applications may be excluded from the scope of product under consideration. The domestic industry has agreed with such request for exclusion as TiO₂ for these applications is not being produced by the domestic industry. The scope of product under consideration thus will exclude TiO₂ for skin care and pharmaceutical applications.

56. In view of the above, the Authority holds the product under consideration and product control numbers (PCNs) as below:

57. The product under consideration in the present application is “**Titanium Dioxide, excluding food, pharma, skin-care, textile and fibre application and nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm**”

Specific Exclusions from the scope of the product

58. Specifically excluded from the scope of product under consideration are titanium dioxide meant for following applications or specification:

S No.	Product excluded	Description of the excluded product and details
1	Food	TiO ₂ used in food additives like food colouring
2	Pharma	TiO ₂ used as ingredient in tablet film coatings
3	Skin-care	TiO ₂ is used in cosmetics and sunscreen lotions for UV-absorbing and photocatalyst applications
4	Textile	TiO ₂ used in production of textile/fibre. TiO ₂ which is used in the production of textiles and fibres largely because of its photo-catalytic self-cleaning, UV-protection and delustering abilities, etc. is excluded from the scope of product under consideration.

		However, such exclusion does not extend to the TiO₂ that is used as a pigment for printing over the textile/garment/cloth/fabric.
5	Fibre	TiO ₂ is used for delustering the artificial fibre and this fibre is used to product the textiles. Fibre grade materials are used to blend with fibre threads to make the cloth itself. TiO ₂ Rutile grade for making décor paper (used at fibre/pulp stage).
6	Nano or ultrafine	Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm used in textile/paint industry to offer characteristics such as dust free textile/paint

PCN Methodology

PCN	PCN Code
Rutile -Chloride	R-C
Rutile- Sulphate	R-S
Anatase-Sulphate	A-S

59. The Authority notes that the product produced by the applicants and the product under consideration imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The Authority holds that the subject goods produced by the applicants' companies is like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules.

H. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

H.1 Submissions by other interested parties

60. No submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing.

H.2 Submissions by domestic industry

61. The applicants have made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
- The application has been filed by M/s. Kerala Minerals and Metals Ltd, M/s. Travancore Titanium Products Ltd and M/s. VV Titanium Pigments Pvt. Ltd.
 - The applicants comprise of all the producers in India involved in the manufacturing of the PUC. Applicants have neither imported nor are related to any importer or exporter of subject goods.
 - The applicants constitute a 'major proportion' of the total Indian production and satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

H.3 Examination by the Authority

62. Rule 2(b) of the AD Rules defines the domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such casethe term 'domestic industry ' must be construed as referring to the rest of the producers"

63. The present application has been filed by M/s Kerala Minerals and Metals Ltd, M/s Travancore Titanium Products Ltd and M/s VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. The applicants are the only producers of subject goods in the POI in the country. There are no other domestic producers of subject goods.

64. The applicants have not imported the subject goods and are not related to either an importer or exporter of subject goods from subject country. Information on record shows that the applicants account for 100% of Indian production in the POI. The application thus, satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules. Therefore, the Authority holds that the applicants/petitioners as the eligible domestic industry. Further, the applicants constitute the domestic industry.

I. SAMPLING OF FOREIGN PRODUCERS

65. A large number of producers and exporters of the subject goods from China submitted questionnaire response. In view of the large number of producers and exporters, the Authority decided to resort to sampling in the present investigation in accordance with the provisions of Rule 17(3). Based on the questionnaire responses filed before the Authority, the following three groups were chosen for individual dumping margin determination.

- i **LB Group** comprising of following producers/exporters- Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., LB Group Co., Ltd., LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd., LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd, Billions (Hong Kong) Corporation Limited and Billions Europe Ltd, UK.
- ii **Gold Star Group** comprising of producer/exporter- Anhui Gold Star Titanium **Dioxide** (Group) Co., Ltd and Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
- iii **Shandong Group** comprising of producer/exporter- Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. and Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.

66. The Authority vide email dated 29.08.2024 intimated all the interested parties regarding the sampling methodology and the sampled groups for further investigation and sought the comments from them. The comments sent by the interested parties were examined by the Authority and the final

sampled groups of exporters/producers were intimated vide notification no F.No.- 06/03/2024 dated 7th October, 2024. The Authority also informed the interested parties that these producers along with their associated exporters were proposed to be considered for determination of individual dumping margin.

67. The Authority invited comments from the interested parties. The submissions made by the interested parties are briefly as under.

I.1 Submissions by other interested parties

68. There were no submissions made by other interested parties in this regard.

I.2 Submissions made by the domestic industry

69. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. 21 producers have filed questionnaire responses as per the interested parties' list, which is a high number to permit individual determination.
- ii. Given the low volumes of exports by certain parties, it is obvious that their product profile and exports pattern is not representative of exports into India, in terms of both product profile and time period.
- iii. In the past, Chinese producers who have had negligible export volumes in the POI, after getting individual lower duty, flood the Indian market.
- iv. The global norm in sampling is to consider at most three companies:
 - a. In **Ceramic Tiles from India**¹, Europe originally considered two companies and refused to extend sampling size to three companies even following aggressive representations from the company at number 3.
 - b. In **Wood Pulp from Canada**², China's Ministry of Commerce (MOFCOM) refused to individually determine dumping margin for the company at number 3 even though the companies in the first three places were exporting almost equal volume.
 - c. The USA considers more than two companies as 'unduly burdensome'. In the matter of **Quartz Surface Products from India**³, out of 50 companies considered, investigation and determination of dumping margin was carried out only for two companies, the results of which were extended to the others.
- v. Filing of questionnaire response on voluntary basis cannot be grounds to determine individual dumping margin.

I.3. Examination by the Authority

70. After reviewing the comments from interested parties, the export data was organized in descending

¹ European Commission (2024). *Commission Implementing Regulation (EU) 2024/804 of 7 March 2024* (Official Journal of the European Union, L 63, 1-25).

² "Symposium on State-Owned Enterprises in China," *World Trade Review* 16, no. 4 (October 2017): 750–752.

³ "Certain Quartz Surface Products From India: Preliminary Results and Rescission in Part of Antidumping Duty Administrative Review; 2022–2023," *Federal Register*, Vol. 89, No. 131, pp 56292-56295, Tuesday, July 9, 2024.

order of production of PUC. Based on the largest percentage of export volume to India from China during the POI, three (3) producers, along with their associated exporters/producers, were selected for the determination of the dumping margin. These 3 sampled producers/exporters group contribute to about 49% of exports during the POI, making them an appropriate and representative sample. Therefore, the Authority has considered the sampled producers to determine dumping margin and the dumping margin for non-sampled cooperating producers/ exporters from China PR would be determined on the basis of the same.

J. MARKET ECONOMY TREATMENT, DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, AND DUMPING MARGIN

J.1. Submissions made by other interested parties

71. Following submissions have been made by other interested parties with regards to the normal value, export price and dumping margin:
- i. Market economy status should be granted to China PR based on the development of the market economy of China. Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired on December 11, 2016.
 - ii. After 11th December 2016, anti-dumping regulations cannot contain any provisions allowing for the establishment of the normal value for the Chinese exporting producers on a basis other than their domestic prices and costs.
 - iii. India has no legal basis under the WTO Agreement to calculate normal value in anti-dumping investigation for products from China PR using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT.
 - iv. The surrogate country methodology is no longer applicable in calculating normal value, regardless of whether China PR is treated as a market economy due to the principle of pacta sunt servanda, Section 15 of China's Accession Protocol to WTO and Appellate Body Report on EC- Fasteners initiated by China PR.
 - v. China PR should not be treated as a non-market economy as per China's accession protocol to WTO, the same was also confirmed by the WTO Appellate Body in "EC-Fasteners". US and EU in their respective bilateral agreement with China PR had also noted about the expiry of non-market economy status after 15 years after China enters WTO.

J.2. Submissions made by the domestic industry

72. The submissions of the domestic industry with regards to the normal value, the export price and the dumping margin, are as follows:
- i. China should be considered a non-market economy country and normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with para-7 read with para 8 (2) and 8(3) of Annexure I of the AD Rules. In terms of Para 8 in Annexure I to the AD Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has

been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the AD Rules.

- ii. Article 15 (d) of the Protocol, the provision of 15(a)(ii) has expired in December 2016 i.e., 15 years after China PR's accession to the WTO. However, Article 15(a)(i), which provides for presumption of non-market economy for China PR, is still in force. Hence, a valid presumption exists that China PR is a non-market economy country for anti-dumping investigations.
- iii. The Authority shall follow Para 1 – 6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
- iv. Paragraph 1 to 6 of Annexure I of the Rules does not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

J.3. Examination by the Authority

73. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

74. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, as well as to the appropriate diplomatic representative advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority within the prescribed time limit. The Authority received questionnaire responses from the following exporters/producers:

- i. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.
- ii. LB Group Co., Ltd.
- iii. Lb Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.
- iv. Lb Sichuan Titanium Industry Co., Ltd
- v. Lb Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd
- vi. Billions (Hong Kong) Corporation Limited
- vii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.
- viii. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
- ix. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai Co., Ltd
- x. Yibin Tianyuan Group Co., Ltd
- xi. Efon (Hongkong) Company Limited
- xii. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.
- xiii. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.
- xiv. Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group
- xv. Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.
- xvi. Pangang Group Chengdu Vanadium & Titanium Resources Development Co., Ltd.
- xvii. Pangang Group Chongqing Vanadium & Titanium Technology Co., Ltd.
- xviii. Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)
- xix. Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.
- xx. Inter China Chemical Co., Ltd.
- xxi. Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.
- xxii. Shandong Doguide Group Co., Ltd.
- xxiii. Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.
- xxiv. Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.
- xxv. Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.
- xxvi. Ningbo Xinfu Chemical Marketing Co., Ltd.
- xxvii. Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.

75. The Authority has sampled following three groups which includes related traders and producers:

- i. LB Group comprising of following producers/exporters- Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., LB Group Co., Ltd., LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd., LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd, Billions (Hong Kong) Corporation Limited and Billions Europe Ltd, UK.
- ii. Gold Star Group comprising of producer/exporter- Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd and Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.
- iii. Shandong Group comprising of producer/exporter- Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.and Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.

76. The normal value and export price for all producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

J.3.1. Normal Value

77. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "

78. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment.
79. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information made available by the domestic producers on the cost of production of the subject goods with due addition of SGA and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of the initiation and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting the presumption of a non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producersexporters in China PR to provide the relevant information.
80. None of the exporters/producers contested the non-market economy status of China. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as anon-market economy country in the present investigation and proceeds with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
81. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:
- “In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*
82. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “any other reasonable basis”.
83. The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and

reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

J.3.2. Export Price for all sampled producers and exporters

A) LB Group (Sampled)

- i. M/s. LB Group Co Ltd.**
- ii. M/s. LB Lufeng Titanium Industry Co. Ltd.**
- iii. M/s. LB Sichuan Titanium Industry Co. Ltd.**
- iv. M/s. LB Xiangyang Titanium Industry Co. Ltd.**
- v. M/s. Henan Billions Advanced Material Co. Ltd**
- vi. M/s. Billions (Hong Kong) Corporation Limited**
- vii. M/s Billions Europe Ltd., UK**

84. **LB Group Co., Ltd.** was established on August 20, 1998 as a public listed company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
85. During the POI, LB Group Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. It is further noted that out of this *** MT, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold *** MT to India directly and rest of *** MT has been sold to India indirectly through another related exporter/trader namely, Billions Europe Ltd., UK. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.
86. **LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.** was established on April 20, 2015 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
87. During the POI, LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.
88. **LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.** was established on February 21, 2001 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
89. During the POI, LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. China PR, has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. It is further noted that out of this *** MT, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold *** MT

to India directly and rest of *** MT of subject goods Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold to India indirectly through another related exporter/trader namely, Billions Europe Ltd., UK. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

90. **LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd.**, China PR, was established on April 29, 2011 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
91. During the POI, LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd., China PR, has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.
92. **Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.** was established on May 19, 2016 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
93. During the POI, Henan Billions Advanced Material Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT indirectly through a related exporter/trader namely, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong. It is further noted that out of this *** MT, Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold *** MT to India directly and rest of *** MT of subject goods Billions (Hong Kong) Corporation Limited, Hong Kong has sold to India indirectly through another related exporter/trader namely, Billions Europe Ltd., UK. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at PCN-wise weighted average of export price at ex-factory level and the ex-factory export price so determined is as shown in the dumping margin table.

B) Gold Star Group (Sampled)

- i. M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co. Ltd.**
- ii. M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co. Ltd.**

94. **Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co. Ltd.** was established as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China, on January 18, 1996.
95. During the POI, Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd., China PR, has sold *** MT subject goods to India indirectly through a related exporter/trader namely, Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd., China PR on ex-works basis. The producer/exporter has claimed no adjustments to arrive of export price at ex-factory level and the net export price so determined is as

shown in the dumping margin table.

96. **M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.**, was established as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China, on October 20, 2017.
97. During the POI, Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. Out of this, the producer/exporter has sold *** MT of subject goods from its related producer/exporter namely M/s. Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd., China PR. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the net export price so determined is as shown in the dumping margin table.

C) Shandong Group (Sampled)

i. M/s. Shandong Xianghai Titanium Co. Ltd.

ii. M/s. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co. Ltd.

98. **M/s. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.**, was established on October 16, 2013 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
99. During the POI, Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd., has sold *** MT subject goods to India. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the ex-factory export price so determined is as shown in the dumping margin table.
100. **M/s. Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. China PR**, was established on April 24, 2012 as a limited liability company in accordance with Company Law of the People's Republic of China.
101. During the POI, Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. China PR, has sold *** MT subject goods to India directly. The producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean, freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission to arrive at net export price at ex-factory level and the ex-factory export price so determined is as shown in the dumping margin table.

D) Non sampled cooperating producers/exporters

102. The Authority considers the weighted average dumping margin evaluated on the basis of individual dumping margins for the producers/exporters of the sampled category. This weighted average dumping margin has been accorded to the non-sampled category of producers/exporters of subject goods and has been mentioned in the dumping margin table.

E) Non-cooperating producers/exporters

103. The Authority has determined the export price for non-cooperating producers/ exporters from China PR after considering the volume and value of imports based on data of cooperating producers from China PR. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission, and bank charges. The export price so determined is stated in the below – mentioned dumping margin table.

J.3.3 Determination of dumping margin

104. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is determined that the dumping margin is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

105. It is noted that many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

106. In accordance with the above, related producers and exporters is regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.

Dumping Margin (DM) Table

S.No.	Producer	CNV (\$/MT)	Net Export Price (\$/MT)	Dumping Margin (DM) (\$/MT)	DM (%)	DM Range (%)
1.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
2.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.					
3.	M/s Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
4.	M/s Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.					
5.	M/s LB Xiangyang Titanium Industry Co Ltd, and	***	***	***	***	35-45

6.	M/s LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.					
7.	M/s LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.					
8.	M/s LB Group Co., Ltd.					
9.	M/s Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.					
10.	Non-Sampled Cooperative Producers/Exporters	***	***	***	***	40-50
11.	Residual	***	***	***	***	90-100

K. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

K.1. Views of the other interested parties

K.1.a Views of other interested parties in original proceedings

107. The following submissions were made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. Import volume data shows significant reliance on imports to meet domestic demand, particularly from China PR.
- ii. Imports have shown steady increase in tandem with increase in demand in the POI.
- iii. Sales of the domestic industry have increased slightly while imports from other countries declined in the POI.
- iv. Domestic industry is unable to meet the increasing demand for the subject goods and the demand supply gap highlighting the need for imports.
- v. Grade-wise examination would enable a clearer assessment of how different quality grades have contributed to changes in cost and pricing dynamics. This approach will allow identification of grades that may be experiencing higher or lower demand, pricing pressures, or cost variances, leading to more tailored strategies for pricing, marketing, and production. Such an analysis can also uncover trends that might be obscured in the aggregate data, thereby enabling more informed decision-making and enhancing profitability.
- vi. The alleged injury to the domestic industry cannot be attributed solely to subject imports. Other contributing factors include fluctuations in raw material prices, supply chain disruptions, changing consumer preferences, and increased competition from both domestic and foreign producers.
- vii. DI's claim of a 22% return on capital employed (ROCE) for determining the non-injurious price is excessive and inconsistent with the Anti-Dumping Rules, as it inflates the non-injurious price calculation by applying an unjustifiable rate across both net worth and debt

components of capital employed. It is submitted that non-injurious price should be calculated based on the actual ROCE earned by the domestic industry during periods without dumping allegations, considering the prevailing economic conditions and ensuring that interest costs and profit margins reflect realistic and reasonable levels.

- viii. Injury must be analysed separately for rutile and anatase grades as they are distinct forms of the PUC due to their unique crystal structures and resultant physical and chemical differences.
- ix. Injury must be analysed separately for rutile-chloride and rutile-sulphate as they cannot be used interchangeably. Mere adoption of PCN is insufficient for a holistic injury examination and does not reflect the correct volume effect, price effect, and economic parameters for determining injury as per the AD Rules.
- x. Domestic industry has used two separate import volumes to calculate dumping margin, and for determining net export price, injury margin, price undercutting. Domestic industry has created an inconsistency that could distort the injury examination. Volume of imports from China has risen by 50% while that of non-subject countries have experienced a decline of about 25%. Imports into India have increased by only 12.80%, aligning with the increase in total Indian demand. Hence, Chinese imports are taking away market share of non- subject country imports and not Indian market share, which remained more or less at the same level.
- xi. Segregation of Chinese imports reveals that the increase in imports pertain to rutile- sulphate due to the non-availability of rutile-sulphate domestically. Imports of rutile- sulphate are a necessity than a choice.
- xii. Price undercutting in itself cannot be an indicator of injury leading to material injury. Setting of net sales realisation (NSR) is a business decision, therefore, DI's internal inefficiency that may lead to higher cost of production and higher NSR cannot be a reason to claim injury or material injury.
- xiii. As per the audits of the Comptroller and Auditor General, KMML has maintained pricing practices that ensure recovery of variable costs which contradict claims of price suppression or depression.
- xiv. KMML has not expanded its production capacity since fiscal year 2006-07 despite being the sole domestic producer of rutile TiO₂ in India. Despite consistent and increasing demand from the user industry, capacity of KMML has remained the same. Capacity utilisation data suggests that KMML's performance has been consistent over time, showing no changes in output or capacity utilisation.
- xv. Sales prices of KMML have increased substantially over the injury period, whereas the cost of production has decreased indicating that KMML is currently not facing adverse financial impacts that would necessitate imposition of duties.
- xvi. KMML has reported gross profits across all segments including PUC, of 120% and 20% respectively from 2019-20 to 2022-23. Thus, claims regarding decline in profitability are devoid of merit and warrant rejection.
- xvii. Achieving 4, 00,000 MT capacity as mentioned by the domestic industry during the oral hearing would require an approximate capital outlay of INR 10,000 Cr. Considering the domestic industry is reportedly, financially constrained due to internal inefficiencies and borrowing, such investment seems highly improbable.
- xviii. Domestic industry's sales volume and sales price have risen slightly which indicate stability

and improvement in the domestic industry's performance, negating the assertion that the domestic industry is suffering from injury.

- xix. Increase in imports from China PR has been modest and cannot be considered significant enough to substantiate a claim of threat of material injury.
- xx. India does not constitute an exceptionally high-growth or lucrative market for foreign exporters as demand has remained relatively steady over recent years and does not indicate significant or increasing attractiveness to foreign exporters.
- xxi. Domestic industry has not provided reliable data on the actual installed capacity in China which is dedicated for the production of the PUC as opposed to the grades of TiO₂ which are not subject to this investigation, in the absence of which, the Authority should disregard the domestic industry's speculative assertions of excess capacities.
- xxii. The COVID-19 pandemic and resultant lockdown is a factor in the performance of the domestic industry and demonstrates the absence of any causal relationship between the dumped goods and injury to the domestic industry. KMML's annual report of 2022-23 reports an increase in COVID related expenses, which may have increased the costs of the company.
- xxiii. Domestic industry has the option to address any injury arising from alleged subsidies as claimed by the domestic industry by filing a separate anti-subsidy petition. It would be inappropriate to include in the present anti-dumping assessment any injury purportedly caused by subsidisation such as export tax rebates.
- xxiv. The domestic industry is inefficient owing to the massive increase in its interest costs which may have contributed significantly to the domestic industry's rising cost of sales, turning prior profits into losses, and leading to the decline in ROI.
- xxv. The domestic industry has specifically highlighted injury from the LB Group. However, it must be noted that LB Group is backward integrated, thereby maintaining a more competitive cost structure. KMML relies on purchased raw materials and is hence unable to efficiently manage its raw materials. KMML's annual report shows that there is a significant increase in raw material costs which is disproportionate to the rise in sales, indicating inefficiencies.

K.1.b Views of other interested parties in remand proceedings

108. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link in the present proceedings:

- i. India's domestic capacity is 82,500 MT per annum, but actual production is around 47,000 MT, creating greater than 300,000 MT deficit which is met by imports, reflecting supply issues and not injury caused by dumping.
- ii. The DI claims TTPL can produce and has sold R-S but annual capacity of TTPL at 10,000 MT is primarily for A-S and any Rutile produced is uncoated and technically unsuitable for premium paints and high-grade plastics. Injury on account of R-S imports are invalid and DI must provide invoices showing R-S sales to paint manufacturers to substantiate the injury on account of imports of R-S.
- iii. The claimed domestic capacity of 82,500 MT is contradicted by actual production of 47,000 MT against total Indian demand of 4,00,000 MT, resulting in an 88% import dependency. Actual production in FY23 implies 57% utilization due to inefficiencies.

- iv. KMML does not produce R-S and only produces R-C, which is not the grade needed by the 15,000 SMEs. Further, capacity expansion plans have been delayed due to administrative hurdles, meaning it cannot physically supply the deficit of 3,00,000 MT.
- v. True injury to the domestic industry is from Tronox and Chemours, not from China, as post imposition of duties both exporters have reduced their prices significantly with prices dropping to 600-700 USD/MT as compared to 2,900 USD/MT earlier. Price reduction was concealed from the Authority by issuance of post-sale credit notes. These prices were significant because they were lower than landed cost of Chinese TiO₂ after imposition of ADD and they are substantially below prices of KMML.
- vi. Tronox submitted that imposition of duties in Brazil, the EU, and Saudi Arabia which are higher than India's duty has led to trade diversion with Chinese exporters redirecting massive volumes (approx. 150,000 MT annually) to the Indian market, which has the lowest duties.
- vii. Tronox submitted that since the Hon'ble High Court in Calcutta set aside the final findings, Authority now is legally entitled to reconsider findings with regard to NIP, causal link, and IM along with confidentiality issues.
- viii. Under Rules 5 and 6, the domestic industry must prove dumping, injury, and causal link with verifiable data and withholding data under confidentiality undermines importers right to reply.
- ix. Domestic industry failed to prove that the injury it suffered was specifically caused by dumped imports, as required by WTO ADA Article 3.5 and Rule 11(2). Other factors such as raw material price shifts and domestic inefficiencies were not properly isolated making the causal link insufficient.
- x. Like article and injury analysis may be re-assessed using only verified, non-confidential evidence.

K.2. Views of the Domestic Industry

K.2.a Views of the domestic industry in original proceedings

109. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- i. Demand increased steadily until 2021-22 but declined in 2022-23 and during the POI.
- ii. Imports from the subject country have increased significantly from the base year to the POI.
- iii. The increase in imports is substantial both in absolute and relative terms.
- iv. The share of imports from the subject country in relation to Indian production and consumption has grown consistently over the injury period.
- v. Subject imports hold 57% market share in total Indian demand.
- vi. Price undercutting was determined by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry. The subject imports are undercutting the prices of the DI.
- vii. The cost of sales increased till 2022-23, after which it saw a slight decline in the POI. The selling price increased till 2021-22 and then decreased till the POI. Subject imports therefore, are suppressing the prices of the domestic industry.

- viii. The capacity of domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- ix. Production and capacity utilization of domestic industry has increased from the base year to 2021-22, however declined significantly since then till POI.
- x. Despite sufficient demand in the country, the domestic industry is operating at a very low utilization level.
- xi. Sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23, and saw an increase in the POI.
- xii. Market share of the applicants declined over the injury period whereas share of subject imports have increased and is more than 50%. The subject imports have also taken away the share of other countries in demand.
- xiii. With regard to the profitability parameters of the domestic industry, COVID and low-priced imports caused the domestic industry to incur losses in the base year.
- xiv. In 2021-22, the domestic industry started earning profits, cash profits, and a reasonable ROI. However, it started incurring severe losses in 2022-23, which continued into the POI, where the landed price of the subject imports started to decline significantly. The ROI of the domestic industry was negative *** % in the POI.
- xv. The inventories with the domestic industry have undergone a highly significant increase over the injury period. The inventory in the POI is at *** MT, despite a reduction in production.
- xvi. The number of employees and the wages paid have declined marginally over the injury period.
- xvii. Productivity per employee has increased from the base year to 2021-22, it has however declined significantly since then till the POI, following the movement of production.
- xviii. The subject imports have adversely affected the growth of the domestic industry in respect of price and profitability parameters.
- xix. There is an increase in dumped imports from the subject country, even beyond the demand supply gap in India, after accounting for the new producer that has already started producing subject goods after the POI.
- xx. Injury must be seen for the domestic industry as a whole as the PUC is defined as 'titanium dioxide' and injury analysis must be considered for the product as a whole.
- xxi. Calculation of dumping margin and injury margin has been carried out based on anatase and rutile grades, as they are identified and any unknown grades of TiO₂ have not been considered.
- xxii. To calculate price undercutting, the total volume of imports has been considered.
- xxiii. Landed price of Chinese imports declined after 2021-22, the landed price of non-Chinese imports increased significantly, especially in the POI.
- xxiv. Volume of imports from China increased as that of other countries declined.
- xxv. The increase in stocks over the injury period is from about 50 crores to 250 crores.
- xxvi. Capacity utilization for one of the constituents of the domestic industry is only at 32% in the POI, while that of another applicant is 32% for two different PCNs.
- xxvii. Domestic industry was forced to follow movement of landed price and not costs by reducing selling price in 2022-23 even with a cost increase. However, landed price was too low and below cost and declined further in the POI.
- xxviii. KMML suffered massive declines in PBT by about *** Cr and in PBIT by about *** Cr while its interest cost increased only *** Cr.

- xxix. The reference made to KMML's policy is to variable costs and not full costs and ignores full costs knowing that market forces may not allow for full costs to be recovered.
- xxx. COVID related expense was made initially in 2021, as per orders of the Government of Kerala. The amount paid in 2022-23, was simply a part payment to complete the amount contributed as part of the company's CSR obligations. Moreover, CSR expenses are not even considered for reporting profits and are met from profit after tax.

K.2.b Views of the domestic industry in present remand back proceedings

110. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link in the present proceedings:

- i. Production volume of the domestic industry has been significantly impacted by the dumping practices of Chinese producers.
- ii. Financial strain has led to underutilisation of existing capacity and delays in planned expansions which has affected growth of the domestic industry, hindering its ability to meet the increasing demand for TiO₂ in India.
- iii. Despite sufficient demand in the country, domestic industry is operating at only 56% capacity utilisation.
- iv. Challenges of price undercutting as well as increasing import volumes have been have impacted the domestic industry.
- v. Restrained quantum of duty risks undermining the long-term capacity utilisation and investment in domestic production of the subject goods.
- vi. There is a significant difference between the duty recommended by the Indian authorities when compared to that recommended and imposed by the trade remedial authorities in the European Union, Brazil, and Saudi Arabia.

K.3. Examination by the Authority

111. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

112. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of

dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

K.3.1 Assessment of Demand/Apparent Consumption

113. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the subject goods in India as the sum of domestic sales of the applicants and imports from all sources. The demand for the PUC is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from Subject Country- China	MT	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
Indexed		100	117	138	154
Imports from other countries	MT	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
Indexed		100	121	96	83
Sales of Domestic Industry	MT	46,855	47,913	38,998	47,223
Indexed		100	102	83	101
Indian Demand	MT	3,40,727	397,352	383,525	396,699
Indexed		100	117	113	116

114. It is seen that the demand for the product under consideration increased in 2021-22 and declined marginally thereafter till POI. The imports from subject country have increased significantly by 54% when compared with base year 2020-21.

K.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a) Imports in absolute and relative terms

115. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise import data from DG System. The Authority has considered the data based on the finalised PUC and PCN of the subject goods. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Import Volume					
Subject Country- China	MT	1,46,998	1,72,187	2,02,922	2,26,869
Indexed		100	117	138	154
Other Countries	MT	1,46,874	1,77,252	1,41,605	1,22,608
Indexed		100	121	96	83
Total Imports Volume	MT	2,93,872	3,49,439	3,44,527	3,49,476
Indexed		100	119	117	119
Subject imports in relation to					
Total imports	%	50	49	59	65
Indexed		100	99	118	130
Indian production	%	287	302	433	494

Indexed		100	105	151	172
Indian demand	%	43	43	53	57
Indexed		100	100	123	133

116. It is seen that:

- The subject imports have witnessed a significant increase throughout the injury period. Imports from other countries increased in 2021-22, but declined sharply thereafter till the POI.
- Share of imports from China PR in total imports was already quite high. Further, the same increased over the injury period, and share of imports from other countries have declined.
- Subject imports in relation to Indian production and consumption has increased over the injury period.
- It can be observed that there is an overall increase in the demand.

K.3.3 Price effect of dumped imports on domestic industry

117. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

118. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports.

a) Price Undercutting

119. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the investigation period. For the purpose, the Authority notes that there is significant difference in the prices of different types of the product under consideration. Therefore, the Authority has compared landed price of imports with the selling price of the domestic industry for comparable types, by considering the PCN notified by the Authority. Thus, weighted average price undercutting has been determined after considering associated import volumes and same is given below-

Particulars	Unit	A-S	R-S	R-C	Weighted Average
Landed Price	₹/MT	1,78,574	2,01,911	2,26,934	2,05,197
Net Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/MT	***	(***)	***	(***)
Price Undercutting	%	***	(***)	***	(***)
Price Undercutting	Range	0-10	Negative	5-15	Negative

120. It is seen that the imports are not undercutting the prices of the domestic industry in the market.

b) Price Suppression/Depression

121. For the purpose of analysing price suppression and depression in the domestic market, the applicants have provided information about (a) cost of sales, (b) domestic selling price, as is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Landed Price	₹/MT	1,74,761	2,61,253	2,33,166	2,05,197
Indexed		100	149	133	117
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	110	147	135
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	133	124	113

122. It is seen that both the selling price and the cost of sales increased over the injury period. However, the increase in cost of sales was much higher than the increase in selling price of the subject goods. Further, whereas the selling price was above cost of sales till 2021-22, the same declined below the level of cost of sales in 2022-23 and the POI. The landed price of imports shows a fluctuating trend, with a significant increase in 2021-22 followed by a decline during the POI. The landed price of imports were materially below cost of sales in the POI. The selling price trend also reflects price depression, as it declined from its peak in 2021-22 (₹***/MT) to (₹***/MT) during the POI, despite the cost of sales remaining elevated. Subject imports are, thus, causing significant price suppression in the domestic market.

K.3.4 Economic Parameters of the domestic industry

123. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

124. The performance of the applicants in the POI has been compared with its performance in the base year.

a) Capacity, Production, Capacity Utilisation, and Sales

125. The Authority has considered the capacity, production, capacity utilisation, and sales volume of the domestic industry over the injury period. The table below shows factual position.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	82,500	82,500	82,500	82,500
Indexed		100	100	100	100
Production	MT	51,221	56,956	46,811	45,944
Indexed		100	111	91	90
Capacity Utilisation	%	62	69	57	56
Indexed		100	111	92	90
Domestic Sales	MT	46,855	47,912	38,999	47,223
Indexed		100	102	83	101

126. It is seen that:

- Capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- Production and capacity utilization of the domestic industry has increased from base year to 2021-22 but declined significantly since then till POI.
- Despite sufficient demand in the country, the applicants are operating at low utilization level.
- Production, sales and capacity utilization in 2020-21 were lower due to country wide COVID-related lockdown.
- Sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23 and increased again in the POI.

b) Market Share in Demand

127. The market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject Country	%	43.1	43.3	52.9	57.2
Indexed		100	100	123	133
Other Countries	%	43.1	44.6	36.9	30.9
Indexed		100	103	86	72
Domestic Industry	%	13.8	12.1	10.2	11.9
Indexed		100	102	74	87

128. The market share of the subject country has increased significantly over the injury period. The market share of the domestic industry has decreased over the injury period, while the share of imports from the subject country has increased, and the share of imports from non-subject countries has consistently declined.

c) Profitability, Cash Profits, and Return on Investment

129. The profit, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period has been analysed and were as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	110	147	135
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	133	124	113
Profit/Loss per Unit	₹/MT	***	***	***	***
Indexed		100	476	(327)	(307)
Profit/Loss (PBT)	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
Indexed		100	1,220	(872)	(1007)
PBIT – Domestic Sales	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
Indexed		100	923	(620)	(707)
PBIT – per Unit	₹/MT	***	***	(***)	(***)
Indexed		100	434	(278)	(259)
Cash Profit – Domestic Sales	₹ Lacs	***	***	(***)	(***)
Indexed		100	691	(454)	(513)
Cash Profit – per Unit	₹/MT	***	***	(***)	(***)
Indexed		100	387	(242)	(226)
Return on Investment	%	***	***	(***)	(***)
Indexed		100	829	(512)	(552)

130. It is seen that

- The costs of sales increased over the injury period, whereas the selling price increased in 2021-22 and declined consistently thereafter till the POI. Resultantly, the profits of the domestic industry increased in 2021-22 and steeply declined thereafter leading to significant financial losses. The financial losses suffered have increased in the POI.
- As a result of decline in profits, the cash profits declined significantly over the injury period. The domestic industry has suffered cash losses in 2022-23 and the POI.
- The return on investment followed the same trend as that of profit before tax. Return on investment declined significantly over the injury period. The ROI was at a negative *** % in the POI.
- The profitability of the domestic industry was low in 2020-21 due to COVID related lockdown. In any case, the performance of the domestic industry deteriorated steeply by the POI in respect of profits, cash profits and return on investment.

d) Inventory

131. The data relating to the inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Indexed		100	54	139	363
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Indexed		100	259	418	451

Average Inventory	MT	***	***	***	***
Indexed		100	126	237	394

132. It is seen that the level of inventories with the domestic industry increased very significantly over the injury period.

e) Employment, Wages, and Productivity

133. The position with regard to employment, wages, and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Number of employees	Nos	***	***	***	***
Indexed		100	99	96	99
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Indexed		100	84	82	83
Productivity per employee	MT/No.	***	***	***	***
Indexed		100	113	95	91
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Indexed		100	111	91	90

134. The Authority notes that the number of employees and wages paid have decreased over the injury period. The productivity per employee has increased from the base year to 2021-22 and declined in 2022-23 and the POI.

f) Growth

135. It is seen that the imports have led to an adverse effect on the growth of the domestic industry in respect of both volume and price parameters.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
Capacity	Y/Y	0%	0%	0%
Production	Y/Y	11%	-18%	-2%
Sales	Y/Y	2%	-19%	21%
PBT	Y/Y	1119%	-163%	17%
PBIT	Y/Y	823%	-156%	-17%
Cash profit	Y/Y	591%	-151%	-17%
ROI	Y/Y	729%	-150%	-10%

g) Factors affecting domestic price

136. The Authority has examined the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. The Authority further notes that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country.

h) Ability to raise capital

137. The Authority notes that even though the domestic industry has the ability to raise new investments to increase its capacities to cater to the demand of the PUC in India the domestic industry has been unable to utilise its capacities and is facing losses due to dumped imports. The dumping of the subject goods has impacted the domestic industry's ability to raise capital investments. The Authority also notes that new players are planning to make and making investments in the Indian industry of the PUC, but they are however, unable to move forward due to the dumped imports.

i) Magnitude of dumping and dumping margin

138. It is seen that the dumping margin from the subject country is not only more than de-minimis but also significant.

L. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

139. The Authority examined whether other factors listed under the Rules could have caused injury to the domestic industry. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertain whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by other, if any, is not attributable to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume of subject goods not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade restrictive practices, changes in technology, the export performance of the domestic industry and the productivity of the domestic industry.

i) Volume and prices of imports from third countries

140. It is seen that the imports of the product under consideration from other countries are significant. However, they are at significantly higher prices than selling price of the domestic industry. Therefore, imports from other countries are not a cause of material injury suffered by the domestic industry.

ii) Contraction in Demand

141. The demand has consistently increased throughout the injury period. Thus, decline in demand is not the cause of injury.

iii) Changes in pattern of consumption

142. There are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period that could have caused injury to the domestic industry.

iv) Conditions of competition and trade restrictive practices

143. The investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

v) Developments in Technology

144. No evidence has been brought forward to show that there are no significant changes in technology.

vi) Export performance of the domestic industry

145. The information provided has been considered for domestic operations of the domestic industry.

vii) Performance of other products

146. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of the injury analysis. Performance of other products produced and sold by the domestic industry has not been considered.

M.1. Conclusion on Injury and Causal Link

147. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows material injury to the domestic industry. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- i. Imports have increased in absolute terms and relative terms.
- ii. The increase in cost of sales is higher than the increase in selling price of the subject goods over the injury period with selling price going below the level of cost of sales in 2022-23 and the POI. The landed price of subject imports increased till 2021-22 and declined in 2022-23 and the POI leading to price suppression and depression in the domestic market.
- iii. Domestic industry has not been able to increase production and sales due to dumping.
- iv. Subject imports hold 57% of the market share despite domestic industry's capacity lying unutilised.
- v. Inventories of the domestic industry has been on the rise and has increased significantly in the POI, despite production reducing over the injury period.
- vi. The domestic industry's profitability and return on capital employed has been adversely affected. The domestic industry has made losses in 2022-23 and the POI. The ROI of the domestic industry in the POI is significantly low.

148. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increased dumped imports of the PUC into India from the subject country. There exists a causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

149. Authority also examined if any other factor caused injury. The examination of data shows that the selling price of the domestic industry has been consistently below cost since 2022-23, while the landed price of imports has been lower than the cost of sales, leading to significant price suppression. Furthermore, none of the interested party substantiated injury to the domestic industry on account of other factors with concrete evidence.

M. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN**M.1. Views of other interested parties**

150. No other interested parties have made submissions in the present proceedings with respect to the injury margin.

M.2. Views of the domestic industry

151. The domestic industry has made the following submissions in the present proceedings with respect to the injury margin:

- i. NIP and consequently duty recommended in the final findings was quite low and is concerning with regard to the protection afforded to the domestic producers.
- ii. All expenses incurred by the domestic industry were not allowed, on the grounds that expenses could not be fully verified.
- iii. With utilisation at 55% and subject imports suppressing prices, higher duties are necessary to restore viable capacity use and competitiveness.
- iv. Evidence of expenses can be provided as deemed appropriate by the Authority instead of rejecting/disallowing such expenses.

M.3. Examination by the Authority

152. The Authority determines the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration is to be determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules. The Authority has determined NIP separately for each of the quarters of the POI.

153. It is noted that many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a injury margin and thus to establish one single injury margin for them. This is in particular because calculating individual injury margins might encourage circumvention of anti-dumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual injury margin.

154. In accordance with the above, related producers and exporters is regarded as one single entity and attributed one single injury margin which was calculated on the basis of the weighted average of the injury margins of the cooperating related producers and exporters.

155. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

INJURY MARGIN TABLE

S.No.	Producer	NIP(\$/MT)	Landed Value (\$/MT)	Injury Margin(IM) (\$/MT)	IM (%)	IM Range
1.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
2.	M/s Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.					
3.	M/s Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
4.	M/s Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.					
5.	M/s LB Xiangyang Titanium Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	15-25
6.	M/s LB Sichuan Titanium Industry Co. Ltd					
7.	M/s LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.					
8.	M/s LB Group Co., Ltd					
9.	M/s Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.					
10.	Non-Sampled Cooperative Producers/Exporters	***	***	***	***	15-25
11.	Residual	***	***	***	***	25-35

N. THREAT OF MATERIAL INJURY

156. The domestic industry has contended threat of material injury. The Authority examined the threat of material injury to the domestic industry considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the Rules, which states as under:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In

making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as:

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;*
- b. sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;*
- c. whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increased demand for further imports; and*
- d. inventories of the article being investigated.”*

N.1.Submissions by other interested parties

157.The following submissions have been made by other interested parties with regard to threat of material injury:

- i. Increase of imports from the subject country has been only 4% on a year-on-year basis and cannot be considered as significant enough to substantiate threat.
- ii. Marginal increase in imports both in relative and absolute terms is not sufficient to support the claim of threat of material injury.
- iii. India does not constitute an exceptionally high-growth or lucrative market for exports of the subject goods due to stable demand.
- iv. Stable demand does not indicate significant or increasing attractiveness to foreign exporters, including Chinese exporters.
- v. Threat must be both imminent and clearly foreseen and existence of surplus production capacity alone does not fulfil this criterion.
- vi. Domestic industry has not provided reliable data on actual installed capacity in China dedicated for production of the subject goods as compared to those grades of titanium dioxide that are used in food or pharmaceuticals.
- vii. Lack of bifurcated data on China's capacities for the product under consideration and other titanium dioxide types leaves a gap in understanding the extent of production dedicated to the subject goods in China.
- viii. It is the established policy of one of the constituents of the domestic industry to price the product under consideration above its variable costs of production, contradicting the claims of existence of threat of material injury.

N.2. Submissions by the domestic industry

158.The following submissions have been made by the domestic industry with regard to threat of material injury:

- i. Imports have increased significantly over the injury period with relative to increase in demand. Imports increased in the POI significantly whereas the demand declined.
- ii. Imports of rutile grade increased significantly.

- iii. Post POI import volumes and prices of the subject country have remained consistent.
- iv. Chinese capacity for the subject goods is around 55 lacs MT, which amounts to 56% of the global capacity to produce the subject goods. Capacity with one Chinese exporter alone is 15 lacs MT.
- v. Domestic demand of China PR is weak, thereby showing freely disposable capacity for exports.
- vi. Public domain knowledge suggests that production levels of the subject goods in China showed year on year increase despite weak demand.
- vii. Chinese government heavily aids producers and manufacturers in China, creating distortions in the Chinese economy, significantly affecting input costs.
- viii. Various jurisdictions around the world have imposed measures against imports of titanium dioxide from China PR, indicating China's behaviour to dumped goods.
- ix. Imposition of global actions has resulted in a restricted export market for China, which already has weak demand, hence creating the possibility that China will redirect its excess capacity to the Indian market.
- x. Chinese producers of the subject goods have suffered a loss of market due to the global actions, and such volume is likely to shift to India.
- xi. Indian market is price sensitive, and availability of low-priced imports would have an adverse impact on the prices of the product in the market, and hence leaves the domestic industry susceptible to aggravated injury.
- xii. Subject imports are at a price lower than cost of sales of the domestic industry, forcing it to reduce its selling price and making the domestic industry vulnerable.

N.3. Examination by the Authority

159. The Authority has examined the threat of material injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Paragraph (vii) of Annexure II of the AD Rules

a. Significant rate of increase of dumped imports into India

160. From an analysis of the import data, it is seen that there has been a year-on-year increase of imports into India and the rate of increase in imports in the POI as compared with the base year is significant. Imports have increased by 54%. The import price has also seen a significant decline in prices from 2021-22 to the POI. A significant increase in imports with declining prices indicates the threat of substantially increased imports in the future.

b. Freely disposable capacity with the producers

161. The applicants have submitted that there is significant freely disposable capacity for titanium dioxide in China PR. The interested parties have contended that the disposable capacities as submitted by the domestic industry are unreliable and should be bifurcated into that of capacity of PUC and of NPUC. However, the domestic industry has relied upon the website of the Chinese producers⁴ as evidence, apart from which they have relied upon a market research report. As per such information, the capacity available with just one sampled group is 15 lacs MT, making it nearly three times that of Indian demand.

⁴ <https://www.lomonbillions.global/key-facts/>

162. The Authority has compared the information on capacity and production, as made available by the responding producers. It is seen that the sampled producers alone have a surplus capacity of *** MT which is in the range of 85-95 % of total Indian demand.

S. No	Particulars	Gold Star Group	Shandong Group	LB Group	Total
1.	Capacity	***	***	***	***
2.	Production	***	***	***	***
3.	Surplus	***	***	***	***

c. Imports entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices

163. As noted above from the movement of cost of sales, selling price and landed price of imports that the subject imports are suppressing the domestic prices. The increase in selling price is lower than the increase in cost of sales, and the selling price is below the level of cost of sales since 2022-23. The landed price of imports increased till 2021-22 and declined significantly thereafter, while the cost of sales increased.

d. Level of inventories

164. The level of inventories available with the producers in subject countries could not be ascertained as such information was not made available by the interested parties. Accordingly, this parameter for ascertaining threat of injury could not be examined by the Authority.

e. Trade remedial actions by other countries

165. It is seen that various countries including Brazil, Saudi Arabia, the Eurasian Economic Union, and the EU have imposed anti-dumping duty on imports of subject goods in their country from China PR. Further, the United States has imposed an additional import duty since 2018. This highlights the tendency of the producers from the subject country to dump goods in various markets. The actions by various countries can be seen in the table below:

SN	Date	Country	Action	Exporters	Duty
1.	21 st Oct	Brazil	Interim duty	LB Group	578 USD/MT
				Gold Star Group	654 USD/MT
2.	9 th Oct	Saudi Arabia	Initiated case	--	--
3.	3 rd Sep	Eurasian	Final duty	LB Group	14.27%

		Economic Union		Shandong Group	16.25%
4.	10 th July	EU	Preliminary duty	LB Group	39.7%
				Gold Star Group	14.4%

f. Loss of market due to trade remedial actions

166. It has been brought to the notice of the Authority that in lieu of the actions imposed globally, there is a loss of market to China PR. Chinese exports are highly likely to be diverted into the Indian market, considering the Indian market's stable demand. This poses a credible threat of the volumes exported to these countries shifting to India due to imposition of such measures as can be seen from the table below.

Particulars	UOM	2020	2021	2022	2023	2024
China Global Exports	MT	12,91,858	13,88,669	14,68,805	16,93,380	10,04,541
China exports to India	MT	1,51,242	1,76,914	1,93,768	2,54,655	1,48,566
% Share	%	12%	13%	13%	15%	15%
Particulars	UOM	2020	2021	2022	2023	2024
China exports to EU	MT	2,03,459	2,26,531	2,22,034	2,61,734	1,71,596
China exports to USA	MT	18,227	13,118	20,418	15,619	8,986
China exports to Brazil	MT	1,08,344	1,02,322	96,014	1,20,989	76,978
China exports to Saudi Arabia	MT	13,606	10,721	17,152	23,678	15,209
Potential volume that can shift to India	MT	3,43,635	3,52,692	3,55,619	4,22,020	2,72,769

(Source: Trademap)

g. Vulnerability of the Indian industry

167. It has been contended by the domestic industry that the Indian market is price sensitive and is vulnerable to imports that are low-priced. As has been noted above, the landed value of the subject imports has dropped consistently. In this situation, the Authority holds that there is a tenable threat of aggravated injury to the industry, considering the dumping of subject imports.

O. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

O.1. Submissions made by other interested parties:

168. The following submissions have been made by other interested parties in response to the Disclosure Statement issued:

- i. The Disclosure Statement neither discloses the essential facts under consideration nor is it provisional but final in many parts of the disclosure. The disclosure has used unambiguous language that shows that the Authority has already determined its findings, which is contrary to the settled legal position articulated in *Nirma Ltd. v. Union of India* (2017).
- ii. The directions of the Hon'ble High Court were confined to the limited issue of confidentiality and the obligation to furnish a meaningful non-confidential version of the material relied upon and did not authorise a reopening of the investigation, the admission of fresh evidence, or the introduction of new legal reasoning.
- iii. The Authority has impermissibly expanded the scope of inquiry by relying on matters outside the original record, including trade notices, newly furnished reasons for confidentiality, clarificatory letters, foreign authority determinations, and historical and pre-POI transactions, amounting to a reconstruction of the domestic industry's case and an impermissible curing of evidentiary defects, contrary to the settled principle of remand proceedings.
- iv. The Disclosure Statement is vitiated by disregard of the statutory confidentiality framework, as the domestic industry has admitted that no contemporaneous "good cause" statement was furnished at the time of making confidentiality claims, and that specific reasons in support thereof have been provided only at the stage of remand, which is violative of statutory requirements.
- v. Requirement of a good-cause statement is not a procedural formality but a jurisdictional precondition under Rule 7(2), the Initiation Notification, and Article 6.5 of the WTO Anti-Dumping Agreement, as clarified in *EC – Fasteners and Guatemala – Cement II*. In its absence, the Authority was legally obliged to reject the confidential material altogether and could not subsequently validate the defect by accepting post-facto explanations furnished during remand proceedings.
- vi. The Authority has not only accepted such material but has endorsed blanket confidentiality over customer names, invoices, and sales data, while simultaneously failing to engage with the Respondents' submissions on the fatal consequences of non-compliance, contradicting the Authority's approach in *HIIR and Effect Pearlescent Pigments*.
- vii. Untenability of the confidentiality claim is further accentuated by the domestic industry's own voluntary disclosure of Asian Paints as a customer during the remand proceedings, thereby demonstrating that such information is capable of disclosure and negating any claim of irreparable competitive harm arising from such disclosure.
- viii. Letter dated 19th May seeking certain additional information such as the underlying quantitative and transactional data allegedly evidencing commercial sales of R-S Titanium Dioxide, including the identities of customers, volumes sold, and time periods of such sales, as also the factual basis for the adoption of a 22% return on capital employed in the computation of the non-injurious price from the Authority was not responded to. Findings issued without disclosing essential information and thus depriving IPA of a reasonable opportunity to review and comment on such

information would be a violation of the principles of natural justice and the right to a fair investigation.

- ix. The entire Disclosure Statement rests upon the assertion that R-S TiO₂ was manufactured and sold by the domestic industry in commercial quantities during the POI, which is unsupported by the evidence. Even on a most favourable reading of the domestic industry's own data, the total quantity of R-S TiO₂ allegedly sold during the POI is in the range of approx. 430-440 MT, and approximately 650 MT across the injury period, which constitutes a very small fraction of total domestic demand, amounting to less than 0.15% annually and less than 0.05% over the injury period.
- x. The only paint-sector buyer identified on record, Asian Paints, procured the product exclusively for trial and evaluation purposes, and discontinued such procurement by 2019, before the injury period and POI upon the product failing to meet requirements as per test reports and thus these trial transactions cannot constitute "commercial sales" as per the decision of the Hon'ble CESTAT in Technova Imaging Systems Pvt. Ltd. v. Union of India (2022).
- xi. Authority has placed reliance upon material that is inadmissible in law and extraneous to the original record, including the domestic industry's letter dated 7 February 2025, which was filed beyond the stipulated deadline, submitted only in confidential form without a non-confidential version, and not even referenced in the original final findings.
- xii. The conclusions of the Authority are founded not on the original record, but on material that the respondents had no opportunity to contest, thereby rendering the entire exercise procedurally unsustainable.
- xiii. The Authority has erred in law in equating interchangeability with likeness, and in concluding, on that basis alone, that R-S and R-C TiO₂ constitute like articles within the meaning of Rule 2(d). Such an approach disregards the established multi-factor test under Article 2.6 of the WTO Agreement, which requires an examination of physical characteristics, end-use, consumer perception, and competitive substitutability.
- xiv. It is submitted that the evidence on record, including the failure of trial evaluations and the absence of acceptance in the paint industry, demonstrates that R-S TiO₂ serves a distinct technical and functional role and cannot be treated as interchangeable with the domestically produced grade.
- xv. The Authority's reliance on foreign authority determinations is inconsistent with its own settled position, as articulated in investigations such as Solar Cells (2014) and the bilateral safeguard investigation concerning DOTP/DECH (2026), wherein it has been categorically held that findings of foreign authorities do not bind the Indian Authority.
- xvi. It is submitted that the record establishes a pronounced and structural demand-supply mismatch in the domestic market for R-S TiO₂. The maximum production capacity of the domestic industry is in the range of 3,500-4,000 MT per annum, whereas the total domestic demand is approximately 3,00,000 MT per annum, with the paint industry alone accounting for approximately 1,80,000 MT. The Authority has previously excluded a grade from the scope of duties in view of inadequate domestic production and the disproportionate burden that would otherwise be imposed on downstream industries.
- xvii. The anti-dumping regime is premised on the domestically produced like article that is commercially manufactured and supplied during the POI. It does not extend protection to product

- grades that the domestic industry neither produces in commercially meaningful quantities nor supplies to the relevant market segment.
- xviii. The approach adopted in the Disclosure Statement seeks to rely on historical trial production and post-facto assertions of capability rather than contemporaneous commercial evidence, is contrary to both the statutory framework and settled jurisprudence.
 - xix. TTPL produces uncoated Rutile grade, which is far inferior in quality compared to coated Rutile grades imported from China. Thus, TTPL's product is not comparable or interchangeable with coated Rutile (Sulphate or Chloride) grades under investigation. The Authority is requested to verify with past customers of TTPL on quality comparability.
 - xx. Authority's observation that TTPL possesses the technology and capability to produce rutile TiO₂ through the sulphate route is, by itself, insufficient to establish actual production and commercial sales during the POI and domestic industry should be required to substantiate with evidence.
 - xxi. TiO₂ grades outside of particle size inside the range of 200 to 350 nm range should not be considered in the scope of investigation.
 - xxii. An advance ruling from the Customs Authority was sought to check whether ADD will be levied on toilet soaps or not, as toilet soaps are considered under the category of "cosmetics" wherein the Customs Authority held that anti-dumping duty is not applicable on Titanium Dioxide.
 - xxiii. The word "cosmetics" is very broad and the same needs to be defined in the final findings properly. The current wording of the exclusion may lead to ambiguity and potential issues during customs clearance and has created issues at custom clearances during the present levy of the ADD before the Customs Notification was quashed by the Calcutta High Court. Therefore, the Authority is requested to provide clarification on the exclusion of toilet soaps as a part of skincare.
 - xxiv. It is submitted that the global production of Anatase grade is limited and concentrated in China PR, Korea and India, with Korean capacity mostly to meet its own domestic demand leaving negligible room for exports to India.
 - xxv. Domestic capacity of R-S TiO₂ meets only 20–25% of the admitted 3,38,840 MT demand, with actual capacity disputed by CAG/NGT records and TTPL's negative net-worth, leaving an 80% import dependency. Given the absence of viable domestic alternatives for coated R-S TiO₂ used by the masterbatch industry, exclusion is essential.
 - xxvi. R-S coated TiO₂ and R-S uncoated TiO₂ are not like articles as uncoated Rutile grades are generally unsuitable for plastics applications and contain material differences rendering functionally distinct products serving different end-use markets. The concept of "like article" requires a holistic examination of physical characteristics, end uses, consumer preferences, channels of distribution, tariff classification, and competitive overlap.
 - xxvii. The Authority has already made end use-based product exclusions while determining the PUC at Paragraphs 42-43 of the Disclosure Statement, demonstrating that the Authority has distinguished products based on functional characteristics, end-use applications, and commercial realities. As per the DGTR Manual, Paragraph 3.49, "if it is claimed that the production process results in different physical characteristics, then these differences must be taken into account while determining whether the goods are like articles or not." Further the domestic capacity of R-S TiO₂ is grossly insufficient, capable of supplying only 2-3% of demand.
 - xxviii. White masterbatches use up to 80% TiO₂ content, and India currently faces a raw material cost of approximately USD 2.458 per kg versus USD 2.220 per kg for ASEAN nations (which benefit from zero-duty Chinese imports under RCEP), a structural cost disadvantage already exists. The

imposition of anti-dumping duties would substantially widen this gap, while ASEAN costs would remain unchanged at USD 2.22 per kg. This escalating cost disparity would severely undermine the competitiveness of India's downstream masterbatch industry.

- xxix. In view of the significant differences in quality, performance, end-use applications, market segments, and pricing between chloride-route and sulphate-route TiO₂, the Authority is requested to make appropriate adjustments in its analysis so as to accurately reflect market realities and ensure continued supply of R-S TiO₂ to Indian customers that depend on such products.
- xxx. Adjustments should be made based on the selling/exporting prices of Gold Star Trading, whose export price should be constructed as a related trader, rather than on the prices of Gold Star Group.
- xxxi. Profitability of Gold Star Trading has been incorrectly determined and the purchase cost should be based on the net invoice value reported in the relevant transaction data. The revised profitability calculations and requested corresponding revisions to the constructed export price and dumping margin calculations are requested.
- xxxii. Profit amount should be based on the profit of the unrelated trader, subject to the applicable ceiling, in accordance with the principles of the WTO AD Agreement and requested appropriate revisions to the export price and resultant dumping margins.
- xxxiii. While import prices rose from ₹175/kg to ₹225/kg post anti-dumping duty, the domestic industry's prices rose only to ₹185/kg from ₹170/kg showing underutilization of the existing anti-dumping duty protection.
- xxxiv. The Authority is requested to disclose the basis for adopting 22% ROCE. A 22% ROCE is unusually high for this key industrial raw material. Two domestic industry constituents are PSUs with largely depreciated and well-aged capital assets, making the 22% ROCE particularly questionable.
- xxxv. In addition to the existing customs duty of 10%, further imposition of ADD would lead to increased prices of finished products, and ultimately impact consumers.
- xxxvi. The domestic production of Titanium Dioxide in India is insufficient to meet the requirements of the domestic market.
- xxxvii. MSMEs constitute a major segment of the downstream user industry, and the imposition of anti-dumping duty would escalate import prices rendering procurement commercially unviable for the user industry, severely impacting MSMEs, potentially leading to their closures.
- xxxviii. The domestic industry has not provided any substantial evidence to show planning for expansion of capacities. Further the global manufacturers are evaluating new greenfield PUC investments in India, but such long-term commitments require a stable and fair competitive environment. Imposing effective anti-dumping duties would help create a level playing field for domestic producers.
- xxxix. In US, Section 301 tariffs reduced Chinese imports without material inflationary impact on paints/coatings and in EU, post-duties Chinese import volumes declined while downstream demand tracked growth without disruption.
- xl. It is submitted that sulphate and chloride route rutile share identical chemical composition, overlapping physical characteristics, and common end uses. Once the PUC in the rutile form is produced, it is not feasible to conclusively determine whether such product has been manufactured through the sulphate or chloride process. This inherent inability to differentiate the product based on production route reinforces that both products constitute a like article and are

fully interchangeable in the Indian market. Reliance is placed on the Final Findings in the Sunset review investigation concerning Phthalic Anhydride, holding that product produced through both routes finds application in the same segment and there is no basis to claim that imported goods are not comparable to goods manufactured by the domestic industry.

- xli. The remand proceedings, including the Notification dated 17th October 2025, filing of additional submissions, and conduct of oral hearing, ensured that interested parties were afforded a fair opportunity to comment upon confidentiality claims and the basis for inclusion of R-S TiO₂ within the scope of the PUC. Accordingly, the procedural concerns identified by the Hon'ble High Court stand addressed in the present proceedings.
- xlii. Requiring the DI to demonstrate supply of a product type to every individual customer segment, user cohort, or member of a user association would impose no basis under the Anti-Dumping Agreement, Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975, or the Anti-Dumping Rules.
- xliii. The duty levels at paragraph 128 of the Disclosure Statement do not reflect the current and higher levels of duties imposed by other investigating authorities. The Authority is requested to verify and correct the duty. As the higher duty levels in other jurisdictions reinforce the likelihood of diversion of dumped Chinese volumes into the Indian market in the absence of effective duties.
- xliv. Ongoing investigations in Australia and the UK are likely to trigger provisional trade remedial measures, raising the risk that dumped Chinese volumes will be diverted into India. The higher ADD imposed by Brazil, the European Union, and Saudi Arabia call for a reassessment of the NIP adopted by the Authority in the present investigation. The NIP could be reconsidered to a level of comparable to Brazilian and European ADD.

O.2. Submissions made by the Domestic industry:

169. The following submissions have been made by the domestic industry in response to the Disclosure Statement issued:

- i. The Authority has correctly accepted the confidentiality claims relating to customer names, customer-specific sales information, invoices, costing records, trial balances and related commercial information, which constitute sensitive business information deserving protection under Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
- ii. The Authority has correctly confirmed that TTPL manufactured and sold Rutile-Sulphate TiO₂ during the injury period and the POI based on verified evidence including production records, sales data, cost audit reports, verification documents and sales invoices.
- iii. The Authority has correctly concluded that Rutile-Sulphate TiO₂ forms part of the product under consideration and that Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ constitute like articles and are commercially interchangeable.
- iv. The setting aside of the Final Findings dated 12 February 2025 and remand of the matter permits the Authority to undertake a fresh examination of consequential issues including determination of NIP, injury margin and anti-dumping duty and is not restricted solely to confidentiality and PUC-related issues.
- v. The non-injurious price requires reconsideration as certain expenses and cost elements incurred by the domestic industry were either not fully recognised or only partly allowed, resulting in suppression of the NIP and consequential reduction in injury margins and duties.

- vi. Production volumes of the domestic industry were adversely impacted by dumped imports from China, resulting in reduced production and underutilisation of capacity due to financial strain rather than inefficient operations.
- vii. The coating cost considered by the Authority appears significantly lower than the actual coating costs reported by the domestic industry in its records and financial statements, resulting in understatement of the NIP.
- viii. The value adopted for utilities appears lower than the actual utility costs reported and supported by records maintained by the domestic industry and therefore warrants reconsideration.
- ix. The recommended duty based on understated NIP and injury margins is incapable of fully removing the injury suffered by the domestic industry and therefore fails to achieve the remedial objective of anti-dumping measures.
- x. The methodology adopted for determination of injury margins for non-cooperating exporters requires reconsideration, as the margins for non-cooperating exporters are not materially different from those for cooperating exporters despite substantial non-cooperation.
- xi. The export prices adopted for non-cooperating exporters appear higher than the levels normally considered by the Authority in such circumstances, resulting in understated margins.
- xii. Disclosure of customer identities was not necessary to establish manufacture and sale of Rutile-Sulphate TiO₂ since extensive verified evidence already existed on record confirming production and sales.
- xiii. The disclosure of the name of one paint customer was inadvertent and unauthorised, and confidentiality over the identity of that customer should continue to be maintained in the final findings as disclosure of such information may cause commercial prejudice to the domestic industry.
- xiv. The relevant issue before the Authority is whether Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ constitute like articles and are commercially interchangeable, and not whether every paint manufacturer or customer purchased Rutile-Sulphate TiO₂ produced by TTPL.
- xv. The domestic industry has demonstrated that Rutile-Chloride TiO₂ produced by KMML and Rutile-Sulphate TiO₂ imported into India and produced by TTPL are used for the same applications, cater to the same customers and compete in the same market.
- xvi. Anti-dumping law does not require the domestic industry to replicate every imported variant, supply every customer, or manufacture products identical to every imported grade for a product to be considered a like article.
- xvii. The Authority has correctly concluded that Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ possess comparable characteristics, overlapping applications and commercial interchangeability and therefore appropriately fall within the scope of the PUC.
- xviii. Investigating authorities in Brazil, the European Union, and Saudi Arabia have concluded that Rutile TiO₂ produced through both sulphate and chloride routes constitutes a single like article and falls within the same product scope notwithstanding differences in production route.
- xix. The Brazilian Authority concluded that there was no proof of differentiation between TiO₂ produced through chloride and sulphate routes that would justify treating them as separate products and held that both products were highly substitutable.
- xx. The Brazilian Authority imposed anti-dumping duties on both Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ despite the domestic industry producing only sulphate-route material, thereby confirming that exact product identity is not required for determining like articles.

- xxi. The European Commission rejected requests for exclusion of chloride-route TiO₂ and concluded that chloride and sulphate route TiO₂ are used in the same industries, sometimes even in the same applications, and therefore fall within a common product scope.
- xxii. The position of the domestic industry regarding interchangeability of Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ is corroborated by findings of multiple foreign investigating authorities.
- xxiii. IPA repeatedly asserted during the original investigation that there were no domestic commercial sales of Rutile-Sulphate TiO₂ to the paint industry but subsequently admitted during remand proceedings that purchases had been made by a paint industry customer until 2019.
- xxiv. The Authority itself has recognised that IPA's admission contradicts its earlier assertion that the domestic industry had not supplied Rutile-Sulphate TiO₂ to the paint segment at all.
- xxv. IPA cannot simultaneously maintain that no sales existed and subsequently argue that sales existed but were insignificant, as such shifting positions undermine the credibility of its challenge to inclusion of Rutile-Sulphate TiO₂ within the PUC.
- xxvi. The claim that sales to the paint industry were only in extremely small quantities is contradicted by (***) commercial transactions involving (***) MT) supplied to the paint customer and its group entities between 2005 and 2019.
- xxvii. Exporter and interested-party submissions on record themselves demonstrate that Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ are interchangeable and compete in the same market.
- xxviii. Interested parties have admitted that Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ are used interchangeably in paints and plastics applications and that customers switched between the two after imposition of duties, evidencing commercial substitutability.
- xxix. The recommendation and imposition of anti-dumping duties is in public interest as it would help establish a level playing field, encourage domestic manufacturing and reduce excessive dependence on imports from China.
- xxx. The Indian TiO₂ market supports downstream industries with turnover of approximately Rs. *** crores and continued viability of domestic TiO₂ production is critical for these industries.
- xxxi. Close to 67% of imports originate from China and cessation of domestic production would leave Indian consumers and industries vulnerable to Chinese market dominance.
- xxxii. Anti-dumping duties have already been imposed by the European Union, Brazil, Saudi Arabia and the Eurasian Economic Union, while the United Kingdom has initiated an anti-dumping investigation concerning TiO₂ from China, demonstrating global concern regarding Chinese dumping.
- xxxiii. The European Commission concluded after a detailed public interest examination that there were no compelling reasons against imposition of definitive anti-dumping duties on TiO₂ from China.
- xxxiv. There exists a domestic demand-supply gap in TiO₂ and multiple foreign investors are considering large-scale capacity investments in India, which require a fair competitive environment free from dumped imports.
- xxxv. The projected increase in domestic demand for TiO₂ by 2030 would require significant greenfield investments, which are unlikely to materialise if Chinese dumping continues unchecked.
- xxxvi. The proposed duties are unlikely to have any significant adverse impact on downstream consumers because TiO₂ represents only one component of the overall cost structure of downstream products such as paints and coatings.
- xxxvii. Historical market behaviour demonstrates that reductions in TiO₂ prices were not proportionately passed on to end consumers by major paint manufacturers, indicating significant pricing power and ability to absorb cost changes.

- xxxviii. Recent geopolitical developments underscore the need to maintain domestic TiO₂ production capability and reduce vulnerability to external supply disruptions.
- xxxix. The objective of anti-dumping duties is not to restrict imports but to restore fair competition by neutralising injurious dumping and enabling domestic producers to compete on equitable terms.
- xl. The broader economic benefits of duties, including preservation of employment, manufacturing capability, supply security, investment and regional development, substantially outweigh any limited impact on downstream users.
- xli. KMMML's TiO₂ operations support strategic national initiatives including Titanium Sponge and Monazite Cracking projects linked to defence, aerospace and nuclear sectors, and closure of the TiO₂ plant may adversely affect these strategic capabilities.
- xlii. The impact of duties on downstream products has been quantified by the domestic industry and is submitted to be minimal and insignificant.
- xlili. Duty levels imposed by investigating authorities in other jurisdictions demonstrate the severity of distortions caused by dumped Chinese imports and provide useful context for determining an appropriate level of protection in India.
- xliv. Since anti-dumping duty was previously imposed and subsequently set aside on technical grounds before remand, the Authority is requested to recommend application of duties from the date on which they were withdrawn by the Ministry of Finance.
- xliv. The domestic industry requests the Authority to confirm its conclusions regarding confidentiality, inclusion of Rutile-Sulphate TiO₂ within the PUC, and the finding that Rutile-Sulphate and Rutile-Chloride TiO₂ are like articles, while also reconsidering NIP, injury margins and anti-dumping duty levels to ensure effective relief against injurious dumping.

O.3. Examination by the Authority

170. The Authority has examined the post-disclosure submissions filed by the interested parties. The Authority has examined hereinbelow the contentions raised by the interested parties in their post-disclosure comments, to the extent considered relevant by the Authority. Post-disclosure submissions merely reiterating earlier submissions and which have been adequately examined by the Authority have not been examined here again for the sake of brevity.

i. Whether conclusive and determinative language has been used in the Disclosure Statement and whether the same implies a decision by the Authority without getting comments from interested parties

171. It has been argued by certain interested parties that the Authority has used conclusive and determinative language in the Disclosure Statement in contravention of the mandate under Rule 16, which does not allow the Authority to conclude contentious issues at the stage of the Disclosure Statement.

172. The Authority has examined the submissions of the interested parties in this regard and considers that the contention is misplaced.

173. At the outset, the Authority has clearly stated in the Disclosure Statement itself that

“notwithstanding the facts given in this Disclosure Statement (including facts given on a confidential basis), the Designated Authority would consider all replies given, on merit, in order to arrive at a final determination.” The Authority also stated that *“The Authority would conclude on the matter and give its final determination and recommendation after receiving comments from the domestic industry and other interested parties on this Disclosure Statement.”* It is just evident that the Authority has not closed its consideration or determination to any submissions made by interested parties prior to issuance of Disclosure Statement, merely on the grounds that the same has already been examined and decided in the Disclosure Statement. Entirety of examination in the Disclosure Statement remains open to the Authority for its consideration on the basis of submissions made by various interested parties in response to their comments to the Disclosure Statement.

174. The interested party has relied upon the judgment of the Hon’ble Gujarat High Court in *Nirma Ltd. v. Union of India* (2017). The Authority notes that In *Nirma Case*, facts were entirely different as the Designated Authority concluded based on various facts in the Disclosure Statement itself that levy of Anti-dumping duty is no longer justified. The Hon’ble High Court held that the conclusion recorded by the Designated Authority in the Disclosure Statement that levy of Anti-dumping duty is no longer justified, amounts to arriving at a decision as to whether or not to apply definitive measures based upon essential facts recorded by it. The very fact that the Designated Authority, without waiting for the comments on the Disclosure Statement, has recorded its conclusions as to whether or not to apply definitive measures had vitiated the final finding.

175. It is further noted by the Authority that in paragraph 31.5 of the said judgment, which is also relied upon by the interested party, the Hon’ble Court has categorically held the following:

31.5 Thus, while Article 6.9 does not prescribe a particular form for the disclosure of the essential facts, it does require in all cases that the investigating authority disclose those facts in such a manner that an interested party can understand clearly what data the investigating authority has used, and how those data were used to determine the margin of dumping. The Disclosure Statement, therefore, contains the intermediate findings and conclusions of the designated authority on the essential facts which would form the basis for the decision whether or not to apply definitive measures and not final conclusions on whether or not definitive measures are required to be applied. In the opinion of this court, as rightly submitted by the learned counsel for the petitioners, the Disclosure Statement should contain the conclusions of the designated authority on those essential facts which would form the basis for its decision as to whether or not to apply definitive measures and not its conclusions on the basis of those essential facts. The conclusions on the basis of the essential facts are to be recorded in the final findings, viz., whether or not on the basis of such facts definitive measures are required to be applied.....”

176. The Hon’ble Court has further clarified at paragraph 37 of the judgment that:

“As already discussed hereinabove, the Disclosure Statement is required to record only the essential facts which are necessary for the purpose of determining as to whether or not the

definitive measures are required to be applied or not. The designated authority is required to record its conclusions on those facts but not its conclusions based upon those facts. The conclusion as to whether or not the definitive measures are required to be applied is a conclusion based upon the essential facts and hence, could not have found place in the Disclosure Statement. Besides as to whether or not definitive measures are required to be applied is a conclusion that has to be recorded after receipt of the comments on the Disclosure Statement. The conclusion recorded by the designated authority in the Disclosure Statement that levy of Anti-dumping duty is no longer justified, amounts to arriving at a decision as to whether or not to apply definitive measures based upon essential facts recorded by it....”

177. The Authority takes note of its consistent practice that under Rule 16, the Authority is required to disclose the essential facts under consideration, including conclusions on such facts, which would cumulatively form the basis for its decision in the final findings. The Authority, in the Disclosure Statement, examines the material on record, states its views and conclusions resulting from such examination, and provides the reasoning therefor, while clearly stating that such disclosure does not amount to final determination and that submissions received after issuance of the Disclosure Statement would be duly considered prior to issuance of final findings.

178. The Authority considers that statements in the Disclosure Statement are the views which are formed upon the examination of the material on record, on the various issues under consideration and these do not amount to “pre-judgement” or “final adjudication”, as expressed by some interested parties. The interested parties were asked to offer comments to the Disclosure Statement. The observations in the Disclosure Statement therefore, do not amount to final determination by the Authority. In the present investigation, the Authority has duly considered the submissions received from the interested parties on the Disclosure Statement and has duly taken them into account in arriving at its final determination.

179. In view of the above legal position and consistent practice, the Authority finds that the contention that the present Disclosure Statement contains “conclusive” or “definitive findings” is without merit. The Authority notes that the Disclosure Statement sets out the essential facts under consideration in accordance with what was held in *Nirma case*. The Authority further notes that the Disclosure Statement does not record any conclusion as to whether definitive measures are required to be imposed. Accordingly, the Authority finds no infirmity in the Disclosure Statement on this account.

ii. Whether the scope of the remand was confined to limited issues but, investigation has been reopened with fresh evidence

180. It has been contended by the interested party that the scope of the remand as per the directions of the Hon’ble High Court of Calcutta in the order was confined to limited issues of confidentiality, however, that the Authority has reopened the investigation with fresh evidence admitted and new legal reasoning introduced.

181. In this regard, it is essential to go through the order of the Hon’ble High Court. The relevant and operative portion of the order is extracted below:

“56. In my view, the procedural safeguard in terms of article 6.9 of the ADA which has been incorporated in the said Act, and the rules framed thereunder, especially in Rule 7(2) of the said Rules has not been followed.....”

“56... The matter is remanded back to the designated authority for reconsideration of the aforesaid issue, from the stage of the response filed by the petitioner for the purpose of considering the same in accordance with the observations made herein and the scope and object of Rule 7(2) of the said Rules.....”

182. It is the contention of the interested parties that the scope of the remand pursuant to the order of the Hon'ble High Court is limited, and that the Authority has allegedly exceeded the same by reopening the investigation. The Authority has carefully considered the said contention and finds it to be without merit.

183. At the outset, it is observed that the Hon'ble High Court, in its order, has categorically recorded that Article 6.9 of the ADA, as incorporated in Rule 7(2) of the AD Rules, had not been followed in the final findings of original investigation. On that basis, the Hon'ble Court set aside the final findings and the consequent levy of duty and remanded the matter to the Authority for reconsideration from the stage of the response filed by the petitioner, in accordance with the observations made within the order as well as the scope and object of Rule 7(2) of the Rules. Thus, the direction of the Hon'ble Court is explicit in requiring the Authority to reconsider the matter in light of, and in conformity with, the requirements of Rule 7(2).

184. The Authority further notes that Rule 7(2) mandates that any party claiming confidentiality is required to furnish a non-confidential summary of the information supplied, or, where such summarisation is not possible, to provide a statement of reasons explaining why such summarisation cannot be made. The Hon'ble High Court has specifically observed that this requirement had not been adhered to in the original proceedings and that the Authority failed in fulfilling its obligation in calling for the relevant information at the appropriate time. Accordingly, the remand necessitates an examination of confidentiality claims in accordance with Rule 7(2). Such examination cannot be undertaken without calling upon the concerned parties, including the domestic industry, to provide appropriate justification for their claims of confidentiality or to furnish adequate non-confidential summaries.

185. In view of the above, the Authority finds that the actions undertaken in the remand proceedings, including calling for justification of confidentiality claims and examining the same, are in compliance with the directions of the Hon'ble High Court and the mandate of Rule 7(2). The Authority also does not find merit in the contention that the remand proceedings amount to granting a “second opportunity” to the domestic industry. The opportunity being provided to the domestic industry to justify its confidentiality claims flows directly from the requirements of Rule 7(2) and the observations of the Hon'ble High Court.

186. It is further noted that the Hon'ble High Court's order envisages that the Authority should have, in

the original proceedings, required non-confidential versions of submissions and examine the confidentiality claims accordingly. Therefore, in the remand proceedings, the Authority is obliged to undertake this exercise by requiring that the domestic industry comply with the requirements of Rule 7(2), including providing justification where summarisation is not feasible.

187. The Authority also observes that, while the remand is to be undertaken from the stage of the response filed by the petitioner, the examination of confidentiality claims pertains to the material already on record at that stage. Allowing the domestic industry to furnish justification for such claims does not introduce new evidence but constitutes a procedural step to render the existing record compliant with Rule 7(2). In this regard, the Authority notes that the domestic industry has relied upon the information already on record of the investigation.

188. It has been contended that reliance has been placed upon material that was not part of the original record such as Trade Notice No. 1/2013, the submissions of the Domestic Industry dated 31 October 2025 furnishing reasons for confidentiality, subsequent clarification letters and correspondence, references to determinations of foreign jurisdictions, and certain pre-POI or historical transactions.

189. As noted above, the present proceedings are being undertaken pursuant to the directions of the Hon'ble High Court, which, inter alia, required the Authority to reconsider the scope of confidentiality under Rule 7(2) and to disclose essential facts forming the basis of inclusion of R-S TiO₂ within the product scope. Accordingly, the Authority was under the obligation to ensure that all material necessary for arriving at a determination on the issue of inclusion of R-S TiO₂ was duly considered, examined, and, to the extent required, disclosed as essential facts. Further, as noted above, the present proceedings are being undertaken pursuant to the directions of the Hon'ble High Court, which, inter alia, required the Authority to reconsider the scope of confidentiality under Rule 7(2) and to disclose essential facts forming the basis of inclusion of R-S TiO₂ within the product scope. Accordingly, the Authority is under the obligation to ensure that all information for arriving at a determination on the issue of inclusion of R-S TiO₂ was duly considered, examined, and, to the extent required, disclosed as essential facts. In this regard, it is noted that in the original final findings dated 12 February 2025 which is now set aside, the Authority had concluded that ***'given the interchangeability and competitive market positioning of both sulphate and chloride rutile titanium dioxide, the inclusion of sulphate-rutile titanium dioxide within the scope of the product under consideration is appropriate and justified.'*** Since this conclusion on interchangeability and competitive market positioning of R-S TiO₂ and R-C TiO₂ constitutes an essential fact forming part of the basis for inclusion of R-S TiO₂ within the PUC scope, the Authority is obliged under Rule 16 and the High Court's direction to disclose the reasoning and evidence underlying the said conclusion, so that interested parties may meaningfully contest the basis of R-S inclusion.

190. The Authority further notes the following with regard to the material cited by the interested party:

- i. Reference to Trade Notice No. 1/2013 cannot be termed as reliance on new facts or information. Trade Notice No. 1/2013 is public notice and therefore the Authority can rely upon the same for the purpose of its determination.

- ii. The acceptance of the Domestic Industry's submissions dated 31 October 2025, including the good cause statement, was in direct compliance with the Authority's notification dated 17th October 2025, which in itself was issued in pursuance of the Hon'ble High Court's directions.
 - iii. The consideration of all post-remand submissions by interested parties, clarification letters, and correspondence was necessary to ensure a complete and proper appreciation of facts with regard to the issues that are being examined in this remand back proceedings.
 - iv. The reference to foreign authority determinations was limited to aiding the analysis on like article and product scope, and treatment of R-S TiO₂ by these jurisdictions, which aided in including R-S TiO₂ as part of the product scope and is also recognized practice. The Authority notes that the domestic industry had already referred to and relied upon the same prior to issuance of original final findings. Moreover, there can be no bar on reliance placed on other investigating authorities' determination at this stage of the proceedings. This was indeed relevant and necessary considering that the primary challenge of the interested parties is that R-C TiO₂ and R-S TiO₂ are totally different products, and these investigating authorities have found that R-C TiO₂ and R-S TiO₂ are like article.
 - v. The examination of certain historical or pre-POI information was undertaken only to the limited extent necessary to understand product characteristics, production capabilities, and industry practices relevant to addressing the concerns of the interested parties regarding absence of sales of R-S TiO₂ to paint industry. It is now evident that Asian Paints and Indian Paint Association suppressed vital information from the Authority and repeatedly contended that R-S TiO₂ was not supplied by the domestic industry. It is only when the domestic industry brought on record that R-S TiO₂ was supplied by the domestic industry as well that Asian Paints and Indian Paint Association admitted the same, but stated that the volumes were not commercial. The domestic industry provided information showing that the volumes were commercial. It is also noted that the non-confidential version of the application filed by the domestic industry clearly shows separate injury statement with four years data in respect of R-S TiO₂ sold by the domestic industry.
191. Accordingly, the Authority finds that the consideration of the aforesaid material was not impermissible but was in fact necessitated by the directions of the Hon'ble High Court and the requirement to disclose essential facts relating to the inclusion of R-S TiO₂ in the PUC.
192. The Authority also notes even if the above material as well as the letter dated 7th February 2025, which was alleged to suffer from lack of good cause statement on confidentiality and circulation is excluded from consideration in determination of whether R-S TiO₂ should be included within the product scope, the conclusion regarding such inclusion remains unchanged by virtue of several other information and evidence on record as examined by the Authority.
193. The Authority holds that the record as it stood during the original investigation, already contained sufficient information and evidence demonstrating production and sale of R-S TiO₂ by the domestic industry. The same is evident from, inter alia, the documents forming part of the application, such as production process flowchart, costing formats, injury statement, capacity evidence, cost audit reports, invoices, etc. The Authority notes that these information were already available on record and duly verified during the course of the original investigation. In fact, the Authority has prepared separate NIP for the goods produced by TTPL, which includes separate NIP for R-S TiO₂ produced

by the company. Consequently, the inclusion of R-S TiO₂ within the scope of the PUC is supported by substantive and verifiable evidence.

194. In view of the above, the Authority holds that the reliance on the material is justified and consistent with the directions of the Hon'ble High Court. Further, even ignoring such material, the conclusion regarding inclusion of R-S TiO₂ in the PUC is fully supported by the evidence already on record.

iii. Whether domestic industry's request to expand the remand proceedings to redetermine NIP, injury margin and quantum of duty can be considered within the scope of the present remand proceedings

195. The domestic industry has submitted that Hon'ble High Court has quashed the final findings and the Authority shall reconsider all submissions and issue final finding specifically in regard to the determination of NIP, injury margin and quantum of duty. It has further contended that the NIP determined in the original investigation is unduly low and the same should be re-examined considering the full cost information and evidence on record. The domestic industry further submitted that with revision in the NIP, the consequential injury margins and duties should be recalculated to provide effective relief against the dumping.

196. In this regard, the Authority reiterates that the Hon'ble High Court remanded the matter to the Authority for reconsideration of the issue of confidentiality from the stage of the response filed by the IPA. The Hon'ble High Court further held that the Authority was obliged to disclose the essential facts forming the basis of its determination in terms of Rule 16 of the Anti-Dumping Rules to verify the very basis on which R-S TiO₂ was included within the scope of the product under consideration. It is therefore evident that the present remand proceedings are confined to reconsideration of the issues relating to confidentiality and disclosure of essential facts concerning the inclusion of R-S TiO₂ within the product scope. Examination of any other issues, including the domestic industry's request for redetermination of the Non-Injurious Price (NIP), falls beyond the scope of the remand proceedings. Accordingly, the Authority does not consider it appropriate to revisit or modify the NIP in the present remand proceedings.

197. In any event, the Authority notes that the issues relating to the cost elements now raised by the domestic industry were duly examined during the original investigation. These issues were considered pursuant to the domestic industry's comments on the Disclosure Statement, and the Authority addressed the same in the final findings. Since these issues have already been examined and determined, and do not form part of the limited scope of the present remand proceedings, there is no basis to revisit them. The relevant extract from the original findings, which is adopted herein, is reproduced below:

“As regards domestic industry's contention regarding underestimation of coating cost, the Authority notes that the coating cost assessment is based on verified data made available by the domestic industry and after considering relevant cost components in accordance with the principles enshrined under Annexure III of the Anti-Dumping Rules.”

iv. Whether the domestic industry did not fulfil statutory requirement of good cause statement for claiming confidentiality and whether the Authority was obliged to direct the domestic industry to give reasons for its confidentiality claim

198. The interested party has contended that the domestic industry has not given the statutory requirement of a good cause statement which is mandatory prescription under Rule 7(2) of the Rules.

199. It is noted that the final findings notified by the Authority were remanded back to the Authority precisely for the reason that the Authority accepted the confidentiality claims without giving good cause for the same. Therefore, the Authority issued a notification dated 17th October 2025, specifically calling upon the domestic industry to provide a detailed justification in support of its claims of confidentiality. The said notification was issued in compliance with the directions of the Hon'ble High Court, which had, inter alia, directed the Authority to reconsider the issue of confidentiality in light of Rule 7(2) and the observations contained in the order. One of the observations of the Hon'ble Court was that it was for the Authority to have required reasoning for the claims of confidentiality from the domestic industry.

200. Pursuant to the aforesaid notification, the domestic industry submitted a detailed good cause statement vide its submissions dated 31st October 2025. The Authority finds that the domestic industry has provided reasons substantiating its claims for confidentiality.

v. Whether Authority has not followed practice followed in previous cases with regard to name of customers

201. It has been contended that the Authority has directly contradicted its own approach in the cases of Halobutyl Rubber and Effect Pearlescent Pigments, where customer identities were disclosed to substantiate claims of commercial sales. In the present case, domestic industry has claimed confidentiality regarding names of customer. In this regard, the Authority notes that the information, for which disclosure has been sought by interested parties, has been considered confidential by the domestic industry. It is noted that such information has been claimed confidential by the users and foreign exporters as well. The users cannot, on the one hand, contend that the domestic industry has claimed excessive confidentiality by protecting the details of its supplies; while on the other hand, claiming the details of their own procurements as confidential.

vi. Whether Rutile-Sulphate TiO₂ should be excluded from the scope of the PUC

202. It has been contended by the interested parties that R-S TiO₂ ought to be excluded from the scope of the product under consideration on the ground that the domestic industry does not produce or sell the said grade, that any such claim, if made, has not been substantiated with evidence, and if any sales have been made, the same is not in commercial quantities.

203. It is noted that the information furnished by the domestic industry, both at the stage of initiation and during the course of the investigation, established that TTPL manufactured and sold R-S TiO₂. TTPL has provided separate injury statement and costing information for R-S TiO₂. A number of

other information were part of the application which clearly showed production and sale of R-S TiO₂. The NCV of the application also establishes the same. The Authority notes that the information on record since the stage of initiation contained detailed information in respect of production and sales of R-S TiO₂, including injury data, costing formats, production records, product-wise segregation of data. The same has been duly examined and verified by the Authority during the course of the investigation.

204. The evidence provided by the domestic industry includes process flow charts demonstrating manufacturing of TiO₂ through the sulphate route, capacity evidence for sulphuric acid, financial statements showing sales revenue from R-S TiO₂, cost audit reports indicating production and cost elements specific to R-S TiO₂, and trial balance and sales data showing sales of R-S TiO₂. The Authority also notes the sample sales invoices and verified production and sales information, which shows transactions of R-S TiO₂.

205. The Authority also observes that the argument seeking exclusion on the ground of alleged absence of sales to specific user segments, such as the paint companies who are members of Indian Paint Association, is misplaced. The determination of the scope of the product under consideration does not require the domestic industry to demonstrate sales to each and every end-use segment. It is sufficient that the domestic industry produces and sells the product. The Authority notes that absence or limited sales to a particular segment would not warrant exclusion of the product from the scope of product under consideration. Further, the Authority also notes that evidence on record establishes sales of R-S TiO₂ to both paint and non-paint users.

vii. Whether R-S TiO₂ sales made by the domestic industry are not in commercial quantities

206. With regard to the contention that the domestic industry has not made sales in commercial quantities, the Authority notes that the Rules do not prescribe any minimum threshold of sales volume as a condition for determining the scope of the product under consideration. The relevant consideration is whether the domestic industry has produced and sold the like article in commercial volumes. In the present case, the evidence on record clearly establishes that the domestic industry has undertaken production and sale of R-S TiO₂ during the injury period, in commercial quantities. The Authority further notes that such sales have been made to various categories of consumers and are reflected in the verified records of the domestic industry.

viii. Whether TiO₂ with particle size of 200–350 nm should be excluded from the product scope

207. The Authority has examined the submissions made by the interested parties that TiO₂ particle size within the range of 200–350 nm should be excluded within the scope of the product under consideration. The Authority notes that the product under consideration was defined at the stage of initiation as Titanium Dioxide, excluding food, pharma, skin-care, textile and fibre applications, and nano or ultrafine Titanium Dioxide having particle size below 100 nm. Further, being a remand proceeding the instant contention falls outside the scope of the remand investigation.

ix. Whether complete skin care products should be excluded, or, Authority should clarify that the term “cosmetics” includes toilet soaps

208. Interested parties have requested either a complete exclusion for the product under consideration used in skin-care products or an express clarification that the term “cosmetics” includes toilet soaps. The Authority notes that the present proceedings arise pursuant to the remand directions of the Hon'ble High Court and are limited to the issues of confidentiality, disclosure of essential facts, and matters consequential thereto. Issues relating to modification of the scope of exclusions already determined in the original investigation do not arise from the remand directions and therefore fall beyond the scope of the present proceedings. The Authority further notes that the exclusions have already been addressed in this finding and it excludes titanium dioxide meant for skin care. Accordingly, the Authority does not consider it appropriate to revisit or modify the scope of exclusions in the present remand proceedings.

x. Gold Star Trading group's contentions on export price and profitability

209. Gold Star Trading has contended that the export price should be constructed using the selling prices of the related trader rather than the producer group and that the profitability must be revised for purchase cost, constructed export price, and dumping margin calculations. The Authority notes that the present remand proceedings have not been initiated for reconsideration of normal value, export price, dumping margin, or adjustment methodologies applied in the original investigation. The Hon'ble High Court remanded the matter solely with respect to confidentiality and disclosure of essential facts relating to inclusion of R-S TiO₂ within the scope of the product under consideration. Accordingly, the Authority considers that issues relating to export price construction and dumping margin calculations are beyond the scope of the present proceedings and therefore need not be re-examined.

xi. Whether duty imposition should be recommended from the date it was withdrawn by the Ministry of Finance

210. The domestic industry has contended that, since anti-dumping duties were earlier imposed on the subject goods and were subsequently set aside by the Hon'ble High Court on procedural grounds, the anti-dumping duty recommended pursuant to the present remand proceedings should be made applicable from the date on which the earlier duty ceased to be in force. The Authority notes that the Hon'ble High Court has clearly stated that the levy of duty effected by notification dated 10th May, 2025 cannot be sustained and the same with the final findings have accordingly been quashed. The Authority, therefore, does not agree with the contention of the domestic industry that anti-dumping duty recommended pursuant to the present remand proceedings should be made applicable from the date on which the earlier duty ceased to be in force. The Authority holds that the duties can thus only be imposed when it will be notified by the Ministry of Finance.

xii. Whether disclosures requested by IPA vide letter dated 19th May 2026 justified any further disclosure by the Authority

a. Request for disclosure regarding details of months in which sales to paint industry were made

211. It has been argued that in the original findings it is noted that the domestic industry made commercial sales of R-S TiO₂ and paint industry invoices were provided. It has further been submitted that in the remand proceedings, the domestic industry itself admits that R-S TiO₂ was not sold to the paint industry during the POI. It was requested that details of months in the injury period and POI when sales to paint industry were made including volumes and details of the paint company be disclosed.

212. On examination of the submissions of the domestic industry, it is seen that the domestic industry has not made any submission in the remand proceedings that R-S was not sold to the paint industry during the POI. On the contrary, it is seen from the submissions that the domestic industry has maintained that it has sold R-S to various categories of customers including the paint industry during the POI. As regards the commercial sale of R-S TiO₂ to paint industry is concerned, attention is drawn to para 25 of the Disclosure Statement. The Authority's determination not to exclude R-S TiO₂ from the scope of the product under consideration is not solely based on sales of TiO₂ to Asian Paints or any specific paint company or those Paint companies who are member of the IPA. Relevant part is extracted below. Further, it is reiterated that the domestic industry provided, in its application, separate injury and costing information for R-S TiO₂, along with other information/documents:

Para 25: *The Authority's determination on the inclusion of R-S TiO₂ within the scope of the PUC is not primarily based on sales to Asian Paints or any specific paint company. **The determination rests on the finding that TTPL has produced and sold R-S TiO₂ commercially, that R-C TiO₂ and R-S TiO₂ are like articles in terms of Rule 2 (d) of AD Rules, and that the DI is not required to have sold the product to every segment of the consumer market before seeking imposition of anti-dumping duty.***

b. Request for disclosure regarding data corresponding to commercial quantities of R-S sale

213. Further disclosure has been requested in respect of the data on sale of R-S in commercial quantities and it has been submitted that since there has been no actual data disclosed, the conclusion is factually incorrect. It has been further argued that information that the domestic industry itself has disclosed cannot be selectively withheld by the Authority.

214. The matter has been examined, and it is noted that at para 28 of the Disclosure Statement the Authority has already elaborated that it examined all records of the original investigation as well as the present remand proceedings to verify the production and sale of R-S TiO₂ by TTPL and to examine production and sales of R-S TiO₂ in commercial quantities.

215. As regards the contention that the sales volumes disclosed by the domestic industry in its written submissions have neither been reproduced nor expressly confirmed by the Authority, it is noted that the Authority is required to disclose essential facts forming basis of proposed determination on the basis of the record of the case. The Authority is not required to reproduce each and every information brought by the interested parties. Non-reproduction of such information does not imply non

consideration of the same. In fact, a large number of information provided by domestic industry and foreign producers in an investigation relating to determination of dumping margin, injury and injury margin is considered by the Authority while arriving at the essential facts under consideration and final findings. The Authority however does not reproduce all those information either in the Disclosure Statement or in the final findings. At the stage of disclosure, the Authority is required to disclose essential facts under consideration based on which the Authority shall make determination. The Authority is not required to disclose the information that becomes the basis for establishing essential facts. In any case, the sales by the domestic industry of R-S has been verified and expressly confirmed in the present findings. The Authority has even determined NIP, which implies data for four years in commercial volumes.

c. Disclosure of basis for 22% ROCE considered

216. Disclosure of average historical rate of return for both the domestic industry and foreign producers concerning this industry have been requested. It has been further submitted that the request is being made as the 22% ROCE goes against established legal position that 22% ROCE cannot be simply applied as it is a very high rate and artificially inflates NIP and the injury margin.

217. In this regard, it is noted that the return on investment earned by the domestic industry over the injury period is given at Para 93 of the Disclosure Statement. It is clarified that the domestic industry earned a ROI much beyond 22% in one of the years during the injury period. However, it is the Authority's consistent practice to adopt 22% return on capital employed for the purpose of determination of NIP for the domestic industry.

218. As far as Chinese producers are concerned, return on investment earned by them in any case is not relevant.

xiii. Whether coated R-S TiO₂ and uncoated R-S TiO₂ are like article

219. It has been argued by interested parties that TTPL produces uncoated Rutile grade, which is far inferior in quality compared to coated Rutile grades imported from China and thus, TTPL's product is not comparable or interchangeable with coated Rutile (Sulphate or Chloride) grades under investigation. In this regard, the Authority notes that the only difference between the two is the process of coating, and in order to ensure fair comparison between sulphate-rutile titanium dioxide produced by the domestic industry and imported from exporters/producers of the subject country, appropriate adjustments have been made on account of coating cost for determining injury margin and dumping margin.

P. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

P.1. Submissions by other interested parties

P.1.a Submissions made by other interested parties in the original proceedings

220. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to public

interest:

- i. Imposition of anti-dumping duty would increase the price of the subject goods, thereby impacting paint and plastic manufacturers.
- ii. One of the other interested parties have submitted that TiO₂ has no substitutes that provide the same performance in their products. They have projected that the imposition of a 10% anti-dumping duty (ADD) would increase paint production costs by ₹5/kg for finished products, potentially raising paint prices by ₹3.5–6/kg depending on dosage levels in formulations. Given the significant share of TiO₂ in paint formulations (15–20%), the cost increase would likely be passed on to consumers. Despite this, it is believed that demand for TiO₂ is not highly price-sensitive but driven by quality, as domestic industry cannot meet the required standards for whiteness, sheen, and gloss. They have highlighted a significant dependency on imports, as the domestic industry lacks the capacity to meet demand.
- iii. Consumers relying on affordable products would be unable to afford these products anymore.
- iv. The cost of imports has already been increased due to the customs duty payable on the subject goods at 10%. Addition of anti-dumping duty would lead to a substantial price hike for titanium dioxide.
- v. Imposition of duty would be against consumer interest as the largest consumer of subject goods is the paint industry. The demand supply gap in the country can only be overcome with imports.
- vi. In total Indian consumption, there is likely not more than 10% of total Indian production. Hence, if duties are applied, it will affect the majority negatively.
- vii. Domestically available rutile grade is not suitable and hence users will have to import, which will be deterred by duties if imposed.
- viii. The duties imposed by the EU is causing difficulties to paint manufacturers within the EU and the same situation is likely to be replicated in India.
- ix. Imposition of duties will bring challenges to the Indian masterbatch industry as there is financial stress on the industry due to inverted duty structure, and further, there will be a potential setback on export competitiveness.
- x. India does not constitute an exceptionally high-growth or lucrative market for foreign exporters as demand has remained relatively steady over recent years and does not indicate significant or increasing attractiveness to foreign exporters.
- xi. One of the other interested parties have asserted that the imposition of anti-dumping duties would have minimal impact on their operations. Despite previous price increases of up to 50% for TiO₂, they experienced no interruptions in demand, suggesting that price hikes do not significantly affect the downstream industry. Further, they have emphasized that the demand for TiO₂ is not highly price-sensitive, with no substitutes available in the market. They also mentioned that large paint companies typically pass price increases on to consumers without a reduction in demand. There are viable alternatives to Chinese TiO₂ from non-subject countries, so they could easily switch suppliers if duties are imposed. TiO₂ is a small component in finished products, and price increases would have a minimal effect on profitability.

P.1.b Submissions made by other interested parties in the present remand proceedings:

221. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link in the present proceedings:

- i. R-S enables producers to vary pigment loading thereby enabling affordable paint production unlike costly R-C and conflating these distinct products ignores market realities and risks any benefits of the social equity programmes of govt.
- ii. Availability of affordable R-S is a matter of social equity, housing security and inflation control. Pradhan Mantri Awas Yojna aims at providing housing to million of families and key component to maintain 'Pucca' houses as per this scheme is paint.
- iii. Making R-S unviable endangers 15,000 SME units, leading to widespread job losses and social disruption.
- iv. Nemi Chem trades in Anatase grade which is indispensable for optical properties, dispersion and opacity making it a non-substitutable raw material in many formulations. Domestic industry's capacity for ISI-certified Anatase is 28,000–30,000 MT, while total demand is 2,00,000 MT, creating a gap of 1,70,000 MT. This gap necessitates imports to avoid supply disruption.
- v. Global Anatase production is limited to China PR, Korea, and India. Korea meets its own demand while India's capacity is insufficient, making China's imports inevitable.
- vi. The Authority's finding in the Acetone SSR (2016) held that if duties were extended it would not serve interest of DI or domestic producers, due to presence of significant demand-supply gap which necessitates imports. Similarly, here China has ample capacity to meet its domestic as well as global demand of Anatase.
- vii. Imposition of ADD on Anatase would shut down allied facilities due to incapability of DI to satisfy demand and import price of Anatase being so high that it would be unaffordable for importers/users.
- viii. ADD is unwarranted as imports are essential to sustain downstream industries and anti-dumping measure can't be used as protective barrier or to disrupt market equilibrium in order to penalize imports that are necessary to fill supply shortfall.
- ix. Anatase constitutes 20-25% in paints, 30-40% in masterbatch, 15-20% in paper, and 18-20% in ceramics, making it a significant cost component in key industries. Duties would escalate costs which will be borne by downstream industries or consumers reducing competitiveness, distorting markets and harming economy.
- x. Import prices rose from ₹175/kg to ₹225/kg post ADD, while Domestic Industry's prices only from ₹170/kg to ₹185/kg, showing underutilization of ADD protection.
- xi. MSMEs will face closures from increase in prices. ADD will harm users more than it protects DI and outweighs Domestic Industry protection.
- xii. TiO₂ is a critical raw material for major industries like paints, plastics, inks, and packaging, which include a large number of MSMEs. Duties would increase input cost, reduce competitiveness of downstream industries and adversely impact employment and exports.

P.2. Views of the Domestic Industry

P.2.a Submissions made by domestic industry in the original proceedings

222. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to public interest in the original proceedings:

- i. The domestic industry constitutes the entire Indian industry and one more producer has recently entered the market. Imposition of duties is essential to ensure a fair market price and will prevent India from becoming solely import reliant. If duties are not imposed, Chinese producers will create a monopoly in the market.
- ii. Increasing market share of the subject imports of China have not only caused injury to the domestic industry but also taken all the share of other countries.
- iii. Encouraging domestic production will further boost employment, improve standard of living and increase the GDP of the country.
- iv. Titanium dioxide is used in the paints and coating industry, plastic industry, paper, rubber and leather industries. The cost on account of subject goods for the downstream industry is miniscule. 70% of the demand for subject goods is generated by the paints industry wherein TiO₂ hardly constitute 5% of the composition.
- v. Titanium dioxide primarily serves the paint industry accounting for approximately 70% of total demand. The subject goods constitute a 5%, 25% and 30% of the overall composition of paints used in households, paints used in industrial application and powder coating used in appliances respectively. The eventual impact of duties on the end consumer would be minimal and non-consequential.
- vi. If measures are not imposed, the industry is likely to shut down due to inability to match the price of the dumped imports, deteriorating profitability, and other financial indicators.
- vii. The paint industry, even if unable to pass on any possible increase in cost to the consumers, would be able to absorb the impact of duties imposed themselves.
- viii. As regards the plastics industry, the sector would remain profitable even if the impact of duties were not to be passed on or were not absorbed.
- ix. Existence of demand supply gap does not justify dumping of the subject goods.
- x. There exist imminent plans to expand the capacity of the domestic industry, and to make additions to the Indian industry, which will take away the need for imports as a whole.
- xi. Any minimal impact on masterbatch industry can be passed on to the downstream user, and alternatively, there are other sources of TiO₂ from where the masterbatch industry can source TiO₂.
- xii. For export competitiveness, exporters of masterbatch can obtain an advance authorization license, which would enable them to import products duty-free.
- xiii. India is a growing market and the volume of demand offered by the Indian market is significant and unmatched by other countries individually.
- xiv. Multiple investigating authorities have levied duties and initiated investigations on imports of TiO₂ from China.
- xv. Rutile through sulphate and rutile through chloride can both be sourced from alternate sources of supply, in the event that importers and users want to opt for alternate sources.
- xvi. The product is a price sensitive and capital-intensive product and expansion of capacity for such product presents challenges and requires considerable time. Domestic industry is making efforts in this regard.

- xvii. The domestic industry requires a fair market to make investments to further its plans of expansions.

P.2.b Submissions made by domestic industry in the present remand back proceedings

223. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link in the present proceedings:

- i. ADD is in public interest to prevent import dependence, ensure fair pricing, and sustain domestic capacity central to India's manufacturing objectives.
- ii. KMML's TiO₂ plant viability underpins strategic initiatives aligned with Atmanirbhar and critical minerals strategy. Persistent losses risk shutdowns with downstream defence/aerospace implications.
- iii. Demand supply gap cannot justify dumped pricing and imposition of ADD does not block imports but only ensures fair, non-dumped prices so that domestic capacity can operate viably and expansion plans can proceed.
- iv. Claims that ADD will cripple SMEs are unsubstantiated and quantified impact on downstream sectors is minimal, while reliance on dumped imports can destabilise supply.

P.3. Examination by the Authority

224. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports. At the same time, the Authority is aware that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users and consumers of the PUC. Moreover, the imposition of duties may stimulate the emergence of new producers within the country.

225. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information about the present investigation including any possible effects of anti-dumping duty on their operations. Information was sought on, inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

226. The interested parties have filed economic interest questionnaires. It is noted from the submission of all the interested parties that the subject goods are primarily used in the paint industry which constitutes a major portion of the total demand for the subject goods and the subject goods form very low percentage of the total volume of composition of the paints. The analysis submitted by the

applicants and other interested parties shows that difference in the cost of the subject goods due to impact of imposition of duties would not be significant.

227. The Authority notes that there exists a demand-supply gap in the present investigation. The Authority notes the submission of the domestic industry that active steps are being taken to expand capacity by the existing producers and also by new producers. One new producer, namely Meghmani Organics Pvt Ltd. has already set up new capacities post POI. It is also recognised that dumping needs to be addressed, so as to provide the Indian industry with a fair and level playing field to plan capacity expansion considering the fact that the industry is a capital-intensive industry.

228. It is also noted in this regard that existence of demand-supply gap does not justify dumping in any situation. The same has been held by the CESTAT in **DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority**⁵ as well as by the Gujarat High Court in *NOCIL Limited v. Government of India*. The Gujarat High Court held as follows in this regard:

“Where gap of demand and supply exists, the imports are inevitable but that is not a justification for imports coming into India at unfair and dumped prices. In view of the information made available by the petitioner to the authority, it is clearly found that there is continuous dumping, in the present case and, therefore, the demand and supply gap is not the basis for allowing such import.”

229. The Authority notes that the volume of imports from the subject country has increased throughout the injury period. The share of subject imports forms 57% of the total Indian demand. The increase in imports from the subject country has also adversely impacted the market share of the volume of imports from non-subject countries, whose share in the market has been reduced from 43% in the base year to 31% in the POI. The consumers have alternate sources of supply. Therefore, even if volume of imports decline as a consequence of the imposition of anti-dumping duties, imports from non-subject countries would replace such dumped imports and, thereby, mitigate the adverse effects, if any.

Q. CONCLUSION

230. Based on the submissions made, information provided, and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:

- i) The scope of the product under consideration is “Titanium Dioxide” originating in or exported from China PR.
- ii) The subject goods are classified under the customs sub-heading 28230010, and since it is a pigment, imports of subject goods are also being reported under 32061110 and 32061190.
- iii) The application has been filed by M/s. Kerala Minerals and Metals Ltd, M/s. Travancore Titanium Products Ltd and M/s. VV Titanium Pigments Pvt. Ltd. The applicants constitute domestic industry, under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of

⁵2000(119) ELT 308 (TRI-DEL).

standing in terms of Rule 5(3).

- iv) The subject goods exported from China PR and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
- v) The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is above de-minimis level and significant.
- vi) The volume of subject imports increased over the injury period, especially in the POI, in absolute and relative terms. Imports of subject country constitute a majority of the total imports into India throughout the injury period.
- vii) Imports have had a considerable impact on suppressing the prices of the domestic industry.
- viii) Production and capacity utilisation increased from the base year and 2021-22 after which there was a decline. Capacity utilisation is low despite high demand in the country.
- ix) Sales of the domestic industry increased till 2021-22, declined in 2022-23, and increased in the POI.
- x) Market share of imports from the subject country in domestic demand has increased whereas, that of domestic industry has declined over the injury investigation period.
- xi) Profits and cash profits have declined for the domestic industry during the injury investigation period. The domestic industry is incurring losses since 2022-23 and the POI. ROI has also declined steeply and was negative ***% in the POI.
- xii) Average inventory has increased significantly during the injury period.
- xiii) Number of employees and wages paid have decreased over the injury period with marginal increase in the POI as compared to previous year.
- xiv) Productivity per employee increased in the base year and 2021-22, while decreasing in 2022-23 and the POI.
- xv) Imports at dumped prices have adversely impacted the growth of the domestic industry.
- xvi) No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports of the subject goods from subject country, and is facing threat of injury from subject country.
- xvii) Confidentiality claimed by the domestic industry with regard to customer names is appropriate as it is business sensitive information.
- xviii) The order of the Hon'ble High Court of Calcutta has been complied with and the issues of confidentiality and disclosure of essential facts have been accordingly reconsidered, examined, and addressed.
- xix) Rutile-Sulphate TiO₂ falls within the scope of the product under consideration as the evidence placed on record by the domestic industry shows production and sale of R-S TiO₂ by TTPL.
- xx) Rutile-Sulphate TiO₂ and Rutile-Chloride TiO₂ are interchangeable and constitutes like article in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.

R. RECOMMENDATIONS

231. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of injury, causal link, and impact of measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions of anti-dumping investigations as laid down under the Anti-dumping Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty should be imposed on subject goods. Accordingly, the Authority

recommends imposition of anti-dumping duties on imports of the product under consideration.

232. Further, having regard to the conclusion reached with regard to imports of the product under consideration under HS Codes- 28230010, 32061110 and 32061190, the Authority recommends collection of anti-dumping duties on imports of the product under consideration, falling under this code.

233. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject country, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, to be issued in this regard by the Central Government for a period of 5(five) years from the date of notification to be issued in this regard.

DUTY TABLE

SN	Heading/ sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28230010, 32061110, and 32061190 *	Titanium Dioxide**	China PR	Any country including China PR	Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd.	609	MT	USD
					Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.			
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd.	563	MT	USD

					Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.			
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	LB Xiangyang Titanium Industry Co Ltd., and LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. LB Group Co., Ltd. Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.	460	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country includin g China PR	****Non- Sampled Cooperative Producers	510	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country other than subject country	Any producer other than SN 1, 2, 3, & 4	681	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than subject country	China PR	Any	681	MT	USD

**Note 1- Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.*

***Note 2-** *The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:*

“I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (producer name and address) in [subject country]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.”

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

*****Excluding the following:**

S. No.	Product excluded	Description of the excluded product and details
1	Food	TiO ₂ used in food additives like food colouring
2	Pharma	TiO ₂ used as ingredient in tablet film coatings
3	Skin-care	TiO ₂ is used in cosmetics and sunscreen lotions for UV-absorbing and photocatalyst applications
4	Textile	TiO ₂ used in production of textile/fibre. TiO ₂ which is used in the production of textiles and fibres largely because of its photo-catalytic self-cleaning, UV-protection and delustering abilities, etc. is excluded from the scope of product under consideration. However, such exclusion does not extend to the TiO ₂ that is used as a pigment for printing over the textile/garment/cloth/fabric.
5	Fibre	TiO ₂ is used for delustering the artificial fibre and this fibre is used to produce the textiles. Fibre grade materials are used to blend with fibre threads to make the cloth itself. TiO ₂ Rutile grade for making décor paper (used at fibre/pulp stage).
6	Nano or ultrafine	Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm used in textile/paint industry to offer characteristics such as dust free textile/paint.

******Non-Sampled Cooperative Producers**

1. Yibin Tianyuan Haifeng Hetai – Co, Ltd.

2. *Chongqing Titanium Industry Co. Ltd. of Pangang Group*
3. *Pangang Group Titanium Industry Co. Ltd.*
4. *Jiangxi Tikon Titanium Products Co. Ltd. (A Tronox Company)*
5. *Kunming Donghao Titanium Co. Ltd.*
6. *Inter-China Chemical Co. Ltd.*
7. *Anhui Annada Titanium Industry Co. Ltd.*
8. *Shandong Doguide Group Co. Ltd.*
9. *Qiangjiang Fangyuan Titanium Industry Co. Ltd.*
10. *Jinan Yuxing Chemical Co. Ltd.*
11. *Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co. Ltd.*
12. *Shandong Dawn Titanium Industry Co. Ltd.*

234. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

S. FURTHER PROCEDURE

235. An appeal against the order of the Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority